# Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४ ] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४४वां दिवस [ संख्या ३२



मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

### सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी को अग्रिम लोन दिया जाना

१२४२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Will the Minister in charge of Inndstries be pleased to state :

( 1 ) Is it correct that when a loan of Rs. 60,00 000 was advanced to the Sawai Madhopur Cement Factory, Jaipur Udyog, last year it was assured by the factory management that the loan money would be utilised for the expansion of the factory to instal 4 additional plants ?

( 2 ) Is it correct that the Factory management has closed down two plants last month an is now proposing to close down another plant in near future ?

( 3 ) Is it correct that the factory management has taken this step to indue the State Government to grant it lease for exploiti a few more gypsum mines in the State which decontain superior ore than the existing mines under the control of the factory management ?

( 4 ) Is it correct that the factory produced inferior quality of Cement and the State trading corporation has refused to undertake the distribution of the Cement produced by the factory as they are of non-standard quality ?

( 5 ) Is it correct that the factory management in contemplating to shift One of its Plant from Sawai Madhopur to Neem-ka-thana and start a new Cement Factory at Nim-ka-thana with a fresh registration ?

( 6 ) Has the Government given any mining lease at Neem-ka-Thana to any one of the directors of the said factory ?

# Page No.2



**उप खनिज मन्त्री** (श्रीरिखबचन्द धारीवाल ): ( 1 ) The money was not given for installing four additional plants. It was given for installing electric generators for the third kiln. The generator has since been installed and the 3rd klin has also been started. The factory has, therefore fulfilled the condition of the loan.

( 2 ) It is correct that the factory management closed down two plants last month, but it is not correct that they are proposing to close down another plant in near furure. In fact they are likely to start the second kiln in a month or two. They had closed down the two kilns because a few months ago demand for cement had gone down all over India.

( 3 ) There has been no talk of the State Government regarding any gypsum mines with the factory.

( 4 ) The quality of cement produced by the firm is good and the State Trading Corporation has not refused to accept the cement produced by the factory.

( 5 ) The factory management is not contemplating shifting of one of its plants to Neem-ka-Thana.

( 6 ) No mining lease has been given by the Government to any of the Directors of this factory in Neem-ka-thana.

**श्री पी॰ के॰ चौधरी** : इस फैक्टरी के सिवाय किसी को माइन्स के लिए या फैक्टरी के लिए लाइसेन्स दिया गया है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, एक लाइसेन्स दिया गया था लेकिन वह अब इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं ।

**श्री पी॰ के॰ चौधरी** : किसको दिया गया था ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वह जे॰ के॰ ग्रुप को दिया गया था ।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या उन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के अन्दर यह नहीं था कि वह किस किस को बन्द कर सकते थे जब कि ६० लाख रुपया लोन का दिया गया ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी नहीं, ऐसी कन्डीशन नहीं है ।

**श्री पी॰ के॰ चौधरी** : क्या लोन एग्रीमेंट की कॉपी रखी जायेगी ? A copy of the agreement may be placed on the table of House.

**श्री अध्यक्ष** : आपको फैक्टस पूछने हों तो पूछ लीजिए ।

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : You are asking a question or you are asking me to place a copy of the agreement

**श्री पी॰ के॰ चौधरी** : Copy of the agreement I am asking, जब लोन दिया गया था तो क्या इसको असेस नहीं किया गया था कि सीमेंट का फ्यूचर डिमान्ड क्या रहेगा और जो फैक्टरी है Whether it is an expending factory or a contracting one. इसके गैर असेस करके लोन दिया गया था ।

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : It was

(श्री रिखबचन्द धारीवाल )

an expending factory and it was to produce two thousand Tons per day and before the kilns were closed its production was about one thousand seven hundred per day......

श्री श्रीमानसिंह : What are the reasons for not producing the targets? जब दो हज़ार टन प्रोड्यूज़ करने का प्रोमिज़ किया था, जब कि लोन लिया गया था तो फिर अब वह २००० टन प्रोड्यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : The date has not yet arrived.

श्री पी० के० चौधरी : You have advanced a loan to a particular factory. Before advancing a loan whether you have ascertained that this factory is an expending industry ? Supply is not expending but cotracting.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is an expending one. All over the country production of cement has so much increased that there is no demand for increased production.

श्री पी० के० चौधरी : Before advancing the loan, you should have ascertained whether there is any demand or not ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जितना बढ़ाना चाहिए उसका लाइसेन्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट दिया करती है, ऑल इन्डिया की पोज़िशन को देखते हुए और इसी तरह से इस फैक्ट्री को दिया गया और यह टेम्प्रेरी फेस है वैसे दूसरी वजह से बंद हुई। इसको जवाब में भी बताया गया है कि ऐसी फैक्ट्रीज़ देश में और शुरू होने वाली हैं और कन्ट्री में पर्मानेन्टली ज़रूरत नहीं होगी।

## संस्कृत के विषय में सरकारी नीति

१२४४. श्री जनार्दनराय नगर (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत कमेटी की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार यह सूचित करेगी कि कितनी सिफरिशें कार्यान्वित हो चुकी हैं और कितनी नहीं ?

(३) जो सिफारिशें अब तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं या की जा सकी हैं उनको सरकार ने विचार अवस्था में रख छोड़ा हैं, या उनको क्रियान्वित करने का इरादा त्याग दिया है?

(४) जो सिफारिशें अब क्रियान्वित नहीं की गई हैं उसके क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि लालफीते के कारण यह अवांछित देरी हो रही है?

(५) क्या मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए राज्य सरकार की संस्कृत उन्नयन एवं उत्पादन की स्पष्ट एवं आधार भूत नीति एवं कार्यक्रम को घोषित किया था यदि हां, तो कृपया उसे असंदिग्ध रूपमें बताया जाये?

# Page No.4



( श्री जनार्दनराय नागर )

६) उक्त नीति और कार्यक्रम के अनुसार अब तक क्या प्रभावशाली कदम सरकार ने उठाये हैं?

(७) उक्त उद्‌घोषित कार्यक्रम का कितना अंश क्रियान्वित करने से रह गया है और उसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार कितने समय में और किस प्रकार कदम लेने का विचार रखती है ?

(८) क्या सरकार अपनी संस्कृत उन्नयन एवं उत्पादन की नीति और कार्यक्रम पर दृढ़ है और उसे सम्पूर्ण करना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार अब कितनी अवधि में इसे पूर्ण कर देगी ?

**उप-शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है । राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन, उदयपुर में एलान में भी ऐसा ही कहा गया था ।

(२) सिफारिशें इस प्रकार थीं :

सिफारिशों पर क्रमानुसार निम्न कार्यवाही की जा चुकी है :

१. भवन निर्माण— भवन के लिए गत वर्ष २०,००० रु० तथा इस वर्ष भी २०,००० रु० मंजूर किये गये हैं ।

२. पुस्तकालय के लिए धनराशि— लायब्रेरी के लिए गत वर्ष ५,००० रु० दिया गया था । भवन की पूर्ति होने के बाद ग्रन्थालयों के लिए बाकी रकम की व्यवस्था करने पर विचार किया जायगा ।

३. फर्नीचर के लिए धनराशि— गत वर्ष फर्नीचर के लिए १०,००० रु० दिये गये थे । अगले वर्षों के लिए एक फेज्ड प्रोग्राम बना लिया गया है ।

४. अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए समिति का गठन— तथाकथित समिति बना दी गई है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

५. शिक्षा संस्थाओं का वर्गीकरण— अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा से हर शिक्षण संस्था के अध्यापकों व आचार्यों के बाबत जानकारी हासिल की गई है, प्राप्त होने पर सरकार अपना निर्णय देगी ।

६. अँग्रेज़ी परीक्षा के समान बनाना व उनके अनुरूप वेतन प्रदान करना— संस्कृत परीक्षाओं को अँग्रेज़ी परीक्षाओं के समान करने के आदेश दि० १७-१२-५७ को दे दिये गये । वेतन शृंखला के प्रश्न को कार्यान्वित करने में प्रत्येक अध्यापक के सर्विस रिकॉर्ड इत्यादि की जांच आवश्यक होती है उसकी पत्रावलियां इकट्ठी की जा रही हैं ।

७. संस्कृत स्नातकों को परीक्षण की सुविधा देना-यूनिवर्सिटी को दिनांक २८-११-५७ को लिखा जा चुका है अब उनके विचाराधीन है । इनके बारे में स्लेत्री की जांच कर रहे हैं ।

८. छात्रवृत्तियों की सिफारिश— छात्रवृत्तियां हर साल नियमानुसार स्कॉलरशिप कमेटी की सिफारिश पर संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है । इस वर्ष प्रवेशिका के ४३ छात्रों को, मध्यमा के १५ छात्रों, को शास्त्री के ८ छात्रों को तथा आचार्य के ५ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

९. विद्वानों का सम्मान करना, अनुसंधान

( श्री पूनमचंद विश्नोई )

कार्य को प्रोत्साहन तथा अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन– तमाम संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों को आदेश दिये जा चुके हैं । केन्द्रीय सरकार को इस विषय में सिफारिश की गई थी और उस पर महा महोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा को इस वर्ष पदक भी मिला है ।

१०. (क) संस्कृत शिक्षा ११वीं तक अनिवार्य करना– सरकार ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्ड्री एज्यूकेशन को २६–११–५७ को लिखा है अब उनके विचाराधीन है ।

(ख) मल्टी पर्पज़ व हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था– सरकार ने बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्ड्री एज्यूकेशन को २६-११-५७ को लिखा है, अब उनके विचाराधीन है ।

(ग) इंटर, बी० ए० तथा एम० ए० में साहित्य विषय के छात्र के लिए संस्कृत अनिवार्य करना– युनिवर्सिटी ने इस सुझाव को मानने से अपनी असमर्थता प्रकट की थी । फिर से विचार करने के लिए लिखा गया है ।

११. (अ) ओरियन्टल फैकल्टी स्थापित करना– इस प्रस्ताव को युनिवर्सिटी ने मान लिया है और उसके २०,००० रु० की मांग करने पर सरकार ने २०,००० रु० की मंजूरी दे दी है ।

**श्री पूनमचंद बिश्नोई** : (आ) सेकेंड्री बोर्ड से संस्कृत परीक्षाओं का सम्बन्ध स्थापित करना– सेकेंड्री एज्यूकेशन बोर्ड ने इसे मान लिया है और सेकेंड्री एज्यूकेशन एक्ट में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है जो आवश्यक कार्यवाही हेतु विधि विभाग में भेजा जा चुका है ।

१२. संस्कृत पढ़े लिखे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लेना– शिक्षकों के पदों पर नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, शिक्षा विभाग को लिख दिया गया है । इसी प्रकार क्लर्कों के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है ।

१३. पृथक शिक्षा संचालक व डिप्टी सेक्रेटरी, निरीक्षक इत्यादि नियुक्त करना– संस्कृत शिक्षा अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है जो सीधा शिक्षा सचिव के अधीन है। संस्कृत शिक्षा संचालक एवं उप सचिव की सिफारिश सरकार ने मंजूर नहीं की । कार्य की वृद्धि होने तक संस्कृत पाठशाला निरीक्षक के पद का अभी स्थापित कर दिया गया । २ उप निरीक्षक कार्य कर रहे हैं । स्टाफ की मंजूरी कर दी गई है । अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा के लिए पृथक भवन भी किराये पर दे दिया गया है ।

(३) व (४) : प्रश्न भाग २ में दिये गये उत्तर से साफ जाहिर है कि सरकार बराबर ध्यान दे रही है बाकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही जारी है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : This appears to be a very lengthy answer.

**श्री अध्यक्ष** : आप कहे जाइये । माननीय सदस्य की यह शिकायत तो नहीं रहेगी कि सरकार पुरे फैक्ट्स तो नहीं रखती है ।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : (५) जी हां, जिन १३ सिफारिशों का उत्तर प्रश्न भाग २ में दिया जा चुका है उन्हीं पर घोषणा की गई थी और उन उत्तरों को सुनकर माननीय सदस्य को विश्वास हो गया होगा कि जिन बातों के बारे में घोषणा की गई थी उन पर आवश्यक आज्ञाएँ जारी का

# Page No.6



( श्री पूनमचंद विश्नोई )

जा रही हैं। सरकार की नीति जैसी पहले थी वैसी ही अब है।

(६) व (७) : इसकी विस्तृत जानकारी प्रश्न भाग २ के उत्तर में दे दी गई है।

(८) जो सिफारिशें बाकी रह गई हैं उन पर निकट भविष्य में ही कार्यवाही की जावेगी।

**श्री श्रीमानसिंह** : कहीं गवर्नमेंट हाइयर सेकन्ड्री स्टेज़ के स्टेन्डर्ड पर संस्कृत को कम्पलसरी बनाने का तो नहीं सोच रही है?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उत्तर दिया जा चुका है। नोट में रिकमन्ड किया है।

**श्री जनार्दराय नागर** : इसमें २ सिफारिशें विचारधीन है। करीब एक साल से, कहां से युनिवर्सिटी में लागू हो और कहां से बोर्ड में लागू हो तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो विचाराधीन दो सिफारिशें हैं उन पर विचार निर्णायक रूप में कब तक कर लिया जायगा?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : बहुत सी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का सीधा सरकार के साथ ताल्लुक नहीं है। युनिवर्सिटी के उनके तय करने पर लागू किया जा सकता है। यथा संभव जल्दी ही लागू करने की कोशिश की जायगी।

**श्री जनार्दनराय नागर** : इससे क्या मैं यह मान लूं कि जो संस्कृत कमेटी कायम की थी और उसकी सिफारिशें सरकार ने मन्जूर कर ली है उनको युनिवर्सिटी नहीं माने तो सरकार उन सिफारिशों को वापिस ड्रॉप कर देगी?

**श्री अध्यक्ष** : उनसे फिर कहेंगी।

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): उनसे कहा गया है। उसके सिवाय उनके अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जहां तक खास तौर से युनिवर्सिटी का सवाल है सीधे आदेश जारी करना सरकार के लिए मुश्किल होता है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : सरकार संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : एक कदम तो यह है और सब को मिलकर लोकप्रिय बनाना चाहिए।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : उसको आकर्षक बनाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाय। उनके लिए विशेष स्थान नियुक्त किये जायं तभी आकर्षक हो सकती है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं कि प्रश्न का उत्तर इतना विस्तार से है कि सप्लीमेन्ट्री की आवश्यकता नहीं।

**श्री जनार्दनराय नागर** : २० हजार की भवन निर्माण के लिए सिफारिश थी तो क्या भवन निर्माण के लिए फेज प्रोग्राम की नीति बनाई गई है? अभी बताया गया है कि २० हजार की भवन निर्माणकी मन्जूरी थी वह अब दे दी गई है और पुस्तकालय के लिए १० हजार की और थी और ५ हजार की और थी तो संस्कृत भवन तथा और साधन सुविधाओं को बढ़ाने के प्रावधान में ३५ हजार निर्धारित किये हैं तो क्या ये हमारी अर्थ पोषण की नीति से सम्बन्ध रखने वाले हैं?

# Page No.7



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** फेज प्रोग्राम देने की राशि को प्रथम देने से सम्बन्ध कर लें।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** २० हजार भवन निर्माण के लिए देना संस्कृत भाषा के प्रति न्याय नहीं होगा जिसके लिए भवन के लिए केवल २० हजार होंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** बहुत सी बिल्डिंग्स में एडिशन्स और ऑल्टरेशन्स भी हैं, केवल संस्कृत भवन बनाने का नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मूलचन्द डागा।

**श्री जनार्दनराय नगर :** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बड़ा आवश्यक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि........

**श्री अध्यक्ष :** इतना लम्बा उत्तर देने के बाद में पूरक प्रश्न की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

**समाजवादी पार्टी द्वारा सत्याग्रह**

१२४५ **श्री मुलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में समाजवादी पार्टी सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने जा रही है ?

(ख) क्या इस बात की सूचना समाजवादी पार्टी ने राजस्थान सरकार को दी है ?

(ग) क्या मांगें राजस्थान सरकार के सामने समाजवादी पार्टी ने रखी है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) दिनांक १-१२-५८ से आरम्भ हो चुका है ?

(ख) जी हां।

(ग) जी हां समाजवादी पार्टी ने सरकार के सामने २१ मांगें रखी है जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री पी० के० चौधरी :** इस आन्दोलन में कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मेरे लिए इस वक्त एग्जेक्ट फिगर कहना मुश्किल होगा लेकिन ३०० के आस पास गिरफ्तार हो चुके हैं।

**श्री पी० के० चौधरी :** कन्विक्टेड कितने हुए हैं ?

**श्री मूलचन्द डागा :** यह मांगें सरकार के सामने किस तारीख को रखी गई थीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** एक तारीख के पहले।

**श्री मूलचन्द डागा :** कौन सी १ तारीख के पहले ! कितने दिन पहले, महीने या दो महीने ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** १ तारीख से १५-२० रोज़ पहिले।

**श्री मूलचन्द डागा :** गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में उस पार्टी से बातचीत की या उनसे बातचीत करने का समय दिया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मांगों से स्पष्ट है कि मांगें शिकायतें करने की दृष्टि से नहीं होकर आन्दोलन की भाषा में मांगें थी और बातचीत करने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला था इसलिए बातचीत नहीं की।

**श्री मूलचन्द डागा** : उन मांगों की पूर्ति नहीं की है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मांग की पूर्ति हो, आन्दोलन ऐसा नहीं था ! हमें पता था कि महीने भर पहले से उसकी तैयारी की जा रही है। इस तरह से कई जगह उनके इस प्रकार के आन्दोलन हुआ करते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या उन मांगों में तथ्य नहीं था ? मैं समझता हूं कि मांगों में तथ्य हो तो राजस्थान सरकार उनमें तथ्य रखे, ये वास्तविक बातें हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वे बातें की जा सकती हैं। उनके बारे में सरकार कार्यवाही करती रही है और करती रहेगी। आन्दोलन क्योंकि पहले किया जा रहा है और इस बात की मांग बाद में की जाय और उसकी पूर्ति के लिए अलग से चर्चा की जाय। उनसे अलग से बातचीत करके परिणाम निकलने की आशा नहीं थी।

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या आपने जवाब दिया वापिस ? मांग पत्र का लिखित रूप में क्या आपने जवाब दिया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जी नहीं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या सरकार समाजवादी मांगों को वजन नहीं देती है ? इसलिए उनसे बातचीत नहीं की गई।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मेरे ख्याल से समाचार चारों तरफ से मिलते थे। स्थिति स्पष्ट थी।

**श्री पी० के० चौधरी** : कन्विक्टेड कितने हुए थे ? २०० बताये, उनमें से कितनों को सजा हुई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह अलग से प्रश्न होगा। वह मांगों से संबंध रखने वाली बात थी। अलग से बता सकता हूं कि कितने कन्विक्टेड हुए, इस वक्त सारी जानकारी नहीं है। कुछ कन्विक्टेड हुए, कुछ माफी मांग कर चले गये और कुछ के केसेज विचाराधीन हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : जितने भी अवेलेबिल हों, उतने ही बता दें।

**प्रश्न संख्या १२४६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनलाल भटनागर।

( अनुपस्थित )

## लूणकरसर से सेलोलाइट की निकासी

१२४७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि लूणकरणसर, जिला बीकानेर में निकलने वाले सेलोलाइट खनिज को सरकार ने हाल ही में राज्य से बाहर भेजना बन्द कर दिया है ? अगर हां तो इस, कार्यवाही से कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

**उप खनिज मंत्री** ( श्री रिखबचन्द-धारीवाल ) : जी हां, दिनांक ५-१०-५८ से सेलोलाइट को बाहर भेजने का प्रतिबन्ध लगाने से कम्पनी ने खान बन्द कर दी है। इस कार्यवाही से औसतन ६८ मजदूर बेकार हुए हैं।

**श्री भीमसेन** : बन्द क्यों कर दी गई है ?

# Page No.9



**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : बन्द इसलिए कर दी गई थी कि बीकानेर स्टेट ने जब लीज दी थी और उसमें यह शर्त थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी लगायेंगे। फिर उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी नहीं लगाई गई और उन्होंने दरख्वास्त की कि सेलोनाइट को बाहर भेजने की इजाजत दे दी जाय। वह इजाजत दे दी गई, लेकिन बाद में यह सोचा गया कि अगर यह सेलोनाइट बाहर चला जायगा तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी लगाने के लिए जो रा मेटीरियल है वह कम पड़ जायगा, इसलिए इन्कार कर दिया गया कि बाहर नहीं भेजा जावे और प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी लगाने के सिलसिले में कार्यवाही करेंगे।

**श्री भीमसेन** : यह फैक्टरी एग्रीमेंट के मुताबिक कब तक लगा देना चाहिए था?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : एक्जेक्ट डेट तो नहीं बता सकता हूं कि कितने अर्से में लगा देना चाहिए, वह शायद इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन शर्त यह थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी लगायेंगे।

## शरणार्थी महिलाओं एवं बच्चों के लिए आवास

१२४८. **डॉ० बहादुरसिंह** (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने होम फोर रिफ्यूजी वीमन और चिल्डरन कहां कहां पर चल रहे हैं?

(ख) इनकी प्रवृत्तियां क्या क्या हैं? प्रत्येक होम की वार्षिक आय–व्यय क्या है? क्या यह किसी हद तक स्वावलम्बी हैं?

(ग) पुनर्वास विभाग के बन्द हो जाने के बाद इनकी वर्तमान व्यवस्था ही चालू रहेगी या इसमें कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है?

**उप पुनर्वास मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (क) निम्नलिखित होम राजस्थान में चल रहे हैं :

(१) विधवा आश्रम, आमेर (जयपुर)।

(२) आनन्द आश्रम, राजा पार्क कॉलोनी, जयपुर।

(३) गोवर्धन विलास, प्रतापनगर, उदयपुर।

(४) विधवा आश्रम, जोधपुर।

(५) विधवा आश्रम, अजमेर।

(ख) आश्रम वासियों की प्रवृत्तियां (१) प्रशिक्षण व (२) मजदूरी है। प्रशिक्षण सिर्फ ४० वर्ष के नीचे की आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे सिलाई, साबुन बनाना, कसीदा निकालना इत्यादि, इत्यादि। ४० वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों को सरल काम दिया जाता है, जैसे पापड़, बड़ी बनाना, चरखा कातना, हाथ कर्घा का कार्य करना, कपड़ा सीना तथा कसीदा करना इत्यादि। यह काम प्राइवेट अथवा सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग से मिलता है। ५५ वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्ति प्रायः काम करने योग्य नहीं होते हैं। जो उनमें से काम कर सकते हैं, उनको हल्का काम जैसे खर्चे आदि का काम दिया जाता है। इन

# Page No.10



( श्री सम्पतराम )

कार्यों से किसी प्रकार की आमदनी नहीं है। आश्रमवासियों को उनकी बनाई हुई वस्तुओं के बेचने से जो कुछ प्राप्ति होती है वही उनको मजदूरी के रूप में दे दी जाती है। वह मजदूरी बहुत ही कम है जिससे आश्रम आत्म निर्भर नहीं हो सकता। उपरोक्त आश्रमों का खर्च केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में २५ रु० माहवार फी व्यक्ति के हिसाब से प्राप्त होता है।

(ग) पुनर्वास विभाग को बन्द करने का तो कोई निर्णय अभी सरकार ने नहीं लिया है पर इन आश्रमों का समाज कल्याण विभाग को सौंपने का प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : समाज कल्याण विभाग को कब तक सौंप दिया जायगा ?

**श्री सम्पतराम** : मैंने कहा कि अभी विचाराधीन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : विधवा आश्रम जो अजमेर में है वहां विधवा ही नहीं सधवाएं भी हैं।

**श्री सम्पतराम** : सधवाएं भी और विधवाएं भी हैं, दोनों हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : विधवाओं की श्रेणी में सधवाओं को रखना क्या अन्यायपूर्ण नहीं होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : सब अबलाओं के लिए है।

**श्री जयसिंह राणावत** : प्रश्न संख्या १२४८ के शीर्षक में लिपि हिन्दी में और भाषा अंग्रेजी में इस्तेमाल की गई है। यह क्या प्रश्नकर्ता ने इसी रूप में दी है या विधानसभा द्वारा की गई है या सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न के (क) भाग को आप देखें।

**श्री जयसिंह** : यह पद्धति मैं समझता हूं ........

**श्री अध्यक्ष** : यह पद्धति माननीय सदस्यों को शुरू करनी पड़ेगी।

## चर्म उद्योग विद्यालय, धौलपुर में सामान की चोरी

**१२४९. श्री गोवर्धनसिंह केन** : (बयाना) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर में समाज कल्याण वीभाग द्वारा संचालित चर्म उद्योग विद्यालय के सामान की चोरी हुई है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इसमें विभाग के किसी व्यक्ति की साजिश है ? यदि हां, तो किस किसकी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) चोरी गये सामान का मूल्य क्या है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसकी सूचना दे दी गई है कि अगले टर्न पर उत्तर दे दिया जायगा।

**प्रश्न संख्या १२५१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकरणसिंह।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १२५२**

श्री मुरलीधर व्यास।

( अनुपस्थित )

# Page No.11



(श्री अध्यक्ष)

**प्रश्न संख्या १२५३**

श्री चन्द्रसिंह यादव ।

( अनुपस्थिति )

**प्रश्न संख्या १२५४**

श्री गोकुलचन्द जाटव ।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १२५५**

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

( अनुपस्थित )

**आदूराम पटवारी, तहसील पदमपुर के खिलाफ शिकायत**

१२५६. **श्रीमती सतवन्तकौर :** (करनपुर ) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) श्री आदूराम पटवारी, तहसील पदमपुर कब पटवारी नियुक्त हुआ है और वह कितने समय पदमपुर तहसील से बाहर रहा है ?

(२) क्या सच है कि वह पदमपुर में ही रहता है और अपने हलके में रिहायश नहीं रखता और मन्डी पदमपुर में आढ़त और कपड़े की दूकान चलाता है ?

**उप राजस्व मंत्री** (श्री सम्पतराम): (१) श्री आदूराम १३-३-१९३४ को पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ तथा १४-६-५२ से १३-३-५४ तक वह पदमपुर से बाहर रहा।

(२) जी नहीं।

**श्री मूलचन्द डागा :** कुल ११ साल मे कितने साल बाहर रहा आपके हिसाब से ?

**श्री सम्पतराम :** लगभग १ वर्ष ५ माह ।

**श्री मूलचन्द डागा :** एक पटवारी ११ साल तक एक जगह रह सकता है क्या ?

**श्रीमती सतवन्तकौर :** क्या यह सही है कि पदमपुर में उसकी दो दूकानें एक आढ़त की और एक कपड़े की उसके खुद के नाम से तो नहीं लेकिन उसके रिश्तेदार के नाम से चलती हैं, इसलिये वह बाहर नहीं जाना चाहता ?

**श्री सम्पतराम :** उसके भी फेमिलि है। उसके लड़के के नाम से या किसी और के नाम से कोई दूकान चलती है तो उसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि उसको बाहर ट्रान्सफर कर दिया जाय ।

**श्री मूलचन्द डागा :** क्या इस पटवारी के खिलाफ कोई शिकायत है ?

**श्री सम्मपतराम :** कोई शिकायत नहीं है ।

**श्रीमती सतवंतकौर :** क्या यह सही नहीं है कि उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं, लेकिन कुछ राज्य कर्मचारी उसके रिश्तेदार हैं इसलिये उसको बाहर नहीं भेजा जा रहा है ?

**श्री सम्पतराम :** शिकायत के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति का ट्रान्सफर करना वाजिब नहीं है । यदि किसी की शिकायत है और वह साबत हो जाती है तो उसको दंड मिल सकता है, लेकिन सिर्फ तबादला करने से ही तो मसला हल नहीं होता ।

**श्री पी० के० चौधरी :** क्या यह सही है कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट को तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रखा जाता है ?

**श्री सम्पतराम :** तहसील के बाहर जाने का सवाल नहीं है। एक ही तहसील में ३ साल से अधिक रह सकता है। इतने अर्से में तहसील में कई हल्कों में तबादला हुआ होगा?

**श्रीमती सतवन्तकौर :** क्या आपको मालूम है कि वह अपने हलके में जाता ही नहीं है !

**श्री अध्यक्ष:** आप उसकी निश्चित शिकायत करके बता दें, उस पर कार्यवाही की जायगी।

**श्री भीमसेन :** क्या यह सही है कि जिस हलके का रहने वाला एक व्यक्ति है उसकी नियुक्ति उसी हलके में नहीं हो सकती ?

**श्री सम्पतराम :** जिस हलके का वह रहने वाला है आमतौर से वहां नहीं रखना चाहिये ?

**श्री पी० के० चौधरी :** यह गलत जवाब है, उसी हलके में नहीं रहना चाहिये।

**श्रीमती सतवन्तकौर :** क्या अब उसका तबादला किया जायगा ?

**श्री सम्पतराम** : नहीं, तबादला करने का सवाल पैदा नहीं होता।

**श्री भीमसेन :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आम तौर से जो जहां का रहने वाला होता है उसको वहीं नियुक्त नहीं किया जाता है। यह पटवारी पदमपुर का रहने वाला नहीं है, दूसरे हलके का रहने वाला है। माननीय सदस्या कहती हैं कि उसके खिलाफ शिकायत है, यदि वह वहां रहने लायक नहीं है तो उसका वहां से तबादला किया जायगा या उसको सजा दी जायगी।

**श्री अध्यक्ष:** श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

## बेरोजगारी दूर करने के लिये योजना

**१२५१. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बांरा) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये दूसरी योजना के निर्धारित कार्यक्रम में कोई योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किन किन क्षेत्रों में किस किस रूप में अब तक कार्यान्वित की जा चुकी है और अब भविष्य में उक्त योजना किन किन क्षेत्रों तथा कार्यों में व्यावहारिक रूप में ली जाने वाली है ?

**मुख्य मंत्री :** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों की बेरोजगारी दूर करने के लिये उपयोगी लघु व कुटीर उद्योग धंधे तथा कृषि का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम योजना में निर्धारित किया गया है। जिन क्षेत्रों में यह योजना जिस रूप में कार्यान्वित की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

अन्य चीजों के यथास्थित रहने पर भविष्य में योजना के रूप में सांख्यिक वृद्धि के अतिरिक्त परिवर्तन की आशा नहीं और कार्यक्षेत्र का निर्धारण क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार किया जाना सम्भव है।

( कृपया परिशिष्ट२ देखिये )

# Page No.13



**श्री पी० के० चौधरी** : यह जो योजना बनाई है उसमें कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ठीक तादाद कहना मुश्किल है क्योंकि कई योजनाएं चल रही हैं इसलिये ठीक नहीं बताया जा सकता कि किसमें कितने आदमी लगाये गये।

**श्री पी० के० चौधरी** : ऐप्रोक्सिमेटली बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : एप्रोक्सिमेटली से कोई फायदा नहीं निकलता।

**श्री पी० के० चौधरी** : Let him tell something approximately Sir.

**श्री अध्यक्ष** : It is not necessary to be vague like this.

**प्रश्न संख्या १२५८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १२५६**

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

## प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के मेहतर कर्मचारियों का वेतन, जिला चूरू

१२६०**कुमारी शन्नोदेवी** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

चूरू जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के मेहतर कर्मचारियों को कितना कितना वेतन दिया जाता है !

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : माध्यमिक शालाओं में कार्य करने वाले मेहतरों को ५ रू० माहवार दिया जाता है। यह अलाउन्स प्राथमिक शालाओं में नहीं दिया जाता है।

**कुमारी शन्नोदेवी** : पहले यह बताया गया था कि राजस्थान में मिडिल स्कूलों के मेहतर कर्मचारियों को १० रु० माहवार दिया जाता है। इस समय बताया गया कि ५ रु० दिये जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको २ रु० माहवार ही दिये जाते हैं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : चूरू में ५ रु० ही दिये जाते हैं।

**कुमारी शन्नोदेवी** : राजस्थान में चूरू जिला नहीं है क्या ! वहां अलग क्यों दिया जाता है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मिडिल स्कूलों में सब जगह इतना ही दिया जाता है।

**कुमारी शन्नोदेवी** : यह संख्या पर निर्भर है क्या कि मिडिल स्कूलों में विशेष संख्या छात्रों की हो तो ज्यादा दिया जाय और कम हो तो कम दिया जाय ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसी बात नहीं है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं उनको ५ रु० दिये जाते हैं।

**कुमारी शन्नोदेवी** : वहां पर दो ही रुपये क्यों दिये जाते हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने उत्तर दिया कि ५ रु० दिये जाते हैं।

**कुमारी शन्नोदेवी** : मैं अर्ज कर रही हूं कि २ रु० दिये जाते हैं।

# Page No.14



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** आप जानकारी दे रही हैं किन परिस्थितियों में २ रु० दे रहे हैं. मैं जानकारी करूंगा।

(अश्रव्य)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं समझता हूँ यह मेहतरों के लिये लागू नही होती।

**श्री पी० के० चौधरी :** Is it correct that the Government has taken decision that there should be no part time employee in the Education Department

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** अलग अलग परिस्थिति हो सकती हैं।

**श्री पी० के० चौधरी :** कॉन्टिजेन्सी में से पेमेन्ट करने का प्रॉविजन रखा था क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** ऐसा अजमेर में था लेकिन अब ठीक कर दिया है।

**श्री पी० के० चौधरी :** राजस्थान में भी ऐसा ही है।

**प्रश्न संख्या १२६१**

**श्री अध्यक्ष :** श्री गोकुलचन्द जाटव।

(अनुपस्थित)

## पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव

**१२६२. श्री तनसिंह** (श्री अनूपसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जो धन राशि शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के लिये निर्धारित की गई थी उसमें अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भी कोई हिस्सा था ?

(२) ऐसी कितनी रकम थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि ऐसी रकम ५ वीं व १० वीं तक के किसी भी विद्यार्थी में नहीं बाँटी गई जो अन्य पिछड़ी जातियों के थे ?

(४) क्या ऐसी निर्धारित रकम सिर्फ हरिजनों में ही बांटी गई जब कि अन्य पिछड़ी जातियों का भी हिस्सा शामिल था ?

(५) क्या जिन पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को १९५६:५७ में कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली उनको ५७-५८ के लिये दुगुनी छात्रवृत्ति मिलेगी ?

**मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):** (१) जी नहीं। अन्य पिछड़ी जातियों के लिये छात्रवृत्ति हेतु कोई हिस्सा शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स की निर्धारित रकम में से नहीं था।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

## बड़े विकास खंडों को दो हिस्सों में बाँटने का प्रश्न

**१२६३. श्री बेनाराम गहलोत(खारची):** क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ बड़े विकास खण्डों को दो हिस्सों में बांटने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और किन किन विकास खन्डों को ?

**उप विकास मंत्री** (श्रीसम्पतराम):जी हां, बारां, राजसमन्द और डूंगरपुर विकास खंडों

# Page No.15



(श्री सम्पतराम)

को सन् १९५७ से दो खंडों में विभाजित किया जा चुका है। देसूरी तथा रायसिंहनगर विकास खंडों का विभाजन अभी सरकार के विचाराधीन है

**श्री बेनाराम** (गहलोत) : देसूरी विकास खण्ड को दो खंडों में विभाजित करने का अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायगा ?

**श्री सम्पतराम:** देसूरी का मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन है लेकिन रायसिंहनगर का सेन्टर को भेज दिया गया है।

**प्रश्न संख्या १२६४.**

**श्री अध्यक्ष :** श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित)

**राइकों की बकाया रकम, पाली तहसील**

१२६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कस्टम विभाग की पाली तहसील के किन किन राइकों में कितनी कितनी रकम कब से किस बात की बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

क्या जिन राइकों की एवड आज भी मौजूद हैं और जो अपना सबूत देने के लिये तैयार है कि वे अपनी एवड वापिस मारवाड़ में ले आये थे, उनसे भी रकम वसूल की जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप वित्त मंत्री** (श्री सम्पतराम) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां सबूत देने की मियाद खत्म हो चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री मूलचन्द डागा :** कितनी मियाद होती है सबूत देने की ?

**श्री सम्पतराम:** यह तो कानून का सवाल है, एक्ट में दिया है लेकिन आपकी जानकारी के लिये बता देता हूँ कि १० महीनों की होती है।

**श्री मूलचन्द डागा :** वे कब जानवर लेकर आये थे मारवाड़ में वापिस ?

**श्री सम्पतराम :** यह सन् ४७ का सवाल है।

**श्री मूलचन्द डागा :** जानवर वापिस लेकर कब आये थे ?

**श्री सम्पतराम :** जब खाली चिट्ठी का वेरिफिकेशन ही पेश नहीं किया तो यह बताना मुश्किल है कि कब लेकर आये लेकिन सन् ४७ में एवड ले आये थे।

**प्रश्न संख्या १२६६**

**श्री अध्यक्ष :** श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल

(अनुपस्थित)

**सुजानगढ़ तहसील के चौधरियों का पिचौतरा**

१२६७. **कुमारी शन्नोदेवी** (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सुजानगढ़ तहसील के कितने गांवों के किन किन चौधरियों को कितने सालों से पिचौतरा नहीं दिया गया है ? सूची देने की कृपा करें।

# Page No.16



(कुमारी शन्नोदेवी)

(२) अब कब तक यह पिचौतरा दे दिया जावेगा ?

**उप राजस्व मन्त्री ( श्री सम्पतराम ) :** सुजानगढ़ के ११३ चौधरियों को सं० २०१२, २०१३ व २०१४ का पिचौतरा नहीं दिया गया है। सूची संलग्न है।

(२) शीघ्र ही दे दिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**कुमारी शन्नोदेवी :** अब तक क्यों नहीं दिया गया ५ साल का पिचौतरा ?

**श्री सम्पतराम :** पहले वहीं से वसूल होता रहा था। बीच में स्टोप कर दिया गया। अब रूल्स बना दिये गये हैं। कौन से इसमें पेमेन्ट करना चाहिये यह सरकार के विचाराधीन है, जल्दी ही निर्णय कर दिया जायगा।

**श्री जयसिंह राणावत :** यह पिचौतरा शब्द राजस्थान की व्यापक बोली है या क्या है, हम नहीं समझ सके ?

**श्री पी० के० चौधरी :** यह किससे वसूल किया जाता है ?

**श्री सम्पतराम :** पहले वहीं के लोगों से वसूल होता रहा था, लेकिन क्योंकि अब नम्बरदारों के रूल्स बना दिये गये हैं, अब कहां से और किस मद में से पेमेंट करें यह विचाराधीन है।

**कुमारी शन्नोदेवी :** क्या यह सही है कि बीकानेर में पिचौतरा उठाते हैं लैंड रेवेन्यू के साथ में ?

**राजस्व मन्त्री ( श्री दामोदरलाल-व्यास ) :** नम्बरदारों के रूल्स एनफोर्स कर दिये हैं। ये काश्तकारों से वसूल करने का प्रावधान है लेकिन अब सरकार विचार कर रही है कि काश्तकारों पर सेस न लगाकर नम्बरदारों की रकम हकवली की है वह सरकार से दी जाय। यह विचार किया जा रहा है कि किस हैड से दिया जाय। यह निर्णय ले लिया जायगा तब रकम दे दी जायगी।

**कुमारी शन्नोदेवी :** १२ और १३ की साल में इस प्रकार के नियम नहीं थे तो कुछ चौधरियों को कैसे दिया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** १२, १३ की साल का पिचौतरा जिनको मिला नहीं उनके लिये विचार किया जा रहा है कि किस मद से दे दिया जाय। यह सारे राजस्थान के लिये एक सा निर्णय लिया जायगा। जिन चौधरियों को पिचौतरा दिया जाय, स्टेट से दिया जाय या किस तरह, इसका जल्दी ही पेमेन्ट कर के निर्णय कर दिया जाय।

**श्री भीमसेन :** १२, १३ का जिनका बकाया है उनको बीकानेर स्टेट के रूल्स के माफिक पे क्यों नहीं किया गया, कुछ को पे किया, कुछ को नहीं किया इसका क्या कारण है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** कुछ लोग रह गये होंगे, कोई कारण होगा।

**श्री भीमसेन :** कुछ को दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ? मैं यह पूछ रहा हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** कुछ को पेमेंट नहीं हुआ, उनको पेमेंट करने के लिये जल्दी ही निर्णय किया जा रहा है। अब क्यों पेमेंट नहीं हुआ, इसके अलग अलग कारण मेरे पास

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस समय नहीं, पर जिनको पेमेंट नहीं किया है उनको पेमेंट कर दिया जायगा।

**श्री पी० के० चौधरी :** ५७ में नम्बरदारों के रूल्स पब्लिश किये तो पहले का क्यों नहीं दिया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** कहीं काश्तकारों से, कहीं स्टेट से पिचौतरा दिया जाता था. अब यूनिफाइड लॉ बना दिया है, सबको एक तरीके से दिया जायगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मूलचन्द डागा।

## गाड़ोलिया लुहारों को अलॉट की गई जमीन-तहसील पाली

**१२६८. श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या पाली तहसील के गाडोलिया लुहारों को कलेक्टर पाली ने जमीन अलॉट करने का हुक्म दे दिया ? यदि हां तो कब ? आज तक म्युनिसिपल बोर्ड, पाली द्वारा उन्हें जमीन अलॉट नहीं किये जाने का क्या कारण है तथा अब उन्हें कब व कहां जमीन अलॉट की जावेगी ?

**मुख्यमन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जयगा, अभी उत्तर आया नहीं है।

**श्री मूलचद डागा :** चार साल से तो जमीन नहीं मिली और उत्तर शायद अगले सैशन में मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री मूलचन्द डागा।

## प्राइमरी स्कूल्स की इमारतों का अधूरा निर्माण-पाली तहसील

**१२६९. श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में कौन कौन सी प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स अधूरी निर्माण हुई है ?

(ख) क्या सरकार उन भवनों को पूरा बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(ग) क्या जिन जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स अधूरी हैं उन गांवों के लोग आधी रकम देने की दर्ख्वास्त दे चुके हैं ? यदि हां, तो उन दर्ख्वास्तों पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

**उपमंत्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) १. डेन्डा २. कूरना ३. रोहट ४. सोनाई बाजी ५. टेवाली कला ६. राना ७. चेन्डा. ८. केरला. कानेलाव १०. आदर्श नगर, पाली ११. दयालपुरा १२. रूपावास १३ पांचपदरिया। दयालपुरा और पांचपदरिया का कार्य अभी शुरू हुआ है, रूपावास का शुरू होना है।

(ख) जी हां, यथासंभव।

(ग) जो भी ऐसी दर्ख्वास्तें यहां आती हैं वे जिला संचालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाती हैं और उनकी सिफारिश पर रकम देने का फन्ड के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

### प्रश्न संख्या १२७०

**श्री अध्यक्ष :** श्री पृथ्वीराज पटेल।

(अनुपस्थित)

# Page No.18



(श्री अध्यक्ष)

**प्रश्न संख्या १२७१**

श्री रामनारायण वर्मा।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १२७२**

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित )

श्री मती गंगादेवी डाटा।

**समाज कल्याण बोर्ड की ओर से केन्द्रों का खोला जाना**

**१२७३. श्रीमती गंगादेवी डाटा** ( रामगढ़ ) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) राजस्थान में समाज कल्याण बोर्ड की ओर से कितने केन्द्र कहां कहां खोले गये हैं ?

( ख ) राजस्थान समाज कल्याण केन्द्रीय बोर्ड की इन शाखाओं में कितने कार्यकर्त्री और कार्यकर्ता हैं ?

( ग ) उनको क्या वेतन व ग्रेड दिये गये हैं ?

( घ ) क्या इनकी नियुक्तियां स्थायी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

( ङ ) क्या इन्हें पेन्शन ग्रेच्युएटी, प्रोवीडेन्ड फन्ड, जीवन बीमा या इस प्रकार की अन्य कोई सुविधाएं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

( च ) यदि किसी कारणवश यह बोर्ड नहीं रहे तो इन कर्मचारियों की सेवाओं का क्या होगा ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ( क ) राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस समय राज्य के विभिन्न जिलों में १६ समाज कल्याण योजनाएं चल रही हैं और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत ५ केन्द्र होते हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( ख ) इन योजनाओं पर कुल २८२ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तालिका संलग्न है।

( ग ) इसका उल्लेख उपरोक्त तालिका में किया गया है।

( घ ) जी नहीं। चूंकि राज्य बोर्ड भी अस्थायी है अत: इसको नियुक्तियां भी अस्थायी है। केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार ये अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं।

( ङ ) राज्य बोर्ड के कर्मचारियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय बोर्ड व राज्य सरकार के नियमानुसार इन सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

( च ) राजस्थान सरकार की अस्थाई सेवाओं के नियमानुसार किसी पद या विभाग के समाप्त होने पर उस पर नियुक्त व्यक्ति को एक महीने का नोटिस देकर उसे कार्य-मुक्त कर दिया जाता है। यथासंभव इन व्यक्तियों को राज्य के अन्य विभागों में रिक्त स्थानों पर लगाने का प्रयत्न किया जा सकता है।

बोर्ड एक सहायता प्राप्त संस्था है जिसके कर्मचारियों का दायित्व सरकार पर नहीं है।

( कृपया परिशिष्ट ५ देखिये )

**श्रीमती गंगादेवी डाटा** : तीसरे नम्बर का उत्तर समझ में नहीं आया।

Page No.19



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** उत्तर यह था कि तालिका में दिया हुआ है।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** मैं यह जानना चाहती हूँ कि समाज कल्याण बोर्ड में जो कार्यकर्ता हैं, वे अस्थायी ही रहे तो कभी भी उनकी सर्विस खत्म हो सकती है, फिर उनकी लाइफ का क्या होगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं समझता हूँ इसका उत्तर दे दिया है।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** समझ में नहीं आया।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** ये अस्थायी व्यक्ति हैं और अस्थाई व्यक्तियों के साथ यह लाभ नहीं जुड़ा हुआ है। फिर भी वाइन्ड अप हो तो उनको दूसरी जगह रखने की कोशिश करेंगे।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** यह स्थाई कब तक होंगे ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** जब तक विभाग अस्थायी है तब तक वे स्थायी नहीं हो सकते।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** विभाग कब तक स्थाई ह जायगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** यह सारा केन्द्रीय योजना पर निर्भर करता है।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** जो कार्यकर्ता इस वक्त सर्विस में हैं वे ओवर लाइफ, ओवर एज़ हो जायेंगे तो उनकी लाइफ का क्या होगा ? इसका क्या इलाज होगा ?

**श्री अध्यक्ष :** अस्थायी होते होते खत्म हो गया तो दूसरी जगह ले लिये जायेंगे।

**श्रीमती गंगादेवी डाटा:** अस्थायी है, इसलिये उनकी लाइफ निश्चित तो नहीं रही।

**श्री अध्यक्ष :** श्री धर्मपाल।

### राजस्थान कैनाल एरिया के किसानों से रकबा काश्त का छुड़ाया जाना

११७४. **श्री धर्मपाल पंवार,** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल एरिया में जो किसान वर्षों से रकबा काश्त करते चले आ रहे हैं उनसे वह छुड़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या जब तक राजस्थान कैनाल में अलॉटमेंट सम्बन्धी पूरे नियम तैयार हो कर मुस्तकिल अलॉटमेंट सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक के लिये उन किसानों को बदस्तूर रकबा काश्त कर देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगले टर्न पर दे दिया जायगा, अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

### पत्थर की खानों का परमिट

१२७५ **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा): क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार पत्थर की खानों का परमिट जहां तक सम्भव हो उन्हीं लोगों को देना चाहती है जो सम्बन्धित खानों में पहले से काम करते आ रहे हैं तथा अपनी मेहनत से खानों को काम करने लायक बनाया है ?

( श्री शिवनाथसिंह )

(२) क्या यह सही है कि देवगांव, गोठेडा, बसावा तथा हुकमपुरा, तहसील उदयपुर, जिला झुंझुनू के गांव की खानों का पर्मिट उन खानों में काम करने वालों को बराबर कोशिश करने के बावजूद भी उनको नहीं दिया जाकर अन्य लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार यह उचित समझती है कि खानों के ठेके देने की सूचना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जावे, ताकि अधिक लोग ठेके की बोली लगाने में भाग ले सकें व सरकार को उचित रकम मिल सके ?

**उप खनिज मन्त्री** ( श्री खिवचन्द धारीवाल ) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना नहीं आई है ।

## साजी खार बनाने के लिए जमीन जिला जालौर

१२७६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जालौर जिला में कोई जमीन साजी खार बनाने के लिये किसी को दी गई है ? यदि हां, तो किसको कब से कितना बीघा और किस रेट पर ?

(२) क्या उस जमीन से कंकड़ व पत्थर निकाल कर रेलवे विभाग को सप्लाई किया गया ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में लक्ष्मी स्टोर सिरोही का माल फ्रीज-किया गया ? यदि हां तो कब किया गया व सरकार उसके बाबत में क्या कदम उठा रही है ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : इसका अगले टर्न पर इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर उत्तर देंगे ।

**प्रश्न संख्या १२७७**

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती कमला श्रोत्रिय ।

(अनुपस्थित)

## रानोली (जिला सीकर) के जागीरदार द्वारा गलत मुआवजे का फार्म भरना

१२७८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रानोली, जिला सीकर के भूतपूर्व जागीरदार श्री अमरसिंह ने स्वयं के, पुत्र के तथा पुत्र-बधू के नाम जागीर के मुआवजे के फार्म भरे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदार ने मुआवजे के फार्म में गलत धनराशि बताकर सरकार से अधिक मुआवजा प्राप्त कर लिया है ?

(३) यदि यह सही है तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) धनराशि गलत प्रतीत होती है परन्तु अभी पूरी आय की तस्दीक नहीं हुई है । न दावा ही अन्तिम हुआ है, इसलिये इस बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

( श्री सम्पतराम )

(३) आय की तस्दीक हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** इसकी जांच किस आधार पर की जा रही है ? कम्पेन्सेशन का फार्म भर कर दिया है, किस आधार पर जांच की जा रही है ?

**श्री सम्पतराम :** उसूल सबके लिये एक से हैं कम्पेन्सेशन के फार्म भर कर डिमान्ड पेश करते हैं। जागीर की आय ठीक है कि नहीं इसकी जांच के लिये रूल्स बने हुये हैं उनके अनुसार जांच की जाती है।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या सरकार के पास जनता की शिकायत आई है कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं ? उनके खाते बही देखने की क्या सरकार कोशिश करेगी ?

**श्री सम्पतराम :** यह शिकायत तो हमारे पास नहीं आई है, आपके पास आई हो तो पता नहीं सरकार तहसील से जांच कराती है, अगर कोई इस तरह की बात हुई होगी तो पकड़ी जायगी।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या सरकार वहां कर्मचारियों की एविडेन्स लेकर और पुराने खाते-बही देख कर जो गलत तरीके के मुआवजे का फार्म भरा गया है उसकी जांच करके कोई अन्तिम निर्णय लेगी ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : जागीर कमिश्नर के यहां सरकार भी एक फरीक की हैसियत से है। जागीर के मामलों में सरकार निर्णय नहीं लेती, जागीर कमिश्नर ही निर्णय लेते हैं। वहां सरकारी वकील पैरवी के लिये रहता है, वह पैरवी कर देता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या सरकारी वकील की मार्फत सरकार ने जागीर कमिश्नर को इस मामले में कहलवाया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जितनी जानकारी हमारे पास थी वह तो करने के लिये सरकारी वकील को कह दिया गया है, आपके पास और जानकारी हो तो वह हमें दें उसके अनुसार पैरवी करने के लिए और कह देंगे।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या यह सही है कि उक्त जागीरदार के पुराने कर्मचारी इस बारे में एविडेन्स देने को तैयार हैं कि फार्म गलत आंकड़े बता कर भरा गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** डिटेल तो मेरे पास शिकायत की नहीं, जितनी शिकायत आई वह आम तौर से वकील के पास भेज दी। आप और कुछ डिटेल्स देंगे तो उसकी पैरवी करने के लिए कार्यवाही कर देंगे।

**प्रश्न संख्या १२७६**

**श्री अध्यक्ष :** श्री शंकरलाल।

( अनुपस्थित )

श्री गोकुलचन्द जाटव।

( अनुपस्थित )

**श्रीमती गंगादेवी डाटा :** श्री गोकुलचन्द के क्वेश्चन का उत्तर दिया जाय।

**डॉ. बहादुरसिंह :** अलवर का है।

**अलवर जिले में मेवों की भूमी का रेस्टोर किया जाना**

१२८० **श्री गोकुलचन्द जाटव** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

# Page No.22



(श्री गोकुलचन्द जाटव)

( १ ) अलवर जिले में गत वर्ष कितने और चालू वर्ष में कितने मेवों को कितनी भूमि रेस्टोर की गई ?

( २ ) मेवों को यह भूमि किन किन तहसीलों में रेस्टोर की गई और ऐसा करने में कुल कितने किसान बेदखल किये गये ? उनमें हरिजन कितने थे ?

( ३ ) क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया था कि सन् १९५७ के बाद मेवों को जमीन देने के लिए किसी को बेदखल नहीं किया जायगा ?

**उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पत राम) :** अलवर की सूचना तो उपलब्ध ही नहीं हुई है. अगली टर्न पर लिया जाय।

( हंसी )

**प्रश्न संख्या १२८९**

**श्री अध्यक्ष :** श्री शंकरलाल।

( अनुपस्थित )

श्री सोहनलाल भटनागर।

( अनुपस्थित )

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

**प्रश्न संख्या १२५०**

**श्री रिखबचंद धारीवाल :** अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना नहीं आई है। अगले टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जावेगा।

**श्री श्रीभानसिंह :** अध्यक्ष महोदय, आज जितने क्वेश्चन्स पूछे गये हैं उसमें अधिकांश में यही उत्तर दिया गया कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अगली टर्न पर उत्तर दिया जायेगा।

**श्री रिखबचंद धारीवाल :** यह तो एक ऐसा प्रश्न था जिसमें जितनी सारी कमेटियां हुईं उनके सारे मिनिट्स मांगे गये हैं। इसका उत्तर पूरी सूचना नहीं आने से नहीं दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष :** रामकरणसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री चन्द्रसिंह।

श्री गोकुलचन्द।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री रामकिशन।

श्री गोकुलचन्द जाटव।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

श्री पृथ्वीराज।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

श्री शंकरलाल।

( उपरोक्त सभी अनुपस्थित )

प्रश्न समाप्त हुए।

## तहसील नोखा (जिला बीकानेर) को राहत कार्यों के लिए दी गई धनराशि।

१६ यू० एस०। **श्री गिरधारीलाल** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील नोखा, जिला बीकानेर में इस साल राहत कार्य किन किन गांवों में खोला गया और उस पर कुल कितनी धन-

(श्री गिरधारी लाल)

राशि खर्च हुई ? कृपया इसकी सूची ब्यौरेवार सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त राहत कार्य किन किन गांवों में किस आधार पर खोले गये ?

(३) क्या देसलसर पुरोहितान में भी भाला-नाड़ा तालाब को राहत कार्य के अन्तर्गत खुदवाया गया ? अगर हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ ?

(४) क्या उक्त तालाब के तले के नीचे बजरी थी और इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देने के उपरान्त भी उस तालाब को खुदवाया गया ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१ तहसील नोखा, जिला बीकानेर में सन् ५८-५६ में ३२ ग्रामों में राहत कार्य खोले गये, जिनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। इन समस्त कार्यों पर कुल ५०,६७७) रु० खर्च हुआ है।

(२) जिन गांवों में राहत कार्य खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है। ये कार्य निम्न बातों को आधार मानते हुए प्रारम्भ किये गये थे :

१. कार्य उसी इलाके में खोला गया जो अकालग्रस्त हो चुका था और जिस पर रुपया लगाने से गांव वालों को लाभ हो।

२. जो क्षेत्र कई गांवों के बीच पड़े ताकि अधिक से अधिक मजदूर मिल सके।

(३) हां, देसलसर पुरोहितान का भाला-नाड़ा तालाब भी राहत कार्यों के अन्तर्गत खोदा गया ( जो संलग्न सूची की क्रम संख्या १५ पर दर्ज है ) इस पर २,००५) रु० खर्च हुआ।

(४) हां, तालाब के नीचे बजरी थी, पर यह सही नहीं है कि सूचना मिलने पर भी उसका खुदाई कार्य जारी रखा गया।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिये )

### डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी (जिला बीकानेर) द्वारा खर्च की गई धन राशि

**४८८। श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला बीकानेर में १६५४ से आज तक डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी की ओर से किन किन तहसीलों में तथा किन किन गांवों में कितनी धनराशि खर्च की गई ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जिला बीकानेर में १६५४-५५ से १६५८-५६ तक किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ७ देखिये )

### अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों की नियुक्ति की आज्ञाओं का उल्लंघन

४. यू. एस.। श्री लदूराम सुलाणियां (दूदू) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ऐसा उदाहरण बता सकती है कि सरकार ने ऐसे किसी उच्च सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जिसने कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों

( श्री लादूराम सुलाणियां)

के सुरक्षित पदों की नियुक्ति की आज्ञाओं का उल्लंघन किया हो, के कारण कोई कार्यवाही की हो ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में जारी की गई आज्ञाओं का उल्लंघन भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है ? अगर हां, तो क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है जिससे कि यह विश्वास किया जा सके कि इस सम्बन्ध में अब तक जो सरकारी आज्ञा जारी की गई है और जो भविष्य में जारी की जाएगी उनका पालन उचित रूप से कराया जा सकेगा ?

मुख्य मंत्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ( १ ) सरकार के सामने किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी आज्ञाओं के उल्लंघन करने की शिकायत पेश नहीं हुई। इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) भारतीय संविधान के उल्लंघन का तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर भी इस सम्बन्ध में जारी की गई आज्ञा की एक प्रति संलग्न है।

( कृपया परिशिष्ट ८ देखिए )

## अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सुरक्षित पद

८. यू. एस. । श्री लादूराम सुलाणियां ( दूदू ) क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पर्याप्त पद सुरक्षित करने के विषय में पूर्ण सतर्क रही है ?

(२) अगर हां, तो जब सरकार ने इस सम्बन्ध में सन् १९५१ में ही समुचित आदेश जारी कर दिए थे और सरकार उन आदेशों के पालन करने के बारे में भी सतर्क रही, तब क्या कारण है कि सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो सकी ?

मुख्य मन्त्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): ( १ ) जी हां।

( २ ) आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी देख रेख के लिए कोई समन्वय अधिकारी नहीं था।

## परिगणित जाति व जन जातियों के उम्मीदवारों को तहसीलदार के लिए प्रतिनिधित्व देना तथा शीघ्र पदोन्नति देना

१०. यू०एस०। श्री लादूराम सुलाणियां, (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि मन्त्रिमण्डल ने सन् १९५५ या ५६ में ऐसा निर्णय लिया था कि परिगणित जातियों या परिगणित जनजातियों के उम्मीदवारों को राजस्थान तहसीलदार सेवाओं में आवश्यक प्रतिनिधित्व देने के लिए इन जातियों के उम्मीदवारों को प्रथम नायब तहसीलदार की तीन माह की ट्रेनिंग देकर नियुक्त किया जाय और एक वर्ष में पदोन्नति कर तहसीलदार नियुक्त किया जाय ?

(२) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार प्रशिक्षण के लिए कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई ?

(३) निर्धारित प्रशिक्षण काल के पश्चात् उनमें से किसी की पदोन्नति भी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

१. ऐसा निर्णय राज्य सरकार के उच्च एग्जीक्युटिव पदों पर लेने के लिए लिया था।

२. ७ व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई:—

| नाम | स्थाई या अस्थाई | पद |
|---|---|---|
| १. श्री कालूलाल | — | वह राजस्व विभाग में आए ही नहीं |
| २. श्री शोभालाल | अस्थाई | सहायक सैल्स-टैक्स अधिकारी |
| ३. श्री शकुनचन्द | ,, | नायब तहसीलदार |
| ४. श्री गुलाबचन्द | , | यह राजस्व विभाग में आए ही नहीं |
| ५. श्री रतनलाल | ,, | नायब तहसीलदार |
| ६. श्री नानगराम | ,, | इन्सपेक्टर, लैंड रेकॉर्ड |
| ७. श्री लक्ष्मीचंद | ,, | इन्सपेक्टर, लैंड रेकॉर्ड |

इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति (श्री माखनलाल) को जन सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता में नीचे नाम होने पर भी नायब-तहसीलदार किया गया है।

३ जी हां। दो व्यक्तियों की पदोन्नति की गई।

| | | |
|---|---|---|
| १. श्री शकुनचन्द | इन्सपेक्टर लैंड रेकॉर्ड से | नायब तहसीलदार |
| २. श्री रतनलाल बरवा | ,, | ,, |

## तहसीलदार के पद के लिए प्रार्थनापत्र

११. यू. एस. । श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या इस वर्ष तहसीलदार की सेवाओं के पदों के लिये प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये गये थे?

(२) उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्र सरकार को प्राप्त होने की तिथि और उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं?

(३) क्या किसी उम्मीदवार को तीन माह से अधिक ट्रेनिंग में रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(४) क्या सरकार उन पदों पर नियुक्ति के लिये हरिजन जातियों के व्यक्तियों को भी ट्रेनिंग देना चाहती है? यदि हां तो कितने व्यक्तियों को तथा उनकी नियुक्ति के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) उम्मीदवारों को सर्व प्रयोजन प्रशिक्षण शाला में व फील्ड पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसकी अवधि ६ माह से १८ माह तक की है। यह प्रशिक्षण उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव प्राप्त करने के लिये दिया जाता है।

(४) जिन सफल व्यक्तियों की नियुक्ति राजस्थान तहसील सर्विस रूल्स के अन्तर्गत की गई है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वे किसी जाति या वर्ग के हों।

## मौजा मलान तहसील भीलवाड़ा में नहरी भूमि का अलॉटमेन्ट

२१२ आर.एम. भैरोंसिह (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26



(श्री भैरोंसिंह)

( १ ) सन् १६५७-५८ व ५८-५६ में मौजा मलान, तहसील भीलवाड़ा में किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी नहरी भूमि काश्त के लिये दी गई है ? कृपया ऐसे काश्तकारों के पूर्ण पर्चे सहित तालिका सदन की मेज पर रखी जावे ?

यह भूमि किन नियमों के आधार पर दी गई है ? क्या इस भूमि के अलॉटमेन्ट में नियमों के विपरीत कार्यवाही की गई है ?

( ३ ) जिन व्यक्तियों को यह भूमि मिली है, वे स्वयं काश्त करते हैं या अन्य काश्तकारों से करवाते हैं ?

( ४ ) क्या इन व्यक्तियों को इस काश्त से सम्बन्धित कार्यों के लिये कर्जा दिया है ? यदि हां, तो किन किन को कितना कितना और किस काम के लिये ? इसका पूर्ण उपयोग हुआ या नहीं ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): ( १ ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( २ ) राज्य सरकार के आदेश से दी गई है। श्री रमेशचन्द्र व्यास को बदले में भूमि दी गई है। कोई भूमि नियमों के विपरीत नहीं दी गई। हां, लेकिन श्री चुन्नीलाल, रमेशचन्द्र रामेश्वरप्रसाद व छीतरमल जिनके कब्जे में ७/४ भूमि है इनकी भूमि डूब में आ जाने से जिलाधीश, चित्तौड़ ने भूमि देने के संबंध में सिफारिश कलेक्टर भीलवाड़ा को की, जो विचाराधीन है।

( ३ ) यह भूमि खुदकाश्त में है।

( ४ ) जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिये )

### मौजा हलेड़ ( तहसील भीलवाड़ा ) में काश्त के लिए अलॉट की गई भूमि

२१५ आर. एम. श्री **भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १६५७-५८-५६ में मौजा हलेड, तहसील भीलवाड़ा में किस किस व्यक्ति को कब कितनी कितनी भूमि किस नियम के अन्तर्गत काश्त के लिये ( नये रूप से ) दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

( २ ) जिन व्यक्तियों को यह भूमि मिली है वे स्वयं काश्त करते हैं या काश्तकारों से है काश्त कराते हैं ?

( ३ ) क्या इन व्यक्तियों को इन काश्त से सम्बन्धित किसी कार्य के लिये सरकार से कर्जा दिया हुआ है ? यदि हां, तो कितना कितना और किन किन को तथा किस कार्य के लिये ?

( ४ ) क्या इस कर्ज का पूर्णतया उपयोग हुआ है ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): ( १ ) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है

( २ ) यह भूमि खुद काश्त में है।

( ३ ) जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

( ४ ) प्रश्न ही नहीं उठता।

( कृपया परिशिष्ट १० देखिये )

### राजस्थान निर्माण के बाद जयपुर शहर के १० मील के एरिया में अलॉट की गई भूमि की बकाया रकम

Page No.27



**२७८ आ० एम० श्री भैरोंसिंह :** क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( १ ) जयपुर शहर में १० मील की दूरी में सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण के पश्चात् काश्त के लिये दी हुई भूमि से सम्बन्धित किन किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं में किस किस प्रकार की सरकारी रकम बाकी है ?

(२) इस रकम में सैल ऑफ लैंड, लैंड रेवेन्यू, कास्ट ऑफ ट्रीज एण्ड कास्ट ऑफ वैल्स की कितनी कितनी रकम है ?

( ३ ) यह रकम नियमानुसार कब कब जमा हो जानी चाहिये थी ? जमा न होने की सूरत में वसूली के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया उपरोक्त प्रश्नों की सूचियों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ११ देखिये )

**११.५५म० पू०**

**श्री अध्यक्ष :** पुरस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

**राजस्थान जागीरदार मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान ( अंतिम आज्ञाएं वैधकरण ) विधेयक १६५८**

( पुरःस्थापन )

**श्रीदामोदरलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Jagirdars Compensation and Rehabilitation Grants (Final Orders Validation) Bill, 1958 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःथापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

( विराम )

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**राजस्थान टिनेन्सी ( फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल १६५८.**
**प्रवर समिति के प्रति वेदन का उपस्थान )**

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

**जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित लेखाओं पर समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूं :

( १ ) विनियोग लेखा १६५४-५५ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, भाग २,

( २ ) अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५६, भाग १ तथा

( ३ ) अंकेक्षा प्रतिवेदन १६५७, भाग १।

**११.५६ म० पू०**

**अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मत-दान, ५८-५६**

( प्रथम अवस्था )

**भाग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य**

**श्री अध्यक्ष :** मांग संख्या ४६ पर बहस हो रही है। कुछ तो कट मोशन्स हो चुके हैं और कुछ बकाया हैं। ( श्री

**श्री भैरोंसिंह** : कल ले लिया जावेगा।

**श्री अध्यक्ष** : It will be on the aganda tomorrow.

श्री मोहरसिंह

( अनुपस्थित )

श्री लच्छूराम।

( अनुपस्थित )

अब सरकार की ओर से इसका उत्तर होगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये उस दिन का समय बाकी रह गया। मुझे ५ मिनट दिये जावें।

**श्री अध्यक्ष** : पांच मिनट का समय काफी रहता है।

**श्री मूलचंद डागा** : उस रोज ५ मिनट भी नहीं मिले।

**श्री अध्यक्ष** : आप ५ मिनट और ले लीजिये।

**श्री मूलचंद डागा** ( पाली ) : अध्यक्ष महोदय, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गांवों में जाते हैं और जहां पर हमने बातें बताई कि शहरों में लोगों को कितना ही पानी अपने शरीर की सफाई के लिए नहाने को मिलता है, मगर उन गांवों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और उन मांगों में मैंने अभी पढ़ा कि समाजवाद ने जो मागें रखी उसमें से एक मांग यह थी, कि गांव में साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जावे और इस मांग को हमने आज से हिन्दुस्तान के आजाद होने के १० वर्ष बाद भी हम यह महसूस करते हैं कि राजस्थान सरकार की कमजोरियों के कारण कहिये या कार्यकुशलता की व्यवस्था के कारण, हम इस प्रकार की व्यवस्था गांवों में नहीं कर पाये हैं। कुछ गांवों में आप इसकी व्यवस्था नहीं कर सके। अब मैं अपने क्षेत्र पाली में ऐसे गांवों के नाम बताना चाहता हूं कि वहां पर कई गांव ऐसे हैं पाली तहसील में जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है और उनमें से मुख्य गांव सारवाडा और सुडेलाव के क्षेत्र में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर लोगों को चार पांच महीनों तक ही शुद्ध पानी पीने को मिल सकता है। इसके अलावा पूरे ७ या ८ महीनों तक उन गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं रहता और बहुत बड़ी पानी की कठिनाई उपस्थित होती है। आज से दो वर्ष पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था और बार बार कहा था कि जिन गांवों में पानी पीने को नहीं है वहां पर राहत पहुंचाई जावे। एक बात मानी हुई है कि लोक राज्य के शासन की कड़ी जिसको कहना चाहिये वह शासन की इकाई गांव को ही मानते हैं लेकिन उनके यहां पीने तक को पानी नहीं पहुंचता और जो व्यवस्था आपने की है वह उन गांवों के लिये की है जिन गांवों के लोग धनी हैं या आर्थिक रूप से धन दे सकते हैं। मगर उन गांवों तक आपने पहुँचने की कोशिश नहीं की जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जिस गांव वाले आर्थिक रूप में आपको पैसे नहीं दे सकते, जिसके द्वारा आपको उनको शुद्ध पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिये थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां प्रशासनिक शासन करने वाली जो मशीनरी है वह इस गांव तक नहीं पहुँच पाती है। केवल उन्हीं गांवों में जाते हैं जहां अच्छे अच्छे मीठे पानी के कुए हैं और जहां संपर्क द्वारा हमारे फोटो खेंचे जाते हैं, उन्हीं को हम सहायता देते हैं और उनके लिये पैसे खर्च करते हैं। मैं यह चाहता

(श्री मूलचन्द डागा)

हूं कि आप उन गांवों को पैसा दें जिनके यहां छोटी छोटी पानी की नहरें जाती हैं और गांव वाले अपने श्रम के द्वारा नाली बना सकते हैं, उनको आप पानी के नाले बनाने में आर्थिक सहायता दें । अब मैंने सुना कि सरकार तहसीलवाइज या जिलेवाइज गांवों के आधार पर धन देती है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने जल बोर्ड पर आरोप लगाये और और आरोपों की बौछार की जो सत्य थी और चुनावों के समय मैंने देखा कि यह रुपया उन्हीं क्षेत्रों में खर्च किया गया जिन क्षेत्रों से वोट लेते थे । जिन लोगों के हाथ में यह व्यय करने को था वह उन गांवों में किये जहां वोटों की व्यवस्था थी । मगर मैं तो उन देहातों के गांवों का जिक्र करना चाहता हूं कि आज तक १० वर्षों के बाद भी सरकार वहां पर पीने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी । पाली तहसील में ६० गांव ऐसे हैं जो दस दस कोस या १५ मील की दूरी पर स्थित हैं वहां पर चार या पांच महीनों के सिवाय वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने कई बार प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में पेश किये और बताया कि इन गांवों में व्यवस्था आसानी से की जा सकती है । मगर बात यह है कि हमारी मशीनरी में काम करने वाले जिला योजना में काम करने वाले हैं वे इन इन्टीरियर गांवों तक नहीं पहुँच पाये । हमारी पहुंच बड़े बड़े अच्छे गांवों तक हो है और अभी तक उन गांवों में मदद नहीं दे पाये हैं जो छोटे हैं और उनको पानी की बहुत आवश्यकता है; जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती । जब यह देखते हैं तो दुःख होता है और इसी लिए यह कट मोशन रखा है । यह कट मोशन इस बात की ओर संकेत करता है कि अभी तक हमारे यहां राजस्थान में हमारे पास कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं जिसके आधार पर हम यह बता सकें कि इन गांवों में पानी का प्रबन्ध नहीं है । शहर के लोगों को अच्छा पानी पीने को मिलता है लेकिन अभी तक इन्टीरियर में गांवों के लोगों को गंदा पानी मिलता है जिससे नाहरू की बीमारी आदि पैदा होती है । यह हिन्दुस्तान के लिये बड़े शर्म की बात है और हमारी सरकार के लिये भी बड़ी शर्म की बात होगी कि आज १० वर्ष के बाद भी उन गांवों के दुःखों को दूर नहीं करते जहां पानी का इन्तजाम नहीं है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर थोड़े शब्दों में कहूँगा कि यह हमारे लिये पानी की व्यवस्था न होना एक प्रकार का कलंक है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पानी का वितरण करें और इसका आधार एक ही है कि हर एक तहसील में तहसीलदार और वहां की कमेटियां इस प्रकार के गांवों की सूची बना कर तैयार करें कि किन किन गांवों में हमको पहले पहले पानी का इन्तजाम करना है और उसी के आधार पर हमें अपने धन का वितरण करना चाहिये और उसको खर्च करना चाहिये । इसीलिए मैंने कट मोशन रखा है कि देहाती गांवों में अब तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और वहां के लोगों ने बार बार इसके बारे में कहा है । वे कई बार इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर चुके हैं । मैं चाहता हूँ कि सरदार समद, हेमावास और जवाई प्रोजेक्ट की नहरों से जो गांव वाले अपने श्रमदान द्वारा छोटी छोटी नालियों से पानी ले जाना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

१२. म० प०

**स्वायत शासन मंत्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड पर जो कट मोशन रखा गया है उस पर दो तरह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

की शिकायतें हैं। एक तो शिकायत यह है कि वाटर बोर्ड का काम संतोषजनक नहीं रहा, उसके हिसाबात में गड़बड़ी है, और न मालूम क्या गोलमाल है, कि जिसकी वजह से सरकार को वाटर बोर्ड को बन्द करना पड़ा। एक तो वाटर बोर्ड बन्द हुआ उसके बारे में शिकायत है, और दूसरी शिकायत यह है कि, राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ उनमें शहर भी हैं और कुछ गांवों के लिए यह कहा गया है। खास तौर पर बाड़मेर और जैसलमेर के लिए कहा गया, और एक माननीय सदस्य ने, पाली जिले के गांवों के बारे में भी जिक्र किया। उसके अलावा बीकानेर के बारे में भी जिक्र किया गया।

जहां तक वाटर बोर्ड की शिकायत है, मैं यह अर्ज करूंगा कि, वाटर बोर्ड के बारे में मेरी यह मान्यता है कि जितना अच्छा, जितना संतोषजनक और जितना जल्दी वाटर बोर्ड ने काम किया, यदि उसके अनुसार सब ही विभाग काम करने लग जायं तो शायद किसी की भी राजस्थान में ही नहीं, किन्तु हिन्दुस्तान में भी शिकायत बाकी न रहे। जो शिकायत वाटर बोर्ड के बारे में की गई, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य बात यह है कि उसके कार्यों से हमको अनभिज्ञता है और पूरी जानकारी नहीं है। वाटर बोर्ड का जन्म सन् ५५-५६ में

( १२.३ म० प० )

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हुआ था और उसने २॥ साल में १ करोड़ २१ लाख रुपयों का काम किया। उससे करीब करीब १० हजार काम हुए हैं। राजस्थान के अलग अलग गांवों में और गांवों में जबसे सैंकड़ों, हज़ारों वर्षों से सरकार बनी हुई थी, आज तक वहां प्रबन्ध नहीं कर सकी थी पानी की व्यवस्था का। उन जगहों में भी वाटर बोर्ड पहुँचा और अपनी मशीनरी के जरिये उसने १० हजार काम कराये। उनके सारे हिसाबात हुए हैं, उनका ऑडिट करीब करीब पूरा हो चुका है और इस महीने में फाइनल रिपोर्ट होकर ए० जी० के पास, वे भेज दिये जावेंगे।

अब विशेष तौर पर बात यह भी है कि, जो वाटर बोर्ड के लिए मैंने आपको जानकारी दी कि १ करोड़ २१ लाख खर्चा किया, उसके अलावा वाटर बोर्ड ने अपना खुद का चन्दा करके, उसमें सरकारी खर्चा नहीं है, पब्लिक से चन्दा करके, ६ लाख रुपया खर्च किया, और राजस्थान के प्रत्येक जिले में उसने अपनी मशीनरी तैयार की। एक एक ज़िले में उसकी एक जीप मौजूद है, एक सेक्रेटरी, एक अकॉउन्टेन्ट, और पांच, छः कार्यकर्ता, तनख्वाह देकर रखे गये। यह खर्चा वाटर बोर्ड ने चन्दा करके किया। अलग अलग जगहों पर राजस्थान से बाहर जो लोग रहते हैं जैसे बम्बई और कलकत्ता में उनसे चन्दा करके खर्चा करने की कोशिश की। पहली योजना में हमारे पास ६८ लाख रुपया बचा हुआ था, और डिपार्टमेन्ट की ओर से लैप्स हो रहा था, वाटर बोर्ड ने यह ६८ लाख रुपया खर्च किया, और यही नहीं हमको सेन्टर से २५ लाख रुपया और लेना पड़ा, और उसी प्लान में यह रुपया लेकर हमने इसके जरिये खर्च किया। वाटर बोर्ड में जिन लोगों ने काम किया है, वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, राजस्थान की जनता से उनका अधिक सम्बन्ध नहीं है। वे लोग हैं जो बम्बई और कलकत्ते में रहते हैं, और वहां काम करते हैं, यदि उनका राजस्थान में ज्यादा इन्ट्रेस्ट नहीं है

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तो न हो, लेकिन राजस्थान सरकार से और जनता से उनका मतलब नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने महज इस कारण से कि राजस्थान की जनता को पानी मिल सके, यहां काम करके, एक बड़ी मशीनरी अपने खर्चे से उपलब्ध की, उन्होंने खर्चा किया और काम किया, जो कुछ अकॉउन्ट में बातें हैं, उनको पूरा करके हिसाबात तैयार किये, उसके सम्बन्ध में ऑडिट पार्टी बैठी हुई है. जो कुछ भी बातें हैं उनको लाकर देते हैं. उनकी भरपाई करके सारा काम पर्याप्त रूप से किया जा रहा है।

एक शिकायत बड़े जोरों से की गई और मैं समझता हूं कि पहले भी इस सम्बन्ध में हाउस में जिक्र आया था कि राजस्थान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनके जिम्मे जल बोर्ड की बड़ी बड़ी रकमें बाकी हैं और उनके हिसाबात नहीं लिये जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का एक भी पैसा किसी आदमी के जिम्मे बाकी नहीं है, और जो फेहरिस्त दी गई है वह गलत चीज पर मुमनी है। जो नाम दिये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वाटर बोर्ड की ओर से जो कर्मचारी हैं, उनको पैसा दिया गया था, उनके हिसाब की वजह से रुपया बकाया है, सरकारी रुपया किसी नेता के नाम से कार्यकर्ता के नाम से बकाया नहीं है। यदि इस तरह की गलतफहमी किसी के दिमाग में हो, तो वह नहीं रहनी चाहिये। एक तो बीकानेर का नाम बताया गया और दूसरा नाम नागौर का बताया गया। मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि वह गलत है किसी में सरकारी रुपया बाकी नहीं है। जो कुछ है वह आपसी अकॉउन्ट है और वाटर बोर्ड का प्राइवेट रुपया था उसमें हैं और वह भी क्लीयर हो रहा है। उसमें भी बाकी नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : जल बोर्ड की एजेन्सी का बाकी हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उनकी तनख्वाह का। बृजमोहनजी उनके सेक्रेटरी थे। लेकिन यह डेफिनेटेली कहा गया कि सरकारी रुपया था। इसलिये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकारी रुपया बाकी नहीं हैं। सरकार की ओर से जो १ करोड़ और २१ लाख रुपया दिया गया उसके हिसाब मौजूद हैं। ऑडिट में भी यह उल्लेख नहीं है कि सरकारी रुपया दिया गया। मैंने एक बार नहीं दस बार मीटिंग अटेन्ड की हैं और ऑडिट के ऑफिसर्स से बातें की हैं। कोई सरकारी रकम उनमें बकाया नहीं है।

मैं समझता हूं कि वाटर बोर्ड के बारे में जो चर्चायें हैं सब भ्रम की बातों को समाप्त करके किस प्रकार से वाटर बोर्ड ने राजस्थान में काम किया उसके लिये राजस्थान के लोगों को आभारी होना चाहिये कि वाटर बोर्ड ने अच्छा काम किया। जो लोग राजस्थान से बाहर रहते है उन्होंने अच्छा काम किया, उनके प्रति आभार प्रकट होना चाहिये था। किन्तु उनके प्रति आभार प्रकट न करके, वाटर बोर्ड की सराहना न करके उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि उसमें भागीरथजी कानोडिया रामेश्वरजी टांटियां जो एम. पी हैं और माने हुए व्यक्ति है, उन्होंने काम किया है। इस कार्य को पार लगाने की कोशिश की है उसके लिए आभार प्रकट न करके उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश तो न करें; उनके दिल में तसल्ली रहे, कि राजस्थान में जो कुछ काम किया उसकी सराहना नहीं तो कम से कम कीचड़ तो नहीं उछाला गया।

# Page No.32



( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

वे करोड़पति आदमी हैं। उन्होंने जो सेवायें की हैं, उसके बारे में किसी प्रकार का शक, सन्देह नहीं होना चाहिये। किसी प्रकार के अकॉउन्ट्स में सन्देह हो तो मेरे पास उनके अकॉउन्ट्स ऑडिट रिपोर्टस मौजूद हैं, वे माननीय सदस्य देख सकते हैं, उनको हर समय सन्तोष दिलाने के लिये तैयार हूं।

एक बात और है वह यह कि वाटर बोर्डस के जरिये कुछ रुपया कुछ आदमियों को एडवांस दिया गया। डिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई के जरिये उनमे कुछ रुपया बाकी है, उसके लिए मैंने निजी तौर से पर्सनल लैटर्स कलेक्टर्स को लिखे हैं कि जिन लोगों में इस प्रकार से रुपये बाकी हैं उनसे वसूल किए जायें। उसका असर यह हुआ, कि काफी रुपया आ चुका है। उसके साथ साथ यह भी हिदायत कर दी गई है, कि अगर रुपया न दें तो ४०६ की कार्यवाही की जाय। उसमें कोई भी कांग्रेस के लीडर्स नहीं हैं, गांव की कमेटी चनी हुई थी, उनको रुपया दिया गया, उसका क्या हुआ कि उन्होंने अकॉउन्ट्स नहीं दिए, उनको अकॉउन्ट्स देने के लिए कहा गया है, इस तरह से बहुत सा रुपया वसूल हो चुका है...

श्री भैरोंसिंह : यह अकॉउन्ट अप्रोक्सीमेटली कितना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ( जारी रखते हुए ) इसके फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। एक करोड़ ३१ लाख रुपया वाटर बोर्ड को दिया गया, इनमें करीब ५० हजार रुपया होगा, अलग अलग गांवों के लिए था अकॉउन्ट भी दिया, लेकिन उससे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए उनको ठीक तरह से अकॉउन्ट देने के लिए कहा गया। कलेक्टर्स उन कमेटियों के चेयरमैन थे, उनको कहा गया है कि अगर काम नहीं हुआ है तो उनसे पैसा वसूल कर लें और काम हो गया हो तो अकॉउन्ट लें।

अब मैं स्पेसिफिक जगहों के लिए जो शिकायत की गई, उसके बारे में निवेदन करूंगा। पाली के बारे में कहा गया कि यहां साठ गांव ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई। और ऐसी जगहों पर पानी की व्यवस्था की, जहां पर मालदार लोग रहते हैं। गांव वाले कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको पैसा नहीं दिया गया। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूँ कि वाटर बोर्ड को रुपया देने में इस प्रकार की कोई कन्डीशन नहीं थी कि कॉन्ट्रिब्यूशन कैश में लिया जाय। पाइप वाटर सप्लाई स्कीम थी, वह तो सिर्फ बड़े-बड़े कस्बों में लगाने के लिये थी। पांच छ: जगहें ही ऐसी होंगी जहां पर यह स्कीम चालू की गई है। बाकी राजस्थान में जहां जहां भी कुंए बनाये गए वहां वहां किसी प्रकार का केश कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं लिया गया। साठ गांवों के बारे में जो कहा गया। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं इन साठ गांवों के बारे में आज पहले पहल ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस आज सुना है। यहां के अलावा मुझे किसी ने इन गांवों के बारे में जिक्र नहीं किया। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि वाटर बोर्ड का जो रुपया खर्च किया गया, वह नॉन ऑफिशियल एजेन्सी द्वारा किया गया, और अब जो खर्च करने की बात है, पहले जिस प्रकार नॉन ऑफिशियल कमेटी द्वारा खर्च हुआ, अब डिस्ट्रिक्टवाइज़ कमेटियों का निर्माण किया गया है, डिस्ट्रिक्ट

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

डवेलपमेंट कमेटियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है । उनको बीस लाख रुपया इस साल डिवाइड करने के लिए दिया गया है, उनको किसी प्रकार के डाइरेक्शन भी हमारे यहां से नहीं भेजे गए हैं। अब इस साल में १० लाख रुपया एडीशन ग्रान्ट की तौर पर मंगाया है, वह रुपया भी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटियों को भेजने वाले हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, उन गांवों में खर्च करने की व्यवस्था करने को उनको कहा गया है । जिन साठ गांवों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया अगर वे इन साठ गांवों के बारे में डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटिज़ के सामने रखेंगे, तो मैं समझता हूं जरूर जरूर रुपया मिल सकेगा। हर साल रुपया दिया जाता है और दिया जा रहा है और आयन्दा साल में भी रुपया दिया जायगा और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट डवेलप कमेटियों के जरिए खर्च होगा। जिन जिन गांवों में काम हुआ हैं, उसकी ज़िलेवार लिस्ट है । माननीय सदस्य उन साठ गांवों को बतायेंगे तो मैं देखकर बता सकता हूं कहां २ क्या २ काम हुआ। पाली में अबतक २ लाख ६८ हज़ार रुपया दिया गया है वाटर बोर्ड के ज़रिए, और इस साल ४४ हजार रुपया दिया गया है, इस तरह से करीब तीन लाख रुपया दिया जा चुका है । इस साल दस लाख रुपया और दिया जा रहा है, उसमें से भी कुछ हिस्से में उनके आने वाला है । गवर्नमेंट की यह किसी को हिदायत नहीं है कि किसी गांव को एक्स्लूड किया जाय। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटियों को इनकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, इसमें किसी भी सरकारी अफसर का हस्तक्षेप नहीं है ।

बीकानेर जिले के बारे में भी खास तौर से कहा गया है । यह भी कहा गया कि, लूणकरणसर के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, यह गलत है । बीकानेर जिले में अबतक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ६ लाख ४१ हजार ७१० रुपया दिया जा चुका है, साठ हजार रुपया इस साल और दिया जाने वाला है, इस तरह से बीकानेर जिले अकेले को दस लाख रुपया मिल चुका है । जहां जहां काम हुआ है, उसकी लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कई जगह काम पूरा नहीं हुआ है । उसके लिये मैं निवेदन कर दूँ दस लाख रुपया और दिया जा रहा है, आयन्दा साल में भी, चालीस लाख रुपया दिया जाने वाला है, उसमें से रुपया और मिल सकता है । जहां तक पानी का काम है बीकानेर का इलाका डेजर्ट इलाका है...

**श्री भीमसेन** : माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि जल बोर्ड द्वारा जो भी काम किए गए हैं वे सब अधूरे पड़े हैं ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने अर्ज किया इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं एक तो वहां पानी मिलता नहीं । बाड़मेर की वाटर सप्लाई स्कीम हमने मन्जूर की लेकिन हमारे सामने समस्या यह है कि, पानी लावें कहां से । बाड़मेर के इलाके के लिए हमने खास तौर से पांच लाख रुपये की स्कीम मन्जूर की, है, ताकि अन्डर ग्राउन्ड वाटर का पता लगाया जावे । जैसलमेर और बाड़मेर के लिए यह पांच लाख रुपया हमने मन्जूर किया है, और हमने वाटर वर्क्स के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को इस बारे में डाइरेक्शस दिये हैं कि वे पता लगायें कि पानी कहां पर उपलब्ध है उसी के अनुसार वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करें ।

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

बीकानेर जिले में लूणकरणसर का जहां तक ताल्लुक है, वह तो ऐसा मुल्क है, वहां का पानी ही ऐसा है कि कोई पशु पी लें तो वह मर जाय । वहां रुपयों के अभाव के बिना काम नहीं हुआ हो यह बात नहीं । पानी वहां बहुत नीचे मिलता है उसमें बहुत खर्च होता है । उसके मुकाबले में पाली जिले को देखें तो पाली जिला बीकानेर से बहुत बड़ा है, वहां तो सिर्फ तीन लाख रुपया दिया है । बीकानेर जिले में बीकानेर को हम निकाल दें । बीकानेर शहर के लिए ३७ लाख की स्कीम है जहां बीकानेर की आबादी तीन लाख है । इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कमियां हैं तो वह दूर की जा सकती हैं...

**श्री भीमसेन** : फंड के अभाव में वहां का काम रुका हुआ है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : (जारी रखते हुए) दस लाख रुपया और दिया है, चालीस लाख रुपये की और व्यवस्था कर रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों से कहिये ताकि वे व्यवस्था करें । जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी लिया जाय । हमने रुपया देने से इन्कार नहीं किया है ।

अभी एक शिकायत थी कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जो न शहरों में आती हैं न पंचायत एरिया में । वे सदस्य इस समय सदन में नहीं हैं पर मैं निवेदन कर दूँ कि, राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पंचायत या म्युनिसिपल एरिया में या इनकी स्कीमों के अन्तर्गत न आतीं हों, और उनके अन्तर्गत कोई सहूलियत नहीं मिलती हो ।

इसके बाद सांभर के बारे में और किशनगढ़ रैनवाल के बारे में खास तौर से शिकायत की गई ।

सांभर के बारे में अर्ज करूंगा कि १० साल पहले जब राजस्थान नहीं बना था उस वक्त की ऐसी कोई स्कीम सरकार के पास नहीं थी । डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स हमने अपनी स्कीमों में पहले लिये हैं । इसके बाद सितम्बर, ५८ में हमने १६ स्कीमें मन्जूर की हैं जिनमें सांभर भी है । इसके पहले कोई स्कीम नहीं थी । इसलिए यह बात कहना कि दस साल से कोई स्कीम मन्जूर है और उसका रुपया अलग था ठीक नहीं है । अब स्कीम चालू हो गई है, पाइप्स के टेन्डर भी ले लिये हैं और वह जल्दी ही चालू हो जावेगी ।

**श्री पी० के० चौधरी** : एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन इसे मिल गई है या नहीं ? टेक्निकल सैंक्शन ही मिल पाई है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल गई है, उसकी कापी मैं साथ लाया हूँ । आई विल सी,कि इसको अब जल्दी ही चालू कर दिया जावे ।

इसके बाद किशनगढ़ रैनवाल के बारे में निवेदन कर दू कि इसमें २,१८ हजार रुपये की सैंक्शन हुई थी और इसमें १।३ हिस्सा वहां वालों को कॉन्ट्रिब्यूट करना था । एक धनी मानी सेठ ने इस काम के लिए ३० हजार दिए हैं । पर पानी कहां से आवे यह समस्या हमारे सामने थी । नए कुंए बनाने के हमने टेन्डर मांगे पर किसी ने टेन्डर नहीं दिया, कोई नए कुंए बनाने को तैयार नहीं हुआ । फिर यह तै किया गया कि जो कुंए मौजूद हैं उनमें से पानी सप्लाई किया जावे । पर इसके लिए वह सेठ तैयार

( श्री वृद्र प्रसाद गुप्ता )

नहीं हुआ। कहने लगा लोग न जाने क्या कहेंगे। तो इस विनय पर सेठ ने रेसिस्ट किया। पर अब फाइनल गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि जो कुंए मौजूद हैं उनमें से ही पम्पिंग करके पानी दिया जाय। स्कीम जल्दी ही चालू हो जावेगी। लूणकरणसर के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में अर्ज किया। जयपुर शहर के बारे में और सीकर झुंझुनूं के बारे में भी जिक्र किया गया था।

जयपुर शहर में पहले ही एक स्कीम चालू है। यहां जम्वा रामगढ़ से १६ इन्ची पाइप लाइन अबतक डाली थी और डालने की व्यवस्था हो रही थी वह ३ साल से चालू है और अब थोड़े काल में ही जो यहां दिक्कत है वह दूर हो जावेगी। तीन साल से चली आ रही स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। जो जल्दी ही पूरी हो जावेगी।

सीकर झुंझुनूं की स्कीमें सितम्बर ५८ की १६ स्कीमों में हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी स्कीमों को भी जल्दी ही हाथ में लिया जावेगा।

जल बोर्ड के ऑडिट के बारे में और दूसरे एलीगेशन्स के सम्बन्ध में अर्ज कर चुका हूँ। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

जैसलमेर और बाड़मेर की पानी की समस्या के बारे में भी अर्ज किया। पाली की पानी की व्यवस्था के बारे में भी संक्षेप में अर्ज किया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि रूरल वाटर सप्लाई के बारे में सरकार का पूरा ध्यान है। स्कीमों में कोई ढिलाई नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी को जो रुपया दिया गया है उसकी जल्दी से जल्दी डिटेल्ड स्कीम तैयार करवाकर स्कीम को सैंक्शन कराकर काम चालू कराने में वे हमारी मदद करें। तो जो म्युनिसिपेलिटीज़ को रुपया दिया गया है उसके काम में शिथिलता नहीं है। साथ ही बहुत सी स्कीमें जैसे हमारी टौंक की है, भरतपुर की है या पाली की थी। इनमें दो तरह की दिक्कतें हैं। खासकर के बिजली की दिक्कत है। बिजली की व्यवस्था आजकल उन शहरों के लिए ही पूरी नहीं है जब कि पानी के काम को चालू करने के लिए ज्यादा बिजली चाहिए इसके लिए बिजली विभाग को हम लगातार कह रहे हैं। वाटर वर्क्स अपनी सारी स्कीमें प्लान के मुताबिक कम्पलीट कर रहा है। इस समय कोई ४० स्कीमें हैं, जो सभी टाइम से पूरी हो जावेंगी जो प्रथम योजना का बाकी का रुपया था और दूसरी योजना में जो रुपया हमें मन्जूर हुआ है, वह सारा रुपया इसी प्लान में हम पूरा करने वाले हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने कट मोशन्स को वापिस लेने का कष्ट करेंगे और इस डिमान्ड को पारित करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** १२ दिसम्बर, १६५८ के दिन जब मैंने यह व्यवस्था दी थी कि कट मोशन्स पर जो संशोधन प्रस्तुत करते हैं, उनको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है। इसके सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य ने मुझे यह संकेत किया था कि लोक सभा में इस तरह की कुछ परम्पराएं हैं। मैंने सारी स्थिति का अध्ययन किया है और उससे मैं अपने

# Page No.36



( श्री उपाध्यक्ष )

पूर्ण निर्णय की ओर दृढ़ता के साथ पुष्टि करता हूँ। उस अध्ययन को मैं संक्षेप में हाउस के सामने इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करता हूं।

On 12th December. 1958. I had given a decision that a mover of a cut motion had no right of reply. There upon some members stated that in lok Sabha. leaders of the parties are given a right of reply. I have, therefore, further examined the matter and would like to make elucidation there on. Sub-rules (2) and (3) of Rule 227 provide that:—

"(2) Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker.

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may. with the permission of the Sqeaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied;

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker."

While in Rule 228 it has been provided that subject to the provisions of rule 227 (2). the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate.

From the above it is clear that the mover of the original motion has only a right of reply, not the mover of an amendment to a Bill or a resolution,

In the light of this, it is to be judged whether the cut motions come under the category of original motion or they are of subsidiary nature like amendments to Bills or resolutions. The Cut motions are obviously subsidiary motions as they depend upon or relate to other motions for demands. The subsidiary motions are those motions which depend upon or relate to other motions or follow upon some proceedings in the House. They by themselves have no meaning and are not capable of stating the decision of the House without reference to the original motion or proceeding of the House.

In the circumstances the movers of cut motions have no right of replies under the proviso to sub-rule (3) of Rule 227 save with the permission of Hon'ble the Speaker.

On enquiries. I learn that no such practice is in vogue in the Lok Sabha also. I, therefore, adhere to the ruling given by me and hold that the objection raised before me is not well taken.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आपने जिस प्रकार की

Page No.37



( श्री भैरोंसिंह )

व्यवस्था दी, मैं समझता हूँ कि व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को लेकर अब कोई वाद-विवाद का विषय नहीं रहा है, लेकिन जहां तक रूल्स का प्रश्न है और आपकी व्यवस्था के अनुसार जिन रूल्स का हवाला दिया गया है, उनमें माननीय अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में माननीय उपाध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि वे यदि चाहें तो कट मोशन्स के रिप्लाई देने के बारे में सदन के सदस्यों को अनुमति प्रदान करें। मैं समझता हूँ कि राजस्थान विधान सभा में गत से जिस प्रकार की प्रेक्टिस रही है और जो कन्वेशन्स रहे हैं उन कन्वेशन्स के आधार पर यह बात बिलकुल निर्विवाद है कि अबतक विधान सभा में जितने भी रेज्योल्युशन्स आये हैं, कटमोशन्स या अमेन्डमेन्ट्स के रूप में सदन में कुछ मोशन्स मूव किये गये हैं, उन सब में राइट ऑफ रिप्लाई एक्ससाइज किया गया है। यदि ऐसा भी मान लिया जाय कि उपाध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ऐसी कार्यवाही हुई तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न यहां पर इसी साल के बजट अधिवेशन में हमने जो कट मोशन्स मूव किये थे उन पर राइट ऑफ रिप्लाई एक्स साइज़ किया। अब प्रश्न आता है सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स का। ऐसी स्थिति में यदि पिछली परम्पराओं के आधार पर सदस्यों को अनुमति प्रदान कर दी है, तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकेगी और जो राइट ऑफ रिप्लाई के द्वारा कुछ माननीय सदस्यों ने रिज़र्व बातें रखी हैं और जब कि माननीय मन्त्री महोदय जो उसका उत्तर देते हैं, उनकी ओर से अस्पष्ट रिप्लाई आता है उनको स्पष्ट कर देना आवश्यक सा होता है। जो अधिकार इन रूल्स में दिये गये हैं, उनको प्रकट करते हुए मेरी प्रार्थना है कि सदन के सदस्यों के साथ जनरोसिटी के साथ व्यवहार किया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं और स्पष्टीकरण कर दूँ। जैसा मैंने निवेदन किया लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को मैंने देखा है उसमें इस व्यवस्था के सम्बन्ध में अपवाद दिए गए हैं। जब माननीय मन्त्री जवाब दे रहे हों उस समय माननीय सदस्यों को कुछ सवालात पूछने का अधिकार है; अधिकार के रूप में नहीं लेकिन पूछे जाने की आज्ञा दी जाती रही है। ऐसी स्थिति में उस परम्परा का हम यहां अनुकरण किसी अंश में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय सदस्य ने कहा ऐसे कोई विशेष कारणों से अगर रिप्लाई का कहीं प्रश्न आये तो मेरा विश्वास है कि यह आसन बराबर उदारवृत्ति से उस स्थिति को देखेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

( अनुपस्थित )

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ३६ (२) में श्री जगदीश प्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

डॉ० चन्द्रकला।

( अनुपस्थित )

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

( अस्वीकृत )

# Page No.38



( श्री उपाध्यक्ष )

प्रस्ताव गिर गया।

श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी** : I beg to withdraw my cut motion

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया, उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये?

( स्वीकृत )

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी** : I withdraw my cut motions. No 24, 25

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसैन

**श्री भीमसैन** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव विद्ड्रा करने से पहले दो शब्द कहना चाहता हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं विवश हूँ इस प्रश्न पर।

**श्री श्रीभानसिंह** : Sir, you should show generosity to him.

**श्री उपाध्यक्ष** : No I shall exercise the generosity when there are reason for it.

**श्री भैरोंसिंह** : यह व्यवस्था यदि थोड़ी उदारता में परिणत हो जाये तो अच्छा है।

**श्री श्रीभानसिंह** : माननीय सदस्य के लिए उदारता नहीं होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : अवसर आने पर मैं उदारता का परिचय दूँगा।

**श्री भीमसैन**: मैं कटौती प्रस्ताव नं० २६ वापिस २७ लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भीमसैन ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

( स्वीकृत )

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री भीमसैन** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी भी आपकी आज्ञा हो ऐसा ही करूंगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में ऐसी बातें कहीं हैं, जिनका फैक्टर्स से सम्बन्ध है।

**अनेक माननीय सदस्य** : क्या भाषण हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : He is Just appealing to the Chair. I am just looking in to it.

**श्री भैरोंसिंह** : कुछ फैक्टर्स से सम्बन्धित था...

**श्री श्रीभानसिंह** : I submit Sir, the Hon'ble Member did not ask any questions when the Hon'ble. Minister was giving his reply.

**श्री उपाध्यक्ष** : उस वक्त माननीय सदस्यों को मेरी व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्यक

( श्री उपाध्यक्ष )

ज्ञान नहीं था, और न प्रश्न पूछने के बारे में कोई उस समय व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा विचार करके आपसे निवेदन करता हूं।

**श्री भैरोंसिंह:** इस अन्तरिम पीरियड में....

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में not as a matter of right of reply. सिर्फ ५ मिनट का समय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए देता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत शासन मन्त्री महोदय ने मेरे कटौती के प्रस्ताव के उत्तर में, जलबोर्ड की बातों को लेकर कुछ कहा और यह बताया कि जिन कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में बकाया का जिक्र किया गया, वह गलत है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने जिस रूप में स्वीकार करने के बारे में मैंने जिक्र किया था, उस रूप में स्वीकार न करके इस रूप में अवश्य स्वीकार किया है कि, जो बकाया रकम थी वह बकाया रकम सरकार की न होकर, जलबोर्ड के जो कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह सम्बन्धी मामला था। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहता हूँ और सदन से भी यह निवेदन करूंगा कि मैंने जिन दो व्यक्तियों के नाम बताये, उनमें से एक व्यक्ति जलबोर्ड में नौकर नहीं था, और जलबोर्ड का कार्यकर्ता या कर्मचारी न होने के कारण, तनख्वाह वगैरह का मामला या कोई अलाउन्स वगैरह का मामला उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। कहा यह गया कि बकाया रकम तो दी गई थी बीकानेर जलबोर्ड के सेक्रेटरी को देने के लिए, और वह रकम उनको नहीं दी और बीच में रोक ली। यह हो सकता है कि आपकी उदारता के कारण से वह रकम जो जलबोर्ड की सरकारी रकम थी, वह सरकारी रकम नहीं होने के कारण जलबोर्ड की रकम रह गई। ऐसी उदारता की अपेक्षा की जा सकती है, और उसी के फलस्वरूप यदि इस प्रकार की बात हुई है तो कुछ नहीं। दूसरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हुआ यह सुनकर कि जलबोर्ड की केवल ५० हजार की रकम बकाया है, याने ५० हजार का अभी तक हिसाब नहीं आया है। लेकिन ६ जून, १९५८ को जो जलबोर्ड की बैठक जलबोर्ड के कार्यालय में हुई, उस बैठक के अनुसार आपके यहां पर बकाया या अकॉउन्ट्स का सारा हिसाब २ लाख ८७ हजार रुपये का था। यह रकम आज किस प्रकार से ५० हजार रुपये के ऊपर पहुँच गई। मैं चाहूँगा कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय उस समय की ऑडिट रिपोर्ट या उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इस सदन में रखें या सदस्यों को उसके बारे में जानकारी दें कि कोई रकम बकाया नहीं है, तो मैं भी कुछ समझ सकता कि कई में इसमें कुछ तथ्य है, लेकिन उस रकम को बदलकर जलबोर्ड की एजेन्सी की रकम के नाम पर लगा दिया, यह मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से अच्छी चीज नहीं होगी। यह इस प्रकार का इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए था। रकम जलबोर्ड की है, जलबोर्ड एजेन्सी की रहे। बात यह है कि जो जलबोर्ड की एजेन्सी है उसने ६ लाख रुपया खर्च किया है तो उसके प्रति हमें आभार प्रदर्शित करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आभार प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन क्यों आप करना चाहते हैं? जिन लोगों ने ६ लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके १ करोड़ २५ लाख सरकार के खर्च किये, और वह सरकार इस-

# Page No.40



( श्री भैरोंसिंह )

लिए नहीं उदारता दिखाना चाहती है कि उन्होंने ६ लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसका पोलिटिकल एडवान्टेज उठाने के लिए उन्होंने ६ लाख का खर्चा किया है माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी बतायें कि राजस्थान के किसी नागरिक ने जलबोर्ड एजेन्सी को आर्थिक सहयोग दिया है। सहयोग उन्हीं पूंजीपतियों ने दिया है। जो राजस्थान में इन्वेस्ट करके आने वाले इलेक्शन के अन्दर पार्लियामेंट में जीत कर जाने के लिए तैयार थे। ६ लाख खर्च करके जलबोर्ड ने एक करोड़ २५ लाख सरकार से खर्च करवाये तो उसका अहसान क्या। लोगों से इसके सम्बन्ध में वोट लेकर वे पार्लियामेंट में जा बैठे और पार्लियामेंट में ज्यादे से ज्यदा पूंजीपतियों का संगठन हो सकता है। उस प्रकार की बात कहने लगे। आज यह कोई हम पर अहसान नहीं है। बल्कि यह कह सकते हैं कि हमको एक बहुत बड़ा मुगालता हुआ है। क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं बोलकर, मैं माननीय उपाध्यक्ष, जलबोर्ड से सम्बन्धित अपने कटौती प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करूंगा।

**स्वायत्त शासन मन्त्री** ( श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता ) : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक मिनिट में इसका स्पष्टीकरण कर दूँ। माननीय सदस्य ने बीकानेर के रामरतनजी कोचर के लिए कहा, वह बात गलत है। उनके जिम्मे किसी तरह का रुपया बकाया नहीं है। न वाटर बोर्ड के अकॉउन्ट में या गवर्नमेंट के अकॉउन्ट में उनको कोई रुपया दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट है उसमें श्री रामरतन कोचर का नाम दर्ज है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : अच्छा होता कि वह ऑडिट रिपोर्ट आप सदन के समक्ष पेश कर दें, ताकि सदन उसको देख सके। मेरे पास जो कापी ऑडिट रिपोर्ट की है उसमें उनका नाम दर्ज है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह बात गलत है कि ऑडिट रिपोर्ट में यह बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ३६, जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

श्री लक्ष्मीचन्द

( अनुपस्थित )

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा।

**श्री मूलचन्द डागा** : I beg leave of the House to withdraw my cut motion.

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ३६, जन-स्वास्थ्य,

( श्री उपाध्यक्ष )

के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

**श्री मूलचन्द डागा :** I withdraw my cut motion no 31.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्य ४६, मुख्य शीर्षक ३६, जन स्वास्थ्य को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

१२. ५६ म० प०

**मांग संख्य ५१ मुख्य शीर्षक ४१**

**पशु- चिकित्सा**

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१, मुख्य शीर्षक ४१, पशु चिकित्सा, के संबंध में ३१ मार्च १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २ हजार रुपये की दत्तमत्त राशि प्रदान की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो मांग है इसमें दो हजार की टोकन ग्रान्ट मांगी है और इसमें दो मुद्दे हैं जिनको रीएप्रोप्रियेशन से मीट करना चाहते है। एक तो जो रिन्डर पेस्ट की स्कीम हमने चालू की है, उसके लिये ६ गाड़िया खरीदी है और उसके लिए १,६३००० की मांग की गई है। दूसरा मुद्दा जो इसमें सम्मिलित है वह पोल्ट्री फार्म जो हम चला रहे थे, एक पोल्ट्री फार्म की रकम के तहत उन फार्म्स को री-ऑर्गेनाइज करें और उसके जरिये अंडे पैदा करके बच्चे निकालकर, लोगों को लार्ज स्केल पर जैसे ब्लॉक एरियाज में और दूसरे एरियाज के लिए पोल्ट्री के बारे में ज्यादा जानवरों का वितरण कर और उसके जरिये लोगों की आमदनी और स्वास्थ्यिति में मदद पहुंचावें इस मद में संभावित ५.१ हजार का खर्चा है। १,६३,००० का खर्चा दोनों आइटमों में री-एप्रोप्रियेशन से मीट कर लेंगे। इसके लिए एक निश्चित फन्ड नहीं था इसलिए टोकन ग्रान्ट मागी है।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

**श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे :-**

(36) "That the Demand No. 51 Major head - 41 - Veterinary be reduced by Rs. 100/- (to discuss the development of Poultry Industry in Rajasthan)

**श्री भैरोंसिह श्रीमाधोपुर प्रस्ताव करेंगे :**

( ३७ ) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा भाग (२) में १) रु० की कटौती की जावे (पशु महामारी को रोकने में सरकारी वाहानों तथा अन्य साज-सामान की खरीद पर विचार करने हेतु)

(३८) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा भाग (१) में १) रु० की

# Page No.42



( श्री उपाध्यक्ष )

कटौती की जाय (कुक्कुटपालन उद्योग में सरकार की असफलता पर वाद विवाद करने के लिये)'

डा० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे :-

(३९) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जावे (वाहनों की कमी के कारण धौलपुर में पशुरोग रोकने में असफलता पर विचार करने केलिये)'

राव राजा सरदारसिंह प्रस्ताव करेंगे

(४०) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १) रु० की कटौतीं की जावे (गांवों में वाहनों की कमी के कारण पशु चिकित्सा संबंधी असुविधा के विषय में वाद विवाद करने हेतु)'

श्री लच्छूराम प्रस्ताव करेंगे :

(४१) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जावे (पशुओं की बीमारी पर कोई ध्यान नहीं देकर पेट्रोल पर किये जाने वाले खर्चें पर विचार करने के लिये)'

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे :-

(४२) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जावे (राजस्थान में कुक्कुटपालन उद्योग की व्यवस्था पर विचार करने हेतु)'

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे :

(४३) 'कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जावे (भरतपुर जिले में वाहनों की कमी के कारण पशु रोग की चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने पर विचार करने के लिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी :** उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह कटमोशन बी टेकन एज मूव्ड।

**श्री उपाध्यक्ष :** एज मूव्ड।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में एफर्ट्स हम करते हैं वह काफी कम हैं। उसके उपयोग के लिए डेवलपमेंट के लिए ज्यादा एफर्ट्स होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारा जो सेकन्ड फाइव इयर प्लान है उसमें पोल्ट्री के डेवलपमेंट के लिए और पोल्ट्री फार्म्स के री-ऑर्गेनाइज-के लिए कुल मिलाकर लगभग ५।। लाख रुपये का हमने प्रावधान रखा है, और उसमें से भी आज तक जहां तक पोल्ट्री फार्म्स के री-ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है आज तक इसमें से एक पैसा भी हमने खर्च नहीं किया है। सिर्फ इसी दफा उसके लिए ५० ०००)रु० मांगा है जब कि सारे प्लान में री-ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक लाख के करीब उसके लिए प्रावधान है। जहां तक पोल्ट्री डेवलपमेंट का सवाल है प्लान में यह था कि कम से कम १२, १३ सेन्टर्स खोलेगें, एक्स्टेन्शन सेन्टर्स पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए १९५६ में हमारा प्लान शुरू हुआ है और

# Page No.43



( श्री पी० के० चौधरी )

आज तीसरा साल उसको चल रहा है । १२ सेन्टर्स में से एक भी सेन्टर खोलना तो दूर है जो हमारे चार सेन्टर्स है उनमें सिर्फ अभी सर्वे ही चल रही है । ५६ में इन चार सेन्टर्स पर सर्वे चालू हुई थी वह आज तक चालू है । अभी सर्वे कम्प्लीट नहीं हुई है, सेन्टर ओपन करना तो दूर रहा । इस तरह से देखते है तो जो भी पैसा इसके डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है वह सर्वे में ऑफिसरों की तनख्वाह और टी. ए. डी. ए. में गया है । उसका एक्चुअल कॉन्ट्रिब्युशन नहीं हुआ है । जब कि पोल्ट्री का इम्प्रूवमेंट आरम्भ करना हमारी नेशनल इकॉनोमी है और आज जब फुड शार्टेज चल रही हैं, फुड ग्रेन्स की शार्ट्रेज है तो सब्सिडियरी फुड्स जो हैं उसको डेवलप करना उसकी सप्लाई बढ़ाना यह भी ज्यादा जरूरी हैं ।

दूसरी बात हैं कि एग ईटिंग की हेबिट को पोपुलेराइज कर लें नहीं करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाता है, न पोल्ट्री फार्म की तरफ से भी कुछ किया जाता है । ऐसा कोई प्लान नहीं हैं, जो एग ईटिंग हेबिट को पोपुलेराईज करें । मैं समझता हूं कि पोल्ट्री डवेलपमेंट के लिए उसको पोपुलेराइज करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है लेकिन अभी तो प्लान हैं या जो स्कीम है, उसमें न उसका कोई प्रावधान है, और न उसका कन्सेप्शन उनका है कि पोपुलेरराइज करना चाहते हैं । जहां तक फार्म्स वगैरह जो कुछ भी हैं एग्ज़िस्टिंग फार्म्स का जहां तक सवाल है वह जिस रूप से मैनेजमेंट होता है । आज तक जो एग्ज़िस्टिंग फार्म्स हैं,इनके इयरली ऊपरी रिटर्न्स को देखेंगे तो कोई भी फार्म इकोनामिक बेसिस पर नहीं चल रहा है । वे अन इकोनॉमिक है । जब एक्चुअली जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, यानी जो एक्स्टेन्शन सेन्टर्स हैं, उनके दो पर्पज़ रहते हैं । एक तो यह रहता है कि वह अच्छा ब्रीडिंग करने के लिए अच्छे फाउल्स वगैरह सप्लाई करें अच्छी क्वालिटी का । दूसरा जो हमारे एग्ज़िस्टिंग फार्म्स हैं, उनमें खास ब्रीडिंग करके अच्छी वेराइटी पैदा करें । दूसरा यह रहता है कि अच्छे एग्ज और अच्छे फाउल्स सप्लाई करें । ये दोनों चीजें करनी रहती है । लेकिन आजकल जितने फार्म्स देखेंगे उनमें सप्लाई नहीं होती है और जो सप्लाई पर्पज के लिये उसका कॉमर्शियल आस्पेक्ट देखेंगे, तो यह अन इकोनॉमिक रहता है । मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से फार्म चलाते हैं, और वह इकॉनोमिक रहता है तो लोगों में कॉन्फीडेन्स इन्सपायर नहीं करते हैं । आज हम चाहते हैं कि, लोग पोल्ट्री को एडोप्ट करें । उनके इकोनोमिक बेटरमेंट के लिये । लेकिन सरकार की तरफ से जो फार्म्स चलाये जाते हैं, उनमें हर तरह की फेसिलिटी रहने पर भी वे इकॉनोमिक नहीं होते हैं, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं और वे नहीं समझते हैं ।

दूसरी बात जो पोल्ट्री है उसमें एपेडेमिक बीमारी काफी होती है, वह अगर एक फार्म में आ जाती है, तो सारे जानवर वगैरह मर जाते हैं, उसको रोकने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं यह कट मोशन इसलिये लाया हूँ कि, विशेष तौर पर गवर्नमेंट का ध्यान केन्द्रित करने के लिये कि इस पर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिये, वह सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये । लेकिन फूड कंडीशन को देखते हुए यह एक सब्सिडरी फूड होने के कारण इस ओर ध्यान देना चाहिये,

( श्री पी० के० चौधरी )

और एग ईटिंग हेबिट पोपुलर करनी चाहिये और दूसरी बात यह है कि एग्रिज़िटिंग मैनेजमेन्ट जो है उस पर चैक रखना चाहिये, और उनका अकॉउन्ट देखना चाहिये कि अनइकोनॉमिक क्यों होता है। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया जाता है कि प्रोड्यूज इतना है कि उन एग्ज की मार्केट वेल्यू बता देते हैं और उनको खुद कन्ज्यूम कर लेते हैं और उनको मार्केट में बेचते नहीं हैं, और न उनके पैसे ट्रेजरी में जमा होते हैं यह जो गड़बड़ी होती है, उसको रोकना चाहिये, इस तरह प्रोपर एटेन्शन देना चाहिये, मेरा यह उद्देश्य कट मोशन रखने का था।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,मेरे इस मांग के सम्बन्ध में दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है पशु महामारी को रोकने के लिये, सरकारी वाहन तथा अन्य साज-सामान की खरीद करने हेतु और दूसरा है कुक्कुट पालन हेतु सरकार की असफलता पर वाद-विवाद हेतु।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे पहले कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यदि यह कहूँ कि राजस्थान सरकार से जैसे जैसे इस बात की मांग की जाती रही है कि सरकार द्वारा किसी भी वस्तु की खरीद के लिये ऐसे नियम होने चाहिये, जो नियम सब विभागों पर लागू हों और खरीद करने के सम्बन्ध में एक सेन्ट्रल पर्चेज़ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जानी चाहिये, जिसके द्वारा राजस्थान में की जाने वाली सारी खरीद नियमित रूप से की जा सके। यह मांग केवल ....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप इस बारे में बताइये कि, इस स्पेसिफिक खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी है क्या ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो ६ जीप्स खरी दी गई हैं इनके बारे में आप कुछ गड़बड़ी महसूस करते हैं क्या ?

**श्री भैरोंसिंह** : गड़बड़ी इसी बात की है कि, जिस महेन्द्रा एंड महेन्द्रा कम्पनी ने पहले लास्ट इयर सप्लाई नहीं की, उसी को दुबारा ऑप्शन क्यों दिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उस फर्म ने लास्ट इयर साफ कर दिया था कि इस साल हम सप्लाई नहीं दे सकेंगे, लेकिन अगले साल दे सकते हैं। डी० जी० एस० डी० के कहने के अनुसार ...

**श्री भैरोंसिंह** : क्या डी० जी० एस० डी० का एप्रूवल हो गया था ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बराबर।

**श्री भैरोंसिंह** : स्पष्टीकरण हुआ, लेकिन प्रश्न यह है कि जैसा कि मंत्रीजी ने बताया, पिछली बार फर्म ने सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि जो प्रेस्काइब्ड टाइम है उसमें गाड़ियां नहीं दी जा सकतीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हमने कोई टाइम प्रेस्काइब्ड नहीं किया, हमने उस फर्म से कहा था कि जल्दी सप्लाई करो क्योंकि हमें जल्दी स्कीम को लागू करना है लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल नहीं दे पायेंगे, लेकिन यदि आप इस साल ऑर्डर देते हैं तो अगले साल प्रायोरिटी में नम्बर आ जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** :क्या आपकी रिक्वायर-

( श्री भैरोंसिंह )

मेन्ट के अनुसार कोई दूसरी फर्म नहीं दे सकती है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : महेन्द्रा एंड महेन्द्रा कम्पनी के अलावा कोई दूसरी फर्म है ही नहीं जीप सप्लाई करने वाली ।

**श्री भैरोंसिंह** : एक तो जिस तरह की गाड़ी आपने खरीदी है, उसी नमूने की खरीदना चाहते थे तब तो प्रश्न आता है । दूसरा और बाकी आप जीप खरीदना चाहते थे और वह सप्लाई नहीं कर सके, यह सवाल है दूसरा । मैं समझता हूं आपका स्पेसिफिकेशन मुझे याद है, मैंने गाड़ियां देखी हैं, यदि वे ही गाड़ियां हैं, और यदि आपने नमूना दिया है, उसी तरह की गाड़ियां आप चाहते थे ...

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ऑर्डिनेरी जीप्स थी ।

**श्री भैरोंसिंह** : लेकिन नमूना दूसरा है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : कोई दूसरा नहीं है । आपने दूसरी गाड़ियां देख ली होंगी, ये तो सीधी सी जीप्स हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप जारी रखिये, जल्दी स्पीच खत्म करिये ।

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गाड़ियां राजस्थान वेटरनरी होस्पिटल्स के लिये खरीदी गई इस सम्बन्ध में सूचना मिलने पर वेटरनरी डिपार्टमेन्ट का जयपुर में होस्पिटल है उसके सामने खड़ी हुई गाड़ियें देखी थीं और इसी अन्दाज से कहता हूं कि जो गाड़ियें खरीदी गई हैं । यदि इस प्रकार का स्पेसिफिकेशन सरकार की ओर से दिया गया था तो उसमें मुश्किलात आ सकती है लेकिन इस नमूने की गाड़ियां केवल एक ही फर्म सप्लाई करें । लेकिन जैसा कि मंत्रीजी कहते हैं कि वे सीधी जीप्स है और सीधी जीप्स की परिभाषा वे ही जानते होंगे लेकिन जो मैंने गाड़ियें देखी हैं, वे जीप्स थीं सीधी हैं लेकिन नमूना टेढ़ा है और इसी कारण शायद सीधी जीप के टेढ़े नमूने को खरीदें । उनकी दृष्टि से तो कोई बचता नहीं होगी, लेकिन मैं तो यह कह रहा हूं कि, हमारे यहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यदि प्रश्न आता है तो भी यह कहूं कि सामान की खरीद के संबंध में नियम नहीं हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । राजस्थान पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने एक बार नहीं बल्कि जब जब भी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तब तक उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान में विभागों के द्वारा जो खरीद की जाती है उनमें कई अनियमितताएं होती है और इसके कारण सरकार के फाइनेन्सेज़ पर कुछ असर पड़ता है । वैसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि, इस सम्बन्ध में नियम बनावे । जहां तक विभागीय नियमों का प्रश्न है, एग्रीकल्चर विभाग में ये नियम भी नहीं हैं । मैं यह कहता हूं कि जहां पर इतनी चीजें खरीद करनी होती हैं वहां सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के सेन्ट्रल पर्चेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें । मैंने सुना है कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वीकृति सरकार ने दी है । एक ऑफिसर को लगाया है कि उसका वर्किंग किस प्रकार का होगा । इस बारे में सरकार के सामने सुझाव पेश करें, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस ऑफिसर को लगाने के बाद ६,७ महीनों का समय निकल गया लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट पेश हुई हो और उस पर विचार हो

Page No.46



( श्री भैरोंसिंह )

रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यदि यह कहूं कि इस सदन में भी अनेक बार चर्चाएं हुई हैं कि जितना हेवी पर्चेजेज करते हैं, ज्यादा कीमती चीजें खरीदते हैं उनमें कई बार ऐसी परिस्थित आती है, जिसके कारण हमें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। मैं यहां जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि सेन्ट्रल पर्चेज ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि यहां यह असंगत होगा लेकिन फिर भी यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि जो पर्चेजेज़ अभी की हैं, गाड़ियां खरीदी हैं उनके सम्बन्ध में भी यदि हमारी सरकार शुरू से लेकर अंत तक इस बात की कोशिश करती कि ये पर्चेजेज डी० जी० एस० डी० की मार्फत होनी चाहिये, और उसकी मार्फत ये पर्चेजेज करतीं तो गाड़ियां पर्चेजेज करने का प्रयास सरकार कर रही थी, और फिर भी गाड़ियें नहीं मिलीं, ऐसी बात नहीं होती।

१ म० प०

वह बात बहुत पहले पूरी की जा सकती थी। प्रश्न यह है कि हमने बजट में अलॉटमेंट किया खरीद के सम्बन्ध में और खरीद के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार दिये, अब सरकार इस खरीद में देरी किस प्रकार कर रही है। या तो यह हो सकता है कि सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया गया हो, पिछले साल जैसा कि एक्स्प्लेनेशन में दिया हुआ है, बजट में खरीद के लिये अलॉटमेंट किया हुआ है, खरीद की गई पर सप्लाई नहीं की जा सकी, इस लिये ऐसे दुबारा अलॉटमेंट की आवश्यकता पड़ी। सरकार को चाहिये कि सदन में एक्स्प्लेनेशन दे कि, महामारी रोकने के लिये पैसा दिया गया था, ऐसे आवश्यक काम के लिये सावधानी बरत कर समय पर खरीद करनी चाहिये थी। समय पर महेन्द्रा ने सप्लाई नहीं किया तो मन्त्री जी बतायेंगे कि महामारी को रोकने के लिये जब पैसा दे दिया गया तो और जगह से खरीद की जा सकती थी। यह तो अच्छी किस्मत की बात थी कि हमारे मवेशी बच गये, नहीं तो राजस्थान में एक भी मवेशी नहीं बचता, या यह समझना चाहिये कि सरकार ने ढिलाई की है, ढिलाई नहीं होती तो डी० जी० एस० डी० की मार्फत ऐसी नई गाड़ियां न लेकर मिलटरी की गाड़ियां खरीद कर उनकी मरम्मत करा के काम में ली जा सकतीं थीं, जैसा कि दूसरे लोग मिलट्री की गाड़ियां खरीद कर उनकी मरम्मत कराकर इस प्रकार की गाड़ियों के मुकाबले में नई गाड़ियों से ज्यादा काम लेते हैं, सरकार उनसे व्यवस्था कर सकती थी। पर चूंकि नई गाड़ियां लेनी हैं, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े कोई चिन्ता नहीं पर एक ही फर्म से गाड़ियां लेनी हैं, दूसरी फर्म से नहीं लेनी हैं। तो सरकार का इस प्रकार का रवैया, अलॉटमेंट को खर्च नहीं करने का रवैया वह भी रोगों के सम्बन्ध में, ऐसे भयंकर रोग के सम्बन्ध में ढिलाई का रवैया अनुचित रहा है।

एक है कुक्कुटशाला का मामला, बड़ा दिलचस्प विषय है। हर साल राजस्थान का बजट पास होता है, शाला के लिये बजट पास होता है, सरकार कहती है कि, सरकार मुर्गे पालने के धंधे का विकास कररही है। मैं समझता हूँ कि इसका विकास राजस्थान के लिये जरूरी है या नहीं यह अलग से प्रश्न है पर राजस्थान सरकार की ओर से इस कार्य में विकास क्या हो रहा है, इसकी यदि चर्चा की जाय तो

( श्री भैरोंसिंह )

ज्यादा अच्छा होगा। राजस्थान सरकार ने कई जगह कुक्कुटशालाएं खोल रखी हैं। यहां जयपुर में जोरावरसिंह के दरवाज़े के बाहर सरकार ने एक कुक्कुटशाला खोल रखी है, मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ....

**डॉ० बहादुरसिंह** : दिन में या रात को?

**श्री उपाध्यक्ष** : As one of the members of certain committee ?

**श्री भैरोंसिंह** : नहीं साहब इस लिये कि उस कुक्कुटशाला के द्वारा मुफ्त में कुक्कुट मिलते हैं, अच्छी नस्ल के मिलते हैं या किस प्रकार के मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा था कि हम पोल्ट्री फार्मिंग में काफी डवेलप्ड हैं। मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि राजस्थान सरकार का वह पोल्ट्री फार्म राजस्थान सरकार के कागजों में भले ही एक बहुत अच्छा पोल्ट्री फार्म होगा, पोल्ट्री फार्मिंग का राजस्थान सरकार के कागजों में भले ही विकास अच्छा होगा पर इस प्रकार के पोल्ट्री फार्म से कहीं अच्छे फार्म उधर रहने वाले मुसलमानों के पास, जो कि कुक्कुट फार्मिंग व्यवसाय करते हैं, उनके फार्म्स को देख लिया जाय, तो मैं कहूँगा कि उनके यहां जिस नस्ल के मुर्गे हैं, वे उन मुर्गों से जिनकी सरकार बहुत तारीफ करती हैं, बहुत अच्छे मुर्गे वहां मिलेंगे। जो लोग थोड़ी बहुत आमदनी के लिये बचत का उपभोग करने के लिये यह धंधा करते हैं, उनके वहां कहीं ज्यादा अच्छा इन्तजाम है।

आप देखेंगे तो, मुर्गी पालन करने वालों को एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसका भी सरकार इन्तजाम नहीं कर सकी। मुर्गों में एक बीमारी आती है और वह इतनी तेजी के साथ फैलती है, कि एक मुर्गे को यह बीमारी आती है, तो दूसरे ही दिन सारे के सारे मुर्गे मर जाते हैं। हमारे पोल्ट्री फार्म के जो एक्सपर्ट हैं, उनसे कहा गया तो, मैं नाम तो लेना पसंद नहीं करूंगा, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई, उन्होंने कहा कि आप तो दूसरी जगह जा कर बचाने का कहते हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ा है, वह तो कोरा थियोरेटिकल है, एक्च्युअली तो हमें यहां के मुर्गा पालने वाले लोग हैं, उनसे सीखना पड़ता है कि इन मुर्गों को इस प्रकार के रोग से मरने से किस प्रकार बचाया जाय। हमारे ३०, ४० मुर्गे एक रोज में मर गये।

ऐसी सूरत में कुक्कुटशाला का विकास शब्द आपत्ति की चीज है, उनको बचा कर रखना, रोगों से मुक्त रखना इस सम्बन्ध में हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई है। अपनी कुक्कुटशाला के मुर्गों को नहीं बचा पाई, जिन कुक्कुटों को नस्ल सुधार के लिये काम में लेती है, अच्छी नस्लों के मुर्गे हमारे यहां हों, इसके लिये काम में लेती है, उन मुर्गों को सरकार नहीं बचा सकी कुक्कुटशाला के खर्चे और आमदनी की चर्चा की जाय तो सरकार जबान पर ताला लगा कर कहती है कि हम कोई बिजनेस पॉइन्ट ऑफ व्यू से थोड़े ही चलाते हैं, कुक्कुट शाला को 'नो प्रोफिट नो लोस' के बेसिस पर चलाते हैं। जगह जगह अच्छे कुक्कुट हों, अच्छी नस्ल के कुक्कुटों का विकास हो, इसलिये यह शालाएं रखते हैं।

मैं यदि मन्त्री महोदय को एक बात की जानकारी दूं, तो अच्छा नहीं रहेगा, सदन के बाहर जानकारी चाहें तो मैं बताऊंगा कि, सरकार की तरफ से किन किनको मुर्गे दिये गये, उन्होंने लिख कर दिया कि हम कुक्कुट-

( श्री भैरोंसिंह )

शाला बना रहे हैं हमें मुर्गा दो, अच्छी नस्ल का अच्छा मुर्गा दो और उनको अच्छी नस्ल के मुर्गे दिये गये पर जो मुर्गे नस्ल सुधार के लिये दिये गये, वे नस्ल सुधार के लिये काम में न लिये जाकर उनका मुर्ग मुसल्लम हो गया। सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कभी जांच नहीं की गई होगी। सरकार द्वारा दिये गये मुर्गों का नस्ल सुधार के लिये उपयोग न होकर, इस तरह उपयोग हो गया। यदि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करना चाहे तो, यदि जांच करने को तैयार हो तो मैं कुछ तो सरकारी अफसरों के नाम दूंगा, जिन्होंने पोल्ट्री फार्म से अच्छी नस्ल के मुर्ग अपनी कुक्कुटशाला के नाम से लेकर उनका इस प्रकार से उपयोग किया। पर एक मुर्गे के लिये सरकारी अफसर को सजा मिले यह अच्छी बात नहीं है। पर प्रश्न यह आता है, सरकार जिनको मुफ्त में मुर्गे दे उनसे किसी प्रकार की गारन्टी जरूर ले कि अमुक तारीख को मुर्गे को फलां बीमारी हो गई और वह मर गया। उन लोगों से आप पूछेंगे तो बता देंगे कि इस प्रकार की बीमारी आई और वह मर गया।

**डॉ० बहादुरसिंह :** सदुपयोग ही हुआ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मन्त्री ) : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि इसके लिये क्या चाहते हैं वे ! इसके लिये क्या एक एक मुर्गे के पीछे एक एक इन्सपेक्टर लगाना चाहते हैं जो निगाह रखें कि कहां वह मुर्गा चर रहा है, कहां पानी पी रहा है, कहां मर रहा है। यह तो लोगों के स्तर की बात है कि वे पोल्ट्री फार्म के लिए काम में लें या मुर्ग मुसल्लम बना लें। तो आखिर माननीय सदस्य चाहते क्या हैं, क्या इन्सपेक्टर रखें जो एक-एक मुर्गे के पीछे मुर्गों को ढूंढते फिरें ?

**श्री भैरोंसिंह :** यह प्रश्न ऐसा है कि मेरी एवज में यदि सरकार इस पर विचार करती तो ज्यादा अच्छा रहता, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि चाहे सरकार का ८ आने का मुर्गा है, वह जिस काम के लिये दिया जाता है उसमें उसका उपयोग नहीं हो तो सरकार के देखने की बात अवश्य है। जिन लोगों को आपने मुफ्त में मुर्गे दिये हैं उनकी जांच करवाइये, ५ आदमियों को दण्ड देंगे तो बाद में कोई भी इन मुर्गों का इस तरह उपयोग नहीं करेगा। एक एक मुर्गे के पीछे एक-एक इन्सपेक्टर लगा दिया जाय, और उस आदमी को ५० रुपया दिया जाय ऐसा सुझाव मैं दूँ और फिर इस खर्च को क्रिटिसाइज करूं ऐसा मैं नहीं चाहता। पर सरकार ऐसे नियम बनाये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अन्दर उनके खिलाफ एक्शन ले, नियमानुसार चार-पांच आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया जायगा तो लोग इस प्रकार दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह मैं समझता हूँ कि मोटा तरीका है। बाकी दो दो रुपयों के एक-एक मुर्गे के पीछे उसकी रखवाली के लिये एक-एक आदमी हो, और इस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं, किया जावे, यह बात मैं आप चाहते हैं कि कहूं सो यह बात मैं कहने वाला नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि पोल्ट्री फार्म में आपको कुछ सिद्धान्त बनाने होंगे। 'नो लोस एन्ड नो प्रोफिट' के बेसिस पर आप चलें तो इससे नुकसान होता है, यह बात नहीं है। जहां-जहां पर ये हैं उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो कॉमर्शियल बेसिस पर जिसके जरिये से आप लाभ उठा सकें। वहां पर उसके अन्तर्गत अच्छी-अच्छी नस्ल के मुर्गे पैदा करें और

( श्री भैरोंसिंह )

लोगों को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिये प्रोत्साहन करें बजाय इसके कि कुछ लोगों को मुर्गे मुफ्त में बांटे जायं। उसके बाद यह कहा जाय कि मुर्गे कहां गये, इसका कोई इलाज नहीं। इस प्रकार से तो लोग मुर्गे खा जायेंगे और मैं तो यह कहूंगा कि पब्लिक के पैसों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ होगा। अगर सरकार इसको कॉमर्शियल बेसिस पर नहीं चलाना चाहती और 'नो प्रोफिट और नो लोस' के बेसिस पर चलाना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार एक साल में २० मुर्गे देती है और उसके लिये उनको घाटा रहता है लेकिन दूसरी तरफ मुर्गों के अण्डे होते हैं उनको बेचा जाता है उनके पैसे कहां जाते हैं इसके लिए आपके पास कोई प्रोपर अकॉउन्ट नहीं कि किस तरह से फरोख्त होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखें। आपने उन लोगों पर यह हिसाब छोड़ा है जिनके लिए कोई विशेष नियम नहीं। अगर इसका हिसाब रखें तो सरकार को फायदा हो सकता है और जो रकम इससे आती है उसको कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा नहीं होकर इसमें जमा करा दी जावे तो नो लोस एन्ड नो प्रोफिट बेसिस पर चल सकता है। मगर इससे एक नुकसान है और वह यह कि जो कोमन श्रेणी का व्यक्ति सरकार के फार्म को देखेगा और उसके अकॉउन्ट को देखेगा तो वह सबसे पहले इस चीज को देखेगा कि इसमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। इसके लिये वह अकॉउन्ट आदि की सारी कार्यवाही का निरीक्षण करेगा और अन्त में जब उसको विश्वास हो जावेगा कि इसमें निश्चित रूप से फायदा हो जावेगा तो उसके लिये वह आगे आवेगा और पोल्ट्री फार्म शुरू करेगा। अगर वह यह समझेगा कि इससे उसको कोई लाभ नहीं होगा तो अगर वहां पर आप अच्छे-अच्छे नस्ल के मुर्गे भी छोड़ दें तो उससे पोल्ट्री फॉर्म में कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार का खर्चा यह होता है जिसके बारे में कहा जाए तो एक प्रकार की मजाक होगी। यह तो एक इस तरह का पैसों का खर्चा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको तो एक प्रकार के हाथ खर्च के पैसों के रूप में कहा जाय तो उचित होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अकॉउन्ट्स के बारे में स्ट्रिक्ट होने के लिये उनको हिदायत दी जावे। क्योंकि जो कोई व्यक्ति पोल्ट्री फार्म शुरू करेगा वह इस अकॉउन्ट को अवश्य देखेगा। इस प्रकार से यह जो हिसाब नहीं रखा जाता किसी भी तरह से पोल्ट्री को प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। इन्हीं दो बातों को लेकर मैंने अपने दो कटौती प्रस्ताव रखे और आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बहादुरसिंह।

**डॉ० बहादुरसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, अभी पिछली दफा मैंने बताया था कि धौलपुर सब डिविजन में वर्षा बहुत अधिक हुई और इस वजह से सारे ही १२०० वर्ग मील में जो गांव थे उनमें पशुओं में माता का रोग बहुत फैल गया और जब यह रोग बहुत व्यापक हुआ तो आपके वेटरनरी विभाग को वहां के लोगों ने सूचना दी लेकिन विभाग की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ वह बहुत ही अनुचित था। वहां पर डॉक्टर से जब कहा गया तो उसने कहा कि मेरे पास कोई इसके लिये व्यवस्था नहीं है और न मेरे पास कोई औषधि है, न कोई आने-जाने के लिये साधन है। जब उसने उग्र रूप धारण

# Page No.50



( डॉ० बहादुरसिंह )

किया तो माननीय राजस्व मन्त्री तब भरतपुर पधारे तो उनको परिस्थिति बताई गई और उनको कहा गया कि हजारों के करीब पशु मर गये हैं और इस वक्त भी इसका काफी प्रकोप है। तो एक फोर्स भरतपुर से या जयपुर से भेजी जाती है और थोड़ी बहुत व्यवस्था करती है। कहने का मतलब यह कि जहां हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और पशुओं में जब बीमारी फैलती है तो उसके लिए इमिजिएट व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा हमारे यहां यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं और हैं तो ऐसे जिससे जल्दी से जल्दी मदद नहीं पहुँच सकतीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके लिये ऐसा प्रबन्ध किया जावे कि जब डॉक्टर को इत्तला मिले फौरन उसके लिये व्यवस्था की जावे। इस प्रकार का पिछले दिनों का तजुर्बा है। माननीय मंत्री महोदय को भी इस बात का पता है कि काफी जानवर इस बीमारी से मरे हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसके लिये अवश्य प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके अलावा कुक्कुट पालन के बारे में मैं निवेदन करूंगा। भरतपुर में पोल्ट्री फार्म को स्वीकार किया लेकिन न जाने किन कारणों से वहां पर न खुला और भीलवाड़ा में खोला गया। भरतपुर जिले में नहीं है तो वहां पर ऐसी स्थिति है जहां लोग कुक्कुट पालन करें और लाभ उठावें इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये, यह मेरा कटौती का प्रस्ताव तो नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा निवेदन कर दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** रावराजा श्री सरदारसिंह।

**रावराज श्री सरदारसिंह** उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव है। गांवों में जो पशुओं को इलाज की असुविधा हो रही है इसके लिये विचार करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यों तो देखा जाए तो हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है इसलिए इसमें यह समझते हैं कि जितनी धनराशि राजस्थान इस पर खर्च कर रही है उससे भी अधिक खर्च करना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन बात यह है कि वह धनराशि किस समय पर खर्च की जावे जिससे उसका सदुपयोग हो। यह नहीं कि महीना भर तक कोई परवाह नहीं की जाए और यह कहा जावे कि कोई वेगन नहीं आया फलाँ नहीं आया और इस कसमकश में तमाम पशुओं की हिंसा हो जावे। मैं आपको मेरे यहां की कॉन्स्टिटीट्यूएन्सी की मिसाल प्रस्तुत करता हूँ, कि टौंक में वेटनरी ऑफिसर रहते हैं और गांवों में मेरे इलाके में कई डिफरेन्ट तरह के हलके हैं, कोई पहाड़ी है जो बूंदी से जहाजपुर तक मिला हुआ है। वहां आवे के गांव हैं उनमें न तो कोई डिस्पेन्सरी है न पशुओं के लिये चिकित्सा का कोई इन्तजाम है। उनके पास एवड़ होते हैं जिस वक्त उनके अन्दर बीमारी और महामारी आई तो बकरियों में जो एक तरह की बीमारी होती है, वह आई तो उनमें उनके एवड़ के एवड़ खोली हो जाते हैं। इसके लिये आदमी दौड़ कर आए। मैंने टोंक वेटरनरी ऑफिसर से कहा कि हमारे साथ चलो तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विहिकल नहीं है, एक है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से है, उसमें एक कम्पाउन्डर रहता है। गर्ज यह है कि वाहन के बिना, जो लोग हजारों की मदद में मवेशी लेकर आते हैं वे कम से कम सैकड़ों की तादाद में वापिस लेकर आये मैं निवेदन

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

कर देना चाहता हूँ कि या तो ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि उसकी सर्वे करा लेनी चाहिए और सर्वे करा कर सरकार को कार्यवही करनी चाहिए फलाने ने वाहन सप्लाई नहीं किया, यह नहीं, मैं अर्ज कर देता हूं कि सरकार को जोनलरिंग कायम कर देने चाहिए। १० मील पर, ५ मील पर डिस्पेन्सरी खोलें और वहां पर पशुओं की दवा करें। वहां पर पशुओं की जो तादाद हो उसकी सर्वे करा कर वाहनों की व्यवस्था करें जिससे वाहन वक्त पर पहुंचें और वक्त पर इमदाद दे सकें इस महामारी को रोकने के लिए। यह नहीं होना चाहिए कि समय पर जीप मुहैय्या नहीं की, इसलिए इमदाद नहीं देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे मेरा इलाका है आवा, वह एक पहाड़ी इलाका है, वहां के लोग सिर्फ मवेशियों के ऊपर गुजर करते हैं, वे खेती का काम भी करते हैं। वहां एक-एक मनुष्य के पास सैंकड़ों गाय, भैंस और बैल हैं, वे सिर्फ यही व्यापार करते हैं। लेकिन अफसोस है कि वहां पर इलाज की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा दूसरा इलाका है खेराड़, उस तरफ जीप नहीं जाती है, क्योंकि वहां छोटी-छोटी पहाड़ी हैं, वहां या तो घोड़ा जाता है या पैदल आदमी जाता है, वहां के लिए ऐसे ही वाहनों का प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरी बात है कि बरसात के दिनों में, वहां पर मोटर नहीं जा सकती। पहले हम लोगों के समय में वहां पर डॉक्टर सुल्ताना रहते थे। डॉक्टर सुल्ताना के वास्ते एक गाड़ी बना रखी थी, उसमें दवायें रहतीं थीं। चौमासे के अन्दर जहां से फरमाइश आती थी, वे वहां जाते थे। अब सरकार ने कहने को बड़ी-बड़ी योजनायें बना रखी हैं, सरकार ने जीप की भी योजना बना रखी है। अरे भाई, जीप जब आयेंगी तब आयेंगी, उतने मवेशियों का सत्यानाश हो जायगा। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा खास-तौर से सुझाव है, आपसे अनुरोध है कि जहां पशुओं की संख्या ज्यादा है, वहां के लिए आप इस झगड़े में न पड़ें कि जीप नहीं मिलती, जीप मुहैय्या नहीं होती, अगर जीप नहीं मिलती है तो आपकी पिकअप भी ट्रेलर का काम करती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है इसलिए मैं यह सुझाव देता हूँ कि या तो आप जल्दी से जल्दी जीपें मंगा लीजिये, अगर जीपें नहीं आयें तो पिकअप खरीद लीजिये। जहां जीप नहीं जा सकती हैं वहां दूसरे वाहनों का इन्तजाम करिये, जिन डिस्पेन्सरीज में आवश्यकता हो, वहां आप डॉक्टर सप्लाई न करें तो कम से कम कम्पाउन्डर तो रख दीजिये, यही निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह यादव**

( अनुपस्थित )

श्री लच्छूराम।

**श्री लच्छूराम** (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि मांग सं० ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा में १ रु० की कटौती की जावे, पशुओं की बीमारी पर कोई ध्यान नहीं देकर पैट्रोल पर किये जाने वाले खर्चे पर विचार करने के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों झुंझुनू जिले में पशुओं की बीमारी आई, उससे बहुत पशु बीमार हुए। इस सम्बन्ध में बहुत सी दरख्वास्तें माननीय मंत्री को दी, और जिला कृषि अधिकारी को और जिले के अन्य अधिकारियों को सूचनायें दी गईं। मगर होता क्या है कि तीन चार महीने तक किसी प्रकार की दरख्वास्त पर कोई गौर नहीं किया

( श्री लच्छूराम )

जाता । इससे होता यह है कि बीमारी दो तीन महीने में खत्म हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर पहुंचता है गांव के अन्दर और कहता है कि अपने बीमार पशुओं को सुई लगवाओ । बीमारी खत्म होने पर ग्रामीणों को बाध्य किया जाता है कि पशुओं के सुई लगवाओ । कहने का तात्पर्य यह है कि जब बीमारी फैलती है, उस समय उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता और जैसा कि हमेशा का रूटिन है कि शिकायत होने पर पांच, छः महीने बाद इन्क्वायरी चालू होती है । जैसे कि कहीं लाय लग जाती है, अग्नि कांड हो जाता है उस समय लोगों को सहायता की जरूरत है लेकिन छः महीने के बाद कहते हैं कि लाय बुझायें । इसी प्रकार से पशुओं की बीमारी होती है तो उस समय ध्यान न दिया जाता है और जब वह बीमारी खत्म हो जाता है उस समय डॉक्टर पहुँचते हैं । उस समय जाते हैं जीप में बैठ कर और सरकार का पैट्रोल फूंकते हैं । वे किसानों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पशुओं को सुई लगावाओ । किसान कहते हैं कि अब बीमारी है नहीं । ठीक ही है कि बीमारी खत्म होने के बाद सुई की जरूरत नहीं है । तब डॉक्टर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देते हैं कि बीमारी नहीं है, अगर सुई लगाते हैं तो गांव वाले लगवाते नहीं हैं, लिहाजा रिपोर्ट बेबुनियाद है । इस प्रकार की रिपोर्ट आपके सामने आती हैं और बेकार में सरकार को पैट्रोल का खर्च करना पड़ता है, यह बहुत ही अनुचित चीज है । इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को सदन के सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि इस प्रकार मौकों पर यह बहुत जरूरी है क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर पशु-पालन महत्व रखता है । इस प्रकार के इलाके के अन्दर पशुओं की बीमारी को इतना नजर अन्दाज करना, उस पर ध्यान नहीं देना, यह बहुत ही दुःख की बात है । राजस्थान के अन्दर कृषि के अलावा दूसरा धंधा पशु-पालन है, इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी को सूचना देना चाहता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की सूचना आये तो उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए । सूचना आने पर इलाज हो तब ही इलाज हो सकता है, दो तीन महीने के बाद इलाज करने से फायदा नहीं है । फिर रिपोर्ट अफसरान इस प्रकार की देते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो आपने फर्माया कि रिपोर्ट बेबुनियाद दे देते हैं । आगे बढ़ें ।

**श्री लच्छूराम** : इसी प्रकार बेकार के अन्दर पैट्रोल भी खर्च कर दिया जाता है : यही मेरा कटौती प्रस्ताव है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुक्कुट पालन के बारे में दो चार बातें कहनी हैं....

**डॉ॰ बहादुरसिंह** : कुछ अनुभव है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : हां, इतना जरूर जानता हूं कि मैंने एक बात पढ़ी थी बहुत दिनों के पहले और उस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ....

**डॉ० बहादुरसिंह** : तजुर्बे की बात सुनाइये ।

**श्री मूलचन्द डागा** : हां उसके साथ तजुर्बा भी है Succesful paultry farming is largely a matter of temperament. मैं समझता हूं कि आप मुर्गी पालन की व्यवस्था राजस्थान में कर रहे हैं यह सरकार के लिए कोई आवश्यक व्यवस्था नहीं है और कभी इस मामले में सरकार कामयाबी हासिल नहीं कर सकती । जब तक इस पोल्ट्री फार्मिंग में काम करने वाले मनुष्य न होकर औरतें नहीं होंगी, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन के काम में जब तक औरतें काम नहीं करेंगी तब तक आपके ये पोल्ट्री फॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते....

**डॉ० बहादुरसिंह** : क्यों ?

**श्री मूलचन्द डागा** : इस बारे में कुछ बातों की वैज्ञानिकों ने खोज की है । उन्होंने बतलाया है कि मुर्गा पालन या मुर्गी पालन का काम महिलायें करें, क्योंकि एक आदमी को काम की मजदूरी देकर उसके दिल और दिमाग को नहीं खरीदा जा सकता । हम उसके दिमाग में एक चीज पैदा करना चाहते हैं कि वह मुर्गे और मुर्गियों के साथ मुहब्बत कर सके । जिस आदमी को आप रखते हैं, जिसे आप केवल मजदूरी के आधार पर या तनख्वाह के आधार पर रखते हैं, वह मुर्गा पालन मुर्गी पालन का काम ठीक रूप से नहीं कर सकता....

**डॉ० बहादुरसिंह** : यह कैसे मालूम है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : वे आगे चल रहे हैं ।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं इस मोहब्बत के बारे में बता देना चाहता हूं कि उन्होंने बतलाया है कि मुर्गा, मुर्गी पालन के लिये यह आवश्यक है, वे उनके साथ रहे जहां मुर्गा, मुर्गी रहते हैं, रात को उसी जगह पर उसको सोना चाहिये । अगर उस जगह पर कोई नहीं सोता है तो उनके लिये दुःख की बात होती है, क्योंकि उसकी कोई देख-भाल नहीं होती है । होता क्या है कि रात को मुर्गे-मुर्गियों को बन्द कर देते हैं, उस हालत में मुर्गा पालन, मुर्गी पालन की जो इन्डस्ट्री है, उसका पर्पज फरस्ट्रेट हो जाता है । परसों ऐसा मौका हुआ कि मैं मसूदा गया था, वहां आपका एक पोल्ट्री फार्म छोटा सा देखा तो मुझे मालूम हुआ कि कई मुर्गियां मर चुकी हैं, क्यों वे मरी हैं, यह मालूम नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य** : देखते देखते ।

( हंसी )

**श्री मूलचन्द डागा** : इसके साथ ही उस वक्त जो मुर्गे और मुर्गियां थीं उन मुर्गों की नस्ल और मुर्गियों की नस्ल में भी फर्क था। मैंने पूछा तो जवाब मिला, साहब मालूम नहीं जो आदमी वहां रहता है उसने बताया कि साहब जो मुर्गे और मुर्गियां अलग अलग नस्ल की हैं, इनको पास में जबरदस्ती बिठलाते हैं लेकिन ये बैठने की कोशिश नहीं करते । मुझे मालूम हुआ कि वे जिस प्रकार मुर्गे-मुर्गियों को हैंडिल करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उनसे मालूम होता है कि उनके प्रति प्रेम नहीं होता है । मैंने देखा मुर्गे-मुर्गियों वालों को वे बड़े प्यार से रखते हैं, अपने साथ मुर्गे-मुर्गियों को रखते हैं, उनको दाना-पानी देते हैं, मुर्गे-मुर्गियां उसके घर में आती जाती हैं, फिरती हैं । ये जानवर हैं, इन जानवरों को ऐसा मालूम होना चाहिए कि वह उनसे प्यार करता है, इन्हें प्यार मिलना चाहिए । आप

( श्री मूलचन्द डागा )

जो रख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग, यह पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत बड़ी हॉबी है और हॉबी को पूरा करने के लिए गवर्नमेन्ट को मुर्गा मुर्गी पालन नहीं करना है। यह एक हॉबी है और इस हॉबी के लिए सरकार द्वारा कोई योजना नहीं होनी चाहिए। एक बात जरूर है कि जो इस हॉबी में इन्ट्रेस्ट लेते हैं, उनको सरकार मदद दे। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में कोई अखबार नहीं निकला है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। अमेरिका के अन्दर बड़े बड़े अखबार निकलते हैं, उन अखबारों में आर्टिकल्स निकले हैं, उनमें ये बातें बताते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कौन करे, उसके साथ ही और बातों की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से खोज करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके महकमे में अमेरिका या इंग्लैण्ड का अखबार नहीं आता है। आपके कर्मचारी ऐसे अखबार को नहीं पढ़ते हैं तो वे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में क्या जान सकते हैं? दूसरी बात यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग जिस जगह पर बनाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में जो आदमी उनको पालने वाला है, वह आदमी जानवरों के साथ घुल मिल जाय। जो नारी होती है उसमें सहृदयता होती है, करुणा होती है, दया होती है, अनुकम्पा होती है, उसके दिल में दुःख होता है, वह उनकी भावना को समझ सकती है। इस लिए सारा काम पोल्ट्री फार्मिंग का महिलाओं के सुपुर्द करना चाहिए, इनको सुपुर्द करने से ही यह इन्डस्ट्री सक्सेसफुल हो सकती है। अमेरिकन्स ने सोचा कि पोल्ट्री फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्होंने बहुत करके औरतों को इन कामों के लिए मुकर्रर किया। यह तो आपने किसी योजना की नकल कर ली है। लेकिन राजस्थान के अन्दर ठंडा मौसम नहीं है, ठंडा मौसम न होने पर भी आपने मुर्गी पालने की इन्डस्ट्री कायम कर ली। मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसके जवाब में कहा गया था कि इतना नुकसान हो गया, इतना लाभ हो गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि पोल्ट्री फार्मिंग की इन्डस्ट्री सरकार की ओर से नहीं चलनी चाहिये और जो हॉबी के रूप में चलाना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद देनी चाहिए क्योंकि इसमें पांच सात बातों की बहुत जरूरत होती है, पहली बात जो बतलाई है वह यह है कि जो बहुत बड़ा अच्छा मकान बनाने का सवाल है, उस मकान को बनाने का एक तरीका बताया। आपने यहां क्या करते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग के चारों तरफ वायर लगा देते है। उस वायर पर मुर्गे मुर्गियां बैठती हैं, उनके शरीर में वायर लगता है और उनके खून आ जाता है और इस कारण कई मुर्गे है मुर्गियां मर जाती है। तो जिस प्रकार का आप मकान बनाते हैं वह मकान वैज्ञानिक दृष्टि से, उपयोगी नहीं है। ऐसे मकान को बनाने से कई बार मुर्गे मुर्गियां को नुकसान होता है। वे कहते हैं कि बहुत बड़े लम्बे एरिया में नीट एन्ड क्लीन मकान होना चाहिये, जिसमें वे डस्ट बाथ ले सकें। काफी तदाद में वहां धुल होनी चाहिए, वह धूल भी रोज साफ होनी चाहिए, उनको नया धान देना चाहिए, अरली मोर्निंग में ही, सूरज उगने के पहले मुर्गे मुर्गियां को साफ किया हुआ धान दिया जाना चाहिए। लेकिन आपके यहां सूरज के उगने के बाद ६, १० बजे लोग चाय पीकर आते हैं, और उनको ६, १० बजे धान डाला जाता है। वे कहते हैं कि मुर्गे मुर्गियां सुबह ही उठते हैं और वे बाग देते हैं। कहावत है कि उस समय वे लोग उठ सकते हैं जो मुर्गे मुर्गियों के साथ

( श्री मूलचन्द डागा )

सोते हैं, उठते बैठते हैं । इसलिए मुर्गे मुर्गिया पालने के लिए मकान बनाने का एक तरीका है, वह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए । वह हो नहीं सकता क्योंकि राजस्थान में आप इन्डस्ट्री के नाम की नकल लेकर चलना चाहते हैं, इतने थोड़े रुपये से यह काम कैसे हो सकता है ? जो लोग इस काम में इन्ट्रेस्टेड हों, उनको सरकार द्वारा मदद देनी चाहिए अन्यथा यह योजना आपकी कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती । आप चार पांच साल के काम को देख लें, इसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है । इसके लिए उन्होंने और भी कई बातें बतलाई हैं । हैबिट के बारे में उन्होंने बताया है कि उस आदमी में जानवरों की बोली बोलने की आदत होनी चाहिए, मुर्गे मुर्गियों की तरह, हूबहू बोल सके (हंसी) ताकि उनकी बातों को समझ सके, उनकी भावना को समझ सके । मगर आप चाहते हैं कि वह मुर्गे मुर्गी की भावना को समझ नहीं सकें ...

**डॉ० बहादुरसिंह** : यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : असम्भव इसलिए है कि आपको शौक नहीं है, आपको जिस बात का शौक है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था और वे इस बात को जानते है । तो आप मुर्गे मुर्गी पालने की जो योजना बनाते हैं, उनका पालन करने वाले को समझना चाहिए कि उनकी क्या एडवाइजेज हैं; उन्होंने कई बातें बतलाई हैं । जिस प्रकार की यह योजना है यह सरकारी आधार पर नहीं होती है, सरकारी आधार पर यह कभी कामयाब नहीं हो सकती । यह एक प्रकार की हॉबी होती है, व्यक्ति विशेष की आदत होती है, जो मुर्गी पालने का शौक रखते हैं, उनको मदद देनी चाहिए अन्यथा सरकार को कामयाबी हासिल नहीं हो सकती ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव भरतपुर जिले में वाहनों की कमी के कारण पशु रोग की चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है । केवल एक जिले का ही नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे देश और पूरे प्रान्त में पशुधन एक बहुत बड़ी आय का और बहुत बड़े समूह का उपयोग का साधन है इसलिए पशुधन की रक्षा करने का कार्य उतना ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य की रक्षा करने का । लेकिन हम देखते हैं कि हमारे राज्य में पशुधन की उपादेयता का यद्यपि हम बहुत अधिक प्रचार करते हैं, लेकिन रोगी होने के उपरान्त उनकी चिकित्सा करने की ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि दिया जाना चाहिए । खास तौर से पिछले दिनों जिस समय भरतपुर जिले में बाढ़ आई उसमें मुझे इस बात का बहुत तजुर्बा हुआ...

**श्री श्रीभानसिंह** : There is no quoram in the House Sir.

**श्री सतीशचन्द अग्रवाल** : Yes S r We are short.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes. Continue please.

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (जारी) : मैं यह कह रहा था कि भरतपुर में इस बाढ़ के दौरान में लगभग सभी गांवों में पशु बीमार हुए.. और वह बीमारी भी केवल एक दो दिन रही हो यह नहीं, मेरे ख्याल से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वह बीमारी चलती रही। उस समय पर वहां जाकर देखने और वहां के लोगों से मिलने पर यह शिकायत सुनने को मिली कि हमारे यहां यह बीमारी फैली और हमने आसपास के, खास-तौर से वेटरनरी हॉस्पीटल कस्बे में है, गांव में शायद ही कहीं हो और बाढ़ इतनी फैली कि कस्बे से गांव तक पानी ही पानी था और उसमें से पैदल, घोड़े पर, या ऊंट से जाना कुछ असम्भव सा हो गया उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि त्वरित गति से चलने वाला वाहन जैसे जीप का साधन हो तो मैं समझता हूँ उसमें से जाना सम्भव रहा होता। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे गांवों में पशु ९० प्रतिशत तक बीमार हो गये। कहीं कहीं १०० प्रतिशत बीमार हुए और उनमें से अधिकांश पशु इसलिए मर गये कि उनके रोग की चिकित्सा समय पर नहीं की गई और चिकित्सा न करने का कारण यह बतलाया गया कि वहां पर डॉक्टर नहीं जा सका। साधारण स्थिति के लिए डॉक्टर वैसे हर तहसील के लिए वेटरनरी हॉस्पीटल्स में रखे गये हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पशु बीमार पड़े तो आवश्यकता इस बात की थी कि वहां पर अधिक से अधिक डॉक्टर भेजे जायं और डॉक्टर भी वहां जाकर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि डॉक्टर के पास काफी मात्रा में दवा न हो। डॉक्टर के पास थोड़ी बहुत दवा होती है, वह समाप्त हो जाती है तो जल्दी से और दवा लेने के लिए मुख्य चिकित्सालय को जाय फिर उसे गांवों में ले जाये, इस प्रकार का साधन नहीं होता। इसका परिणाम यह हुआ, मुझे मालूम है, और निश्चित रूप से सरकार से, निवेदन करना चाहूँगा कि वे चाहें तो भरतपुर जिले के पशुओं की सेन्सेज करालें, वहां के ७०-८० प्रतिशत पशु इस बीमारी से मर चुके हैं। गांव के गांव के अन्दर दुधारू पशु नहीं बचे हैं। मनुष्य भी बीमार पड़े तो उनको पीने के लिए दूध नहीं मिल सका। बैल मर गये और किसानों को जरूरत हुई, जब रबी अभियान आपका चलने को था, उनके पास बैल नहीं थे, रोग के कारण बैल मर गये और उस रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर नहीं पहुंच सके। इसका एक परिणाम पशु-धन का विनाश हुआ, लोगों को दूध नहीं मिला और दूसरा परिणाम यह हुआ कि इतने पशु मरे कि उन पशुओं को उठाने वाले नहीं थे जिसके कारण से दुर्गन्ध फैली और बीमारी बढ़ी, लोग भी बीमार पड़े। वहां के लोग इस बात से आज भी दुःख अनुभव करते हैं कि यदि हमारे यहां पर डॉक्टर पूरी संख्या में होते, दवा पर्याप्त होती और डॉक्टरों के पास सवारी पर्याप्त मात्रा में होती, आने-जाने के साधन पूरे होते तो उनकी ५००), ६००) की भैंसें नहीं मरतीं, हज़ार, बारह सौ रुपये के बैल नहीं मरते और आज जो दुर्दशा हुई है वह नहीं होती। मैं समझता हूँ कि यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक जिले में या कस्बे में पशु चिकित्सालय हों जो उन गांवों के करीब करीब हों, केवल कस्बों में ही वे चिकित्सालय न हों, दस दस कोस के दूर पर हों, डॉक्टरों के लिए उचित साधनों की व्यवस्था सरकार करे। ब्लॉकस में चिकित्सक रखे हुए हैं लेकिन उनके पास दवाई पर्याप्त नहीं है, आने-जाने के लिए वाहन नहीं हैं। जो लोग कस्बों में रहते हैं, उनके पास कुछ न

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

कुछ पशु रहते ही हैं उनकी चिकित्सा होना जरूरी है। लेकिन चिकित्सालय से दूर दस दस कोस पर गांव हैं, पशु बीमार हो जाते हैं तो साधारणतया वैसे वे लोग लेकर चिकित्सालय में आते हैं डीग कस्बे के चिकित्सालयों में तीन, तीन सौ चार, चार सौ पशु रहते थे, डॉक्टरों को फुरसत नहीं रहती थी कि वे उनको छोड़ कर कहीं जा सकें, यदि उनको फुरसत भी हो जाय तो उनके पास साधनों की कमी है जिससे कि वे दूर दूर तक चिकित्सा के लिए जा सकें। हर दृष्टि से यह आवश्यक है कि पशु चिकित्सालय हों तो वहां पशुओं की संख्या बढ़ेगी, उनके पास काफी मात्रा में दवा-दारू हो, इन्जेक्शन की जरूरत हो तो इन्जेक्शन लें। डॉक्टर कभी कभी पशु लेकर आने वालों से कहते हैं कि इन्जेक्शन चाहिये, गांव वाले दूर होने से भी कहां से इन्जेक्शन लावें, इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। वाहन की आवश्यकता को पूरा करना चाहिये जिससे कि जल्दी से जल्दी जाकर चिकित्सा की जा सके। मैं समझता हूं कि बाढ़ से जो दुर्दशा भरतपुर जिले में हुई उससे सरकार को सबक लेना चाहिये और उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। खास तौर पर वाहन की संख्या बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑनरेबल मिनिस्टर।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मन्त्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर इस सदन के करीब ८, १० माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सात ने कट मोशन्स सदन में प्रस्तुत किये और जो कटौती प्रस्ताव थे उनके बारे में सबने अपनी अपनी बातें कहीं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा और इस बात पर जोर दिया कि हमारी पोल्ट्री की स्कीम एक तो लेट शुरू हुई, दूसरा उसमें खर्चा कम हुआ और जो कुछ स्कीम चल रही है, फार्म्स चल रहे हैं उनमें और सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के होते हुए भी यह स्कीम देर से चालू की जा सकी। इसका कारण यह था कि पहले यह विभाग, जो पशु चिकित्सा विभाग है, डाइरेक्टर, एनीमल हस्बेन्डरी का विभाग है, यह अलग नहीं था, कृषि का ही एक विभाग था जो डिप्टी डाइरेक्टर के द्वारा डील किया जा रहा था। कृषि की भी ज्यादा स्कीम्स थी और एनिमल हस्बेन्डरी की भी ज्यादा स्कीम्स थी। शुरू शुरू छोटी स्कीम मान कर उन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया जा सका और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे एनीमल हेस्बेन्डरी के सेक्टर में, प्लान में दो वर्ष में खर्चा कम हुआ और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट विभाग की स्थापना की ताकि उनकी स्कीम्स पर पूरा ध्यान दिया जा सके और उनकी मदों में जो प्रोविजन्स हैं उनका ठीक उपयोग किया जा सके। इसी इरादे से एक नया डाइरेक्टोरेट कायम किया गया है। इस विभाग के नये डाइरेक्टर काफी अच्छे जानकार हैं इस क्षेत्र में। उन्हें डाइरेक्टर के पद पर इस विभाग में लाया गया है। उन्होंने जब से काम सम्हाला है, करीब करीब जो स्कीम्स चालू थीं उनको ठीक किया, जो नहीं चालू हो सकी थीं उनको चालू करने का प्रयत्न किया। पोल्ट्री की स्कीम पिछले साल सेन्क्शन हुई और सेन्क्शन होने के पहले जो फार्म्स चालू थे उनकी हालत अच्छी नहीं थी, उनको सुचारू रूप से संगठित किया गया। यह

( श्री नाथूराम मिर्धा )

प्रयत्न किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा अन्डे उत्पादन करके लोगों को एक्सटेन्शन सर्विस के जरिये दिये जांय। इस इरादे से इन फार्मों को ठीक ढंग से चलाने का प्रयत्न किया गया है। जो एग्ज़िस्टिंग फार्म्स हैं वे अच्छे हालत में नहीं थे। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं कि फार्म्स में जो जानवर हैं उनकी दशा ठीक नहीं है, उनका सिस्टम अकाउन्ट्स का, मुर्गी देने का जो सिस्टम है उसमें कुछ गलती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी फार्म्स चल रहे हैं उनको हम साइन्टिफिक बेसिस पर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, वे चाहे तीन ही चलें। अच्छे जानवर हों, उनकी कन्डीशन्स अच्छी हों, यह हम चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनको नो लेस नो प्रोफिट पर चलाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि शायद इस पर हम शुरू शुरू में स्टिक न कर पायें। क्योंकि लोगों को इनीशियेटिव देने के लिए शुरू में चाहे घाटा भी उठाना पड़े तो कोई बात नहीं लेकिन इस योजना का प्रचार हो तो यह करना जरूरी है। यह स्टेज़ बाद में आ सकती है जब कि नो लोस नो प्रोफिट पर आ सकते हैं। उसके बाद में वह भी स्टेज़ आ सकती है जब घाटे में तो चलाने का सवाल ही नहीं, उससे प्रोफिट हो तो वह किया जाय क्योंकि वह जायगा तो सरकारी एक्स्चेकर में। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को इन फार्म्स को नहीं चलाना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि शायद वे आज इसका अध्ययन करके आये हैं। उन्होंने कोई इस सम्बन्ध की कितावें पढ़ ली हों या कहीं से नोलेज प्राप्त की हो, उन्होंने कहा कि औरतों को इन फार्म्स पर रखना चाहिये। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह कहां से पढ़ा। मैं अपने आपको तो इसका एक्स्पर्ट मानता नहीं, हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा वह ठीक हो। जो कुछ उन्होंने कहा है वह ध्यान में रखा जावेगा, उस पर गौर किया जायगा, जो फार्म्स के मैनेजर हैं, डाइरेक्टर हैं उनके नोटिस में ये बातें आवेंगी, उन पर जितना गौर किया जा सकता है वह किया जावेगा।

उसके बाद कटौती प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उन्होंने इस पर जोर दिया कि पशुचिकित्सा के लिए वाहन की कमी है। अपोजिशन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि वाहन का दुपरुयोग होता है, पेट्रोल जलाते हैं।

मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टार्गेट हमने रखा है उसके अनुसार कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर पशु - चिकित्सा का इन्तजाम करना चाहते हैं, इसी दिशा में प्रयत्न हो रहा है। कई कई जिलों में सारे तहसील हैडक्वार्टर्स पर हम यह टार्गेट पूरा कर चुके हैं। खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब फ्लड्स आया था, उस समय काफी जानवरों की मृत्यु हो गई और बहुत ज्यादा जानवरों में बीमारी फैल गई थी, यह मैं भी मानता हूं कि जिस समय बाढ़ आयी उस समय उस इलाके में काफी जानवर मरे हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि जानवरों में कई कई इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। सब इलाकों में सब जगह डॉक्टर पहुँच सकें यह मुमकिन नहीं है जितने सीमित साधन हमारे पास हैं, जो सीमित तरीके हैं उनसे सब का उपचार होना मुश्किल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। यह हो नहीं सकता कि ज्यों ही हमें इत्तला मिले हम बिजली के करेन्ट माफिक सब जगह चिकित्सा के साधन सुलभ कर दें। यह सीमित साधनों में नामुमकिन है, न हम इस प्रकार का दावा करते हैं। यह नहीं हो सकता कि सब डिस्पेन्सरियों में जीपों का इन्तजाम हो, बीमार पड़े और तुरन्त सब इलाके में जीप द्वारा घूम जायं यह मुमकिन नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि सब जगह और सब गांवों में एनीमल हस्बेन्डरी का अस्पताल हो, उसके लिये डॉक्टर्स हों। हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जिस किसी इलाके में बीमारी के फैलने का समाचार मिलता है विभाग के डाइरेक्टर के पास या हमारे पास इत्तला आती है हम उस पर तुरन्त एक्शन लेते हैं और उसके लिये इन्तजाम करते हैं चाहे हमें उसके लिये दूसरे इलाकों से भी डॉक्टर बुलाने पड़ें हम बुलाते हैं। रहा सवाल उसमें कामयाबी मिलने का। बीमारी की स्टेजेज होती हैं उनमें सुधार होना साधनों के तुरन्त उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जितनी दिलचस्पी जानवरों की बीमारियों में उन्होंने ली, उससे हम भी किसी प्रकार भी कम दिलचस्पी नहीं रखते। हम भी चाहते हैं कि जानवरों में जो भी बीमारियां हों उनका उपचार जल्दी से जल्दी होना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। क्योंकि हमारे यहां तो यह आमदनी का जरिया है, साधन है इसमें यदि बीमारी की कमी हो तो हमसे ज्यादा खुशी किसको हो सकती है।

नौ जीपों की खरीद के बारे में धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की खरीद के लिये पर्चेजिंग कमेटी का निर्माण भी होना चाहिये पर्चेजिंग कमेटी राजस्थान के लिये बने इसके फेवर में भी बहुत बातें हैं और इसके विपक्ष में भी बहुत सी बातें हैं। इस प्रकार की कमेटी बने या न बने यह तो सरकार विचार करेगी लेकिन विभागीय तौर पर जैसा कि उन्होंने बताया एग्रीकल्चर विभाग में खरीद वगैरह के कोई नियम नहीं हैं यह बहुत गलत बात कही है। खरीद के बारे में सभी जगह नियम मौजूद हैं, एग्रीकल्चर विभाग में, एनीमल हस्बेन्ड्री विभाग में भी। यह हो सकता है कि कई दफा किसी नियम के उल्लंघन करने के इरादे से नहीं बल्कि प्रोसीज़र में जाने से देरी होने का अन्देशा हो और रुपया लेप्स होने का अन्देशा हो उस हालत में कुछ खरीद हो जाती है। मैं आपसे उदाहरण की तौर पर अर्ज करूं, हमको अन्डर ग्राउन्ड वाटर के लिये रिंग खरीदने का था और वह रिंग हिन्दुस्तान में एक ही जगह मिलता था, जिसे सारी जगह के लोग चाहते थे लेकिन उस रिंग को हमने ३।। या ३।।। लाख में खरीदा है। उसके पास अन्य राज्यों की डिमान्ड भी मौजूद थी और वे लोग हमसे ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। अगर हम प्रोसीजर के चक्कर में पड़ जाते तो हम उससे महरूम रह जाते और उसके कारण हमारे राज्य में जो योजना हम चालू करना चाहते थे वह नहीं हो सकती। तो मेरा यह निवेदन है कि हर जगह, हर विभाग में खरीद वगैरह के नियम हैं और उसी के अनुसार खरीद होती है। ऐसी हालत में यह कहना कि नियम नहीं हैं, गलत है। खास तौर से मेरे विभाग के लिये कहा गया। मैं माननीय सदस्य से कह देना

( श्री नाथूराम मिर्धा )

चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें पर्चेजेज़ के बारे में नियम न हो। टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं, कोटेशन्स मांगे जाते हैं उसके लिये मियाद दी जाती है, सब को टेन्डर्स देने का राइट है और जो लोएस्ट प्राइस के टेन्डर्स होते हैं, और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होते हैं उनको लिया जाता है । इसलिए गोलमाल बातें कहना, गोलमाल चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मैं आपसे निवेदन कर दूँ, आपको बीच में डिसटर्ब करने के लिये माफी चाहता हूँ, आपने कहा कि तहसील हैडक्वार्टर तक अस्पतालों की व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन जहां तहसील हैडक्वार्टर पन्द्रह बीस मील दूर हैं, और जिस इलाके की आबादी ज्यादा है जो हमारे समय में तहसील का हैडक्वार्टर था, अब आप उस जगह न खोलकर दूसरी जगह डिस्पेन्सरी खोलते हैं तो ऐसे जगहों के लिए भी कोई व्यवस्था फरमा दें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ( जारी ) आपने जो बात कही उसका संबन्ध इन कट मोशन्स से नहीं है और न मैं इस समय आपकी बात का जवाब देने की पोजिशन में ही हूँ। तुरन्त में, हां या ना कह दूँ ऐसी स्थिति मेरे पास नहीं है, इसलिए मुमकिन नहीं कि आपकी बात का तुरन्त जवाब दे दूं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आपने खरीद-फरोख्त के नियमों में एक्सपशन्स बताये, वे किसके आदेश से होते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : गवर्नमेंट के आदेश से होते हैं उसमें सेक्रेटरी भी है, डिप्टी सेक्रेटरी भी है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट भी कर देता है क्या, या केबिनेट द्वारा होता है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : केबिनेट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है यह तो अलग अलग पॉइन्ट्स और वेल्यूएशन पर डिपेन्ड करता है। आप चाहते हैं कि सारी चीजें नियमों के अन्दर बंधी हुई रह जायं, जिस तरह से एक मशीन चार और चार का जोड़ लगाकर रखती है उसी प्रकार सरकार में भी हो जाय, यह नामुमकिन है। नियमों के पालन में या उसके नहीं पालन करने में, उसके मोटीव्ज़ को, उसकी भावना को देखना चाहिये।

**श्री श्रीभानसिंह** : Are these officers involved in this purchase or they are authorised for this purchase ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसमें जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैंने कहा गवर्नमेंट इसमें इनवोल्ड नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने फरमाया था कि खरीद-फरोख्त जो होती है उसके पीछे अधिकारी इनवोल्ड हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह बात नहीं। ६ जीपें जो खरीदी गई वह डी. जी. एस. डी. से खरीदी गई और वह महेन्द्र एन्ड महेन्द्र कम्पनी से खरीदी गई थीं जिसके डीलर एक ही है। इसके पर्चेज़ का कोई क्वश्चन नहीं था, जनरल बात कही थी।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से वे इन कटौती प्रस्तावों के जरिये जो

Page No.61



( श्री नाथूराम मिर्धा )

बातें ध्यान में लाना चाहते थे और जो लाये हैं, जो खामियां उन्होंने बताई हैं उनको कुछ हद तक मैं स्वयं मानता हूं। जैसे देरी से काम का शुरू होना, काम में उतनी अच्छाई जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं न आना आदि। हम इनको ठीक करना चाहते हैं, स्टेन्डर्ड पर लाना चाहते हैं लोगों को सभी तरह की अधिक सुविधायें देना चाहते हैं पर धन को और दूसरी सारी चीजों की कमी की देखते हुए अभी रफ्तार तेज नहीं हो सकती।

२. म० प०

इसके अलावा यह कहा गया कि जो मुर्गियां अंडों के लिए ले जाते हैं या पालने के लिए ले जाते हैं वे उनकी ही मुर्गा मुसल्लम बना जाते हैं। इसकी तरफ सरकार को ध्यान रखना चाहिये। सरकार की तो सारी जिम्मेदारी है हो, वह तो ध्यान रखती ही है। सरकार का इरादा स्पष्ट ही इस मुर्गों की नस्ल को सुधारने का है और उसकी वृद्धि करने का है और इस इरादे से निश्चित रूप से लिख करके और वादा करके जब कोई मांग कर मुर्गा आदि ले जाते हैं और उसको खा जाते हैं तो इसमें सरकार एक एक मुर्गा के लिए ध्यान रखने की व्यवस्था तो कर नहीं सकती। हां, अगर इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक शिकायत सरकार के सामने लाई जावेगी तो सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही की जावेगी, यह मैं विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं और भी जो सरकार के नोटिस में बातें लावेंगे तो अवश्य कानूनी कार्यवाही और सख्ती से काम किया जावेगा।

**श्री आबिद अली** : मुर्गों की बात थोड़े ही है, अंडे क्यों देती है यह सरकार!

( हंसी )

**श्री नाथूराम मिर्धा** : लोग यह अंडे ले जाते हैं, इसलिये कि वे अपनी मुर्गियों से सिकवा कर बच्चे निकालेंगे।

हमारे पास उस समय इन्केबियेटर्स नहीं थे। अब आ गये हैं तो हम नहीं देते हैं पर कई बार आदमी आते हैं और कहते हैं ये अंडे लाल मुर्गी के हैं आप हमें दे दीजिए हम अपने मुर्गियों के द्वारा सिकवायेंगे तो उनको इसी मंशा से देते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : माननीय सदस्य कुछ अंडे ले गए थे क्या ?

( हंसी )

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार अंडे नहीं देती है, सरकार अंडे देने का आदेश देती है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सभी आदमी ले जाते हैं कहकर तो यही ले जाते हैं कि अंडे सेकेंगे और इससे अच्छे बच्चे होंगे, नस्ल सुधरेगी पर यह कहकर भी बहुत से आदमी दुनिया में हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता, जो अनैतिक काम करते हैं, इस तरह से खा जाने करने का। उनको अगर हमारे नोटिस में लावेंगे तो उनके साथ जो सुलूक करना चाहिए वह बराबर किया जावेगा, इसमें मेरी तरफ से कोई एक्सेप्शन करने की बात नहीं है।

तो जो जो बातें कही गईं उनका मैंने संक्षेप में उत्तर दिया है। अब मैं आशा करता हूं कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और इस मांग को पास करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण मांगों में हिस्सा लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी।

**श्री पी० के० चौधरी :** I may be permitted to withdraw my cut motion

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि श्री पी० के चौधरी ने जो कटौती प्रस्ताव इस पर रखा है उसे वापिस लेने की उनको इजाज़त दी जाय।

( स्वीकृत )

प्रस्ताव वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my cut motion no. 36

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। दो मिनट में ही।

**श्री उपाध्यक्ष :** Yes.

**श्री भैरोंसिंह :** माननीय कृषि मंत्री जी ने...

**श्री पी० के० चौधरी :** It is becoming an exception for him and other members are not allowed this privilege.

**श्री उपाध्यक्ष :** I would be cautious so far as the cut motions are concerned.

**श्री श्रीभानसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हाउस में प्रेजेन्ट नहीं थे जिस वक्त जवाब दिया जा रहा था और अब आपने व्यवस्था दे दी। जब जरूरत पड़े तो बाई वे ऑफ क्वेश्चन वे पूछ सकते हैं। पर वह राइट ऑफ रिप्लाई तो नहीं हो सकता।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** यह भी मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि वास्तव में जब मैं जवाब दे रहा था तब तो वे हाउस में मौजूद नहीं थे अब कहीं से ढूंढ-ढांढ कर एक किताब लाए हैं। अब उसे सदन में पढ़कर पेश करना चाहते हैं। मैं स्वयं इस बात को मन्जूर करता हूं कि उनको जवाब देने का राइट नहीं है पर जब वे बोलेंगे तो मुझे और कहना पड़ेगा।

**श्री भैरोंसिंह :** आपने जो भाषण दिया है वह मैंने अक्षर बा अक्षर सुना है। यह जरूर है कि हाउस में बैठकर नहीं सुना पर बिजनिस एडवाइज़री कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें बैठकर पूरा भाषण उनका सुना है।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं इसको मतदान पर रखता हूं।

**श्री भैरोंसिंह :** एक थोड़ी सी बात कहदूं। अधिक समय नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में खरीद-फरोख्त की गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं और नहीं कहकर पब्लिक अकौउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट ही प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि आपके यहां भी कितने घोटाले हुए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** और भी दूसरे तरीके हैं इनको बतलाने के।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** हम मशीन नहीं हैं, हो सकता है। यह मैंने....

**श्री उपाध्यक्ष :** ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़!! प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव इस मांग संख्या ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत

( श्री उपाध्यक्ष )

किया है, वह स्वीकार किया जावे।

( अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

डॉ० बहादुरसिंह।

**डॉ० बहादुरसिंह :** मुझे अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जावे।

आज्ञा प्रदान की गई।

**डॉ० बहादुरसिंह :** मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ३६ को वापिस लेता हूँ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** माननीय मन्त्री जी ने व्यवस्था करने का संकेत तो कर दिया है, इस आश्वासन से मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की उन्हें अनुमति प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

( विराम )

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** मैं अपना कटौती (नं० ४०) प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री लच्छूराम।

( अनुपस्थित )

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लच्छूराम ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

( अस्वीकृत )

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

श्री मूलचन्द डागा।

**श्री मूलचन्द डागा :** I beg leave of the House to withdraw my Cut Motions no 45.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

( विराम )

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पर जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने रखा

( श्री उपाध्यक्ष )

है उसे वापिस लेने की अनुमति उनको प्रदान की जावे।

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान की गई।

( विराम )

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** मैं अपना कटौती प्रस्ताव नं० ४६ वापिस लेता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५१ मुख्य शीर्षक ४१ पशु चिकित्सा को स्वीकार किया जावे?

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

( विराम )

**मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग एवं प्रदाय**

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** (उप उद्योग एवं प्रदाय मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में एक हजार रुपये की प्रतीक मांग पेश करता हूं।

यह मांग इस सिलसिले में है कि विक्रयागारों के लिए हाथ कर्घा वस्त्र की खरीद के लिए २ लाख रुपयों के अतिरिक्त व्यय देने के लिए अपेक्षित यह १००० रुपया की प्रतीक मांग स्वीकार की जावे। जिस वक्त कि यह योजना बनाई गई थी तो मूल अनुमान उस वक्त जो था उसमें इसका प्रावधान नहीं आया था और उसमें निजी निक्षेप यानि पर्सनल डिपोजिट अकोउन्ट से यह काम चलाने का प्रस्ताव था। पर यह ठीक तरह से कार्यान्वित न हो सका। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि यह रकम रीएप्रोप्रियेशन से मीट कर दी जावेगी। इसलिये यह एक हजार रुपये की प्रतीक मांग पेश की गई है और इसमें कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड से यह दो लाख रुपया जो लिया गया है उस फन्ड में यह रुपया वापिस लिये जाने के सिलसिले में यह प्रावधान किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे :–**

(४७) 'कि मांग सं०५२ मुख्य शीर्षक४३ उद्योग एवं प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय। विभिन्न हैंडलूम डिपोज़ के कार्य पर विचार करने के लिए)'

**डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे :–**

(४८) 'कि मांग सं०५२ मुख्य शीर्षक४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जावे (हाथ कर्घा बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था पर विचार करने हेतु)'

(४९) 'कि मांग सं०५२ मुख्य शीर्षक४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती,

# Page No.65



( श्री उपाध्यक्ष

की जावे ( हाथ कर्घा उद्योग की बृद्धि में असफलता पर विचार करने हेतु ),

(५०) 'कि मांग सं० ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जावे ( स्वदेशी कॉटन मिल, कानपुर को दिये गये कर्जे पर विचार करने के लिए )'

**श्री मूलचन्द डागा : प्रस्ताव करेंगे :—**

५२ 'कि मांग सं० ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जावे ( सरकारी सेल्स डिपो की व्यवस्था पर विचार करने हेतु )'

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जगदीशप्रसाद माथुर

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा कटौती प्रस्ताव इस पर इस तरह है कि मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में जो एक हजार रुपया मांगा गया है उसमें एक रुपए की कटौती कर दी जावे विभिन्न हैण्डलूम डिपोज के कार्यक्रम पर विचार करने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान सरकार की इस प्रकार की नीति है कि, जितने भी हैण्डलूम्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया जावे। जहां तक इस हैण्डलूम उद्योग को प्रोत्साहन देने का सवाल है वहां तक मैं सहमत हूं। पर जिस रूप में आज उसको प्रोत्साहन दिया जाता है और उसके कारण जो असर हैण्डलूम्स पर पड़ रहा है, और जिसके कारण आज उसके प्रति लोगों की श्रद्धा और और विश्वास उठता जा रहा है, उसका जिक्र करूंगा। राजस्थान सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए जितने भी स्वयं की ओर से केन्द्र खोले हैं उन सब पर करीब करीब हैण्डलूम के डिपोज़ भी खोले हैं। इसके साथ ही दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी शायद मेरे ख्याल से डिविजनल स्टोर्स हैं, इन सब स्थानों पर एम्पोरियम भी खोले हैं।

अब जहाँ तक हम हैंडलूम के बारे में देखते हैं तो निजी रूप में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग निजी रूप से केवल हैंडलूम को ही बेचते हैं। ऐसी दुकानों पर जहां पर भी जाने का अवसर मिला है और जब भी उनसे पूछा है तो वह कहते है कि हम तो बड़े आराम से धंधा करते हैं। उनके कहने का मतलब यह हैं कि उनका धंधा बड़े घाटे में चलता है ....

२. ११ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

राज्य सकार की ओर से जगह जगह इसके लिए एम्पोरियम हैं और काफी प्रोत्साहन राज्य सरकार की ओर से इस हाथ कर्घा उद्योग को दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है इसके बावजूद भी वह लोग घाटे में जाते हैं। हमारी राज्य सरकार की ओर से जहां यह उद्देश्य बताया जाता है कि हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। राज्य सरकार की ओर से जैसा प्रचार किया जाता है और प्रचार के साथ - साथ में हम लोग धंधा करना चाहते हैं और जहाँ तक धंधे का सवाल है वह नहीं होना चाहिए। इसका प्रचार हम इसलिए नहीं करते कि यह सस्ता है बल्कि इसलिए कि इससे आदमियों को रोज़गार भी मिलता है। लेकिन यह चीज जंचती नहीं है। जहां राज्य सरकार के डिपोज़ हैं वे घाटे में चलते हैं और घाटे में इसलिए नहीं चलते की हैंडलूम का कपड़ा मंहगा है लेकिन

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सरकार की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था दोषपूर्ण है । जितने भी राज्य सरकार के डिपो हैं उन पर हिसाब ठीक नहीं है वहां पर जो स्टाफ रखा जाता है वह इतना भारी रखा जाता है कि उसको प्रचार के नाते कहें वह स्टाफ इतना भारी होता है कि कपड़ा बिकने के बाद जो मुनाफा होता है तब भी यह धंधा घाटे में जाता है । राज्य सरकार की ओर से समय समय पर हाथ कर्घा सप्ताह मनाया जाता है और उसमें जुलूस निकलते हैं और हैंडलूम की जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें उनका प्रचार किया जाता है लेकिन इतना प्रचार करने के बाद में भी देखने को ऐसा अवसर मिलता है कि उतना कपड़ा राज्य सरकार की डिपोज़ से नहीं बिकता जितना कि दूसरों की दुकानों से बिकता है । वैसे एम्पोरियम का नाम है लेकिन वास्तव में सरकार के जितने भी डिपोज़ हैं वहां पर दिखावा ज्यादा है और फरोख्त कम है । वह दिखावा इसलिए ज्यादा है कि जो आदमी डिपो में काम करते हैं उनको रोजगार देना होता है । ऐसा है कि सन् १९५८-५९ में जनलेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें भी ऐसा दिया गया है कि डिपोज का स्टाक वैरीफिकेशन भी नहीं होता है । आज दो लाख रुपये का माल सप्लाई करने का प्रोविजन किया है लेकिन यहां तक इन डिपोज की शिकायत है कि फिजिकल वैरीफिकेशन तक नहीं होता है । न कोई इसके लिए अकॉउन्टेट है । इसलिए ५०-६० हजार रुपये का जहां माल बिकता हो वहां का फिजिकल वैरीफिकेशन नहीं होता है अकॉउन्टस का इसलिए जहां हम प्रचार करते है कि हैंडलूम का प्रयोग करें लेकिन राज्य सरकार को उसके उपयोग को स्थापित करना चाहिये कि यह चीज सस्ती है । लेकिन जहां तक खादी का सवाल है वहां पर एक विचारधारा का सवाल आता है । किसी भी विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए खादी घाटे में भी बेची जा सकती है लेकिन जहां हम हैंडलूम को देखते हैं तो वहाँ रोजगार की दृष्टि से उसे देखना होता है और रोजगार की दृष्टि से वह सस्ता है । खादी तो आज राजनैतिक हथियार के रूप में चलती है और जहां तक हैंडलूम का सवाल है वह देश के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार देता है , सरकार केवल अपनी ही बातों के बल पर इस उद्योग को टिकाये हुए हैं तो किसी भी व्यक्ति का इस हैंडलूम के उद्योग की ओर झुकाव नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति हैंडलूम की ओर जाने की इच्छा नहीं करेगा । जितने भी डिपोज हैं उनसे कोई प्रचार नहीं होता और मेरे विचार में उन्हें बन्द कर देना चाहिए । सरकार की ओर से कोई भी डिपोज नहीं होने चाहिए ! बल्कि जो प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने अपना हैंडलूम बना रखा है और वे बाजारों में कपड़ा लाते हैं उनके बारे में है सरकार एक चीज कर सकती है कि जितने भी हैंडलूम के बुनने वाले बुनकर हैं उनको जितनी रियायत दे उतना ही अच्छा हैं, जितना उनको उनके धंधे के लिए ऋण दिया जा सकता है उतना दिया जाना चाहिए, अगर व्यक्तिगत रूप में कोई इसमें रूचि रखे तो उसको रियायत दी जानी चाहिए । अगर बुनकरों को रियायत दी गई और उनके द्वारा जहां उद्योग स्थापित किया गया, तो वहां पर लाभ अवश्य होगा । और जहां सरकार ने उसे बेचने का प्रोविजन किया तो सरकार हमारी घाटे में जायेगी । तो केवल इसकी बिक्री करने से हैंडलूम का विकास नहीं होता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हैंडलूम के जितने भी सर-

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

कारी डिपोज हैं उनको बंद कर देना चाहिए। यदि प्रदर्शिनी के रूप में रखना है तो इसके लिए कलेक्टोरेट में इस प्रकार का विभाग रख देना चाहिए कि प्रत्येक जिले के अन्दर जो प्रांत भर की विशेषता की चीजें हैं उनकी प्रदर्शिनी हो जाये। लेकिन हमारी सरकार की ओर से खरीदने और बेचने का जो धंधा होता हैं उसमें घाटा होता है और उसमें कुछ रोजगार लोगों को जरूर मिल जाता है। अतः मैं अपनी कटौती की मांग रखते हुए जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस प्रकार मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं अपने सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ ही पेश करता हूं। माननीय सभापतिजी, इस समय सवाल हाथ कर्घा उद्योग के बारे में है। आजकल राजस्थान के अन्दर हाथ कर्घा उद्योग का सप्ताह भी मनाया जा रहा है लेकिन वास्तव में इस उद्योग को कहां तक सफलता मिली है यह देखने की बात है। सभापति जी, आप मुझे क्षमा करेंगे आप देखेंगे कि हाथ कर्घा उद्योग के अन्दर जितने भी कर्मचारी हैं वे भी इसका प्रयोग नहीं करते। आप इन कर्मचारियों को फर्स्ट क्लास लाल इमली या धारीवाल के सूट में देखेंगे....

**श्री सभापति** : There is no quoram I suppose

( गणपूरक घंटी के पश्चात् )

(कुछ माननीय सदस्यों ने सदन के प्रागण में प्रवेश किया)

yes please Continue

**डॉ० बहादुरसिंह** : (जारी) तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हाथ कर्घा उद्योग को पनपाना चाहते है और वह भी पनपाना चाहते हैं बहुत बड़े अधिकारियों की फौज से और वह भी उस फौज से जिनकी रुचि इस ओर नहीं है। शायद इस समय जो यहां प्रदर्शिनी लगी हुई है तो मुझे देखकर यह ताज्जुब हुआ कि बहुत से अधिकारी ऐसे थे जो स्वयं इसका प्रयोग नहीं किए हुए थे। हां हो सकता है कि उनके घरों में पर्दे अच्छे होंगे, या कुछ ऐसा ही समान इस्तेमाल कर लें लेकिन उसूलन तो शायद ही कोई हाथ कर्घा वस्त्र प्रयोग करता होगा। जहां तक उनकी योग्यता का संबंध है वह तो शायद ही एक नाममात्र का है। जो शायद यह नहीं जानते कि हमारे मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री कौन है। वहां एक अधिकारी जब भाषण देने खड़े होते हैं तो वे अपने भाषण में वित्त मंत्री को मुख्य मंत्री बताते है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस प्रकार के लोगों के द्वारा किस प्रकार से इन उद्योगों का भला करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम किन क्षेत्रों में कहां-कहां इसे पनपा सकते हैं। इसके लिए मैं सरकार का ध्यान धौलपुर और भरतपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। इस समय धौलपुर और भरतपुर के अन्दर हाथ कर्घा उद्योग को पनपाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसके लिए क्षेत्र ही नहीं बल्कि वहां इसके खपत के भी बहुत साधन हैं। जिस समय धौलपुर के अन्दर एग्जीबीशन लगती है तो उस समय आसपास के लोग काफी तादाद में हाथ का बुना हुआ कपड़ा बेचने के लिए आते हैं लेकिन राज्य की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको किसी प्रकार की कोई सहूलियत दी जाये।

( डॉ० बहादुरसिंह )

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस वक्त भी इस प्रकार के उद्योगों को लावें या बढ़ावा देने का प्रयत्न करें तो हमें इस प्रकार के कार्यकर्ता लाने चाहिए जो कि इसके अन्दर वास्तव में रुचि रखें। आज राजस्थान के अन्दर खादी बराबर बढ़ रही है, लेकिन वह बढ़ रही है उन्ही कार्यकर्ताओं की बदौलत और न कि अफसरों की फौज से इसलिए इस बात में जो उद्योगों के अन्दर कार्य करें वे कार्यकर्ता टाइप के लोग हों न कि सर्विस क्लास की दिमाग के लोग हों।

इसके बाद में सरकार का ध्यान थोड़ा इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कर्जा देने की नीति गलत तरीके की है। अभी पिछले दिनों स्वदेशी काटन मिल के बारे में वाद-विवाद हुआ था कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को कर्जा दे दिया जो न तो विश्वासनीय था और न विश्वसानीय कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति का स्वदेशी काटन मिल है उस स्वदेशी काटन मिल की भी एक लम्बी कहानी है, और उस लम्बी कहानी पर अगर हम विचार करें तो १९४६ के अन्दर उस व्यक्ति ने जो जयपुरिया ब्रदर्स के नाम से है। स्वदेशी काटन मिल खरीदी। वह मिल जो खरीदी वह हॉरमैन्स एक इन्गलिश कम्पनी से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपयों में खरीदी थी। हॉरमैन्स यह जनता था जयपुरिया ब्रदर्स सबसे ज्यादा नादे हिन्दा व्यक्ति है। उन्होंने उनको न देकर रायबहादुर रामेश्वरदयाल बागला जिनका कि एक मिल लक्ष्मी काटन मिल के नाम से है उनको खरीदने के लिए कहां तब हारमैन्स का नहीं मालूम हो सका कि किस व्यक्ति को कम्पनी बेचने को जा रही है। उन्होंने इस प्रकार से खरीद लिया लेकिन जयपुरिया ब्रदर्स अपनी आदत के अनुसार कार्य करते थे। उन्होंने राय बहादुर रामेश्वर दयाल बागला को धोखा देकर साराभाई भाटिया के साथ उसको पार्टनर बनाकर, १५ लाख में उस व्यक्ति को शामिल किया था। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा किस प्रकार का कर्जा देने का तरीका है। कितने अविश्वासनीय व्यक्ति को लाखों रुपये इस प्रकार से दे देते है। जिस वक्त ईश्वर की विशेष निगाह सारा-भाई के ऊपर नहीं रही तो उस व्यक्ति का सट्टे के अन्दर दिवाला निकलता है और इस दिवाला निकलने के कारण उसको यह धोखा दे देता है और १५ लाख रुपये उसके इस तरह से गोल-माल कर देता है। माननीय सभापति महोदय, साराभाई ने जब यह देखा कि उसकी स्थिति हर प्रकार से बिगड़ गई। सट्टे में अहमदाबाद में नुकसान हुआ और १५ लाख रुपया स्वदेशी काटन मिल के अन्दर नुकसान हो गया। उस व्यक्ति ने कस्तूरभाई लालभाई की सहायता से सितलवाड़ एडवोकेट जनरल जो कि भारत के हैं, उनकी मार्फत इलाहबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जिसने कि दो-दो व्यक्तियों को धोखा दे रखा है उस व्यक्ति को कर्जा देते हैं और कर्जा देने का कुछ तरीका अजीब है। वह क्या है कि तीस लाख रुपया देना चाहते हैं तो वह देवस्थान फण्ड से। एक दफा आप यह डिसीजन ले लेते हैं कि देवस्थान फण्ड से रुपया नही देगें, क्योंकि देवस्थान फण्ड का राजस्थान सरकार एक ट्रस्टी है मालिक नहीं है, बल्कि एक प्रकार से अमानत रखी है। उस प्रकार की वह रकम है। तो इस प्रकार से जब अफवाह फैलती है वह डिग्री इलाहबाद और कानपुर

( डॉ० बहादुरसिंह )

हाई कोर्ट में चल रही तो बैंक ने सारा अकौ-उन्ट स्वदेशी काटन मिल का क्लोज कर दिया है और सारे पैसों का पेमेन्ट करने के लिए कहते हैं। किसो प्रकार से डिग्री नहीं हुई थी उस वक्त लेकिन सारी पोजीशन को बतलाकर उस वक्त की पोजीशन को रखें। लेकिन जो रुपया, हम ३० लाख का स्वीकार करते हैं उसकी एक बहु विचित्र स्थिति है। एक रैनी वाला था उसने राजस्थान सरकार से निवेदन किया था कि १५००० स्पिन्डल्स पर १० लाख रुपया कर्ज दे दिया जाय लेकिन उसको १० लाख रुपये स्वीकार नहीं किये गये और उनके साथ यह शर्त लगा दी गई कि १० हजार उदयपुर में लगाये जायं और ५००० स्पिन्डल्स जयपुर में लगाये जायं। उनके पास में इम्पोर्ट पर्मिट था लेकिन स्वदेशी काटन मिल के पास में कोई पर्मिट नहीं था। उस स्वदेशी काटन मिल के पास पर्मिट नहीं था तो रैनोवाल के पास जो पर्मिट था उसके लिए उसको फोर्स किया गया कि स्वदेशी काटन मिल को वह पर्मिट ट्रान्सफर करें और उसको ३० लाख रुपया दिया गया। उस पर फाइनेन्स सेक्रेटरी एतराज पेश करते हैं कि रुपया नहीं दिया जाय उसके कारण कुछ बताये थे। जो कारण सबसे बड़े विशेष ध्यान देने के हैं। एक तो यह है कि प्लानिंग कमीशन से इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। दूसरी बात केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई। अगर हम केन्द्रीय सरकार से पर्मिट लेते तो जयपुरिया ब्रदर्स और उनके स्वदेशी काटन मिल्स का एक नग्न चित्र हमारे सामने आता। वह इस प्रकार का था कि इन्होंने केन्द्रीय सरकार से नैनी में एक कारखाना खोलने के लिए २५ लाख का कर्जा लिया वह इस बात के लिए लिया कि एक काटन मिल नैनी में स्थापित करें। उसमें शर्त यह थी की रीहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि उसमें ५० पर्सेन्ट हम रिफ्यूजी रखेंगे। लेकिन आज उसके अन्दर २५०० कारीगर काम करते हैं उस हिसाब से १२५० रिफ्यूजी होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर था और उसने इस शर्त की अवहेलना की केन्द्रीय सरकार की १०० भी वहां मजदूर नहीं हैं शरणार्थी। इस प्रकार से लेबर ट्रिब्युनल में करीब दो सौ ढाई सौ केसेज हैं। इस प्रकार से गड़बड़ करने के लिए। यह व्यक्ति हैवि-चुअल है। उसको अगर प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार के सामने लाया जाता है तो निश्चय ही हमारे सामने वह चित्र आ जाता। लेकिन फाइनेन्स सेक्रेटरी ने साथ में यह लिखा कि हम उसको रुपया देवस्थान विभाग से देना चाहते हैं लेकिन हमें देने का अधिकार नहीं है। उसको एग्जेम्प्ट किया कि हम देवस्थान से दे सकते हैं। अगर कन्सोलिडिटेड फण्ड से देते तो निश्चय ही प्लानिंग कमीशन की पर्मिशन लेनी पड़ती। इसके साथ फाइनेन्स सेक्रेटरी ने यह भी एतराज किया कि जो रुपया हम कर्ज दे रहे हैं उस कर्ज के लिए फर्स्ट मोर्गेजी हम होंगे। लेकिन हमने उसको इससे एग्जेम्प्ट किया। अगर हम फर्स्ट मोर्गेजी होते तो एक लाभ यह होता, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात और ला दूं कि फर्स्ट मोर्गेजी होने से स्वदेशी काटन मिल की मशीनरी जो चार्टर्ड बैंक के यहां एक करोड़ रुपये में मोर्गेज है, इस व्यक्ति पर चार्टर्ड बैंक का कर्जा है, इण्डियन फाइनेन्स कॉरपोरेशन का कर्जा है, व राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन का कर्जा

( डॉ० बहादुरसिंह )

है और उसके बाद में हम कर्जा देते हैं और अगर फर्स्ट मोर्गेजी नहीं रहते हैं, तो अगर वह हमें धोखा दे दे, कम्पनी का दिवाला निकल जाय, साराभाई की डिग्री हो जाय और ६५ लाख साराभाई वसूल करे, और उसके बाद में चार्टर्ड बैंक अपना रुपया वसूल करे, फिर इण्डियन फाइनेन्स कारपोरेशन वसूल करे और राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन वसूल करे उसके बाद राजस्थान सरकार के वसूल करने का प्रश्न आता है तब बेलेन्स निल दिखला दे।

इसके साथ ही साथ फाइनेन्स सेक्रेटरी ने यह भी अपना एतराज किया है कि ब्याज जिसके बारे में एक गांव की कहावत है कि किश्त चूके ब्याज यानी उसकी जो किश्त है उस पर ब्याज या पेनल्टी चार्ज की जाय उसको भी हमने एग्जेम्प्ट किया हैं।

एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि १० लाख रैनीवाल मांग रहा था उस वक्त नहीं दिया लेकिन इसको ३० लाख रुपया केवल १५००० स्पिन्डल्स पर स्वीकार करते हैं, और उससे यह वायदा करते हैं कि १५००० स्पिन्डल्स इस वक्त लगाने पड़ेगें और १० हजार स्पिन्डल्स बाद में लगाये। लेकिन मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि टैक्सटाइल ऑर्डर के अनुसार किस प्रकार से टैक्सटाइल कमिश्नर की बगैर स्वीकृति के १०००० स्पिन्डल्स बढ़ा ले, क्योंकि जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमने कोई स्वीकृति नहीं ली तो इस प्रकार से किस तरह से वह इतने अधिक स्पिन्डल्स बढ़ा लेगा। मैं एक और बात की ओर आप को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे एडवोकेट जनरल ने भी इस प्रकार की राय दी थी कि यह यह मामला मूंदड़ा कांड जैसा होगा, एल. आई. सी, का जैसा मामला हुआ था वैसा ही होगा क्योंकि हमारा अधिकार नहीं रहता कि हम उन पर नियंत्रण कर सकें। इसलिये स्वदेशी कोटन मिल जो इस प्रकार का हैबिचुअल ऑफेन्डर है गड़बड़ी करने में, उसको एक स्वदेशी कॉटन मिल पांडीचेरी में भी चलती है उसमें भी घोटाला है। इसके बारे में यदि यदि आप विचार करें तो यह भी शंका होगी। इस प्रकार से हमारे फाइनेन्स सेक्रेटरी की रायकी आपने उपेक्षा की और एडवोकेट जनरल जो हमारा कानूनी सलाहकार है उसकी राय की भी उपेक्षा की और साथ ही ३० लाख रुपये देने की जो शर्त थी, उसके साथ में एक बात और जोड़ दी और वह यह कि ५ लाख रुपये लगाकर इलेक्ट्रिक पॉवर हाउस बनेगा और जब चंबल की बिजली उदयपुर में आयेगी उस समय इसको हम खरीद लेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह शर्त जबर्दस्ती हमने क्यों रखी? इसकी क्या आवश्यकता थी? जब हमारे यहां बिजली आयगी उस समय हम दूसरा बिजली घर लगा सकते हैं, लेकिन हम क्यों इसके लिए ५ लाख रूपये खर्च करें। इस प्रकार की नीति कुछ स्पष्ट नहीं करती। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति एक प्रकार से हैबिच्युअल ऑफेन्डर है। मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसका शायद आपको ध्यान होगा और आपने शायद जुही हत्याकांड के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। उस हत्याकांड में इस शख्स की मोटर, बन्दूक और ड्राइवर गिरफ्तार हुए थे। यह सोचने की बात है कि इस व्यक्ति ने उस गरीब जैन वकील की किस प्रकार से हत्या कराई, यह एक गंभीर बात है लेकिन यह पर्दे के पीछे छिपी है। यह स्पष्ट हो गया है कि जयपुरिया ब्रदर्स की बंदूक थी, उनकी कार थी

( डॉ० बहादुरसिंह )

और उनका ड्राइवर था। माननीय सदस्य समझ गये होंगे कि किस प्रकार का हैबिच्युअल ओफेन्डर है। हम चाहें अपनी रकम को छोटे छोटे उद्योगों में लगावें या हाथ कर्घा उद्योग में लगावें लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। तो मैं चेयरमैन महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप उद्योग के बारे स्पष्ट पॉलिसी रखें क्योंकि राजस्थान को गर्व है कि यहां के उद्योगपति बाहर जाकर अच्छे से अच्छा उद्योग चला रहे हैं और राजस्थान के उद्योगपतियों द्वारा आज पाकिस्तान में भी उद्योग चलाया जाता है। लेकिन हमारे यहां इस प्रकार के भी उद्योगपति हैं, और हमारी उतावलेपन की जो नीति है वह ठीक नहीं है। हम आवश्यकता के अनुसार उद्योग स्थापित कर सकते हैं लेकिन हम जल्दी में जो इस प्रकार से दब कर शर्तें स्वीकार कर लेते हैं वे ठीक नहीं है। यह गलत तरीका है। क्योंकि जब हम किसी को कर्जा दें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये से कर्जा देने वाला व्यक्ति कभी दब कर शर्त नहीं करता वह हमेशा ऊपर की शर्तें करता है। हमने उनको ८ लाख रुपये दे दिये लेकिन हमने यह नहीं देखा कि आया १६ लाख रुपयों की उसकी प्रोपर्टी राजस्थान में है या नहीं, क्योंकि मशीनरी किसी कारण से चार साल के लिये बंद कर दें हाई कोर्ट में जावे या सुप्रीम कोर्ट तक जावे तो मशीनरी बंद पड़ी रहेगी, मशीनरी चलती है तो घिसती है और बंद रहती है तो खराब होती है इसलिये उसकी प्रोपर्टी १६ लाख की यहां होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं हाथ कर्घा उद्योग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं हाथ कर्घा उद्योग के सेल्स सेन्टर स्थापित किये हैं वहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोगों को आकर्षित करने के लिये व्यवस्था रखें और यह देखें कि लोगों की डिमांड क्या हैं, और वे क्या पसंद करते हैं। आज यह देखा गया है कि भारत के बाहर से लोग आते हैं वे भारत की पुरानी डिजाइन्स का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और उनको किस प्रकार से युटेलाइज करना चाहिये, इस बात का ध्यान सेल्स सेन्टर को रखना होगा और उनमें ऐसे कार्यकर्ताओं का समावेश करना चाहिये जो हाथ कर्घा उद्योग के माहिर हों, या उनकी रुचि इस ओर हो और यह समझ कर कार्य करें कि यह हमारा कार्य है और इसे हमें आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

**श्री सभापति** (श्री आबिद अली) : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

**श्री मूलचंद डागा** (पाली): सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है वह मैंने एक सिद्धान्त के आधार पर रखा है। वह एक छोटा सा सिद्धान्त है और काफी टिकाऊ सिद्धान्त है। कौटिल्य ने कहा था कि सरकार कोई ऐसा व्यापार नहीं करे जिसके द्वारा उसे घाटा हो। मैं समझता हूँ आपने यहां पर प्रश्नों के उत्तर में कई बार कहा और आपके विभाग का उत्तर आ चुका है कि इन विक्रय केन्द्रों से नुकसान हुआ है। जितने विक्रय केन्द्र खुले हैं उनका आधार है प्रपोगन्डा या प्रचार का इरादा या मकसद है, उससे आधार पर आपने देखा होगा कि इन सारी दुकानों की जो आपकी आमदनी होती

( श्री मूलचन्द डागा )

है उस आमदनी से यह मालूम होता है कि हमें बराबर घाटा रहा है, तो मैं यह चाहता हूँ कि इन विक्रय केन्द्रों के आधार पर........

**श्री सभापति** : Lack of quorum I suppose

( घण्टी )

**श्री मूलचन्द डागा(बारी)**: तो सरकार की यह नीति है कि जो हाथ कर्घा उद्योग या जो हस्त उद्योग है उसका हम अपनी दुकानों द्वारा प्रचार कराना चाहते हैं। यह नीति मेरी समझ में लाभप्रद चार साल से भी साबित नहीं हुई, यद्यपि इसके लिये अच्छी दुकानें ले रखी हैं, मैंने देखा है कि छोटे-छोटे और बड़े बड़े कस्बों में भी अच्छे मकानात किराये पर लेकर दुकानें खोली है लेकिन इन सरकारी दुकानों में माल की खपत या विक्रय होता है और मैंने एक बात की खूबी यह देखी कि जो बनिया दुकानदार काम कर सकता है वह काम सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता है। मैंने देखा है कि वहां के कर्मचारी मामूली हिसाब करने में भी असफल रहते हैं। गज भर कपड़ा नापना और हिसाब की फैलावट करने के लिए उनको कागज पेन्सिल घिसनी पड़ती है। एक बनिया जबानी हिसाब कर लेता है लेकिन इन दुकानो के कर्मचारियों को देखा है कि कोई २ पैसे ज्यादा लेता है और कोई दो पैसे कम ले लेता है और उसके लिये भी उसको कागज पर पेन्सिल घिसनी पड़ती है और फिर वह जोड़ निकालेगा वह भी खोटी। उसको एक दुकानार की दुकानदारी नहीं करनी है, ८ घंटे पूरे करके पैसे लेने हैं। इसके लिये क्यों सरकार आपत्ति माल लेती है और दूसरों की नकल करती है। दिल्ली में काश्मीर एम्पोरियम खुला है और वहां पर काश्मीर का बना हुआ माल खूब बिकता है ठीक है। वहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं और कोई एक दुशाला खरीद लेता है। शायद राजस्थान के उद्योग विभाग के डाइरेक्टर ने या किसी अन्य अफसर ने वहां देखा होगा और कहा होगा कि हमारे भी एक दुकान होनी चाहिये। यह हो सकता है कि वे चाहते हों कि हमारा महकमा बढ़ना चाहिये,५० आदमी मेरे नीचे काम करें तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन हमें मालूम नहीं कि इसका नतीजा क्या होता है ? हम नकल क्यों करते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह की दुकानें खोलें और नुक्सान उठावें।

हमारे गांवों में हाथ कर्घा उद्योग विशेष रूप से चलता है, शताब्दियों से चलता आ रहा है उनके लिए आपने दुकानें खोलीं, पांच बत्ती और चार रास्ते पर दुकान खोली। और ऐसे मकान में, जिसका ४०० रु० किराया होता है, हाथ कर्घे से बने कपड़े की सेल होती है। गांवों में लोग जाते हैं और इससे मालूम होता है कि सरकार को इससे लाभ नहीं होता है उनके मकान पर से कपड़ा खरीदते हैं मेरे यहां के एक महोदय कपड़ा खरीदने गये, वहां उनके हिसाब में गड़बड़ी हो गई। मुझे मालूम हुआ कि सेल डिपो बनाती है राजस्थान सरकार, वह किन्हीं अन्य सरकारों की नकल कर रही है। इस विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सोचा कि फलां जगह सेल डिपो चलते हैं, अपने यहां भी होने चाहिए। न तो उन्हें दुकानदारो का ज्ञान है, न वह संस्कार है जो बनिये का बेटा संस्कार लेकर आता है। और हमारे अपटूडेट बाबू दुकान करने लग गये। न वह दुकानदार के संस्कार लेकर आया है और न जिस प्रकार कहते हैं अपना धन्धा लेकर आता है जन्म से, यह चीज है। तो इस प्रकार सरकार दुकानदारी करने लग गई, तो वह कब चलेगी। सरकार की दुकान सब की दुकान, तो सब

# Page No.73



( श्री मूलचन्द डागा )

की दुकान घाटे की दुकान है क्योंकि उस आदमी को इन्ट्रेस्ट नहीं है कि इतना माल बिकना चाहिए, माल इस तरह का होना चाहिए। वे केवल मशीन की तरह काम करते हैं, इसलिए आमदनी नहीं होती। जिस आदमी का दिल और दिमाग दुकान में लगता है, तब ही उसे आमदनी होती है। एक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा कि, सेल डिपो में फायदा नहीं होता। मैंने पूछा तो बताया कि ३० रुपये का एक चपरासी रखते हैं, एक क्लर्क भी चाहिए, एक कैशियर भी चाहिए। कैशियर जो है, उसके पास चार ग्राहक पैसा चुकाते हैं केवल उसके पास चार बिल आते हैं। केवल चार बिल के लिए कैशियर साहब वहां बैठे हैं। केवल चार बिल का चुकाना होता है उस सेल डिपो में। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सारा काम एक तरीके से होना चाहिए, और मन्त्री महोदय या इस विभाग सम्बन्धी जो काम करने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए थोड़ा दिमाग को काम में लाना चाहिए कि आखिर इन सेल डिपो से क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। आपने किसी बात को पकड़ लिया है, उसे आप छोड़ना नहीं चाहते। हाथ-कर्घा सप्ताह मनाया जाता है, वह एक मखौल है। कलेक्टर साहब आ गये, एक-आध मोची को पकड़ के ले आते हैं कि जूतों की दुकान खोल लो और पांच दस आदमियों को, बेकार आदमियों को पकड़ लेते हैं, वे क्या काम करेंगे। अगर कोई कहे आपकी दुकान-दारी चल रही है, कैसे चल रही है, तो जवाब मिलेगा घाटे की। वह कहेगा कि बुद्धि का घाटा है, या अक्ल का घाटा है। कहते हैं कि घाटा है। बनिये का बेटा दुकान करे और वह घाटे में चला जाय तो लोग कहेंगे कि, इसमें समझ नहीं है, घाटे में दुकान चलाई। आप बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, लेकिन उस बोर्ड की इज्जत कहां तक है। उस पर लिखा होता है कि खादी का सामान मिलेगा। मेहरबानी करके ऐसी दुकानदारी को बन्द कर दें, इससे इज्जत बन्द होती चली जायगी। नहीं तो अखबारों में निकलेगा कि घाटे का बजट है, उससे खबर लग जायगी। मैं समझता हूं कि प्रचार का एक तरीका है, जो आप एक नई प्रेरणा देना चाहते हैं, एक नई जिन्दगी देना चाहते हैं, उसका जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मैं तो समझता हूं कि मेहर-बानी करके सहज बुद्धि और एक तरीके के आधार पर ऐसी दुकानदारी और सेल डिपो को बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे लाभ नहीं होना है। अगर आपको कपड़ा बेचना है तो किसी दुकानदार को कमीशन पर दे दीजिये। जितना माल बिकना है, वह बिक जायगा। अन्यथा इस प्रकार के प्रोपेगण्डा से कोई लाभ नहीं है।

**श्री पी० के० चौधरी** : I want to speak in support of the cut motions.

**श्री सभापति** : Which cut motions?

**श्री पी० के० चौधरी** : The cut motions of Hon'ble Bahadur Singh and Hon'ble Mool Chand Daga.

**श्री सभापति** : In support of two cut motions ?

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : माननीय बहादुरसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव स्वदेशी काटन मिल को दिये गये लोन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। स्वदेशी काटन मिल्स को लोन

( श्री पी० के० चौधरी )

उदयपुर में मिल खोलने के लिए दिया गया है, वह जिस ढंग से दिया गया है, उसको हम नापसन्द करते हैं। सबसे पहले, सभापति महोदय, यह लोन दिया गया है, यह देवस्थान के फंड से दिया गया है। देवस्थान का जो फंड है, उसके लिये ट्रस्ट है, यानि उसका जो मनी है वह सेकरेड ट्रस्ट, है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, यानि किस ढंग से यूज़ करना चाहिए, इसके लिए ऐसा है कि जो सरकारी फंड है यानि पब्लिक फंड है, उससे भी ज्यादा सावधानी से इसको बरतना चाहिए, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जिस ढंग से यह लोन दिया गया, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि, वह स्केन्डल हैं, उसके लिए आज अखबारों में आता है कि देवस्थान फंड का जिस ढंग से प्रयोग हुआ है, वह दूसरा मूंदड़ा कांड मालूम होता है। सभापति महोदय, इस लोन की जो टर्म थी कि, स्वदेशी काटन मिलने ३० लाख के लोन के लिए, २५ हजार स्पेन्डिल लगाने के लिए मांगा था। उसको स्पेन्डिल का लाइसेन्स नहीं मिला। रानी वाला ब्रादर्स ने १५ हजार स्पेन्डिल खरीद लिये। रानीवाला ब्रदर्स ब्यावर ने ६० लाख रुपया १५ हजार स्पेन्डिल के लिए मांगा था, उसको लोन नहीं दिया। ऐसा मालूम हुआ है कि आपने रानी वाला ब्रादर्स को फोर्स किया कि स्वदेशी काटन मिल्स को स्पेन्डिल बेच दे। इसके अलावा इनको जो लोन दिया गया, उसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शन आया था कि जिन टर्म्स पर इसे लोन दे रहे हैं, उसमें इन्ट्रेस्ट के नॉन पेमेन्ट के लिए एक पेनल्टी क्लॉज होना चाहिए। लेकिन सरकार ने पेनल्टी क्लॉज नहीं रखा। यह जो स्वदेशी काटन मिल्स को इजाज़त दी गई, लोन दिया गया, उस मिल के जो असेट्स हैं, उनके ऊपर फर्स्ट चार्ज नहीं होगा और इस फर्म को आथोराइज्ड किया गया है कि राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन से या किसी दूसरी जगह से लोन और ले सकता है इस काम के लिए एक तरफ तो हम देवस्थान फंड से ३० लाख रुपया दें और उसकी सिक्योरिटी की परवाह नहीं रखें और दूसरी तरफ यह भी कहें कि दूसरी जगह से लोन ले लीजियेगा। राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन से जो लोन मिलेगा, वह लोन रहेगा फर्म के असेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिये कि फर्म लिक्यूडेशन में आ जाती है, उसमें नुकसान होता है तो, सेकिंड लोन देने वाला होगा, वह सबसे पहले इससे लोन को वसूल करेगा न कि जो लोन देवस्थान फंड से दिया गया है वह वसूल होगा। मैं समझता हूं कि ये टर्म्स बहुत गलत हैं। कम से कम देवस्थान फंड के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं देवस्थान फंड को, जो ट्रेजरी फंड्स हैं, जो कन्सोलिडेटेड हैं, उससे ज्यादा सेकरेड समझता हूं। जब तक असेम्बली कानून पास न करे या कुछ और न करें, हम हमेशा उसे गवर्नमेंट के व्यू के अनुसार फस्टचार्ज रखते हैं...

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को जानकारी प्राप्त नहीं है...

**श्री पी० के० चौधरी** : आप क्लेरीफाई कर देंगे।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह सरासर गलत हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : आपका मौका आयेगा।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज़ । आपका मौका आयेगा तो आप जवाब दे दीजियेगा ।

**श्री पी० के० चौधरी :** सभापति महोदय, यह बात सब जानते हैं कि आज जो टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज है, उसमें स्लम चल रहा है । बम्बई या दूसरी जगह जहां तीन शिफ्ट चल रही है वहां वे शिफ्ट बन्द कर रहे हैं । ऐसी हालत में इन्डस्ट्री कायम करते जाते हैं, और उस काम को करने के लिए आप ३० लाख का फर्म को लोन देते हैं, जबकि दूसरी फर्म १० लाख रुपया लेने को तैयार था । रानी वाला ब्रादर्स की १५ हजार स्पिन्डिल के लिए १० लाख रुपया लेने की स्कीम थी आज वहां १५ हजार स्पिन्डल फर्म चला रही है । जब कि सरकार ने ओफर किया था ३० लाख का लोन तो फाइनेन्स ने कहा था कि २५ हजार स्पिन्डल्स के लिए ३० लाख था, तो १५ हजार स्पिन्डल्स के लिये उस प्रपोरशन से दिया जाय, ३० लाख का लोन नहीं देना चाहिये तो गवर्नमेंट ने उसको ओवर रूल कर दिया और ३० लाख का लोन दिया और इसके ऊपर फिर यह रखा कि इससे भी ज्यादा की जरूरत हो तो दूसरी जगह से ले सकता है, ३० लाख देने के बाद भी दूसरी जगह से और लोन लेने का रखा है । तो यह जो टर्म्स हैं वे ठीक नहीं हैं । इससे साफ जाहिर है कि somebody in the authority ऑथोरिटी में या गवर्नमेन्ट में कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई पावर ऐसी है जो चाहती है कि इसको लोन दिया जाय । They are bent upon giving the loan to this firm

**श्री सभापति :** The Hon'ble Member should confine his debate to the item.

**श्री पी० के० चौधरी :** Yes Sir, I am speaking on the item.

**श्री सभापति :** Item as enumerated in the supplementary demand.

**श्री पी० के० चौधरी :** Yes. आइटम पर ही बोल रहा हूं । टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में स्लम्प है, जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज हैं वे ही बन्द हो रही हैं, क्लाथ स्टाक लिफ्ट नहीं होता, इसके बावजूद भी हम लोन देते हैं टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के लिये । आज सदन में सवाल आया था, सवाई माधोपुर सीमेन्ट इन्डस्ट्री को ६० लाख का लोन दिया, एक्सपेन्शन का सवाल था, एग्जिस्टिंग प्लान्ट्स हैं उनसे ४ और ज्यादा बढ़ायेंगे, लोन दिये साल भर भी नहीं हुआ कि उसके दो प्लान्ट्स बन्द हो गये । सवाल यह नहीं कि जिस फैक्ट्री को लोन दे रहे हैं वह एक्सपेन्ड कर रही कि नहीं, सवाल यह है कि वह सारी इन्डस्ट्री हमारे देश में कैसे चल रही है, कैसे एक्सपेन्ड कर रही है ...whether the industry is an expanding industry.

फैक्ट्री एक्सपेन्ड कर रही है या नहीं यह देखना है, देखना यह है कि जिस काम में पैसा दे रहे हैं वह काम कैसा बढ़ रहा है । क्लाथ इन्डस्ट्री एज ए होल... whether the industry is a saturated industry. वह क्या saturation point meet करती है ।

आज कोई प्राइवेट व्यक्ति भी है तो वह ऐसी किसी इन्डस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी एक कम्पनी के शेयर खरीदने में, किसी को लोन देने में हर एक आदमी देखता है कि...whether

( श्री पी० के० चौधरी )

it is and expanding industry. What are the profit of this industry. क्या यह इन्डस्ट्री है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग फर्म्स है वे देश की सप्लाई को मीट करती हैं, कि नहीं, डिमान्ड ज्यादा और सप्लाई कम है। यदि डिमान्ड और सप्लाई एक्चुअली बैलेन्स्ड हैं और डिमान्ड नहीं है तो ऐसी को लोन नहीं देना चाहिये। यह सब बातें हर एक व्यक्ति देखता है।

तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह तो सबसे पहला मैरिट का सवाल आता है। टैक्सटाइल इन्डस्ट्री जिसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने नया लाइसेंस देना बन्द कर दिया है, पुराना मार्केट कॉन्ट्रेक्टिंग है we are defeated by the others in competition.

जहां जापानीज इन्डस्ट्री एक्स्पोन्ड कर रही है, उसके मुकाबिले में यहां की टैक्स्टाइल इन्डस्ट्री है वह चल नहीं रही हैं, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके मुकाबिले में इतनी ऊंची हैं कि लोग इसको खरीद नहीं सकते। तो क्या ३० लाख रुपया ऐसी इन्डस्ट्री को देना चाहिये जिसका फ्यूचर सस्पीशियस है? राजस्थान में तो जो एग्जिस्टिंग टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज हैं वे ही नहीं चल रही हैं बन्द हो रही हैं तो क्या यह प्रूडेन्ट था सरकार के लिये ऐसी इन्डस्ट्री को ३० लाख का लोन देना? इससे अच्छा तो यह होता कि जो ज्यादा एक्स्पोन्डिंग इन्डस्ट्री है उसको लोन दिया जाता।

देवस्थान के फण्ड्स को डिस्पोज करते हैं पर हमें देखना चाहिये कि... whether that investment is not going to be a losing thing.

अपना खुद का पैसा है तो उसके लिये रिस्क ले सकते हैं, पर जो एक सेक्रेड ट्रस्ट है ...where we have to be extra careful.

जब कि सभापति महोदय, केबिनेट का डिसीजन है कि देवस्थान के जो फण्ड्स हैं उनको एक्सेप्ट गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी के किसी को नहीं दिया जायगा, किसी जगह इन्वेस्टमेन्ट नहीं होना चाहिये....except Government securities.

पर ऐसा केबिनेट डिसीजन होते हुए भी हम देखते हैं कि ३० लाख का लोन देवस्थान फन्ड्स में से दिया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि दूसरी जगह से भी लोन ले सकता है। ऐसी जानकारी मिली है कि जिसको यह लोन दिया गया है, उसकी सारी प्रोपर्टी प्लेज्ड है टू सम अदर बैंक और सम अदर पार्टी, दूसरी जगह से भी लोन लिया हुआ है, लाखों रुपये का दूसरी जगह लोन लिया हुआ है, मौजूदा एसेट्स हैं.... they are already pledged.

ऐसी हालत में देवस्थान की सेक्रेड ट्रस्ट का मनी है उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना कहां तक वाजिब है। इसलिये मैं इसको सख्त क्रिटिसाइज करता हूं, सख्त नाराजगी प्रकट करता हूँ और कहता हूं कि it is a waste of the money and a unnecessary risk.

कोई भी स्पेक्युलेटर भी ऐसा इन्वेस्टमेन्ट नहीं करता, वह भी देखता है कि कैसी फर्म है, कैसी इन्डस्ट्री है, इसका फ्यूचर कैसा है, इसके लिये मार्केट कैसा है। तो एक डाइंग इन्डस्ट्री में गवर्नमेन्ट ने जो ३० लाख का लोन दिया है, इसको हम नहीं मान सकते

( श्री पी० के चौधरी )

कि यह प्रूडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट है.... but that Government was intent upon, bent upon giving that loan to the party.

इसके सिवाय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो भी लोन सैंक्शन होता है तो उस लोन का होल अमाउन्ट एक दम दे दिया जाता है। पर यह जो ३० लाख रुपया का लोन मंजूर हुआ है, इसमें उसको कहा गया कि इन्स्टॉलमेन्टस से ले सकते हो इसका मतलब हुआ कि....we have to reserve the amount for them. We cannot invest it in the Government securities even.

यह भी फाइनेन्शियल क्लॉज है जिसको लोन दिया जाता है तो पूरा का पूरा पैसा उठा लेना चाहिए, और उसका इन्ट्रेस्ट होता है तो उसको बेअर करना चाहिए, पर इस कम्पनी को कहा कि इन्स्टॉलमेंट्स से लोन ले सकती है, ८ लाख अभी दे दिया।

**श्री सभापति :** Honourable Member please...डिमान्ड आपके सामने है, अन्डर लाइंग प्रिन्सिपल है वह मिनिस्टर ने बता दिया है, उसी पर बोलिए, पॉलिसी पर नहीं।

**श्री पी० के० चौधरी :** मैं तो कट मोशन के लिए कह रहा हूँ...

There is a cut motion on loan to Swadeshi Cotton Mills.

मैं तो यह कह रहा हूं कि यह जो लोन दिया गया गलत है, इस तरह नहीं दिया जाना चाहिए था, लोन किस कन्डिशन में देना चाहिए, किसी को लोन देते वक्त सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लोन जो दिया जा रहा है उसकी सिक्योरिटी है कि नहीं, वह लोन सिक्योर है या नहीं।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** यह लोन गलत है या सही है, यह विषय इस वक्त विवाद का नहीं है। यह तो हम कह ही रहे हैं।...

**श्री पी० के० चौधरी :** यही तो वाद-विवाद का विषय है।....

**श्री सभापति :** पॉलिसी पर आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, आइटम पर करिए, सिर्फ आइटम पर।...

**श्री पी० के० चौधरी :** मैं आइटम पर ही तो कह रहा था कि यह जो मनी लोन दिया गया है वह अनसेफ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या प्रिकॉशन्स बरतने चाहिए। What were the precautions the Government should have taken before advancing his money.

इसलिए मैंने कहा, सभापति महोदय कि ऐसा करें जो पहले उनको यह देखना चाहिए कि टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में ३० लाख रुपया देना है या नहीं। आप देखेंगे कि करोड़ों रुपयों का टैक्सटाइल का सामान स्टाकों में भरा पड़ा है और वहां हम पॉइन्ट आउट कर रहे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी...

३. म० प०

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, देखिए, मैं आपको डिमान्ड पढ़ कर सुना

# Page No.78



(श्री सभापति)

देता हूँ "Represents a token demand of Rs. 1,000 required for defraying additional expenditure amounting to Rs. 2,00,000 for purchase of handloom cloth for the Sales Depots.

**श्री श्रीभानसिंह :** But Sir, the Hon'ble Member is speaking no cut motion tabled by Bahadur Singh, so the cut motion may be seen.

**श्री पी० के० चौधरी :** कानपुर को दिए कर्ज के...

**श्री सभापति :** आप दोनों कट मोशन्स पर बोल रहे हैं क्या ? आप कौन से कट मोशन पर बोलना चाहते हैं ? दो कट मोशन्स हैं।

**श्री पी० के० चौधरी :** एक तो स्वदेशी कॉटन मिल के बारे में और दूसरा मूलचन्द डागा के सेल्स डिपो के कट मोशन पर।

**श्री सभापति :** Now you are speaking on the cut motion of Dr. Bahadur Singh, I suppose.

**श्री पी० के० चौधरी :** Yes.

**श्री सभापति :** Please resume.

**श्री पी० के० चौधरी :** सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर रहा था कि यह जो लोन दिया गया है वह गलत है और जिस ढंग से दिया गया है उस ढंग से नहीं देना चाहिये था। और देना था तो ३० लाख रुपया जिस दिन से लोन सेंक्शन हुआ उसी दिन से उनको वह लोन दिया जाना शुमार होना चाहिये। मगर सरकार ने उसमें ऐसा किया है कि पैसा जिस दिन उनको जरूरत हो ले लें। मगर आपने जिस दिन से यह लोन उसको सेंक्शन किया है उसी दिन से वह रकम तो आपने अलग ही रख दिया है। उस रकम को आप किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उस रकम को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते तो आपको इन्ट्रेस्ट मिलता। मान लें कि आप उस रकम को नेशनल सेविंग फन्ड में ही जमा कराते तो वह रकम १२ साल में ज्यादा हो जाती। ८ लाख का आपने उसको एडवान्स कर दिया जैसा आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया। जिस दिन से वह रकम लेते है उस दिन से उनसे इन्ट्रेस्ट लिया जाता है। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि रानीवाल ने इसके लिये सिर्फ १० लाख का लोन मांगा था मगर आपने उसको लोन क्यों नहीं दिया जब कि उसके पास लाइसेन्स था और इन्होंने लाइसेंस भी उससे खरीदा ? जब सदस्य ने लाइसेन्स उससे खरीद कर लिया है। मैं समझता हूँ कि जब उनको लोन दिया गया है उससे लोगों को ऑटोमेटीकली सस्पीशन पैदा होता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया ? एक तरफ अखबारों में तो साफ लिखते हैं Government was bent upon doing it. यह तो मेरा कोटन मिल के लोन के सम्बन्ध में था।

दूसरा मूलचन्द डागा के हैन्डलूम के सेल्स डिपो के बारे में था। आज आप देखेंगे कि डिपो में जितना स्टोक रहता है वह पांच हजार से ज्यादा का नहीं होता। वहां का ओवर हेड चार्ज ३०० रु० महीने का मैनेजर, सेल्समैन या सेल्स गर्ल और एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट उसके लिये चाहिये। इस तरह से ३५०) ३००) का एक

(श्री पी० के० चौधरी )

दुकान पर जो छोटी सी होती है खर्चा हो जाता है। जब कि आप इतना स्टाक रखते हैं वहां पर एक बनिया सिर्फ एक आदमी रखता है। जो ४०) या ५०) रु० माहवार का होता है और सारा काम चलता है। बनिया जिस समय दुकान लगाता है तो वहां पर कोई सेल्समैन नहीं होता। मगर गवर्नमेंट की तरफ से डिपो चलता है वहां पर लोग तनख्वाह लेते हैं। उसका यही कर्तव्य होता है कि दूकान को ८ घन्टे खोलना। They never look to the convenience and demands of the customers. वह सरकार का नौकर होता है। वह किसी कस्टमर को एट्रेक्ट नहीं करता। हम जब प्राइवेट दूकान पर जाते है तो हमको एक कपड़ा पसन्द नहीं आता तो दूसरे तरह का कपड़ा दिखाता है। वह दूसरे कई तरह के कपड़े हमारे सामने लाता है। उसको यह ध्यान रहता है कि किसी तरह से वह हमको परसुएड करे कि किसी तरह से हम उसका कपड़ा खरीदें। मगर यहां के लोगों से पूछेंगे कि फलां डिजाइन का कपड़ा है तो वे कहेंगे नहीं है मगर उसका ऑल्टरनेटिव वेराइटी को नहीं बतावेंगे। हम किसी भी दूकान में जावें तो हमको वह दूकानदार पांच या दस तरह के नमूने का कपड़ा दिखाता है और सामने ला कर रख देता है। लेकिन यह टेन्डेन्सी गवर्नमेंट शोप में नहीं है। वह तो यह समझता है कि वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है उसको कस्टमर्स को ऐक्ट करने की क्या आवश्यकता है। उनके दिमाग में ऑफिसिलिज्म आ जाता है। तो दुकान नहीं चल सकती है। इसके लिये पहले भी मैंने एक प्रपोजल रखा था कि यह इकोनोमिक नहीं है और सेल्स डिपो से सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव था और मैंने दूसरी जगह पर भी यही देखा है। आपका खास मतलब उस चीज को पोपुलराइज़ करने का है। इसके लिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके लिये स्टोक एजेन्ट रखिये, शो केस जगह जगह दुकानों पर रखिये। मान लें कि आपने इस तरह के सेल्स डिपो शहर भर में दो खोल दिये। मगर इस तरह से आप २५ या ३० दुकानों पर एजेन्सी दे सकते हैं और और आपका माल २५, ३० दुकानों पर रहेगा। आप सब्सिडी देते हैं, उससे ज्यादा दे सकेंगे। क्योंकि आपका यह ओवर चार्ज कम हो जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सरकार को खुद को दुकान चलाना कभी भी फायदेमन्द नहीं होगा और न इसमें कामयाबी होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सही मायने में गवर्नमेन्ट चाहे तो पब्लिक प्लेसेज पर शो केसेज रख सकती है और जो पैसा ओवर हेड में खर्च होता था वह कम होगा और उससे लोगों को चीपर ही पड़ेगा। इसलिये मेरा यही सुझाव है। इन शब्दों के साथ में इनका समर्थन करता हूं।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय चेयरमैन, जो माननीय सदस्य धौलपुर से आये हैं उन्होंने स्वदेशी मिल पर जो कट मोशन रखा है उनके समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय चैयरमैन महोदय, मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि राजस्थान सरकार देवस्थान फन्ड की ट्रस्टी है और जो ट्रस्टी की ड्यूटी है, जो फन्ड देवस्थान के सरकार के पास हैं उनको सेफ इन्वेस्टमेन्ट करें। इस सिद्धान्त को राजस्थान सरकार ने जहां तक स्वदेशी मिल्स के मालिकों का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने

Page No.80



( श्री श्रीभानसिंह )

देवस्थान फन्ड को सेफली इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि अव्वल तो बहुत से आदमी और सदन के सदस्य इस दुविधा में हैं कि राजस्थान सरकार ने एक तो रानीवाल साहब से पहले लाइसेन्स लिया और वे जब १० लाख लोन लेकर टैक्सटाइल मिल लागू करना चाहते थे और उनके पास लाइसेन्स भी था तो मैं इस बात को नहीं समझा कि उनको इस मिल को चालू करने के लिये लोन क्यों नहीं दिया और क्यों उस लाइसेन्स को राजस्थान सरकार के इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट ने अनड्यू इन्फल्यूएन्श डाल कर उस लाइसेन्स को ट्रान्सफर कराया।

समझ में नहीं आता कि जब एक इन्डस्ट्रियलिस्ट दस लाख का लोन मांगता है वह मिल चालू करने लिए, उसको हम लोन नहीं देते और दूसरा इन्डस्ट्रियलिस्ट आता है उसके लिए यह कहा जाता है कि वह स्पेकुलेटर है, एडवेन्चरर है, जिसके साथ मरडर केसेज़ हैं और जिसके एन्टीसिडेन्ट ये हैं, जिस गवनमेंट से समझौता किया उसको तोड़ा, जिस गवर्नमेंट से पैसा लिया उसका दुरुपयोग किया, वह राजस्थान के अन्दर प्रवेश करता है और राजस्थान सरकार पुलिस से एन्क्वायर करे बिना, उसके एन्टी सिडेन्ट्स को एन्क्वायर किये बिना, उसको लोन ग्रान्ट करती है। तो क्या राजस्थान के फन्ड्स उस इन्डस्ट्रियलियस्ट के लिए बने हैं जिसको सब सरकारें रिजेक्ट कर देती हैं, जो सब सरकारों को धोखा देता है। राजस्थान सरकार मालूम करती तो, कहते हैं कि उसने सेन्टर से लोन लिया उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल शुरु की और जो शर्तें थीं उनको पूरा नहीं किया और शर्तों को पूरा न करके राजस्थान सरकार के पास आया। जब राजस्थान सरकार के फाइनेन्स सेक्रेटरी ने मना किया कि देवस्थान के फन्ड्स की सिक्योरिटीज़ को इसमें मत इन्वेस्ट करिये, जब राजस्थान सरकार ने एडवोकेट जनरल से राय ली तो उन्होंने भी यह राय दी कि यह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वह नहीं करना चाहिये, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों राजस्थान सरकार के इन्डस्ट्रीज के डाइरेक्टर इतने एडमेन्ट थे कि उन्होंने इसके फेवर में केस तैयार किया ? राजस्थान के इन्डस्ट्रीज़ डाइरेक्टर के लिए मैं यह शब्द काम में लाऊं कि उन्होंने मेन्युअर किया था। यहां रोज़मर्रा जयपुर शहर और राजस्थान में यह सुना जाता है कि अपने लिये केस बनाने के लिए उसने एक लाख रुपया खर्च किया यह किसको दिया यह निश्चय नहीं है। लेकिन वह रुपया खर्च हुआ और जिस आदमी के अगेन्स्ट में केस बनना चाहिये था वह उसके फेवर में बनाया गया। तो समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार ने इतनी बड़ी रिस्क लेकर, देवस्थान फन्ड्स को दिया ? उस आदमी को दिया जिस आदमी का इतिहास है, ओनरशिप का इतिहास है, सब जगह की गवर्नमेंट फन्ड्स को उनके हाथों में एन्ट्रस्ट नहीं करना चाहती, फिर राजस्थान सरकार ने क्यों किया ? राजस्थान सरकार ने जनरल एडवोकेट की राय नहीं मानी, फाइनेन्स सेक्रेटरी की राय नहीं मानी, और उनके डाइरेक्टर के कहने से राजस्थान सरकारने क्यों देवस्थान फन्ड्स को इन्वेस्ट किया ? मैं यह कहना चाहता था कि माननीय सदस्य जो मेरे से पहले बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ये मूंदड़ा टाइप के हैं, मैं समझता हूँ कि वे उस टाइप के न हों लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि वे एक स्पेकुलेटर हैं, फाइनेन्शियल एडवेन्चरर हैं,

# Page No.81



( श्री श्रीमानसिंह )

वहां आकर ऐसा केस तैयार करवाया, उनके फेवर में केस बनवाया, नीचे नीचे के मेन्योअर करके उसको ऊपर पहुंचाया । सुनने में तो यहां तक आता है कि केबिनेट का यह डिसिज़न था कि देवस्थान के फन्ड्स इसमें इन्वेस्ट नहीं होने चाहिये । फिर नीचे के अफसरों ने उसके फेवर में केस बनाया तो माननीय मंत्री महोदय को उसकी जानकारी करनी चाहिये। जिस आदमी के गवर्नमेंट कॉन्टेक्टर्स ये उनको व्हे weigh किया, जैसा कहते हैं कि उसको लेबर टर्म्स मिली इस मिल को चलाने के लिए। वह यह कि अगर दूसरी जगह लोन लेना चाहे तो ले सकता है । फर्स्ट चार्ज हमारा नहीं होगा दूसरी जगह से लेता है उनको दे सकता है । यह नहीं कि १५,२० लाख रुपया राजस्थान सरकार से लोन वह पहले उसको पे करें । जब ऐसा नहीं है और जैसा कि सुना है उस प्रकार की एग्रीमेन्ट्स की टर्म्स हैं तो कहां हमारे फंडस सिक्योर्ड हैं ? अगर हम लोन देते है तो यह पहली कन्डीशन होनी चाहिये थी कि स्टेट गवर्नमेन्ट के फन्ड्स पहले पे करना चाहिये और दूसरी एजेन्सीज़ को बाद में दे सकता है । लेकिन एग्रीमेन्ट्स में ये टर्म्स नहीं हैं । यह भी सुनते हैं । कि एग्रीमेन्ट बाद में हुआ और ८ १० लाख रुपया पहले ही दे दिया गया, बाद में लिखाया गया ।

**श्री रामकरणसिंह** : माननीय चेयरमैन, कोरम पूरा नहीं है ।

( गणपूरक घंटी )

**श्री सभापति** : Yes, please Continue.

**श्री श्रीमानसिंह** : तो माननीय चेयरमैन, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो स्वदेशी मिल को लोन दिया गया है उसके सर्कमस्टान्सेज ऐसा बताते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही है और यह लोन देने के बारे में जो अभी माननीय सदस्य ने कट मोशन रखा और जो बातें उन्होंने कहीं, उसके फेवर में एक केस मेक आउट किया जो कि इन्क्वायरी के लायक है और राजस्थान सरकार को इस बात पर इन्क्वायरी करनी चाहिये कि पहले २० लाख का लोन जो मांगा गया था, जहां तक जो पहले शर्त थी, जो शर्त पहले लाइसेन्स होल्डर्स से रखी थी वह कहां तक इनके साथ रिलेक्स की गई और क्यों की गई ? सुना है कि उनके साथ यह शर्त थी कि दो जगह उनको स्पिन्डल लगाना पड़ेगा और वह शर्त इनके साथ रिलेक्स कर दी गई । इसलिए यह इन्क्वायरी के लिए है कि इनको बेटर टर्म्स क्यों दी गई ? २० लाख मांग कर जो शुरू करना चाहते थे तो इन को ३० लाख क्यों दिये गये ? यह कहा नहीं जा सकता कि इसके माफिक केस बनाने में किन साहब का कितना हाथ था, स्वदेशी मिल के फेवर में केस बनाया, क्यों बनाया ? पहले लाइसेन्स के लोन्स की टर्म्स को किसी तरह और क्यों डिसरिगार्ड किया गया ? यह सब देखते हुए तीसरी राजस्थान सरकार को यह इन्क्वायरी करनी चाहिये कि देवस्थान फन्ड्स सिक्योर्ड है या नहीं और यदि नहीं है तो राजस्थान सरकार ने देवस्थान फन्ड्स के ट्रस्ट के साथ ठीक नहीं किया ।

(श्री श्रीमानसिंह)

सेफेस्ट वही है जो गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज़ में हो। कोई नेनी से, या पान्डूचेरी से इन्डस्ट्रियलिस्ट आता है, जो एक टाइप का स्पेकुलेटर है, एडवेन्चरर है, लोन लेता है उसके एन्टीसिडेन्ट्स जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया डुबियस हैं, तो उसमें वह लोन डूब जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस केस को गौर से ध्यान देकर, हाऊस में जो फेक्ट्स दिये गये हैं, जैसा कि केस को बनाने के लिए कहा गया है। यह तो लगता है कि कहीं न कहीं इस केस में कमी है उसको देख कर इन्क्वायरी करें। मैं तो यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय कोई इन्क्वायरी खुद कन्डक्ट करें या कोई इन्क्वायरी बिठाये और यह देखना है कि लोन देते हैं तो उसको उपयोग होता है या नहीं। स्वदेशी मिल्स भी लोन ले, वह इन्वेस्ट करेगा या नहीं, राजस्थान सरकार को क्या फायदा होता है, एम्प्लोयमेन्ट मिलेगा या नहीं, कहीं यह न हो कि स्वदेशी मिल्स को लोन दे दिया, वे किसी दूसरी गवर्नमेन्ट से नेगोशियेट करते रहे हों कोई इन्डस्ट्री मालूम करने के लिए, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर वे लाइट डालें।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय चेयरमैन ....

**श्री सभापति** : किस पर बोलना चाहते हैं मोदीजी ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : जो बहादुरसिंहजी ने कट मोशन रखा है उस पर विचार करने के लिए समर्थन में बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : क्या कट मोशन है, वह बता दीजिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : स्वदेशी मिल्स को ३० लाख रुपया दे दिया, उस पर विचार करने के लिए।

**श्री सभापति** : आरम्भ रखिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य डॉ० बहादुरसिंह जी ने...

**श्री सभापति** : आज भी आपने स्थान गलत ग्रहण किया है।

(श्री मोदी के अपने स्थान पर जाने के पश्चात्)

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : सभापति महोदय, मैं स्थान का इतना विचार नहीं करता। माननीय सभापति महोदय, डॉ० बहादुरसिंह जी ने जो कट मोशन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। स्वदेशी मिल को जो देवस्थान विभाग से ३० लाख रुपया दिया है उसके लिये जो एग्रीमेन्ट किया गया है उसके अनुसार वह चार साल के अर्से में किसी भी समय स्वदेशी मिल चालू कर सकता है। लेकिन यह रुपया आपने दिया, उसके पहले आपको यह सोचना चाहिये कि जितना भी रुपया इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज के लिये राजस्थान सरकार ने दिया उससे कितना फायदा हुआ, आज उनके शेयर के भाव क्या हैं आज तक यह हाउस को नहीं बताया। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं जिनके शेयर के भाव सौ रुपये थे आज उनके भाव पच्चीस रुपये तक गिर गये हैं। उदाहरण की तौर पर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल को ही ले लीजिये, मान इन्डस्ट्रीज को ले लीजिये, गंगानगर की कपड़ा मिल को ले लीजिये जिनके भाव १०० रुपया पर शेयर के थे, आज उनके भाव पच्चीस हो गये हैं। ऐसी इन्डस्ट्रीज़ में राजस्थान सरकार के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डाइरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वहां के अकॉउन्टस किस प्रकार मेन्टेन किये जाते हैं, यह पता नहीं। कितना खर्च हुआ कितना मुनाफा रहा यह भी नहीं देखते। आज किसने रुपया दिया आज कोई सरकार है कल कोई है, परसों कोई दूसरी है, लेकिन सरकार अपना रुपया मानकर नहीं चलती यही तो खामी है। सरकार में जो कोई भी आवे उनको यह मानकर चलना चाहिये कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं अपना पैसा समझ कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा ख्याल नहीं करते वे सोचते हैं सरकार का पैसा है लूटते हैं उनको लूटने दो। आज इन्डस्ट्रीज़ के नाम पर जो रुपया दिया जा रहा है उससे पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप समाजवाद लाने की बातें करते हैं दूसरी तरफ आज जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वे बेकार हो रहे हैं और पूंजीपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसी हालत में समाजवाद आयगा कैसे? आज जिनको तीस लाख रुपया दिया है उसके बदले रानीवाला सेठ जो दस लाख रुपये मांगता था उससे मेरी पर्सनली बात हुई उन्होंने मुझे कहा दस लाख रुपया ही मुझे दिलवा दो, मैं मिल चालू कर सकता हूं। कई महिनों तक वे मांगते रहे और कहते रहे कि वे राजस्थान के अन्दर मिल लगाना चाहते हैं, दस लाख रुपया दे दिया जाय। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस आदमी को दस लाख रुपया नहीं दिया क्योंकि वह आदमी ऐसा था कि उसको मिनिस्टरों की और ऑफिसरों की गुलामी करना नहीं आता था।

**श्री रामकरणसिंह** : तो आपने क्या कहा?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : मैं क्या कहता मेरे हाथ में क्या था? लेकिन इसके विपरीत एक पूंजीपति को तीस लाख रुपया दिया गया। इस रुपये के लिये सब जानते हैं कि फाइनेन्स सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि ने सब ने लिखा था कि देवस्थान विभाग से रुपया नहीं दिया जा सकता। इतना होने के बावजूद भी वे कागजात केबीनेट में गये और उनको लोन दिया गया इसका मतलब क्या होता है। जब एम० एल० ए० कहते हैं तो इस बारे में इन्क्वायरी करानी चाहिये।

पहले तो देवस्थान विभाग का रुपया देना ही नहीं चाहिये यदि इन्डस्ट्रीज़ के लिये भी दिया जाता है तो वह उसी तरह दिया जाना चाहिये जिस प्रकार कि दूसरी इन्डस्ट्रीज़ को दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा देवस्थान विभाग का रुपया देना और ऑफिसरों के द्वारा इन्कार करने पर भी दिया जाना और बहुत दिनों के बाद देवस्थान का रुपया मन्जूर करना और दस लाख की जगह तीस लाख रुपया देना और किसी आदमी का लाइसेन्स दूसरे के नाम ट्रान्सफर करना ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर माननीय मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये यह रुपया दिया जाना चाहिये था या नहीं। दिया जाय तो दस लाख ही क्यों न दिया गया? आपने यह प्रिन्सीपल रखा है कि राजस्थान सरकार ने तीस लाख रुपया दिया है तो वह सेन्टर से भी तीस लाख रुपया ले आयेंगे उसके बाद कुछ रुपया घर से लगाकर भी एक करोड़ की केपीटल बता देंगे और फिर हिसाब में गड़बड़ी बताकर घाटा बता देंगे। यही हाल हमारी सब इन्डस्ट्रीज़ का हो रहा है। मेरा तो यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार खुद इसको क्यों नहीं ले लेती। राजस्थान सरकार अगर इसके शेयर भी बेचेगी तो उसको बहुत पैसा मिल सकता है शेयर भी ज्यादा बिकेंगे कीमत भी उसकी ज्यादा होगी। जनता में आज

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पूंजीपति लोग विश्वास खो चुके हैं, इसलिये उनके शेयरों की कीमत भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है।

राजस्थान सरकार ने इन्श्योरेन्स की स्कीम चलाई उसमें लाखों गांव वालों ने सहयोग दिया, सरकार का जनता विश्वास करती है इन पूंजीपतियों का नहीं। इसी तरह से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपनी तरफ से मिल खोलें और शेयर्स बेचे मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि लाखों रुपया जनता देने के लिये तैयार है। वह केवल सरकार को देने को तैयार है, पूंजीपतियों का उनको विश्वास नहीं रहा।

आज जयपुर में जो स्पिनिंग मिल है, उसको भी २०, ३० लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया है पक्का तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज तक उन पैसों का छः आने सैकड़ा व्याज भी सरकार में जमा नहीं हुआ। उसके शेयर जिन लोगों ने खरीदे हैं उनको हिसाब तक नहीं बताया जाता। राजस्थान सरकार इस मिल के बारे में क्या कर रही है यह भी किसी को पता नहीं है। मैंने भी इस बारे में काफी पत्रव्यवहार सरकार से किया, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया।

ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे नेशनेलाइज की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऐसी चीजों का भी नेशनेलाइज़ेशन कर दिया जाय तो समाजवाद जल्दी आ सकता है। अगर राजस्थान सरकार ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया तो राजस्थान सरकार को हानि होगी, जनता को हानि होगी, इससे राजस्थान सरकार के जो मिनिस्टर लोग हैं उनकी भी उन्नति होने वाली नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस कटौती प्रस्ताव पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** मैं डॉ० बहादुरसिंहजी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, माननीय भैरोंसिंहजी के ५१ नम्बर के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति :** No, it has not been moved.

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : तो फिर डॉ० बहादुरसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अभी मेरे से पूर्व दो, तीन सदस्यों ने काफी गम्भीर विचार पेश किये, जिन पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम अपने राज्य की पूंजी को दूसरे उद्योगों में लगाते रहे हैं, पर यहां पर जिस पूंजी को लगाया गया है वह पूंजी है देवस्थान विभाग की। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर जो गम्भीरता से विचार प्रकट किये, मैं उनकी दूसरी साइड की ओर जाते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि देवस्थान विभाग की जो कुछ भी पूंजी है, हम उसका उपयोग उद्योग में कर रहे हैं, लेकिन देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की जो आज हालत है, उनको जो तनख्वाह मिल रही है उनकी हालत को सुधारने के लिए कुछ इन्वेस्ट होता तो यह ज्यादा अच्छा होता। माननीय उप-मन्त्रीजी स्वयं इस बात को जानते हैं कि कोटा में देवस्थान के कर्मचारियों की क्या हालत है। इस मंहगी के जमाने में जबकि ३) रु० मन लकड़ी और २५) रु० मन गेहूं मिलता है उस हालत में उनको २०) मिलता है, मालिक और इसमें पूरे समय वे किस तरह से सेवा - पूजा कर सकते हैं, यह हमारे सोचने की ही बात है। इस पर उनको प्रसाद भी पूरा नहीं मिलता है। तो आज जहां एक ओर भगवान स्वयं इस मंहगाई के कारण से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भूखे हैं, पूरा प्रसाद नहीं मिलता है, उनके पुजारी भूखे हैं, उस देवस्थान की पूंजी को जिसकी कि राजस्थान सरकार एक ट्रस्टी है, सरकार इस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसकी पूंजी एक पूंजीपति की जेब में चली जावे, इस प्रकार के उद्योग में इन्वेस्ट करे कि जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जिसमें इस प्रकार के पूंजीपति आकर घुस गये हैं जो मूंदड़ा काण्ड से कहीं ज्यादा बढ़कर खतरनाक हैं, यह स्वयं एक खतरनाक खेल है। आज किसी पूंजीपति के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह तहेदिल से ईमानदार है। जैसे पूर्ववक्ता ने बताया केवल राजस्थान सरकार से ही नहीं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी उसने लोन लिया है और इस तरह से साफ तरीकों से कम लोन लेकर दस लाख रुपया मिल को स्टार्ट करने वाले रानीवाला को प्रोत्साहन न देकर दूसरे को तीस लाख रुपयों का ब्याज दिया जावे, यह इस राजस्थान सरकार की सूझ-बूझ का नमूना है।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि इसमें एक लाख रुपये का घोटाला तो अभी हो गया है। यह आरोप संगीन है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये। और भी इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया। इस पर कितने चार्जेज इसके कॉटन मिल के विषय में हैं इनकी भी सरकार जांच करके मालूम करे। एक बात और है। आज कल कॉटन मिलों में माल के थोक के थोक पड़े हैं। मार्केट नहीं है और कई जगहों की काटन मिलें आजकल बन्द हो रही हैं। अहमदाबाद की सूचना है कि वहां तीन तीन शिफ्टों में जो मिल चलती थीं उन्होंने एक शिफ्ट कर दी है। कितनी ही मिलें कानपुर में बन्द करनी पड़ी हैं। यह हालत है। तो देवस्थान का रुपया इस तरह से इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, यह सरकार को सोचना चाहिये। ट्रस्टी होने का मतलब यह नहीं कि आप इसी प्रकार, बिना सारी बातें सोचे-समझे उस पैसे के साथ खिलवाड़ करने लगें। तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के केरेक्टर के विषय में आप जांच करें। किस प्रकार का भूतपूर्व इतिहास इसका रहा है यह जानें। किस प्रकार और जगह मिलों के बारे में सरकार के साथ इसके क्या डीलिंग्स रहे हैं, तो यह देखना चाहिये। फिर एक पार्टी जो दस लाख में तैयार थी, उसको दस लाख न देकर इसको तीस लाख रुपया देने में सरकार की क्या मंशा थी, यह भी वे स्पष्ट करें? इसकी जरूरत हो तो जांच की जानी चाहिये।

दूसरे सैद्धान्तिक मसला खड़ा होता है, हालांकि उस पर विचार नहीं करना चाहिये, पर फिर भी फैक्ट्स पर हम विचार कर रहे हैं। उसके बावजूद निवेदन करना चाहता हूं कि जो रकम लगानी चाहते हैं वह इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज में हमें लगानी चाहिये, जिससे कि जो उत्पादन हो उसका अधिक से अधिक जनता को लाभ मिले। पर इस तरीके के इन्वेस्टमेन्ट से तो एक पूंजीपति की जेब में सारा मुनाफा चला जाता है। मजदूरों को पूरा फायदा नहीं होता, अधिकतम लोगों को उसके शेयर वगैरा का लाभ नहीं मिलता। कोऑपरेटिव सोसाइटी या मजदूरों का इस प्रकार का कोई संगठन बनाकर उसमें अगर इसको इन्वेस्ट करते, उन संगठनों को सरकार संरक्षण देती तो इससे उनको समान लाभ मिलता और उस एक पूंजीपति की जेब में सारा लाभ नहीं जाता।

आप कल्याणकारी समाजवादी समाज रचना की बात करते हैं, पर काम उससे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उल्टा करते हैं, कुछ पूंजीपतियों के हाथों में खेलना चाहते हैं। उनकी जेबों में यह सारा पैसा भर देना चाहते हैं, और जो मजदूरों का शोषण उनकी मार्फत होता है, उसको और बल देना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां हम एक ओर यह चाहते हैं कि उद्योगीकरण में मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ हो, तो उसमें उनको साझेदारी का अधिकार मिलना चाहिये। या किसी मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसको यह रुपया इन्वेस्टमेन्ट करने के लिये आप लोन पर देते, तो आपका यह सिद्धान्त समझ में आ सकता था, पर एक आदमी के हाथ में यह सारा रुपया सौंप देने की बात और दस लाख की मांग को ठुकरा कर तीस लाख देना एक नंगा चित्र आपके इस समाजवादी समाज रचना की बात का हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह तो आप इस सिद्धान्त की नींव ही उखाड़ कर रख रहे हैं।

हमारी सरकार डेवलपमेन्ट करना चाहती है पर यह जो डेवलपमेंट है यह विकास नहीं है, यह विनाश का दौर है जो, राजस्थान में गहराई के साथ चल रहा है और जिस खुशहाली और बहबूदी की बात आप करते हैं जिसे देखना चाहते हैं वह नहीं दिखाई देगी। कुछ पूंजीपति खुशहाल जरूर दिखाई दे सकते हैं।

आपने जागीरदारियां और जमींदारियां समाप्त कर दीं, पर दूसरी तरफ इन पूंजीपतियों को आप उन जागीरदारों की जगह बिठा रहे हैं, नये जागीरदार पैदा करने जा रहे हैं। आज कांग्रेस एक तरह के जागीरदार एक तरफ खत्म कर रही है तो दूसरी ओर दूसरी तरह के जागीरदार पैदा [करती] जा रही है। आप इन पूंजीपतियों को पाल पोस रहे हैं। बिना उसका चरित्र देखे, बिना उसका पूर्व इतिहास देखे आप ३० लाख रुपया उसकी जेब में डालने जा रहे हैं, बिना यह पूछे भाले कि वह आपको इसका रिटर्न क्या देगा। रिटर्न भी आप नहीं पूछना चाहते। अभी तक राजस्थान सरकार ने रिटर्न के सम्बन्ध में बात भी नहीं की है। ब्याज की दर भी निर्धारित नहीं कर पाये हैं। इन परिस्थितियों में सरकार ने क्या एग्रीमेन्ट किया है इसकी खुली जांच होनी चाहिये। यह अहम मसला है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : चेयरमैन महोदय, डॉ० बहादुरसिंहजीने जो कटौती प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करने के लिये मुझे खड़ा होना पड़ा है। मैं महसूस करता हूँ कि सरकारी इन्वेस्टमेन्ट का जो इतिहास रहा है और जो इस तरह के मामले सरकार के सामने पेश किये जा चुके हैं, जिनमें हजारों लाखों रुपया राजस्थान सरकार का और इसके निर्माण से पहले इन्टीग्रेटेड स्टेटों का बिजनैस कन्सर्न्स में इन्वेस्ट किया गया, उनमें बहुत से कन्सर्न्स का दिवाला निकल गया, जो कुछ थोड़े चले भी तो उन्होंने सरकार को एक पैसा रिटर्न नहीं दिया। तो इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि सरकार का लाखों, करोड़ों रुपया डूब गया और ज्यादा केसेज इस तरह के हुए हैं जिसमें प्रोफिट टेबल रिटर्न होने के बजाय घाटा ही घाटा मिला।

सदन की पब्लिक एकॉउन्ट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी और दूसरी कमेटियों की रिपोर्टों में इस ओर सरकार का ध्यान बार बार आकर्षित किया गया है। सदन इन मामलों से पूरी तरह अवगत है। पर इन सारी बातों को नजर-अन्दाज करके और इस बात को भी नजर-अन्दाज करते हुए कि यह अब फ्लोरि-

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

शिंग इन्डस्ट्री नहीं रह गई है, और उस व्यक्ति का पास्ट रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उसको तीस लाख रुपया दे देना एक ऐसा मामला है, जिसकी पूरी जांच की जानी जरूरी है। इन परिस्थितियों में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं समझा जा सकता। फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के नोट्स और उनकी रिपोर्ट पर भी ध्यान नहीं दिया गया, उसकी भी अवहेलना की गई और, जैसा कि बताया गया एडवोकेट जनरलकी ऑपीनियन की अवहेलना करते हुए यह लोन दिया जा रहा है, तो ये सारे सर्कमस्टान्सेज एक इन्फेरेंस क्रीयेट करते हैं और माननीय चेयरमैन महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन के फ्लोर पर बहुत जिम्मेदार सदस्यों द्वारा जो बातें और तथ्य प्रकट किये गये हैं उन सबसे इस पर्टीकूलर संक्शन के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा धब्बा आता है। और कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं कि यह सरकार का फर्ज है, कि इस प्रकार का जहां प्रतिष्ठा पर एक धब्बा आ रहा हो, उसको रेप्यूटेशन पर इस प्रकार के आरोप किये जा रहे हों, प्रेस में, पब्लिक में और सदन में भी जब इस मामले को शक की दृष्टि से देखा जा रहा हो और इस प्रकार के तथ्य हों कि जिनसे इन्फरेन्स किया जा सकता है तब सरकार को यह लाजमी हो जाता है और खास तौर से संबंधित विभाग के मन्त्री के लिए कि वह ऐसे मामले में खुद इस बात के लिए तैयार हो जाये। खैर, हो सकता है कि कुछ कर्मचारी या कुछ पब्लिक सर्वेन्ट्स जिन्होंने कि इस मामले को शुरू से आखिर तक डील किया या जिनके सुझावों पर आपने अल्टीमेट संक्शन किया है, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया हो मगर इस मामले की जांच होना आवश्यक है। ताकि सरकार पर जो आंच आ रही है, उससे वह मुक्त हो सके और सदन की तथा सरकार की प्रतिष्ठा रखी जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मामले में जो कि शंका से भरा हुआ हो, शुबह से भरा हुआ हो, इसमें जो हमारे एक्सपर्ट की ओपीनियन थी उसको भी बिना माकूल वजूहात दिए हुए उसको एक तरफ रख दिया गया है ऐसी बातें सामने आती हैं कि सैंक्शनिंग ऑथोरिटी उस पर्टीक्यूलर इन्डीविजुअल को देने के लिए डिटर्मिन हो।

एक बात हमें और भी देखनी है और वह यह है कि यह लोन उस सरकार द्वारा दिया गया है कि जिस सरकार पर खुद ६०-७० करोड़ रुपये का कर्जा भारत सरकार का या और दूसरी एजेन्सियों का है, और सरकार को अपने कार्य करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपया दूसरे सोर्सेज़ से लाना होता है, और उस रुपये के प्राप्त नहीं होने पर उसका काम रुकना होता है। एक तरफ तो हमारी सरकार स्माल सेविंग्स ऑफिसर्स को रखकर काफी रुपया उन पर खर्च करती है और एक पूरा लम्बा-चौड़ा डिपार्टमेंट रखती है और हमारे खुद का ऐसे डिपार्टमेंट का रुपया खर्च करने का सवाल आता है जो कि किसी खास पर्पज़ के लिए है और उसका इन्वेस्टमेन्ट करना जरूरी है, तो सरकार को मोस्ट सेफ एन्ड पोसीबल ट्रान्जेक्शन में जाना चाहिए और रुपये का श्योर रिटर्न मिल सके, ऐसे काम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर ऐसी सूरत में हम इन्वेस्ट करना पसन्द करते हैं कि जो मोस्ट अनसेफ ट्रान्जेक्शन होता है। एक प्राइवेट इन्डीविजुअल को लोन देते हैं १५ हजार स्पिन्डल्स के नाम से और लाइसेन्स खुद उस आदमी के पास नहीं है और

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

जो दूसरे व्यक्ति के नाम का लाइसेन्स होता है उस पर उसको लोन लेना पड़ता है। और लाइसेन्स को ट्रांसफर करने के लिए सरकारी तौर पर दबाव दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह काम जो ३० लाख में करवाया वह १० लाख में हो रहा था, और १० लाख रुपया देकर जो काम करा रहे थे वह बैटर टर्म्स रख रहे थे। तो इस तरह से सरकार को २० लाख का नुकसान हुआ। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि हम इस तरह की टर्म्स रख देते हैं कि जिनसे सरकार को ही उल्टे नुकसान होता है। जब हम यह कह देते हैं कि आप इन्सटॉलमेन्ट पर अमॉउन्ट ड्रा कर सकते हैं तो आप उस पर कोई मियाद नहीं रखते। इससे इन्ट्रेस्ट का लॉस होगा राजस्थान गवर्नमेन्ट को। मान लीजिए किसी को ३० लाख रुपये देने के लिए कॉन्ट्रेक्ट हुआ और उसमें फर्स्ट इन्सटॉलमेन्ट में २२ लाख रुपया ले लिया तो इस प्रकार से २२ लाख रुपया की पूंजी तो ब्लॉक हो गई। हो सकता है कि वह व्यक्ति कल ही रुपये की मांग ले जो कि रुपया सैंक्शन हुआ, वह किसी भी समय मांग सकता है, हमारी पूंजी ब्लाक रह गई और उसका इन्ट्रेस्ट भी नहीं मिलेगा और उसको जैसे जैसे जरूरत होगी लेने के लिए जायेगा और सारी रकम पर इन्ट्रेस्ट उस रोज़ से शुरू होगा जिस दिन से उसको देंगे। जब कि उसकी प्रोपर्टी पर प्योर लाइएबिलिटी या प्री-एग्ज़िस्टिंग लाइएबिलिटी है, और हमने उसको फर्स्ट भी नहीं रखा है। इसका मतलब यह है कि मुझे माफ करें मुझे कहना पड़ता है कि न जाने किस व्यक्ति ने उसको ड्राफ्ट किया था। इसका मतलब यह होगा कि हमने पूंजीपतियों के लिए सरकारी रुपये को हड़पने के लिए पहले से ही एन्टीसीपेट करके सहूलियत दे रखी है। फर्स्ट चार्ज भी हमारा उस पर नहीं है और इन सारी सूरतों में मैं अर्ज करूंगा कि इससे ऐसे इनफरेन्सेज़ निकलते हैं कि, जिससे सरकार पर जबरदस्त कुठाराघात होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमारी राजस्थान सरकार को कुछ भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है, यदि हमारी राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने के बारे में या खत्म करने के बारे में परवाह करती है तो, उस पर यह लाज़िमी है कि वह इन सारे तथ्यों को जो मुंह से बोलते हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस तरह से जो प्रेस में भी और ओपिन प्लेटफार्म्स में चार्ज आते हैं उनको जवाब देने के लिए और उन वजूहात को लाने के लिए जिससे प्रेरित होकर उन्होंने इन सारी स्थिति में भी लोन देना आवश्यक समझा, तो इनको साफ करने के लिए सरकार तैयार हो जाय और इस केस में जुडिशियल इन्क्वायरी हो, और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान इसकी इन्क्वायरी करें। अभी कुछ साथियों ने कहा था कि यह मूंदड़ा केस जैसा केस है। मैं कहता हूं कि यह तो उससे भी ज्यादा गम्भीर है। मिनिस्टर हमेशा सेक्रेटरी के कामों के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए हमारे एक मन्त्री को त्यागपत्र भी देना पड़ा। जैसी एक कहावत है Caesar's wife must be above suspicion. जो बड़े पद पर हैं उनको जरा भी शंका करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किसी तरह से हमें उनकी इन्टीग्रिटी के बारे में डाउट करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो हमें तमाम शंकाओं को हटा देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सदन में जितने भी तथ्य रखे गये हैं और प्रेस में या प्रान्त के बाहर भी जो कुछ बातें कही जा रही हैं उन सब का निराकरण करने के लिए इसके अन्दर खुली जांच हो

और अदालती जांच हो। ऐसा किए बिना सरकार अपनी प्रतिष्ठा को नहीं रख सकती। मुझे इस ट्रांजेक्शन के बारे में बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट रखना था, इसलिए मुझे इस कटमोशन के बारे में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा।

**उप उद्योग मन्त्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सभापति महोदय, सीकरसे आये हुए माननीय सदस्य ने एम्पोरियम और डिपोज़ के घाटे में चलने के बारे में ध्यान आकर्षित किया। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा की शायद उन्होंने एम्पोरियम और सेल्स डिपोज़ में जो फर्क है उसको महसूस नहीं किया। एम्पोरियम एक दूसरी चीज है और हैंडलूम के तहत में डिपोज़ चल रही हैं वह बिलकुल ही जुदगाना चीज है। एम्पोरियम के अन्दर हर प्रकार का जो कि राजस्थान के अन्दर माल बनता है, चाहे वह हाथकर्घा से बनी हुई वस्तु हो चाहे हैंडीक्राफ्ट का बनाया हुआ है या और कोई खास चीज जो हमारे यहां बनती हैं एग्ज़ीबिट करते हैं और वह इस दृष्टि से करते हैं कि उसका अधिक से अधिक प्रोपेगन्डा हो और एम्पोरियम के स्थापित करने का उद्देश्य यही रखा है। उनको हमें कोई कॉमर्शियल बेसिस पर नहीं चलना था। उसका तो महज़ राजस्थान की जो चीजें बनी हुई हैं उनका प्रदर्शन करना है और उसको प्रापेगन्डा के रूप में बताना है और इसीलिए एम्पोरियम घाटे में चलते हैं इसमें शक नहीं है। कितनी ही मर्तबा इस सदन में भी मैंने स्पष्ट किया था...

सेल्स डिपोज़ के बारे में जो कहा गया है, मैं निवेदन करूंगा कि यह ऑल इंडिया हैण्डलूम बोर्ड की एक स्कीम है कि हैण्डलूम को प्रोत्साहन देने के लिए हमको जगह जगह सेल्स डिपोज़ कायम करने चाहिए और उन सेल्स डिपोज़ के अन्दर पहले साल में उन्होंने हमको १०० प्रतिशत उसमें सब्सिडी दी है और उसके बाद में दूसरे साल में ७५ प्रतिशत, फिर ५० प्रतिशत और फिर २५ प्रतिशत इस प्रकार से उसके खर्चे के लिए सब्सिडी दी जाती है।

सेल्स डिपोज़ में जो कि हाथ कर्घे से बना हुआ कपड़ा है उसके सेल्स डिपो को चलाने के लिए एक सेल्समैन होता है और एक आदमी और नौकर होता है जिसको चपरासी कह दें या और कुछ कह दें ....

**श्री श्रीमानसिंह** : Are you thinking of replacing salesmen by salesgiris ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : If they are found suitable.

**श्री पी० के० चौधरी** : Have you tried them ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : Not as yet.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : Have you tried to procure ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने निवेदन किया कि सेल्स डिपोज़ में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, सेल्स डिपोज़ में हाथ कर्घे से उत्पन्न किये हुए माल को मार्केटिंग फेसिलेटी उनको मिल जाय, इस दृष्टि से यह सेल्स डिपोज़ कायम किये गये हैं। यह ऑल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड की एक स्कीम है और हमारे हर जिले के अन्दर इस तरह से सेल्स डिपोज़ कायम किये गये हैं।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि सेल्स डिपोज़ के अन्दर कहा गया है कि नुकसान

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

होता है। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं तो आपको मालूम होगा कि उन सेल्स डिपोज़ में गये साल करीब २ ढ़ाई लाख का कपड़ा खरीदा गया और जब कि उसकी मांग इतनी ज्यादा है कि हमें इतना माल मिलता नहीं कि तमाम सेल्स डिपोज़ को फीड कर सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से यह कहा गया है कि सेल्स डिपोज़ में किसी प्रकार से ऐसी बात हो कि वे नुकसान के अन्दर जा रहे हैं। मुमकिन हो सकता है कि एक-दो सेल्स डिपोज़ में जिस स्थान पर इतना ज्यादा हाथ कर्घे का कपड़ा नहीं मिलता हो, वह नुकसान में हों...

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : क्या आप बता सकते हैं कि शार्टेज कितनी हो सकती है, आज तक इसकी इन्क्वायरी करने की तकलीफ की गई है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : उनका ऑडिट होता है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट आती है। १०, १२ का अभी भी ऑडिट चल रहा है। प्रॉपर ऑडिट होता है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : शार्टेज़ की जानकारी दें। एग्जीबीशन में सामान जाता है और और सामान वापिस नहीं आता है। उसकी जानकारी आपको होगी।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है न कोई मुझे इस प्रकार की जानकारी दी गई है। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : सामान की शार्टेज के बारे में।

**एक माननीय सदस्य** : एग्जीबीशन में कोई सामान भेजा हो उसकी कोई शार्टेज नहीं हुई हो।

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी** : एम्पोरियम से भेजा गया हो।

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : मैंने निवेदन किया था कि सैल्स डिपोज़ दूसरी चीज है और एम्पोरियम दूसरी चीज है।

जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि साढ़े चार लाख की बिक्री हुई है। अभी इस साल के आठ महीने के हमारे पास आंकड़े हैं और करीब करीब अभी तक पौने दो लाख का माल खरीदा गया है। अभी चार महीने बाकी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि जैसी ऑल इण्डिया हैण्डलूम की स्कीम है उसके अनुसार यह डिपो कायम किये गये हैं। अल्टीमेटली जो कुछ भी हैण्डलूम का क्लाथ है उसको मार्केटिंग की फेसिलिटी मिल जाय इस वास्ते वह कायम किये गये थे। लेकिन हमेशा के लिए इस तरह ये नहीं रखा जाना चाहिए और इसके बारे में हमने जो यहां एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी खोली है उन सब सैल्स डिपोज़ को एपेक्स कोऑपरेटिव सोसायटी को सुपुर्द किया जा रहा है। उन्होंने इनको लेने के लिए मन्जूर कर लिया है। यानी सैल्स डिपोज़ को लेने को तैयार हैं तो ऐसी सूरत की अन्दर जो को ऑपरेटिव सोसासायटी हैं, उनके लारफत सारे के सारे सैल्स डिपोज चलेंगे।

तो मेरा यह निवेदन था माननीय सदस्यों ने जो बात बतलाई है यह दुरुस्त नहीं है कि टीक व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहे हैं, व हिसाब में गड़बड़ है। जैसाकि मैंने कहा कि ऑल इण्डिया हैण्डलूम बोर्ड के अनुसार सबसिडी मिलती है, खर्चे में सबसिडी मिलती है। वह

[redacted]



(श्री शिवचन्द धारीवाल)

महज इस वास्ते कायम किया गया है कि हैण्डलूम क्लाथ के लिए मार्केटिंग फैसिलिटी दे सकें।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** गवर्नमेन्ट खुद चलायेगी अथवा कोआॅपरेटिव सोसाइटी के मार्फत।

**श्री शिवचन्द धारीवाल :** कोआॅपरेटिव फील्ड में जाना चाहिए, स्कीम के अनुसार ऐसा है। एपेक्स कोआॅपरेटिव सोसायटी जो बनी हुई है, उन्होंने इसको मन्जूर कर लिया है और उनको हम ट्रान्सफर कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेन्ट के चलाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

इसके बाद में यह कहा गया है कि, सैल्स डिपोज़ को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि प्राइवेट एजेन्सीज बहुत हैं। प्राइवेट आदमियों को एजेन्सी दे देना चाहिए और उन्हीं से चलाये जाने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि हैंडलूम क्लाथ को प्रोत्साहन देना गवर्नमेन्ट की पर्टिक्यूलर स्कीम का एक पहलू है जो कि हैण्डलूम क्लाथ को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, उनमें से एक है। एपेक्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिये लोन दिया जाना चाहिये, सब्सिडी दी जानी चाहिए उसी तरह से यह भी एक था कि उनको मार्केटिंग फेसिलिटी मिल जाय। रेडी मार्केट मिल जाय, ऐसी फेसिलिटी मिलनी चाहिए इस दृष्टि से यह सैल्स डिपोज कायम किये गये थे और कुछ अरसे के लिए किये गये थे। ज्योंही वे इस दिशा से आजाय यानी इस तरह से हो जाय कि उनको कपड़ा बेचने के लिए कोई मार्केटिंग की तकलीफ नहीं हो, इसलिए सारे डिपोज को कोआॅपरेटिव फील्ड के अन्दर दिये जा रहे हैं और कोआॅपरेटिव ही उनको चलायेगी। मैं निवेदन करूं कि इस तरह से गवर्नमेंट के चलाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

इसके बाद में यह भी कहा गया कि सेल्स डिपोज जो कुछ चलाये गये है उनका मेथड आॅफ सेलिंग बहुत डिफेक्टिव है। वह एक जगह जाते, हैं कोई कपड़ा बताते हैं, वे पसन्द नहीं करते है तो दूसरा नहीं बतलाते हैं जैसा कि एक अमूमन दूकानदार करता है। वह बिजिनेस मेन्टेलिटी उनमें नहीं है। ऐसी बात नहीं है अगर किसी ग्राहक को देखकर कि यह खरीददार नहीं है इसलिए नहीं दिखाया हो, यह तो दूसरी चीज है। लेकिन मैं अमूमन समझता हूं कि कोई चीज मांगी तो और न बतलाई हो ऐसी बात नहीं है। सेल्स डिपोज के अन्दर अगर आप कपड़ा मंगाना चाहें और नहीं दिया जाय, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस दिशा के अन्दर कोई अव्यवस्था नहीं है।

इसके बाद में धौलपुर आये हुए माननीय सदस्य ने जो बताया मैं यह समझता हूं सभापति महोदय, कि when you are not master of a fact, it is bad advocacy. यह मैं समझता हूं कि जितना भी स्वदेशी काॅटन मिल के बारे में कहा गया है मगर यह जानकारी पहले प्राप्त कर ली जाती कि किन कन्डीशन्स पर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बाते, जो यहां पर कही गई हैं, वे नहीं कही जाती ....

**श्री पी०के० चौधरी :** on a point of information, during the course of a question you were not willing to place a copy of agreement on the table of the house,

[redacted]



**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** Therefore the Honble Member has said all these things of which he has knowledge?

**श्री सभापति :** yes please, continue.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** मैं इस सिलसिले में इनकी जानकारी के लिए मोटी मोटी बातें बता दूँ कि जिससे यह मालूम हो जाय कि किन शर्तों और किन कन्डीशन्स पर उनको लोन दिया गया था, तो उसके बाद जो आरोप हुए हैं उनका समाधान स्वत: हो जायगा।

"The Sawdeshi Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur have obtained a licence form the Central Government for establishing a Cotton Spinning Mill of 15,000 spindles at Ubaipur. The Rajasthan Government....

**श्री पी० के० चौधरी :** क्या यह लाइसेन्स रेनीवाल को अलॉट किया गया था ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** I am just coming to it, I think the Honble Member should have patience to listen to me.

"The Rajasthan Government, on a request made by the company, have agreed to grant a loan of Rs 30 lakhs out of the Devasthan funds held by Government and certain other facilities. The Finance Department has agreed to this. The main terms and conditions of the grant of this loan are as follows:—

४० म० प०

(i) The loan shall carry an interest of 6% per annum payable annually. In case of the interest remaining unpaid for more than three months, the whole amount of loan and interest due thereof for the time being shall become immediately due and payable.

(ii) The loan shall be advanced in two instalments. The first instalment of Rs. 15 lakhs shall be paid to the company upon its furnishing a certificate by a scheduled bank to the effect that facilities of foreign exchange for the import of machinery have been secured and an irrevocable letter of credit to the tune of 15 lakhs has been opened with it, to be utilised only for the import of new machinery, to be installed at Udaipur, for the said mill, within the period of 18 months.

The second instalment shall be paid by the Government to the company as soon as the Government are satisfied that the company has itself actually invested and created assets in machinery or building in the establishment of the said mill of the value of not less than 30 lakhs including the loan of the first instalment.

(iii) The company in order to secure the loan in question shall pledge such fully paid up shares held by them or directors of the company in public Ltd. companies as are quoted at Stock Exchange and approved by Government, based on the creteria of least fluctuation. The amount of the security shall be reconed at 60% and 70% of the market value of the

Page No.93



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

shares aforesaid for the first and second instalement respectively and the company shall formally transfer the shares in the name of the Government.

(iv) The building and machinery as and when erected and installed shall be mortgaged as first charge with the Government by the company by a separate instrument by way of security for the repayment of the above said loan and the shares pledged by the company with the Government equal to the written down value of such mortgaged assets as is determined by the Government.

(v) Any money payable to the Government in virtue of these presents shall be first recovered from the company, failing which the Government shall be free to sell the pledged shares in the open market after giving two weeks notice. If there be any shortage, the money due to the Government shall be recovered as arrears of land revenue under the Public Demands Reccvery Act, 1952.

(vi) The loan or any part thereof shall not be utilised for any purpose other than for which the loan has been given.

(vii) If there occures any breach of any of the covenants and conditions to be performed and observed on the part of the company, the entire amount of loan with interest then due shall, become immediately payable.

(viii) If for any reason the scheme to establish the said mill is abandoned or the company within one year of taking the first instalment fails to take effective steps for the establishment of the said mill to the satisfaction of the Government, all the land transferred to the company for the purpose of establishing the mill shall be resumed by the Government on payment of the price paid about without payment of any compensation to the company. If the company is not able to establish the said mill or has closed the said mill, if established for reasons not beyond the control of the company, the entire loan together with the interest shall immediately fall due and be recoverable. On payment of dues to the Government, assets or securities pledged or mortgaged will be released."

मैं यह समझता हूं कि यह जो एग्रीमेन्ट किया गया है वह, आज तक राजस्थान गवर्नमेन्ट द्वारा जितने एग्रीमेन्ट्स किये गये हैं उनसे ज्यादा स्टिफ है, और ज्यादा सिक्योर्ड हैं और हर प्रकार से गवर्नमेन्ट मनी का ध्यान रखते हुए सारी बातें की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, कुछ आरोप लगाये कि प्लानिंग कमीशन की राय नहीं ली गई, लेकिन इसके लिये प्लानिंग कमीशन की राय लेने की आवश्यकता नहीं थी.....

**श्री पी. के. चौधरी :** रानीवाला ने १० लाख रुपये ही मांगे थे ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** मैं अभी निवेदन करूंगा कि रानीवाले का क्या किस्सा

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

है और उसको क्यों नहीं दिया गया, उसकी स्थिति क्या है। प्लानिंग कमीशन की राय लेने की आवश्यकता नहीं थी इस बात को एग्जामिन कर लिया गया क्यों कि हम कन्सोलिडेटेड फण्ड में से रकम नहीं दे रहे हैं।

**डॉ० बहादुरसिंह :** क्या प्लानिंग कमीशन से इसलिये नहीं पूछा गया था कि उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के रुपये बाकी थे और कानपुर, पांडीचेरी और नैनी मिल में गड़बड़ी थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** ऐसी कोई बात नहीं थी। प्लानिंग कमीशन से इसलिये नहीं पूछा गया कि कँसोलिडेटेड फण्ड में से देना नहीं था। रानीवाला को १५ हजार स्पिन्डिल्स उदयपुर में लगाने के लिये १० हजार स्पिन्डिल्स जयपुर में लगने के लिये लाइसेन्स मिला था और इस शर्त पर दिया गया था कि पर्टीक्युलर टाइम में उसे युटेलाइज़ करना चाहिये लेकिन उसने आखिरी वक्त तक युटिलोइज नहीं किया। रानीवाला को उदयपुर में स्पिन्डिल्स लगाने के लिये जब कहा गया तो शुरू में उसने कहा कि मुझे दस लाख रुपये दे दीजिये। लेकिन अड़चन यह थी कि वह सिक्योरिटी में क्या पेश करे। उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि १० लाख रुपये लेने की स्थिति में होता। रास्ते चलते किसी भी आदमी को १० लाख रुपये सरकार नहीं दे सकती थी। उसको लाइसेन्स दिया गया था।

**डॉ० बहादुरसिंह :** इसके पास क्या सिक्योरिटी थी और क्या सिक्योरिटी दी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल:** पढ़ तो दिया आपके सामने।

**श्री विश्वम्भर नाथ जोशी :** वह तो फ्यूचर सिक्योरिटी है।

**श्री पी० के० चौधरी :** You have not taken any security from them. You have only said that all the buildings and plants that he will erect or instal, they will be your security.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल:** The Raniwal had not even paper security to offer.

**श्री पी० के० चौधरी:** Then what security you have taken is that of the money you yourself advance. He may sell the shares held by him and invest the amount in some scripts which are not Government recognised scripts. Have you offered the same terms to Raniwal ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** He had no concern of his own of which he could give a security. There was nothing, not even paper security with him.

**श्री पी० के० चौधरी :** It is the same money which you are giving that is taken as security.

**श्री रिखबचन्द धारीवाली :** This Raniwal had no security to offer and, besides, in 10 lakhs I think a textile mill could not be established.

**श्री पी० के० चौधरी :** Besides this new mill which this fellow is install-

( श्री पी० के० चौधरी )

ing here, what other security except the shares, he has got ? Have you got any immoveable property as security from this gentlemen in Rajasthan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैं निवेदन कर रहा था, इसके बाद में मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा। मैंने टर्म्स बताई हैं।

श्री पी० के० चौधरी : There is no immoveable security which he has given.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रानीवाला ने बात की but Raniwala was not at all in a position to establish a mill. He merely secured a licence of 15,000 spindles and 10,000 spindles and in that...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: On a point of information......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ....

श्री सभापति : इस वक्त तो ये सीधा सा प्रश्न कर रहे हैं कि इनके पास क्या सिक्योरिटी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन यह कर रहा था कि उन्होंने जो सिक्योरिटी दाखिल की वह २५ लाख रुपयों के शेयरों की सिक्योरिटी दी which has been reckoned at the rate of 60% of the market value.

डॉ० बहादुरसिंह : एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ...

श्री पी० के० चौधरी : कौन सी कम्पनी के शेयर थे ?

डॉ० बहादुरसिंह: जब चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी राय है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

श्री पी० के० चौधरी : What are the scripts ? Please give us the names of scripts that you have.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have already been finally examined by the Finance Department and it was agreed upon that these are the shares which have been offered may be taken as security.

श्री पी० के० चौधरी : I want to know the names of the scripts.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am just replying. Why are you so impatient about it, I fail to understand.

मैं निवेदन करूं they were the shares of M/s Samla Colleries and M/s Ganesh Sugar Mills and were quoted on the shares market regularly.

श्री पी० के० चौधरी : Samla Colleries and Ganesh Sugar Mills are the script.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No, they are the Companies.

श्री पी० के० चौधरी : Are these recognised by the Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The shares of these concerns are quoted on the share market everyday and

( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

shares worth Rs. 25 lakhs have been pledged with us as against the payment of first instalment of Rs. 15 lakhs. Therefore, this security is adequate and Finance Department has very closely examined the whole position and come to the conclusion...

**श्री पी० के० चौधरी** : On a point of information Sir. गणेश शुगर मिल्स के कितने रुपये के शेयर्स हैं और शमला कोलेरिज के कितने रुपये के शेयर्स है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : I have not got this information with me at present. I can definitely say that this was thoroughly examined.

**श्री पी० के० चौधरी** : मैंने आपसे पूछा था...

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : उसी सिलसिले में बात कर रहा हूं ।

**श्री पी० के० चौधरी** : On a point of information. We are entitled to elicit information from him.

मैं पूछ रहा था कि रानीवाला ब्रदर्स ने पेपर सिक्योरिटी देने के लिए ऑफर दी थी या नहीं ?

**श्री सभापति** : He is not expected to answer in details.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैंने दे दिया he can put 15 thousands pindals. कि वह सिक्योरिटी देने की पोजिशन में नहीं था, न फाइनेन्सियल पोजीशन अच्छी थी ।

**श्री विश्म्भर नाथ जोशी** : On a point of information. Was any enquiry conducted into the financial affairs of that applicant that Raniwala. If no. how is the Hon'ble Minister in a position to say.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : Because I had myself had a talk with him that you have taken license for 15 thousand pindals and you are not putting it.

**श्री पी० के० चौधरी** : Is the Hon'ble Minister satisfied.

**श्री सभापति** : No direct discussions please.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : So I said to him that why are you not proceeding with it. He said I am not in a position to do. If these spindals are transferred to any body I will have no objection.

**श्री पी० के० चौधरी** : On a point of information Sir, ... क्या फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने मंजूरी दे दी थी । गवर्नमेन्ट के फैसला देने से पहले क्या फाइनेन्स ने एग्री कर लिया था इस प्रपोजल पर ? क्या फाइनेन्शियल एडवाइज़र की राय से यह हुआ ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन कर दूंगा, मैं सारी स्थिति निवेदन कर रहा हूं ...

**श्री पी० के० चौधरी** : आपने कहा कि ....

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं सारी स्थिति निवेदन कर रहा हूँ ।

**श्री सभापति** : यह अर्ज कर दिया गया है । जब माननीय उपमंत्री जी उत्तर दे देंगे, उसके बाद निवेदन कर दीजिये । इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : एक प्रश्न और था ....

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन कर रहा था कि आखिरी वक्त जिस वक्त उनके लाइसेन्स की मियाद खत्म हो रही थी और उस पर उसके हक बिल्कुल खत्म होने वाले थे तब उससे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं ? उन्होंने कहा कि मैं इस स्थिति के अन्दर नहीं लगा सकता हूं, अगर यह किसी के नाम ट्रान्सफर हो जाय तो दे दिया जाय । ऐसी सूरत में स्वदेशी कॉटन मिल के नाम पर ट्रान्सफर कराया गया और उनसे कहा गया कि ऐसा कर दीजिये । मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ दफ्तर का खर्चा वगैरह था, वह लगा-लगू कर उसने १५ हजार स्पेन्डिल का लाइसेन्स ट्रान्सफर किया है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Is the Hon'ble Minister referring to some verabl talks ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : Certainly not.

**श्री सभापति** : ऑर्डर प्लीज ।

**श्री श्रीभानसिंह** : माननीय सभापति ....

**श्री सभापति** : There would be no further querries. यह डिबेट का तरीका है । वे जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब को सुन लीजिये, otherwise there will be no end to thisdiscussion.

**श्री भोलानाथ** : एक सवाल आ जाता है ...

**एक माननीय सदस्य** : The Hon ble Dy. Speaker has given a ruling here.

**श्री भोलानाथ** : आप कह रहे हैं कि रानीवाला ब्रादर्स की पोज़िशन के बारे में मैंने आपसे अर्ज की है इन्फॉर्मेशन मांगी है कि क्या फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने स्वदेशी काटन मिल्स की पोज़िशन के बारे में एडवर्स रिमार्क्स दिये या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: एक माननीय सदस्य ने जो पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूं । आपके प्रश्न के बारे में भी जवाब दूंगा । (हंसी) आप इम्पेशन्ट क्यों हैं, उसका भी जवाब दूंगा ।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैं पूछ रहा था ...

**श्री सभापति** : ऑर्डर, प्लीज ।

**श्री श्रीभानसिंह** : नो सर ।

**श्री सभापति** : ऑर्डर, प्लीज़ । ऐसे क्वेश्चन्स करेंगे there will be no end to this question. Questions can be asked according to rules. Clarification can be done. It can be demanded only by a member who has moved the cut motion. इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उपमंत्री जी को बोलने का मौका दिया जाय । वे जो एक्सप्लेनेशन्स दे रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन्स को पूरा सुन लीजिये ।

**श्री पी० के० चौधरी** : सभापति महोदय ...

**श्री सभापति** : Observation has already been given.

**श्री पी० के० चौधरी** : सभापति महोदय ...

**श्री सभापति** : Observation is there please.

**डॉ० बहादुरसिंह** : एक क्लेरीफिकेशन और चाहता हूं। आपने कह दिया कि रानीवाल इस पोज़िशन में नहीं था, क्या आपने यह रिटन में ले लिया था। दूसरी बात यह कि बातचीत कहां हुई ? दूसरी चीज हुई शेयर्स के बारे में, क्या इसके बारे में एडवोकेट जनरल की राय ले ली थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ये सब बातें, जिस समय आप कट मोशन के बारे में बोलें, उस वक्त कही नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि every thing was gone in writing. लाइसेन्स ट्रान्सफर की बात राइटिंग में है, जो पैसा दिया जाना था, वह भी राइटिंग में है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : बातचीत कहां हुई ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं निवेदन करूंगा कि he was not at all in a position to establish or to instal these spindals.

अब इस के बाद आपने कहा कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति के बारे में क्या हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी लोन दिया जाने का सवाल था, उसके लिए एक ओर यह कहा जाता है कि आज राजस्थान बहुत बैकवर्ड है इन्डस्ट्रीज़ लगाने में। इन्डस्ट्रीज़ को लगाने के सिलसिले में लोगों को अट्रेक्ट करना चाहिए। अगर हम इन्डस्ट्रीलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो नेचुरली हमें किसी न किसी को फेसेलिटीज़ देनी पड़ेंगी, चाहे चीप लैंड दें, चाहे चीप पॉवर दें, फाइनेन्शियल असिस्टेन्स दें। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक लोगों को अट्रेक्ट नहीं कर सकते। इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह कहा गया कि काटन टेक्सटाइल मिल्स की अच्छी हालत नहीं है। काटन टैक्सटाइल मिल्स की पोजिशन खराब होने की वजह से काटन टैक्सटाइल मिल्स को रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूं कि उन टैक्सटाइल मिल्स की हालत खराब है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, जिन के पास अप-टू-डेट मशीनरी नहीं है, जिनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है, वे टैक्सटाइल मिल्स आज बन्द हुई हैं। आप राजस्थान में देख लीजिये, राजस्थान में तीन टैक्सटाइल मिल्स बन्द हैं, कोटा टेक्सटाइल मिल्स, किशनगढ़ टेक्सटाइल मिल और गुलाब पुरा टैक्सटाइल मिल इन तीनों की मशीनरी स्क्रप मशीनरी है that cannot work. दूसरी जगह कपड़े का उत्पादन हो रहा है, उनकी रिपोर्ट आई है। एक कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि उनमें ऑटोमेटिक लूम्बस लगाने पड़ेंगे, तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है वरना the cannot stand in the market. इस वास्ते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बताई। मैं यह निवेदन करूं कि उस टैक्सटाइल मिल की पोजिशन खराब हुई है, यह चार, पांच महीने से देखी गई है। टैक्सटाइल मिल की खराब हालत का सवाल सामने आया, इसलिए यह कहें कि राजस्थान के अन्दर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल )

टैक्सटाइल मिल कायम नहीं की जा सकती; क्योंकि उनकी पोजिशन खराब है । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, इस वास्ते मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बहुत सी जगहों पर टैक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं और अच्छा काम कर रही हैं बावजूद इसके कि स्थिति खराब है । स्थिति खराब उन मिलों की है जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है । इस वास्ते बेस्ट मशीनरी प्रोवाइड की जाय तो कोई वजह नहीं हो सकती है कि वे अच्छा कपड़ा बनायें, काफी चीप कपड़ा बनायें । गोर्डन मशीनरी होने के नाते उनको फायदा होगा ....

**श्री पी० के० चौधरी** : आप यह बतायें कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने क्या राय दी थी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अजी साहब, मैं अभी अर्ज करता हूं । क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आती । (हंसी) दूसरी बात कही गई कि फर्स्टचार्ज नहीं रहेगा । वह दुरुस्त नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि It will be a first charge. It will be a first mortgage with the Government. यह भी इसलिए ठीक नहीं है । दूसरी यह बताया गया कि लोन की रकम में प्रपोशनेटली रिडक्शन करना चाहिए । पहले २५ हजार स्पेन्डिल के बारे में कहा गया इसके बाद १५ हजार स्पेन्डिल ही लगाए जा रहे हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि स्पेन्डिल्स के दिये जाने का यह तरीका है कि किसी आदमी को किसी जगह के लिये लाइसेंस मिला है तो वह या तो यूटिलाइज कर ले नहीं तो सरेंडर करना पड़ता है और सरेंडर करता है तो कामन पूल में चला जाता है, उसमें यह नहीं है कि राजस्थान का है तो राजस्थान को ही मिलेगा । Certainly not. That will go to the common pool and after that they will be distributeb.

तो इस सिलसिले में मैं आपसे यह कह रहा था कि १५ हजार स्पेन्डिल्स के दिये जाने का ही था, उदयपुर के लिये १५ हजार स्पेन्डिल्स ही सैंक्शन्ड थे पार्टी तो कहती थी कि २५ हजार ही लगा दूं पर जितनी पर्टिक्युलर जगह के लिये सैंक्शन है, वहां उतनी ही लगा सकते हैं, इसलिये १५ हजार स्पेन्डिल लेने की बात की थी । और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, total investment will be nothing less than one crores of rupees. जो टर्म्स बताई कि १५ लाख का फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिया है उसके लिये as against that we have got a security of 25 thousand Rupees as shares and then there will be a.

**श्री पी० के० चौधरी** : On a Point of information, Sir. On the floor of this very house he said in reply to a question that they have given only 8 lakhs as first instalment, and now he is saying

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** It will be paid that does not mean this. We have paid only Rs. 15 lacs out of the first instalment.

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : There is no provision in the agreement which you have just read before this House or 8 lakhs.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** There is no question of reduction in respect of that.

दूसरी बात, जो यह कही गई है कि यह इन्स्टॉलमेंट में लोन दिया गया है, इन्ट्रेस्ट के बारे में बताया, इन्ट्रेस्ट का क्लॉज़ मैंने बता दिया है उसको इन्ट्रेस्ट बार देना पड़ेगा, नहीं देगा तो सारा लोन री-पेएबिल हो जायगा ।

४. १० म०प०

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन )

ऐसी कोई बात नहीं । दूसरी बात यह बताई गई कि देवस्थान फंड्स से यह रुपया दिया गया, मैं बताऊं कि देवस्थान का जो फंड है, गवर्नमेन्ट के पास में वह फंड है".... out of that fund this money has been paid but so far as Devasthan is concerned Devasthan Department if fully guaranteed by the Government. इसलिये देवस्थान फंड की इस रकम को ....

**श्री पी० के० चौधरी :** I cannot follow the statement. Does it mean that the Government has written the loan ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** No No. This does not mean that. That means the Government has given the guarantee. In case the amount is not reccoverable from the Company, the amount of Devasthan is guaranteed and shall be paid.

**श्री पी० के० चौधरी :** By the Government ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** Of course वह ट्रस्ट फंड है, उसको कोई आघात नहीं पहुँचने वाला है....

**श्री पी० के० चौधरी :** On a point of information Sir. Will the Hon'ble Minister say that this advance loan to the party was from Devasthan Fund

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि, पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन दूसरी बात होती है, पर जिस सवाल का जवाब दिया जा चुका है उसके बारे में बार बार इस तरह से पूछना तो ठीक नहीं ।

**डॉ० बहादुरसिंह :** एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं सभापति महोदय, देवस्थान फंड में से यह रुपया लोन लिया गया है तो क्या गवर्नमेन्ट ने सिक्योरिटी दी है कि इसके लिये गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है, अगर यह रुपया नहीं आया तो गवर्नमेन्ट कन्सोलिडेटेड फंड में से इसके देने की जिम्मेदार होगी ?

**श्री भोलानाथ :** केबिनेट का फैसला है कि देवस्थान का पैसा किसी को नहीं देना चाहिये, तो क्या इसके बारे में रिवर्स ऑर्डर हुए हैं क्या ?

**श्री रिखबचन्द धारिवाल :** यह कैबिनेट का ही ऑर्डर था कि देवस्थान फण्ड से दिया जाय ?

**श्री भोलानाथ :** मैं यह पूछ रहा हूं कि केबिनेट का यह फैसला था कि देवस्थान फण्ड में से किसी भी प्राइवेट पार्टी को पैसा नहीं दिया जाय, ऐसा ऑर्डर केबिनेट

( श्री भोलानाथ )

का था, तो क्या इस काम के लिये केबिनेट के उस आर्डर को बदला गया था कि इस स्पेशल केश में लोन दिया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरी जानकारी में ऐसा कोई आर्डर नहीं, पर यह फैसला केबिनेट से हुआ है कि देवस्थान फण्डस् से यह रुपया दिया जाय और कैबिनेट के ऑर्डर से ही दिया गया है।

श्री भोलानाथ : आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि केबिनेट का फैसला है कि देवस्थान फण्ड का मनी प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं दिया जाना चाहिये। फिर क्या इस केस को स्पेशल केस बना कर इसमें यह लोन दिया गया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कैबिनेट का फैसला था, पर इस केस में कैबिनेट ने फैसला किया कि यह लोन दिया जाय।

श्री भोलानाथ : क्या एडवोकेट जनरल की इसके अगेन्स्ट में राय है कि यह रुपया नहीं देना चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय सदस्य ने यह फर्माया कि उसके एन्टीसिडेन्टस् अच्छे नहीं थे, बहुत सारे aspersion उसके खिलाफ पास किये गये, जो लाछन इस पर लगाये हैं उनका गवर्नमेन्ट को कोई इल्म नहीं है, वह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, पर इतना निवेदन करूंगा कि पार्टी की फाइनेन्शियल पोज़िशन की जांच की गई तो वह बहुत अच्छी है। नैनी की मिल के लिये यू० पी० की गवर्नमेन्ट ने उसको लोन दिया है, और उसने उसको मांगा ही है, स्वदेशी कॉटन मिल जो कानपुर में है बहुत बड़ी मिल है और हिन्दुस्तान में उन बड़ी मिलों में से है जो अच्छी चल रही हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसको पूरी तरह से एग्ज़ामिन किया है और फिर इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन टर्म्स पर इनको लोन देना चाहिये। ऐसा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का नोट था और इसको स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूं कि एडीक्वेट सिक्योरिटी ली गई....

श्री भोलानाथ : आपने कहा कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि यह रुपया दिया जाना चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कहा कि रुपया दिया जाना चाहिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: On a point of information, Mr. Chairman. We wish to know whether there was an objection from the Finance Deptt. regarding this transaction or any objection raised by the Finance Department at any stage ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There were so many suggestions given by the finance department. At one stage they said something and at the other they gave some other suggestions. In this particular case, all these terms and conditions were very mataculously examined and after great discussions the points were threshed out. So at one stage or the other, they might have given some things. It is

# Page No.102



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

a different matter. But finally it was agreed upon and therefore the loan was advanced.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I am asking about the objection.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : What objection ? untill and unless I know about a particular objection, how can I say. There were so many negotiations.

श्री सभापति : Exactly this is a position that you are not in a position to explain.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Untill and unless I know a particular objeetion. I am not in a position to say anything definitely.

श्री पी० के० चौधरी : The Finance Department said that the Government should not under write this loan.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There was nothing like that. I definitely say. Therefore, I have been saying that so far as the casting of aspersion sare concerned, the Govt. has no knowledge about it. As regards the financial position ? all the Balance sheets were before us and they were examined and found that the loan advanced was alright, and the Government was not doing anything bad. I frankly say that it is absolutely a secured loans.

श्री भोलानाथ : मैंने पूछा था कि ए. जी. ने कहा था कि मूंदड़ा के केस का रिपीटेशन होगा। ऐसा ए. जी. का नोट था या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No. There is nothing like that.

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : Is it a concern in the Private Sector.

श्री सभापति: How far it is relevant for all this. Whether this is a private Sector. I am allowing every information for the Hon'ble Members but you will also be cautions in cross examining the Hon'ble Minister. Otherwise there will be no end.

श्री श्रीभानसिंह : But I will submit Mr. Chairman, that we dont Cross examine the Hon'ble Minister. We are seeking information from him.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : My contention was that the information furnished by the Hon'ble member was purely untenable, The loan was not given to the private person. The industry is not going to be a public Sector. He should clarify it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Hon'ble member should know that there is not difference betwen a private Sector and a public Sector. The loan is given to Swadeshi Mill which has a registerd office at Kanpur.

सभापतिमहोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया कि स्वदेशी मिल के लोन के बारे में जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि काफी गहराई से इस पर विचार किया गया और एडिक्वेट सिक्योरिटी ली

# Page No.103



( श्री रिखबचन्द धारीवाल )

गई है और गवर्नमेंट के रुपयों को सुरक्षित रखते हुए यह एग्रीमेंट किया गया है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रिवोयस जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं उनसे ज्यादा सेफ गार्ड है। तो ऐसी सूरत में माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं समझता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

**श्री पी० के० चौधरी :** One more information, Sir. Whether they were ordinary loans or automatic loans ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** They will install a most modren loan.

**श्री विशम्भरनाथ जोशी :** Is it a new veriety of loans ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** Yes Sir.

**श्री सभापति :** Shri Jagdisn Prasad.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** My motion No 47 be put for the consideration of the House.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह....

**डॉ० बहादुरसिंह :** मुझे अपना कटौती प्रस्ताव नं० ४८, ४६, ५० वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

**डॉ० बहादुरसिंह :** मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा :** मुझे भी अपना कटौती प्रस्ताव नं० ५२ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं अपना प्रस्ताव नं ५२ वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००)तक की राशि और प्रदान

( श्री सभापति )

की जावे, मुख्य मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकृत की गई।

( विराम )

**श्री सभापति :** मांग संख्या ५६।

**मांग संख्या ५६ मुख्य शीर्षक ७०-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी लागत**

**श्री नाथूराम मिर्धा :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५६ मुख्य शीर्षक ७० जन-स्वास्थ सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,७६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। एनि कट मोशन्स

इस मांग पर निम्नलिखित कट मोशन्स प्राप्त हुआ।

**डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे :**

५४ मांग संख्या ५६ मुख्य शीर्षक ७० जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जावे, (धौलपुर की नल अव्यवस्था पर विचार करने हेतु(

**श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे :**

53, "That the demand 56 Major Head 70 Capital oultay on Improvment of Public Health be reduced by Rs. 100/- to discuss the Supply of Water pipe line to Nylonn Factory at Kotah"

**मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे :**

५६ "मांग संख्या ५६ मुख्य शीर्षक ७० जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जावे (जवाई से जोधपुर तक नहर के निर्माण करने में शीघ्रता करने पर विचार करने हेतु ,"

**डॉ० बहादुरसिंह :** सभापति महोदय, मेरा छोटा सा कट मोशन है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में वाटर वर्क का आप अन्दाज करें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर एक १० हजार गैलन की टंकी है। उसके बाद पाइप लाइन कहीं ६ इंच और कहीं ४ इंच और कहीं २ इंच की है। अब आप एक दूसरी टंकी वहां कीसिचुएशन को देखते हुए लगा रहे है। शायद आप बदल रहे हैं और ४ इंच की पाइप लगा रहे हैं। एक कूंआ है। ५ हजार गैलन की टंकी और होने से वह १५ हजार गैलन कूए से पानी लेंगे। वह एक कूआ है जिसको आपने देखा है। इससे सन्तोषजनक कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें।

**श्री पी०के० चौधरी :** सभापति महोदय मेरा भी एक कट मोशन है। मैं उसको दो मिनट में मूव करता हूँ। but motion is about the water supply to Nylone Factory at Kotah सभापति महोदय, कोटा में जो नाइलोन फैक्ट्री लगाई जा रही है इसको भी हमने २० या ३० लाख रुपये लोन दिये

( श्री पी० के० चौधरी )

हैं. जे० के० इन्डस्ट्री को । उसके बावजूद भी हम वाटर लाइन वगैरह सब मुफ्त में दें, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ ।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** इनको मुफ्त में नहीं सप्लाई कर रहे हैं । लाइन राज डालेगा, उनसे मीटर लगेगा, उसके बाद उनसे पानी के पैसे लिये जावेंगे ।

**श्री० पी० के चौधरी :** तो फिर आपने पैसे किस लिये मांगे हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** फैक्ट्री तक ले जाने का जिम्मा सरकार का है । फैक्ट्री से पानी का मीटर लगने पर सरकार उससे पैसा लेगी । यह काम फैक्ट्री के लिए स्पेशली नहीं करते यह पाइप लाइन सबके फायदे के लिये डालते हैं ।

**श्री पी० के० चौधरी :** जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि फैक्ट्री के गेट तक पहुंचाना हमारा जिम्मा है । मैं यह कहूंगा कि फैक्ट्री तक पहुंचाना हमारा जिम्मा नहीं है । गेट तक ले जाने की जो कॉस्ट हो वह उस फैक्ट्री से लेनी चाहिये । अगर कोई इन्डिविजुअल पाइप मांगता है तो उससे पैसे लेते हैं । तो फिर इस पार्टी के साथ रियायत क्यों की जा रही है और रियायत करने का क्या कारण है ? एक तरफ तो आप इसको २० या ३० लाख रुपये देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की फेसिलिटीज देते हैं । तो मेरा तो यह निवेदन है कि इस पाइप लाइन का खर्चा सरकार के पास से नहीं देना चाहिये ।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली): सभापति महोदय, मेरा भी एक छोटा सा कट मोशन है सभापति महोदय, मैंने एक कट मोशन रखा है कि आप हमारे शहर पाली से जोधपुर तक पानी ले जाते हैं, लेकिन बात यह कर रहे हैं कि पाली में पानी न रहे, उसके लिये आपको परवाह नहीं । आपने पाली से, हेमावास तथा जोधपुर को पानी देने की व्यवस्था बना ली, और जो तालाब है उसका पानी भी खेती में दे देते हैं और इस साल मुसीबत यह रही कि बरसात कम हुई और उस कारण कुंओं में पानी न रहा और पाली होकर जवाई से नहर गुजरती है उससे भी पाली को पानी नहीं दे रहे हैं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** पाली को पानी देंगे ।

**श्री मूलचन्द डागा :** पाली को पानी की सप्लाई करेंगे यह बात है तो ठीक ।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** आप इसको मुलाहिजा कर लीजिये ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है कि नैनोल फैक्ट्री को वाटर लाइन दी जा रही है वह अनुचित तरीके से दी जा रही है, मैं उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं । कोटा में आज यह हालत है कि जंक्शन पर पानी नहीं पहुंचता । १४ लाख और खर्च किया और वाटर टैंक आप बना रहे हैं और वहां पानी सप्लाई करना चाहते हैं । फिल्ट्रेशन की स्कीम वहां रखी है । १४ लाख खर्च करके आपने कोटा में जो पानी की रेट्स थी उनको डबल कर दिया और इस पर भी यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कोटा जंक्शन की दूसरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंचता है । जितने वाटर टैंप्स हैं दोपहरी में बिल्कुल बन्द

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पड़े रहते हैं। नैलोन फैक्ट्री बनने वाली है, कोटा से पांच मील दूर पर आप वाटर लाइन ले जाना चाहते हैं और पानी की सप्लाइ के लिए मीटर लगाने वाले हैं, इतना खर्चा इस फैक्ट्री के लिए कर देना चाहते हैं, दूसरी ओर कोटा की जनता पानी के लिए तरस रही है और उसको समय पर पानी नहीं मिलता। इसके अलावा भी जनता पर वाटर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। पहले जो रेट्स थीं उनको दुगुना कर दिया गया, जो जनता के लिए भारी असुविधाकारक है। एक तरफ आप उन लोगों को सुविधा देना चाहते हैं जो फैक्ट्री चला रहे हैं और दूसरी ओर जनता के ऊपर आप उन लोगों को फेसिलिटीज़ देने के कारण टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी फेसिलीटीज़ का भार जनता के ऊपर आकर पड़ रहा है, जिससे एक तरफ तो पानी की असुविधा जनता को भुगतनी पड रही है और दूसरी ओर उनको ज्यादा रेट्स अदा करनी पड़ रही है, उनके ऊपर टैक्स का भार पड़ता जा रहा है उनको फेसिलिटीज़ देने के कारण। एक तरफ तो आप वाटर टैक्स डबल करके लेना चाहते हैं और दूसरी ओर उन फैक्ट्रीज़ को लाभ देना चाहते हैं कि उनके लिए वाटर टैक्स लगा दिये, जांय उनको वाटर की लाइन वहाँ तक उनके लिए लगा दी जाय और उनसे जो वाटर का टैक्स हो वह ले लिया जाय। जनता की परेशानी का आपको कोई ख्याल नहीं लेकिन आप फेसिलिटीज़ देना चाहते हैं फैक्ट्रीज़ को उन को तो फेसिलिटीज़ मिलनी चाहिये, चाहे जनता को डबल टैक्स ही क्यों न पे करना पड़े। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से रेट बढ़ाने के कारण पहले भी आन्दोलन कोटा की जनता द्वारा हुए हैं जब कि ८ आने से १० आना वाटर रेट्स की गई थीं और उसका परिणाम यह हुआ था कि सरकार को वह वापिस लेनी पड़ी थी। फिर आपने अक्टूबर से रेट्स बढ़ा दी हैं, जिसके कारण जनता में बड़ी भारी अशान्ति है, आन्दोलन हो रहे हैं, हस्ताक्षर आन्दोलन हमारी तरफ से हो रहा है और उसका विरोध किया जा रहा है। ३७ हजार रुपया नगरपालिका नहीं देती है। अगर फैक्ट्री से वसूल कर लिया जाय तो कोटा की जनता पर कोई भार नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से आप इस फैक्ट्री को लाभ देकर उसका भार कोटा की जनता पर डालना चाहते हैं, जिसके लिए जनता वैसे ही बढ़ी हुई रेट्स के बारे में आन्दोलन कर रही है और ज्यादा भार उनके ऊपर पड़ने से जनता में बैचेनी फैल जायगी। अगर फैक्ट्रीज़ के लिए इस प्रकार से मुफ्त में लाइन बिछा कर उनको वाटर सप्लाई करेंगे तो आखिर जो खर्चा होता है उसका भार जनता पर ही तो पड़ने वाला है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि इस डिमान्ड के नोट को उन्होंने देखा नहीं है। आप बताते हैं कि पांच मील दूर है लेकिन आप यह तो देखिये कि लाइन से वाटर सप्लाई करने का खर्चा कितना मांगा है। We have said that we want only fifteen thouand rupees. पांच मील का खर्चा १५ हजार नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आपको रिलेट कर रहे हैं वह नहीं है, हम तो इतना ही करना चाहते हैं जितना कि कानून से करना चाहिये। १५ हजार में पांच मील लाइन नहीं बिछ सकती।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** पांच मील नहीं होगा, कम होगा।

**श्री पी० के चौधरी :** The Hon'ble Minister should hear when the Hon

( श्री पी० के० चौधरी )

'ble member is speaking. He has got a right of reply.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सवाल का जवाब दिया ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था कि वाटर की रेट्स एक तरफ तो आप डबल कर रहे हैं जिसके कारण जनता पर डबल भार पड़ रहा है, आपने ८ आने से १२ आने कर दिया और १५ हजार को इन्वेस्टमेन्ट एक फैक्ट्री के लाभ के लिए खर्च करना चाहते हैं जिसका भार भी तो जनता पर ही पड़ने वाला है । यदि फैक्ट्री के लिए आप लाइन इस प्रकार से बिछाना चाहते हैं तो यह सब फैक्ट्री को ही पे करना चाहिए । इसलिए सारी स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए जिससे कि कोटा की जनता पर भार न पड़े । पहले २० लाख का भार भी कोटा की जनता पर डाला । या तो आप यह कह दीजिये कि जनता को शोषण करना चाहते हैं । कोटा में आज नहीं १५.२० साल से वाटर की व्यवस्था हो गई थी । जनता को इतना टैक्स कभी नहीं देना पड़ा जितना कि आज उनको देना पड़ रहा है आज उनको डबल टैक्स देना पड़ रहा है । इसके विरोध में वहां आन्दोलन हो रहा है, मशाल के जलूस निकल रहे है, सत्याग्रह हो रहे हैं लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है । कोटा की जनता की असुविधा और उसके दुःखों को सुनने के लिए सरकार आज तैयार नहीं । पहले भी निवेदन किया था कि यदि फैक्ट्रीज को सुविधायें देना है तो आप या तो फैक्ट्रीज की कॉस्ट पर दीजिये या जनता पर भार नहीं डालियेगा, जनता की कॉस्ट पर हर्गिज भी फैक्ट्रीज को लाभ मत दीजिये । २० लाख खर्च करके वाटर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया और भार जनता सहे १५ हजार किसी को दे दिया और दूसरी फैक्ट्री के लिए इस प्रकार और देंगे तो भार तो कोटा की जनता पर ही पड़ेगा । फैक्ट्रीज पर क्या पड़ेगा ? दलील यह देते हैं कि वाटर टैक्स उनसे वसूल करेंगे, बढ़ावेंगे, यह कोई माने नहीं रखता है । जिस तरह से रेट्स आठ आने से बढ़ा दी है जनता इसको हर्गिज भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । हिसाब किताब भेजा गया उसको देखा और उसको देखने के बाद केल्कुलेशन लगाया जाय तो एक आना दो आना बढ़ाने की गुन्जाइश हो सकती है । आप १५ हजार रुपया देकर बचना चाहते हैं । मैं आपको बताऊ जहां पहले एक सुपरिन्टेन्डेन्ट काम करता था वहां आज दो काम कर रहे हैं । वाटर के लिए आपने दो दो सुपरिन्टेन्डेन्ट रखे हैं एक मन्डी पड़ रही है उसको देखने के लिए, पहले एक सुपरिन्टेन्डेन्ट काम करता था जो बिजली के लिए भी था और पानी के लिए भी, दोनों काम को वह देखता था । अब बिजली के लिए अलग है और पानी के लिए अलग । ट्रक्स पहुंचाने के लिए अलग है । इस प्रकार से प्रशासन का जो खर्चा होता है वह भी कोटा की जनता पर ही पड़ता है । कोटा की जनता को ट्रक्स का मेन्टीनेन्स करना पड़ता है, यह भार भी उन पर ही पड़ रहा है । एक तरफ कोटा की जनता पर टैक्स का भार डाल कर फैक्ट्रीज को अनाप शनाप फैसिलीटीज दे रहे हैं । कहते हैं कि इन्डस्ट्रियल एरिया हो जायगा, भारतवर्ष में शायद कोटा का दूसरा नम्बर हो जायगा । लेकिन आप यह सब भार इन्डस्ट्रीज को अधिक सुविधायें देकर, अनाप शनाप उनको फैसिलिटीज देकर कोटा की जनता पर टैक्स का अधिक भार डाल रहे हैं आपकी इस प्रशासनिक खर्चे के कारण

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जनता के लिए पानी की डबल रेट्स कर दी गई। जितनी आप इस प्रकार इन्डस्ट्री को सुविधायें देते जावेंगे, उन फैक्ट्रीज पर उनका भार न पड़ कर वह सारा भार नगरपालिका पर पड़ेगा और नगरपालिका अधिक टैक्स लगा कर जनता से ही तो वसूल करेगी। इतना भार जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं करेगी। नगरपालिका के पास जो रुपया आयगा वह जनता से आयगा। आपने रेट्स दुगुनी कर दी, फैक्ट्रीज को फैसिलिटीज दे दी और उसका भार जनता के ऊपर डाल दिया तो इस दुहरी मार में जनता मर रही है, दो पाटों के बीच में जनता पिसी जा रही है इसलिए नैलोन फैक्ट्री पर १५ हजार जो खर्च कर रहे हैं उसको रिड्यूस करिये ताकि जनता पर कम खर्चा आये। जितनी लाइन की आवश्यकता हो वह दी जाय और उसकी कॉस्ट फैक्ट्री से वसूल की जाय न कि जनता से टैक्स बढ़ा कर। इसलिए मेन लाइन से फैक्ट्री तक लाइन पहुंचाने के लिए जो १५ हजार का खर्चा रखा हैं उसका मैं विरोध करता हूं और जो कट मोशन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय सभापति महोदय, अभी जो मांग मैंने रखी उस सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे। एक माननीय सदस्य ने धौलपुर के बारे में कुछ बातें कही, उन्होंने वहां वाटर सप्लाई के बारे में जो पोजिशन है उसका जिक्र किया। उसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि वे इस बारे में मुझ से मिल लें वहां की क्या पोजिशन है उसको मैं ठीक से समझ लूं फिर उनको इस बारे में निवेदन कर दूंगा।

दूसरा जिन माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा उनको तो एक प्रकार से चिढ़-सी हो गई है, उनका तो यह कहना है जो कुछ भी इन्डस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है वह किन्हीं व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिये हो रहा है, वह नही होना चाहिए। मैं सभापति महोदय, बहस के दौरान में जो भी दलीलें दी जाती है। उनको ध्यान पूर्वक सुनता हूं एक तरफ तो जोरों से खड़ा होकर कहा जाता है कि राजस्थान इन्डस्ट्रिलाइजेशन में सब से पिछड़ा हुआ है। जिन चिमनियों से धुंआ निकलता था वे भी बंद हो गया और चिमनियों से धुआं निकलता दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की बाते जोरों से कही जाती हैं। हम लोग बाहर के लोगों को बुलाकर उद्योगों को चालू करवाने का प्रयत्न करते है, वहां जितनी हमारी जिम्मेवारी उतनी ही इनको भी समझनी चाहिए राजस्थान सरकार इस प्रकार का प्रयत्न करती है और इसके परिणामस्वरूप कुछ लोग सामने भी आये उनसे एग्रीमेन्ट्स भी हुए, फैक्ट्रीज के चालू करने की बात तय भी हुई। हमें इन बातों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये लेकिन यह न देखकर यह कहना कि इसके पीछे कुछ भावना है कुछ मोटीव्ज हैं इसके कारण किया जाता है यह सदन के माननीय सदस्य द्वारा कहा जाना शोभा नहीं देता। ऐसा करने से जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसको काफी धक्का लगता है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योग धंधे पनपे और राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले। जब हम ये सारी बातें करने जा रहे हैं वैसी हालत में आपको इस प्रकार का एटीट्यूड रखना, यह ठीक नहीं है। राजस्थान की स्थिति को देखते हुए यहां की उन्नति को देखते हुए आपको सही हिसाब से विचार करना चाहिये।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने

( श्री नाथूराम मिर्धा )

नायलोन फैक्ट्री तक पाइप लाइन बिछाने के बारे में एतराज किया और कहा कि इसका भार जनता पर पड़ रहा है । मैं उनसे निवेदन कर दूँ वहां पर मन्डी बसने वाली है, इन्डस्ट्रियल एरिया है वहां तक को लाइन हमें ले जानी पड़ती । कानून के मुताबिक पन्द्रह हजार रुपये बढ़ जाने चाहिये । जो कटौती प्रस्ताव कोटा से आये हुए सदस्य ने रखा और कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम के कारण वहां की जनता पर टैक्स का भार बढ़ा है इस बात को जोर से कहा । कोटा की वाटर सप्लाई स्कीम अच्छी नहीं है । उसके लिये निवेदन कर दूँ जो गन्दा पानी पहले मिलता था तो उसकी जगह १४, १५ लाख रुपया लगाकर हमने अच्छा पानी देने का प्रबन्ध किया, उसके लिये कहा जा रहा है कि वाटर रेट्स जो लिये जा रहे हैं वे ज्यादा हैं । मैं उनसे निवेदन कर दूं कहीं भी एक रुपया हजार गैलन से कम रेट नहीं है सवा और डेढ रुपया भी है । इस पर आप यह कहें कि हमारे यहां आठ आने ही रहने चाहिये यह कैसे हो सकता है ? आठ आने की रेट्स पर जो गन्दा पानी मिलता था उसकी जगह फिल्टर्ड और साफ पानी देने की व्यवस्था की और आठ आने की जगह एक रुपया कर दिया उस पर भी आपको एतराज है । एक तरफ तो लाखों रुपया हम इन्वेस्ट करें और दूसरी तरफ कुछ रुपया बढ़ाते हैं जो वाजिब है, दूसरी जगह सब जगह यही रेट है तो उसके लिये एतराज किया जाता है और कहा जाता है कि इससे गरीब जनता पर बोझ पड़ता है लेकिन पैसा भी तो जनता के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वह पैसा तो वसूल किया ही जायगा ।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** आप तो उसे कॉमर्शियल लाइन पर चला रहे हैं फिर जनता से वसूल करने से आपका क्या मतलब है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** कॉमर्शियल लाइन पर चलायेंगे, यह ठीक है, उसीके अनुसार एक हजार गैलन का एक रुपया सब जगह लिया जाता है । आप सारे हिन्दुस्तान के वाटर रेट को देख लीजिये इससे कम कहीं नहीं मिलेगा ।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** मैं इसको क्लीयर करना चाहता हूं ।

**श्री सभापति :** आॅर्डर; आॅर्डर ।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** (जारी) आपने तो क्लीयर पोजिशन रख दी है । आपकी बात समझ गया । आपका मतलब यह है कि हम पैसे लगाते जांय और उसको वसूल न करें आपकी बात मैं कैसे मान लूं? आप कोई जिम्मेदारी की तो बात करते नहीं । आपका और हमारा दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

**श्री दयाकृष्ण विजय :** इस सम्बन्ध में मैं फिर से निवेदन कर दूं जनता इसको कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं आन्दोलन करेगी...

**श्री नाथूराम मिर्धा :** आन्दोलन करे तो करे.......

**श्री पी० के० चौधरी :** On a point of order sir, The Hon'ble Minister should not say that the Hon-ble member is not talking with responsibility. I think he should withdraw these words.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** I cannot withdraw. What he felt he said What I felt I said. तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था जहां हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपयों की वाटर की स्कीम है वैसी हालत में हमें सब जगह यूनीफार्म रेट्स लागू करनी होगी। जब वे इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको वाजिब पेमेन्ट देना पड़ेगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रुपया अगर आप नगरपालिका को देते तो और बात थी। यह नगरपालिका को न देकर नायलोल फैक्ट्री वालों के लिये आप लाइन बिछा रहे हैं और उसका भार जनता पर डाला जाय, यह ठीक नहीं है। जनता इस प्रकार के कर भार को सहन करनेवाली नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** जनता विरोध करे तो करे। म्युनिसिपैलिटी का पचड़ा आप इसके बीच में क्यों डाल रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का क्या लेना देना है?

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी :** It is an open challenge to the public.

**श्री दयाकृष्ण विजय :** जनता इस बारे में जरूर आन्दोलन करेगी।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** जनता करे तो क्या करे, आप जाकर कहेंगे तो वे कर सकते हैं लेकिन जहां आप लोगों को समझा सकते हैं हम भी उनको समझा सकते हैं। आपके कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे हैं कि आपको वाटर रेट हम कम रेट पर दें और दूसरों से एक रुपया प्रति हजार, गैलन वसूल करें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो मांग रखी गई है यह वाजिब है इसलिये इसको स्वीकार किया जाय।

**श्री मूलचन्द डागा :** जवाई बान्ध के लिये आपने कुछ नहीं कहा।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैं उसके लिये भी निवेदन करता हूं हेमावास तक जो नहर ले जायी जा रही है, उसीसे आपके पाली में भी पानी मिलेगा, आपके वहां के वाटर वर्क्स का इन्तजाम भी इसी नहर से होगा।

**डॉ० बहादुरसिंह :** सभापति महोदय, मुझे अपना कट मोशन वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

**श्री सभापति :** क्या सदन की यह अनुमति है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**डॉ० बहादुरसिंह :** मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री पी० के० चौधरी :** I beg leave of the House to withdraw my cut motion.

**श्री सभापति :** क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी० के० चौधरी को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पी० के० चौधरी :** I withdraw my cut motion.

# Page No.111



**श्री मूलचन्द डागा :** सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

**श्री सभापति :** क्या सदन की अनुमति है कि श्री डागा को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री मूलचन्द डागा :** I Withdraw my Cut motion.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं० ५६ मुख्य शीर्षक ७०जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,७९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**माग संख्या ५९ मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार**

**श्री नाथूराम मिर्धा** सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५९ मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६,५५,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५९ मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६,५५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई ।

**श्री पी० के० चौधरी :** I have got my cut motions.

**श्री सभापति :** अगर आप थोड़ी सी मांगों को और पास करलें तो एप्रोप्रियेशन बिल पर माननीय सदस्य एलोबेरेटली बोल सकेंगे ।

**मांग संख्या ६० मुख्य शीर्षक ता राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम**

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ६०मुख्य शीर्षक ता राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६० मुख्य शीर्षकता राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०००)

# Page No.112



( श्री सभापति )

तक की राशि और प्रदान की जावे, उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**श्री श्रीभानसिंह:** टाइम हो गया है साहब After the time I think no motion can be moved Now the time is up. I think after the time is over, no motion for a demand can be moved.

**श्री नाथूराम मिर्धा** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री): टाइम माननीय सभापति महोदय को बढ़ाने का अधिकार है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : यह माननीय सदस्य की सूचना से नहीं होगा ।

**श्री सभापति** : आप रेजोल्यूशन करिये कि १५ मिनट के लिये हाउस और बढ़ा दिया जावे ।

**मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी**

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आप कहें तो मैं पेश कर दूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सदन का समय पांच-दस मिनट और बढ़ा दिया जावे तो ये मांगें आज पास हो जावे । चूंकि जैसा आपका भी हुक्म है और माननीय सदस्यों की भी इच्छा थी कि यह मांग का काम आज समाप्त कर दिया जावे ताकि कल बहस करने का अधिक मौका मिले, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन का समय पांच-दस मिनट के लिये बढ़ा दिया जावे । मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार करें ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८, राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ तक समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे, उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

**मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १२ का बिक्रीकर**

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक १२ का बिक्रीकर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६७,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग

( श्री सभापति )

संख्या ४२ मुख्य शीर्षक १२ का बिक्रीकर के के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ९७,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे, उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

**मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १३**
**अन्य कर और महसूल**

**श्रीनाथूराम मिर्धा :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १३ अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १३ अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे, उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

**मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १८**
**सिंचन (संयुक्त)**

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १८ सिंचन (संयुक्त स्थापना, औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय तथा १८ साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४; मुख्य शीर्षक १८ सिंचन (संयुक्त) स्थापना औजार और स्थिर संपन्न पर व्यय तथा १८ साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४०,०००)रु० तक की राशि और प्रदान की जावे उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

**मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक २७**
**न्याय प्रशासन**

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्तव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५ मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में

# Page No.114



( श्री नाथूराम मिर्धा )

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

**श्री तर्नसिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे बहस करनी है।

**श्री सभापति :** तो यहां से कल वापिस ले लेंगे। औएडजोर्न।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

( सदन की कार्यवाही पांच बज कर पांच मिनट पर कल, दिनांक १७-१२-५८ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई। )

—————

# संक्षिप्त विवरण

( मंगलवार १६ दिसम्बर, १६५८ )

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ६६१०

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी को अग्रिम लोन दिया जाना ।

संस्कृत के विषय में सरकारी नीति ।

समाजवादी पार्टी द्वारा सत्याग्रह ।

जागीर पुनर्ग्रहण के मामले ।

लूणकरणसर से सेलोलाइट की निकासी ।

शरणार्थी महिलाओं एवं बच्चों के लिए आवास ।

चर्म उद्योग विद्यालय, धौलपुर में सामान की चोरी ।

मिनरल्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ।

तहसीलदार बैराठ के खिलाफ चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से घर पर काम लेने संबंधी शिकायत ।

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को सरकार द्वारा ऋण ।

बहरोड-कन्ड सड़क की भूमि का लगान ।

पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति की रकम, जिला अलवर ।

प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तन तथा उनका बजट ।

आदूराम पटवारी, तहसील पदमपुर के खिलाफ शिकायत ।

बेरोज़गारी दूर करने के लिए योजना ।

बस्सी तथा सांगानेर खंडों में निर्माण कार्य के लिए रकम ।

गोगानेडी बीड में मवेशियों के चरने का इन्तजाम ।

प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के मेहतर कर्मचारियों का वेतन-जिला चूरू ।

ग्राम मिलकपुर ( अलवर ) के हरिजनों को उनकी काश्त की भूमि से बेदखल किया जाना ।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव ।

बड़े विकास खण्डों को दो हिस्सों में बांटने का प्रश्न ।

बस्सी के पटेल द्वारा चैक पर फर्जी हस्ताक्षर बना कर बैंक से रुपया लेने की शिकायत ।

इगाकों की बकाया रकम—पाली तहसील ।

कन्या पाठशाला, चौंली।

सुजानगढ़ तहसील के चौधरियों का पिचोतरा।

गाडोलिया लोहारों को अलॉट की गई जमीन—तहसील पाली।

प्राइमरी स्कूल्स की इमारतों का अधूरा निर्माण—पाली तहसील।

तकावी—जिला सवाई माधोपुर।

ग्राम सुजानपुरा की बावड़ी पर पटेल द्वारा अधिकार।

गंगापुर में शरणार्थियों की आवास समस्या।

समाज कल्याण बोर्ड की ओर से केन्द्रों का खोला जाना।

राजस्थान कैनाल एरिया के किसानों से रकबा काश्त का छुड़ाया जाना।

पत्थर की खानों का पर्मिट।

साजी, खार बनाने के लिए जमीन-जिला जालोर।

भीलवाड़ा नगर व तहसील में विकास कार्य।

रानोली (ज़िला सीकर) के जागीरदार द्वारा गलत मुआवजे का फार्म भरना।

ग्राम क्लून्दा में सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किये जाने की आज्ञा।

अलवर जिले में मेवों की भूमि का रेस्टोर किया जाना।

काश्त को भूमि आबादी में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही—गांव गिररी।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील नोखा (ज़िला बीकानेर) को राहत कार्यों के लिए दी गई धनराशि।

डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी (ज़िला-बीकानेर) द्वारा खर्च की गई धनराशि।

अनुसूचित जाति व जन-जातियों की नियुक्ति की आज्ञाओं का उल्लंघन।

अनुसूचित जाति व जन-जातियों के लिए सुरक्षित पद।

परिगणित जाति व जन-जातियों के उम्मीदवारों को तहसीलदारों के लिए प्रतिनिधित्व देना तथा शीघ्र पदोन्नति देना।

तहसीलदार के पद के लिए प्रार्थना-पत्र।

मौजा मलान (तहसील भीलवाड़ा) में नहरी भूमि का काश्त के लिए अलॉटमेंट।

मौजा हलेड़, (तहसील भीलवाड़ा)

में काश्त के लिए अलॉट की गई भूमि।

राजस्थान निर्माण के बाद जयपुर शहर के १० मील के एरिया में भी अलॉट की गई भूमि की बकाया रकम।

## विधायी-कार्य

**पुर : स्थापित किया गया विधेयक**

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (अंतिम आज्ञाएं वैधकरण) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित किया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री दामोदरलाल व्यास राजस्व मंत्री ने राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन) विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, ने विनियोग लेखा, १९५४-५५ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, भाग २, अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५६ भाग १; तथा अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५७, भाग १ पर समिति के पांचवे प्रतिवेदन का उपस्थान किया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५८-५९ (प्रथम खण्ड) पर मतदान।

**(१) मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३९ जन स्वास्थ।**

उपरोक्त मांग पर की गई बहस का उत्तर आज श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जिसमें से ५ कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

**(२) मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक पशु चिकित्सा।**

उपरोक्त मांग श्रीनाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ८ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :

१—श्री पी० के० चौधरी।

२—श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)

३—डॉ० बहादुरसिंह।

४—रावराजा श्री सरदारसिंह।

५—श्री लच्छूराम।

६—श्री मूलचन्द डागा।

७—श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् ५ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए

# Page No.118



गये तथा शेष अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

**३) मांग संख्या ५२ मुख्य शीर्षक २३-उद्योग और प्रदाय।**

उपरोक्त मांग उपमंत्री, वित विभाग, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर ५ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :

१-श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

२-डॉ० बहादुरसिंह।

३-श्री मूलचन्द डागा।

उप मंत्री के उत्तर के पश्चात् ४ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए गये तथा शेष अस्वीकार किये गये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

**(४) मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ७०, जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत।**

यह मांग श्री नाथूराम मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर ३ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :-

१-डॉ० बहादुरसिंह।

२-श्री पी० के० चौधरी।

३-श्री मूलचन्द डागा।

मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् समस्त कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए गए तथा मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

ऊपर बतलाई गई मांगों के अतिरिक्त निम्नांकित मांगें भी सदन द्वारा स्वीकार की गई :

(१) मांग सं० ५६, मुख्य शीर्षक ८५-का-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूँजी की लागत।

(२) मांग सं० ६०, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम।

(३) मांग सं० ४१, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर।

(४) मांग सं० ४२ मुख्य शीर्षक १२-का-बिक्री कर।

(५) मांग सं० ४३, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल।

(६) मांग सं० ४४, मुख्य शीर्षक १८-सिंचन (संयुक्त) स्थापना औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय तथा १८-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबंधित अन्य राजस्व व्यय।

मांग सं० ४५; मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन को प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर बुधवार,

स्कम्भ

दिनांक १७ सितम्बर, १६५८ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

बुधवार, १७ दिसम्बर, ५८ की कार्य सूची :—

स्कम्भ

(१) नवयुग सम्बन्धी प्रिविलेज़ मोशन ।

(२) अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८-५६ ( प्रथम खण्ड ) पर मतदान ।

## परिशिष्ट १

( कृपया प्रश्न संख्या १२४५ का उत्तर देखिये )

### मांग-पत्र

१. बे मुनाफे की खेती : कम से कम बारानी १० बीघे या चाही ४ बीघे : पर से लगान माफ हो।

२. ६० साल से अधिक उम्र के असहाय वृद्धों को जीवन निर्वाह के लिए सरकार पेन्शन दे।

३. सरकार सबको काम दे या बेकारी भत्ता दे।

४, सारे राजस्थान में कृषि भूमि के लिये १६५ फीट की स्टेन्डर्ड जरीब काम में ली जाय।

५. तमाम सरकारी एवं अदालती काम-काज में अँग्रेजी का प्रयोग शीघ्र बन्द किया जाय।

६. सरकारी सेवा में किसी को १०० रुपए माहवार से कम व १,००० रुपए माहवार से अधिक नहीं दिया जाए।

७. जोतने वाला ही जमीन का मालिक हो, के सिद्धान्त को स्वीकार करके जमीन का फिर से बंटवारा किया जावे।

८. कलेक्टरशाही खत्म हो।

९. कोर्ट फीस हटाई जाय। १०० रुपए तक की मासिक आमदनी वालों के मुकदमों में सरकार की ओर से मुफ्त पैरवी की व्यवस्था की जाय। न्याय व प्रशासन अलग हो तथा जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके इसके लिए हाई कोर्ट की बैंच व्यवस्था कायम रहे तथा सर्किट बैंच व्यवस्था चालू की जाय।

१०. बिक्री कर हटाया जाय।

११. भारी सुधार : बेटरमेंट लेवी : व सिंचाई करों में कमी की जाय तथा सिंचाई कर में प्रचलित असमानता को दूर किया जाय।

१२. सबके लिए पीने के साफ पानी, इलाज तथा प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो।

१३. लगान की बकाया रकम पर ब्याज नहीं लिया जावे।

१४. खरीफ पर ६ आने व रबी पर १० आने लगान वसूली का गलत तरीका बन्द हो, काश्तशुदा जमीन के हिसाब से ही लगान लिया जावे ।

१५. चराई टैक्स माफ हो, चारागाह का समुचित प्रबन्ध हो, जलाने की लकड़ी उचित भाव पर मिलने की व्यवस्था हो, जनता की सुविधा के लिहाज से जंगलात के कानून एवं सीमाबन्दी के तरीके में आवश्यक सुधार हो ।

१६. देहाती शरणार्थियों से उनके क्लेम का निबटारा किए बगैर उनको अलॉट की हुई जमीन व मकान की कीमत वसूल नहीं की जाय ।

१७. सरकारी कर्मचारियों को अपने संगठन बनाने की पूरी आजादी हो । केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा नियमों का फर्क खतम किया जाय तथा सभी उद्योग धन्धों के मजदूरों के लिए तमाम मजदूर कानून समान रूप से लागू किये जायं एवं उनके लिए वर्त्तमान समय के अनुसार न्युनत्तम वेतन निर्धारित किया जाय ।

१८. भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए निष्पक्ष बोर्ड का गठन हो, मिनिस्टरों प्रमुख. नेताओं एवं उच्च अधिकारियों की सम्पत्ति का सालाना लेखा जोखा लिया जाया करे तथा भ्रष्टाचार के मामलों की सार्वजनिक एवं खुली जांच कराई जायें ।

१६. काश्तकारों को अफीम की कीमत ७० रु० सेर से कम न दी जाय तथा निजी उपयोग के लिए तम्बाखू की खेती करने की छूट रहे ।

२०. नीमराणा : अलवर : क्षेत्र के किसानों का भारी लगान कम हो ।

२१. बे मकान वालों को मकान बनाने के लिए सस्ती रेट व किश्त बन्दी पर जमीन दें ।

———

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ का उत्तर देखिये )

### कुटीर उद्योग : प्रशिक्षण एवं उत्पादन : केन्द्र तथा बुनियादी पाठशालाओं की क्षेत्रानुसार सूची

| क्रमांक | प्रवृत्ति का प्रकार | स्थान | योजना |
|---|---|---|---|
| | **जिला जयपुर क्षेत्र, जयपुर** | | |
| १. | सिलाई केन्द्र | जयपुर | अनुसूचित जाति |
| २. | सिलाई केन्द्र | चाकसू | ,, |
| ३. | चर्म उद्योग केन्द्र | सांगानेर | ,, |
| | **जिला अलवर क्षेत्र, जयपुर** | | |
| १. | बढ़ईगिरी केन्द्र | अलवर | अनुसूचित जाति |
| २. | ,, | रामगढ़ | ,, |
| | **जिला सीकर, क्षेत्र जयपुर** | | |
| १. | सिलाई केन्द्र | सीकर | अनुसूचित जाति |
| २. | ,, | खंडेला | ,, |
| | **जिला टोंक, क्षेत्र जयपुर** | | |
| १. | सिलाई केन्द्र | राजमहल | अनुसूचित जाति |
| | **जिला झुंझुनूं, क्षेत्र जयपुर** | | |
| १. | सिलाई केन्द्र | मेहरमपुर | अनुसूचित जाति |
| | **जिला अजमेर क्षेत्र, जयपुर** | | |
| १. | ट्राइबल टेक्नीलोजी सेन्टर | नसीराबाद | अनुसूचित जन जाति |
| २. | लेदर ट्रेनिंग एन्ड टेक्नीलोजी, सेन्टर | नांदला | अनुसूचित जाति |
| ३. | बुनाई केन्द्र | पुष्कर | अनुसूचित जाति |
| ४. | सिलाई केन्द्र | मसूदा | ,, |

## जिला उदयपुर, क्षेत्र उदयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | क्राफ्ट बायस स्कूल | पालमुंगाना | अनुसूचित जन जाति |
| २. | ,, | मांडा | ,, |
| ३. | ,, | पालवोंना | ,, |
| ४. | ,, | खेड़ा | ,, |
| ५. | ,, | नलवा | ,, |
| ६. | ,, | अम्बावी देया | ,, |
| ७. | ,, | अम्बासा | ,, |
| ८ | ,, | सुन्दरा | ,, |
| ९. | ,, | कटैव | ,, |
| १०. | ,, | जवाहर नगर ( २ ) | ,, |
| ११. | ,, | इन्दा | ,, |
| १२. | कथा उद्योग केन्द्र | अम्बावी देया | ,, |
| १३. | सिलाई केन्द्र | उदयपुर | अनुसूचित जाति |
| १४. | ,, | कांकरोली | ,, |
| १५. | बढ़ईगिरी केन्द्र | उदयपुर | ,, |
| १६. | ,, | गीरां | अनुसूचित जन जाति |
| १७. | ,, | झावर | ,, |
| १८. | बांस बैंक केन्द्र | जवाहरनगर | ,, |
| १९. | सिलाई केन्द्र | सलूम्बर | ,, |
| २०. | टेलरिंग सेन्टर(सिलाई केन्द्र) | रिखभदेव | ,, |

## जिला बांसवाड़ा, क्षेत्र उदयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | वाकेशनल बायस स्कूल | सावला | अनुसूचित जन जाति |
| २. | ,, | चन्दूजी का गड्ढा | ,, |
| ३. | ,, | तारणा | ,, |
| ४. | ,, | झारी | ,, |
| ५. | ,, | पलासवानी | ,, |
| ६. | ,, | गोरडी | ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७. | क्राफ्ट वायस स्कूल | दारोवारिया | अनुसूचित जन जाति |
| ८. | ,, | असान | ,, |
| ९. | ,, | टम्पटिया | ,, |
| १०. | ,, | रामगढ़ | ,, |
| ११. | ,, | जलपुरा | ,, |
| १२. | ,, | गंगाड तलाई | ,, |
| १३. | कृषि स्कूल | नाडाना | ,, |
| १४. | सिलाई केन्द्र | बांसवाड़ा | ,, |
| १५. | बढ़ईगिरी केन्द्र | नवगांव | ,, |
| १६. | लुहारगिरी केन्द्र | नवगांव | ,, |

## जिला डूंगरपुर, क्षेत्र उदयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | वाकेशनल वायस स्कूल | चारावाड़ा | अनुसूचित जन जाति |
| २. | ,, | बांसिया | ,, |
| ३. | ,, | नीथुपल | ,, |
| ४. | ,, | बाबा की बाड़ | ,, |
| ५. | ,, | मालमाथापल | ,, |
| ६. | ,, | मलसुराता | ,, |
| ७. | ,, | मंडवामल | ,, |
| ८. | ,, | रातापानी | ,, |
| ९. | सिलाई केन्द्र | सागवाड़ा | ,, |
| १०. | बढ़ईगिरी केन्द्र | फलीज | ,, |
| ११. | लुहारगिरी केन्द्र | फलीज | ,, |

## जिला चित्तौड़, क्षेत्र उदयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | प्रतापगढ़ | अनुसूचित जन जाति |
| २. | वाकेशनल वायस स्कूल | काजलीखेड़ा | ,, |
| ३. | ,, | अचलपुरा | ,, |
| ४. | क्राफ्ट वायस स्कूल | घामनिया | ,, |
| ५. | सिलाई केन्द्र | गोसूंडा | अनुसूचित जाति |

## जिला भीलवाड़ा, क्षेत्र उदयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बढ़ईगिरी केन्द्र | रायला | अनुसूचित जाति |
| २. | सिलाई केन्द्र | भीलवाड़ा | ,, |
| ३. | क्राफ्ट वायस स्कूल | बोरडा | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला जोधपुर, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | जोधपुर | अनुसूचित जाति |
| २. | लुहारगिरी केन्द्र | जोधपुर | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला पाली, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | पाली | अनुसूचित जाति |
| २. | सिलाई केन्द्र | सिवाडी | अनुसूचित जन-जाति |
| ३. | कृषि वायस स्कूल | कागडोरा | ,, |
| ४. | क्राफ्ट वायस स्कूल | बेरा | ,, |

## जिला सिरोही, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | क्राफ्ट वायस स्कूल | मीरस | अनुसूचित जन जाति |
| २. | ,, | मीरपुर | ,, |
| ३. | ,, | तलहटी | ,, |
| ४. | ,, | तेलपुर | ,, |
| ५. | ,, | अम्बा | ,, |
| ६. | ,, | निटोरा | ,, |
| ७. | सिलाई केन्द्र | सिरोही | अनुसूचित जाति |
| ८. | ,, | आबू | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला जालौर, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | क्राफ्ट वायस स्कूल | राजरियावास | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला जैसलमेर, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | चर्म उद्योग केन्द्र | पोकरण | अनुसूचित जाति |

## जिला बाडमेर, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | बाड़मेर | अनुसूचित जाति |

## जिला नागोर, क्षेत्र जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बढ़ईगिरी केन्द्र | नागोर | अनुसूचित जाति |

## जिला बीकानेर क्षेत्र बीकानेर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | बीकानेर | अनुसूचित जाति |
| २. | चर्म उद्योग केन्द्र | बीकानेर | ,, |

## जिला चूरू, क्षेत्र बीकानेर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | चूरू | अनुसूचित जाति |
| २. | सिलाई केन्द्र | सरदारशहर | ,, |
| ३. | बढ़ईगिरी केन्द्र | सुजानगढ़ | ,, |

## जिला भरतपुर क्षेत्र भरतपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बेसिक स्कूल | बासेरी | अनुसूचित जन-जाति |
| २. | सिलाई केन्द्र | डीग | अनुसूचित जाति |
| ३. | चर्म उद्योग केन्द्र | डीग | ,, |

## जिला कोटा, क्षेत्र भरतपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बेसिक क्राफ्ट बायस स्कूल | कुशलपुरा | अनुसूचित जन-जाति |
| २. | ,, | केलवाड़ा | ,, |
| ३. | ,, | जवनपुरा | ,, |
| ४. | ,, | फलदी | ,, |
| ५. | सिलाई केन्द्र | कोटा | अनुसूचित जाति |
| ६. | ,, | राजाखेड़ा | अनुसूचित जन जाति |
| ७. | ,, | केलवाड़ा | ,, |

## जिला बून्दी, क्षेत्र भरतपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | कृषि बायस स्कूल | डबलाना | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला झालावाड, क्षेत्र भरतपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | बेसिक क्राफ्ट बायस स्कूल | केलवाड़ा | अनुसूचित जन-जाति |

## जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र भरतपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | सिलाई केन्द्र | सवाई माधोपुर | अनुसूचित जन-जाति |
| २. | ,, | वजीरपुर | ,, |
| ३. | बढ़ईगिरी केन्द्र | हिन्डी | ,, |

---

# परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ का उत्तर देखिये )

## नक्शा जो मियादि चिट्ठी सरकल पाली, तहसील पाली के राइकों की बकाया है

| क्र० सं० | नाम नाका जहां से चिट्ठी जारी हुई | चिट्ठी नं० | तारीख | नाम वल्दियत कोम सकुन्त | विगत जानवर | महसूल की रकम | वजह मतालबा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | पाली सिटी | ३३६७२६ | १६-१२-४७ | राईका हीरा वल्द | बकरी | ४५ | ४३६) खाली चिट्ठी करने वाले |
| | | | | जेठा सा० जेतपुर | बकरा | ४० | ने चिट्ठी तसदीक शुदा |
| | | | | (त०) पाली | लरड़ी | २१० | बावजूद नोटिस के पेश नहीं |
| | | | | | बच्चा | ३० | किया इसलिए बाद गुजरने |
| | | | | | बकरा | ५ | नोटिस के महसूल वसूली |
| | | | | | सांड | ७ | की कार्यवाही माफिक पी. |
| | | | | | ऊंट | १ | डी. आर. के जारी |
| | | | | | बच्चा | १ | की गई। |
| २. | पाली सिटी | ३३६७३१ | १६-१२-४७ | राईका सोना वल्द | बकरी | २७ | ३७०) खाली चिट्ठी करने- |
| | | | | गेना रा. जेतपुर | बच्चा | १० | वाले ने चिट्ठी तस- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (त) पाली | बकरा | ३ | दीक शुदा बावजूद नोटिस के पेश नहीं किया, इसलिए बाद गुजरने नोटिस के महसूल वसूली की कार्यवाही माफिक पी. डी. आर. के जारी की गई। |
| | लरड़ी | १६० | |
| | बच्चा | ५० | |
| | घेटा | ३० | |
| | सांड | १ | |
| | ऊंट | १ | |
| | | २८२ | |

## परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ का उत्तर देखिये)

**सूचि चौधरियान जिन्हें पिचौतरा देना है, तहसील सुजानगढ़ सं० २०१२ से, १४**

| नं० शु० | नाम गांव | नाम चौधरी |
|---|---|---|
| १ | लोढ़सर | श्री देवाराम |
| २ | मींगना | श्री उदाराम |
| ३ | लुहारा | श्री मालाराम |
| ४ | लुहारा | श्री मोटाराम |
| ५ | साजनसर | श्री मोलाराम |
| ६ | लिखमनसर | श्री चुन्नाराम |
| ७ | जोगलिया बैंनाथा | श्री भींवाराम |
| ८ | नत्रासर | श्री जसुराम |
| ९ | जयाक | श्री मुसाराम |
| १० | अमरसर | श्री पनाराम |
| ११ | अमरसर | श्री गणपतराम |
| १२ | बासी | श्री उमाराम |
| १३ | दुलिया | श्री गीगदास |
| १४ | घातरी | श्री नौलाराम |
| १५ | बम्बू | श्री जीवणराम |
| १६ | बम्बू | श्री पन्नाराम |
| १७ | बम्बू | श्री मोटाराम |
| १८ | बीदासर | श्री खुमाराम |
| १९ | बीदासर | श्री कोढूराम |
| २० | बैरासर | श्री आदुराम |
| २१ | पालास | श्री बैरीसालसिंह |

| | | |
|---|---|---|
| २२ | नोड़िया | श्री मोटाराम |
| २३ | दड़ीबा | श्री बुधाराम |
| २४ | मगरासर | श्री दयालराम |
| २५ | मगरासर | श्री रामरीख |
| २६ | मगरासर | श्री शेराराम |
| २७ | सारंगसर | श्री कुम्भाराम |
| २८ | बागसरा | श्री अमरराम |
| २९ | शोभासर | श्री नोलाराम |
| ३० | भींवसर | श्री फुसाराम |
| ३१ | भींवसर | श्री दानाराम |
| ३२ | गुडाबड़ी | श्री चुनाराम |
| ३३ | गुडाबड़ी | श्री गोविन्दराम |
| ३४ | गुडाबड़ी | श्री तिलोकाराम |
| ३५ | जैतासर | श्री सालूराम |
| ३६ | खारिया कनीराम | श्री पदमराम |
| ३७ | बागसरा | श्री खेताराम |
| ३८ | कातर बड़ी | श्री पेलादराम |
| ३९ | कातर बड़ी | श्री हेमाराम |
| ४० | बीदासर | श्री सुन्दाराम |
| ४१ | भासीना | श्री मालराम |
| ४२ | उन्टालड़ | श्री रतीराम |
| ४३ | बेरासर | श्री सुखाराम |
| ४४ | बेरासर | श्री करणाराम |
| ४५ | कातर छोटी | श्री अगराराम |
| ४६ | खालीया | श्री बालूराम |
| ४७ | बड़ावर | श्री मोटाराम |

| | | |
|---|---|---|
| ४८ | घोटड़ा | श्री लीखमीराम |
| ४६ | बोथीया | श्री चतराराम |
| ५० | ढढेक गोदरान | श्री इशरराम |
| ५१ | हरासर | श्री बागाराम |
| ५२ | बडावर | श्री भगवानाराम |
| ५३ | सान्डवा | श्री खुमाराम |
| ५४ | जीली | श्री जेठाराम |
| ५५ | कोडासर बीदावतान | श्री हजारीसिंह |
| ५६ | रूपेली | श्री उमाराम |
| ५७ | जोगलिया | श्री जीवननाथ |
| ५८ | जीली | श्री नन्दाराम |
| ५६ | दडीबा | श्री कोडाराम |
| ६० | नोरंगसर | श्री चतराराम |
| ६१ | घातरी | श्री जेताराम |
| ६२ | डुंकर | श्री लादूराम |
| ६३ | सालासर | श्रीसुन्डाराम |
| ६४ | सालासर | श्री पेमाराम |
| ६५ | नोरंगसर | श्री हनुमान |
| ६६ | मालासर | श्री लछाराम |
| ६७ | पारवतीसर | श्री बैगाराम |
| ६८ | नेनाथा उमनो | श्री अणदाराम |
| ६६ | आसरासर | श्री पेमदास |
| ७० | हरासर | श्री लिखमाराम |
| ७१ | मुवाड़ा | श्री सांवतराम |
| ७२ | घोठड़ा | श्री गिरधारीलाल |
| ७३ | इयारा | श्री घमन्डाराम |

| | | |
|---|---|---|
| ७४ | गेडाव | श्री चुनाराम |
| ७५ | इयाग | श्री जीवणराम |
| ७६ | इयारा | श्री कालूराम |
| ७७ | रूपेली | श्री जालूराम |
| ७८ | घीगारिया | श्री जादूराम |
| ७९ | लारिया छोटा | श्री चानगराम |
| ८० | न्यामा | श्री बुचाराम |
| ८१ | न्यामा | श्री जीवणराम |
| ८२ | हरासर | श्री बाघाराम |
| ८३ | हरासर | श्री लादूराम |
| ८४ | धुकर | श्री नराबाराम |
| ८५ | मुधुड़ा | श्री चालाराम |
| ८६ | मुधुड़ा | श्री श्रीराम |
| ८७ | मुधुड़ा | श्री पैमाराम |
| ८८ | जोगलिया | श्री जीवणनाथ |
| ८९ | शोलासर | श्री हनूताराम |
| ९० | मलसीसर | श्री मालाराम |
| ९१ | मलसीसर | श्री खुमाराम |
| ९२ | गेड़ाव | श्री मेघाराम |
| ९३ | बड़ावर | श्री मानदास |
| ९४ | जीनरासर | श्री मानदास |
| ९५ | मालकसर | श्री रूगाराम |
| ९६ | सान्डवा | श्री फुसाराम |
| ९७ | चक दड़ीबा | श्री रूपाराम |
| ९८ | भांगीवाद | श्री रामूराम |
| ९९ | लोडसर | श्री आसाराम |
| १०० | चक दड़ीबा | श्री कोडामल |

| | | |
|---|---|---|
| १०१ | पारवतीसर | श्री भंवरसिंह |
| १०२ | भासीना | श्री हेमाराम |
| १०३ | मालासर | श्री लधाराम |
| १०४ | जयाक | श्री उदाराम |
| १०५ | ढिगरिया | श्री खुमासिंह |
| १०६ | भीडास | श्री भूरेखां |
| १०७ | नीमडी वीदावतान | श्री भूरेखां |
| १०८ | राजीयासर खारा | श्री खुमाणाराम |
| १०६ | घन्टियाल छोटा | श्री पुरखाराम |
| ११० | भीबंसर | श्री डूंगरराम |
| १११ | मींगण | श्री उदाराम |
| ११२ | ठरड़ा | श्री चूनाराम |
| ११३ | बोबासर | श्री रीवाराम |

## परिशिष्ट ५

( कृपया प्रश्न संख्या १२७३ का उत्तर देखिये )

### राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की सूची

| क्रम संख्या योजना का नाम | केन्द्र का नाम | दिनांक जिस दिन से केन्द्र चल रहा है |
|---|---|---|
| १. समाज कल्याण खंड, मावली (उदयपुर) | १. मावली | १५–८–५५ |
| | २. डबोक | १–८–५५ |
| | ३. घासा | १५–८–५५ |
| | ४. सालेरा | १५–८–५५ |
| | ५. बिजनबास | १५–८–५५ |
| २. समाज कल्याण खंड, राज समन्द (उदयपुर) | १. सनवाड़ | ६–१०–५५ |
| | २. केलवा | १–११–५६ |
| | ३. मोही | ६–१०–५६ |
| | ४. कुवारिया | १–१२–५६ |
| | ५. धोईन्दा | १६–१२–५६ |
| ३. समाज कल्याण खंड, श्रीनगर (अजमेर) | १. कानपुरा | १–१२–५७ |
| | २. बीर | १५–७–५५ |
| | ३. गगवाना | १५–७–५५ |
| | ४. ऊंठड़ा | १५–७–५५ |
| | ५. मोहानी | १५–७–५५ |
| ४. समाज कल्याण खंड, रामसर (अजमेर) | १. रामसर | १५–७–५५ |
| | २. डबरेला | १५–७–५५ |
| | ३. डराठ | १–१०–५६ |
| | ४. राजगढ़ | ८–१२–५६ |
| | ५. नांदला | १५–४–५७ |
| ५. समाज कल्याण खंड, जेठाजा (अजमेर) | १. जेठाजा | १५–७–५५ |
| | २. काबरा | १५–७–५५ |

| | | |
|---|---|---|
| | ३. जालिया | १-१०-५६ |
| | ४. शिकराणी | ४-५-५७ |
| ६. समाज कल्याण खंड, केकड़ी (अजमेर) | १. बघेरा | १५-७-५५ |
| | २. बोगला | १५-७-५५ |
| ७. समाज कल्याण खंड, हनुमानपुरा (झुंझुनूं) | १. हनुमानपुरा | १५-८-५५ |
| | २. मेजासर | १-६-५५ |
| | ३. भारू | १-६-५५ |
| | ४. सोटवारा | १-१०-५५ |
| | ५. नाहरसिहानी | १-१०-५५ |
| ८. समाज कल्याण खंड, सँगरिया (गंगानगर) | १. ढाबा | १-६-५५ |
| | २. दीनगढ़ | १-१०-५५ |
| | ३. मोजन्ड | १-१०-५५ |
| | ४. नकेर | १-१०-५५ |
| | ५. धोलीपाल | १४-१२-५५ |
| | ६. हरिपुरा | ६-६-५७ |
| ९. समाज कल्याण खंड, भरतपुर | १. उच्चैन | २४-२-५६ |
| | २. भीट | २४-२-५६ |
| | ३. कुम्हा | २४-२-५६ |
| | ४. सेवर | २४-२-५६ |
| | ५. लुधावई | २४-२-५६ |
| १०. समाज कल्याण खंड, बून्दी | १. सथर | १-१-५६ |
| | २. बड़ौदिया | १-१-५६ |
| | ३. अलीर | १-११-५६ |
| | ४. आकोड़ा | १-१-५६ |
| | ५. हटीपुरा | १-१-५६ |
| ११. समाज कल्याण खंड, जोधपुर | १. कैरू | १२-११-५६ |
| | २. अकोलिया | १-१२-५६ |
| | ३. पाल | १६-५-५७ |
| | ४. बोरानारा | २८-१-५७ |

| | | |
|---|---|---|
| | ५. लालसागर | २८-१-५७ |
| १२. समाज कल्याण खंड, फागी | १. फागी | मार्च, १९५७ |
| | २. चकवाड़ा | जुलाई, १९५७ |
| | ३. चित्तौड़ा | जुलाई, १९५७ |
| | ४. मनोहरपुरा | मार्च, १९५८ |
| | ५. रैनवाल | मई, १९५८ |
| १३. समाज कल्याण खंड, सांगानेर | १. मानपुरा | अक्तूबर, १९५५ |
| | २. गैटोर | अगस्त, १९५५ |
| | ३. श्योपुर | अगस्त, १९५५ |
| | ४. भाकरोटा | जुलाई, १९५७ |
| | ५. वाटिका | अक्तूबर, १९५७ |
| १४. समाज कल्याण खंड, पाली | १. हेमावास | ९-८-५७ |
| | २. बदोय | २-६-५८ |
| | ३. खैरता | २-६-५७ |
| | ४. लांबिया | १६-१०-५७ |
| १५. समाज कल्याण खंड, सरदारशहर (चूरू) | १. उडसर | मार्च, १९५५ |
| | २ जैसंगसर | अप्रैल, १९५५ |
| | ३. पुलासर | मई, १९५५ |
| | ४. नेहरासर | मई, १९५५ |
| | ५. ऊड़ासर | अप्रैल, १९५५ |
| १६. समाज कल्याण खंड, अलवर | १. रूपवास | अप्रैल, १९५५ |
| | २. दिवाकरी | अप्रैल, १९५५ |
| | ३. बुर्जा | अप्रैल, १९५५ |
| | ४. अकबरपुर | अप्रैल, १९५५ |
| | ५. उमरैन | जुलाई, १९५५ |
| १७. समाज कल्याण खंड, भीलवाड़ा | १. हमीरगढ़ | १८-०१-५५ |
| | २. मगरोप | ८-१०-५५ |

| | | |
|---|---|---|
| | ३. सांगानेर | १६–१०–५५ |
| | ४. स्वरूपगंज | १६–१०–५५ |
| | ५. भोली | १६–१०–५५ |
| १८. समाज कल्याण खंड, सुजानगढ़ | १. गोपालपुरा | २३–११–५६ |
| | २. आबसर | २३–११–५६ |
| | ३. मलसीसर | २३–११–५६ |
| | ४. चरला | २३–११–५६ |
| १६. समन्वय समाज कल्याण योजना, झालरापाटन | १. अकतासा | |
| | २. रुएडलाव | अक्तूबर, १६५८ |
| | ३. झमकी | |
| | ४. कैनवारा | |
| | ५. सिंगानिया | नवम्बर, १६५८ |
| | ६. गादिया। | |

( ख )

## समाज कल्याण बोर्ड की योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों की तालिका

प्रत्येक योजना में ५ केन्द्र चलाये जाते हैं। इन केन्द्रों पर १ ग्राम सेविका, १ उद्योग शिक्षिका, १ दाई कार्य करती है और कार्यालय में एक लेखापाल, एक चपरासी और एक ड्राइवर कार्य करते हैं। इन केन्द्रों के कार्य को देखने के लिए एक मुख्य सेविका और एक मिडवाइफ रहती है। इनको राज्य नियमानुसार जो वेतन दिया जाता है, वह निम्न प्रकार है।

| क्रमांक | वेतन शृङ्खला | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| १. ग्राम सेविका | ६०:३:६०:४:१३० | ६१ |
| २. मुख्य सेविका | ११०:५:१३५:१०:२२५ | २० |
| ३. मिडवाइफ | १००:५:१४५:१०:२२५ | ७ |
| ४. उद्योग शिक्षिका | ४०:२:६० | ७३ |
| ५. दाई | २५:१:४० | ४६ |

| | | |
|---|---|---|
| ६. लेखापाल | ८०:५:१००:८:१६०:१०:२०० | १३ |
| ७. ड्राइवर | ६०:४:८०:५:१०० | १४ |
| ८. चपरासी | २५:१:४० | १२ |

उपर्युक्त वेतन श्रृङ्खला प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है और अप्रशिक्षित होने पर उन्हें २० प्रतिशत कम दिया जाता है।

———

## परिशिष्ट ६

( कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये )

सूची उन राहत कार्यों की जो सन् ५८-५६ में तहसील नोखा में चालू किये गये

| क्रम. सं० | नाम ग्राम | किस्म कार्य | रकम स्वीकृति |
|---|---|---|---|
| १. | देसलसरमालानाड़ा | खुदाई तलाई | २,००५ रु० |
| २. | कुचोर आथुनी | — | २,००० रु० |
| ३. | जांगलू | — | १,५०० रु० |
| ४. | कुकणीयां बेरासर | — | १,०७५ रु० |
| ५. | टांट | — | २,०३१ रु० |
| ६. | घट्टू | — | २,००० रु० |
| ७. | जैंगला बास गोगलीयान | — | २,६०० रु० |
| ८. | सरूड़ा | — | ६,००० रु० |
| ६. | जैसींगदेसर मगरा | — | ३,००० रु० |
| १०. | जैसींगदेसर | — | १,००० रु० |
| ११. | कक्कू | — | २,००० रु० |
| १२. | कीसनासर | — | १,८६४ रु० |
| १३. | मुन्द्रड | — | १,००० रु० |
| १४. | उदासर | — | १,००० रु० |
| १५. | मुकाम | — | १,००० रु० |
| १६. | साधू | — | १,००० रु० |
| १७. | हीयादेसर | — | १,००० रु० |
| १८. | माड़ीया | — | १,००० रु० |
| १६. | उदासर | — | ४,००० रु० |
| २०. | कीसनासर | — | ३०० रु० |
| २१. | कक्कू | — | १६७ रु० |
| २२. | सारूड़ा | — | ५६० रु० |
| २३. | मुद्रड़ | — | १,००० रु० |
| २४. | बीदासरिया | — | २,००० रु० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २५. | घट्ट | खुदाई तलाई | २०० रु० |
| २६. | मुकाम | — | २१० रु० |
| २७. | सीन्धु | — | २,००० रु० |
| २८. | सांयसर | — | ३०५ रु० |
| २९. | पाखा | — | २,००० रु० |
| ३०. | देसलसर भाडा | — | ३००० रु० |
| ३१. | जांगलू | — | १,०५० रु० |
| ३२. | साधासर | — | १,५०० रु० |

कुल मीजान ५०,६७७ रु०

## परिशिष्ट ७

( कृपया प्रश्न संख्या ४८८ सी. एम. का उत्तर देखिये )

## LIST OF LOCAL DEVELOPMENT WORKS YEAR-WISE AND TEHSILWISE. 1954-55.

| S. No. | Name of work. | Govt. grant. | Public share. | Total cost. |
|---|---|---|---|---|
| | **TEHSIL LOONKARANSAR.** | | | |
| 1. | Repairs of well at Rajpura. | 2,000/- | 2000/- | 4000/- |
| 2. | Repairs of well at Mandria. | 2,000/- | 2000/- | 4000/- |
| 3. | Repairs of well at Kishansar. | 2,000/- | 2000/- | 4000/- |
| 4. | Construction of new well at Bhaderan. | 2,000/- | 2000/- | 4000/- |
| 5. | Repairs of well at Likhmisar. | 1,500/- | 1500/- | 3000/- |
| 6. | Repairs of well at Dhani Chhipali. | 600/- | 600/- | 1200/- |
| 7. | Construction of School at Karnisar. | 2500/- | 2500/- | 5000/- |
| 8. | Construction of School at Sekhsar. | 1,000/- | 1000/- | 2000/- |
| 9. | Construction of Girls School at Jaipur. | 2,500/- | 2500/- | 5000/- |
| 10. | Extension of School Building at Kalu. | 3,925/- | 3925/- | 7850/- |
| | | 20,025/- | 20,025/- | 40,050/- |
| | **TEHSIL BIKANER.** | | | |
| 11. | Construction of Kund at Barjju. | 2000/- | 2000/- | 4000/- |
| 12. | Repairs of well at Lakhusar. | 1000/- | 1000/- | 2000/- |
| 13. | Pipe stand at Nathusar Basti. | 2612/- | 2612/- | 5224/- |
| 14. | Pipe stand at Choti Guar. | 1523/8/- | 1523/8/- | 3047/- |
| 15. | Pipe stand at Goga Gate. | 3234/- | 3234/- | 6468/- |
| 16. | Pipe stand at Ustanki-Bari. | 3105/8/- | 3105/8/- | 6211/- |
| 17. | Completion of well at Gangashar. | 10000/- | 10000/- | 20000/- |
| 18. | Repairs of well and Pumping set at Udramsar. | 4000/- | 4000/- | 8000/- |
| 19. | Construction of Link Road in Shiv Bari. | 2500/- | 2500/- | 5000/- |
| | | 29,975/- | 29,975/- | 59,950/- |

## TEHSIL NOKHA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Construction of well at Badhuu | 10000/- | 10000/- | 20000/- |
| 21. | Pumping set at Rajwala well at Nokha. | 10000/- | 10000/- | 20000/- |
| | | 20,000/- | 20,000/- | 40,000/- |

## TEHSIL KOLAYAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Digging of Tank at Mandal Charnan. | 500/- | 500/- | 1000/- |
| 23. | Construction of School and tank. at Gadiyala | 3000/- | 3000/- | 6000/- |
| 24. | Completion of School at Mandal Charnan. | 500/- Dropped | 500/- | 1000/- |
| 25. | Repairs of well at Jhajju. | 1000/- | 1000/- | 2000/- |
| | | 5,000 | 5.000 | 10,000 |

1955—56

## TEHSIL BIKANER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Repairs of Kund at Devikundsagar. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2. | Pumping set at Udramsar. | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3. | Const. of room at Udramsar well. | 2000 | 2000 | 4000 |
| 4. | Const. of Link road in Amarsingh Pura. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 5. | Const. of School Building by Ramakrishana Kuttira. | 10000 | 10000 | 20000 |
| 6. | Const. of Laboratory room at Deshnoke Disp. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 7. | Const. of Nurse quarter at Deshnoke Disp. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 8. | Const. of Primary School at Napasar. | 590 | 590 | 1180 |
| 9. | Const. of hall at Deshnoke High School. | 6000 | 6000 | 12000 |

## TEHSIL NOKHA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Repairs of well at Roda. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 11. | Repairs of well at Kishnasar, Thikhnada Bas. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 12. | Fixing of pipe line at Himatsar. | 5000 | 6000 | 11000 |
| | | 9,000 | 10,000 | 19,000 |

## TEHSIL LOONKARANSAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Completion of well at Bhaderan. | 4000 | 4000 | 8000 |
| 14. | Const. of School at Phooldesar. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 15. | Const. of additional Girls' School at Jaipur. | 3000 | 3000 | 6000 |
| | | 8,500 | 8,500 | 17,000 |

## TEHSIL KOLAYAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Repairs of well at Jhajju. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 17. | Completion of School at Bholasar. | 3000 | 3000 | 6000 |
| 18. | Completion of School at Mandal Charnan. | 210 | 210 | 420 |
| | | 4,210 | 4,210 | 8,420 |

## SECOND FIVE YEAR PLAN : 1956-57

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of Middle School at Bhinasar. | 10000 | 10000 | 20000 |
| 2. | Const. of Panchayat Building at Runiya Bas. | 200 | 200 | 400 |
| 3. | Const. of Children Park at Shiva Bari Village. | 1250 | 1250 | 2500 |
| 4. | Const. of additional rooms at Middle School at Sinthal. | 5000 | 5000 | 10000 |
| 5. | Drainage in compund Ground, Dungar College, Bikaner. | 3000 | 3000 | 6000 |
| 6. | Construction of Panchayat Building at Kanasar. | 350 | 350 | 700 |
| 7. | Pipe stand at Gadialohar Mohalla. | 2500 | 2500 | 5000 |
| | | 22,300 | 22,300 | 44,600 |

## TEHSIL NOKHA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Const. of School Build. at Bandhara. | 10000 | 10000 | 20000 |
| | | 10,000 | 10,000 | 20,000 |

# Page No.145



TEHSIL KOLAYAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Const. of Primary School at Diatra. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 10. | Const. of Primary School at Mitharia. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 11. | Const. of Primary School at Barsingh, Kanala. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 12. | Const. of Primary School at Nagrasar. | 700 | 700 | 1400 |
| | | 4,700 | 4,700 | 9,400 |

# LOCAL DEVELOPMENT WORKS SANCTIONED DURING THE YEAR 1957-58 IN BIKANER DISTRICT.

## BIKANER

### TEHSIL KODAYAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Const. of Kund at Chandi | 500 | 500 | 1000 |
| 2. | Const. of Primary School at Siyana. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 3. | Const. of Primary School at Dodu. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 4. | Const. of Aushdhalaya Building. and boarding at Akkasar. | 5000 | 5000 | 10000 |

### RAJASTHAN CONTINGENCY FUND

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Const. of Primary School at Chandi. | 500 | 500 | 1000 |
| 2. | Const. of Panchayat at Diatra. | 750 | 750 | 1500 |

### TEHSIL LOONKARANSAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Const. of Additional rooms at Kasturba—Gramothan Viddyapith, Mahajan. | 5000 | 5000 | 10000 |
| 2. | Const. of Aushdhalaya Building at Mahajan. | 6750 | 6750 | 13500 |
| 3. | Const. of School Building at Mehahan. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 4. | Const. of Panchayat Ghar at Loonkaransar. | 1000 | 1000 | 2000 |

### RAJASTHAN CONTINGENCY FUND

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Const. of Primary School at Malkisar | 910 | 910 | 182 |

### TEHSIL NOKHA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pipe line at Himtasar dispensary. | 500 | 500 | 1000 |
| 2. | Completion of well at Bhamatsar. | 2000 | 2000 | 4000 |
| 3. | Construction of boundary wall of Secondary High School at Nokha. | 2750 | 2750 | 5500 |
| 4. | Const. of boundry wall for School at Jaisinghdesar Magra. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 5. | Const. of Primary School at Badhnu. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 6. | Const. of Middle School at Rasisar. | 2000 | 2000 | 4000 |

## TEHSIL BIKANER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Repair of well and pumping Machine. | 4000 | 4000 | 8000 |
| 2. | Repair of well at Ramsar. | 1000 | 1000 | 2000 |

## SCHOOL BUILDING

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of room Laboratory Aushdhalaya, At Deshnoke. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2. | Construction of School Building at Udasar. | 4000 | 4000 | 8000 |
| 3. | Construction of School building at Katariasar. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 4. | Construction of School at Nathusarbas. | 750 | 750 | 1500 |
| 5. | Construction of additional room at Deshnoke high School. | 4000 | 4000 | 8000 |
| 6. | Construction of boarding house at Udramsar Middle School | 2000 | 2000 | 4000 |
| 7. | Completion of Nurse quarter at Deshnoke dispensary. | 250 | 250 | 500 |
| 8. | Construction of girls primary school at Deshnoke. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 9. | Constrnction of additional rooms at Bhinasar Primary School. | 500 | 500 | 1000 |
| 10. | Completion of School for Harijan at Napasar. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 11. | Completion of School at Norangadesar. | 1000 | 1000 | 2000 |

## MISCELLANLOUS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of Panchayat at Norangdesar. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2. | Consrruction of Panchayatghar at Gadwala. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 3. | Construction of Library at Palana. | 500 | 500 | 1000 |

## LOCAL DEVELOPMENT WORKS SANCTIONED DURING THE YEAR 1958—59.

### TEHSIL BIKANER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Completion of Primary School at Napasar. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2. | Complection ot Primary Girls' School at Deshnoke Tehsil Bikaner. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 3. | Construction of room Adult Education for girls and women at Gajner. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 4. | Consuctiou of Primary School at Mithriya. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 5. | Completion of well at Girjear. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 6. | Completion of well at Bajju. | 1000 | 1000 | 2000 |

### TEHSIL LOONKARANSAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Completion of Primary School at Phooldesar. | 200 | 200 | 400 |
| 2. | Construction of Primary School at Goplan. | 1100 | 1100 | 2200 |
| 3. | Construction of Primary School at Amarpura. | 2000 | 2000 | 4000 |
| 4. | Completion of Middle School at Loonkaransar. | 500 | 500 | 1000 |
| 5. | Construction of Panchayat at Kujteeu. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 6. | Construction of Panchayatghar at Sherpura. | 1000 | 1000 | 2000 |
| 7. | Construction of Boundary wall of Panchayatghar at Kalu | 500 | 500 | 1000 |
| 8. | Completion of Aushdhalaya Building at Mahajan. | 436 | 436 | 872 |
| 9. | Completion of Primary School at Kapurisar, Tehsil Loonkaransar. | 1500 | 1500 | 3000 |
| 10. | Completion of Primary School at Mehrana ,Tehsil Loonkaransar. | 1000 | 1000 | 2000 |

## TEHSIL NOKHA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Const. of Aushdhalaya Building at Badhnu. | 2000 | 2000 | 4000 |
| 2. Const. of Panchayatghar at Panchu. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 3. Completion of Middle School at Rasisar. | 5000 | 5000 | 10000 |
| 4. Const. of Panchayatghar at Sarunda. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 5. Const. of Panchayatghar at Himatsar. | 2500 | 2500 | 5000 |
| 6. Const. of Panchayatghar at Kuchore, Tehsil Nokha. | 2000 | 2000 | 4000 |
| 7. Completion of well at Surpura, Tehsil Nokha. | 1764 | 1764 | 3528 |

———

# परिशिष्ट ८

कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये )

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

APPOINTMENTS (D) DEPARTMENT

ORDER

Jaipur. February 27, 1958.

Subject:—Recruitment of Condidates from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

No. F. 9 (1) Apptts. (D)/58.—Government view with grave concern the fact that there has practically been no implementation of order No. F. 25 (52) GA/A/51, dated the 19th September, 1951 directing all appointing authorities to reserve a minimum of 12½% vacancies for Scheduled Castes/Tribes. candidates. The difficulty arising from the paucity of candidates belonging to scheduled castes and tribes may be real in the case of the higher services but this cannot be a valid argument in the case of recruitment to ranks of Class IV servants. Lower Division Clerks and Sub-ordinate services for which the matriculation or even a lower standard is sufficient qualification. It is, therefore, presumed that the very meagre recruitment of such candidates has been due mainly to the serious default on the various appointing authorities in implementing the policy of Government.

2. In order, therefore, to ensure proper implementation of Government's policy, it has been decided that enforcement of the reservation rules will henceforth be carried out under the immediate control of the Chief Secretary through the Appointments Department.

3. In supersession of all previous instructions the various appointing authorities are hereby required to follow the procedure laid down below for the purpose of implementing the order dated the 19th September, 1951. All Secretaries, Deputy Secretaries and Heads of Departments should study these instructions carefully and explain them to their subordinate officers, many of whom are the appointing authorities for the lower subordinate, ministerial and Class IV servants.

## 1. METHOD OF RECRUITMENT.

A. Gazetted Posts:—

(i) These posts are the posts mentioned in Schedule I to the Rajasthan Civil Services ( Classification, Control and Appeal ) Rules, 1950.

They ars all filled up through the Rajasthan Public Service Commission. In sending requisitions to the Commission, if the number of vacancies is 4 or more, the number of posts reserved for scheduled castes/tribes candidates must be specifically mentioned, all fractions above 1/4th being treated as one. For example, if the number is 11, then $12\frac{1}{2}\%$ would come to $1\frac{3}{8}$ and in such a case, 2 posts should be reserved. If the number of posts advertised is 4 to 10 one post should be reserved. Where recruitment is made to one category of posts but is split up into several groups of specialised posts, the reservation should be for the whole category and not for each group of specialised posts. For example, if recruitment is to be made of 16 Lecturers, of whom, 2 are in Hindi, 3 in English, 6 in Mathematics, and 5 in Chemistry, the reservation should be for 2 posts of Lecturers, irrespective of the subject, so that if two scheduled castes/tribes candidates are available in Hindi only, both of them should be appointed. A suitable column for mentioning the number of reserved posts should be included in all requisition forms.

(ii) It is occasionally alleged that requisitions are sent piece-meal to the Public Service Commission and that appointments made otherwise are also made piece-meal in order deliberately to evade the existing instructions regarding reservation of vacancies. Every appointing authority is, therefore, reminded that he will be held responsible for showing at the end of each quarter that all necessary efforts have been made to ensure the appointment of scheduled caste and scheduled tribe candidates and that, in any case, the requiste number of scheduled caste and tribe candidates have been appointed by the end of the year. If the prescribed quota is not achieved by any Department, the reasons for the shortfall must be conveyed to Government in accordance with the instructions given below. If vacancies in a particular category of posts occuring, or likely to occure, at a time are 4 or more, it will be wrong on the part of the appointing authority to split up his requirement and to resort to piece-meal recruitment.

(iii) If no mention is made in a requisition about reservation, the Commission will, on its own initiative, calculate the number of posts which should be reserved and issue advertisement accordingly.

B. Subordinate Posts:--

(i) These posts are in Schedule II to the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1950 and the Head of the Department is usually the appointiug authority.

(ii) Some subordinate posts are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission being included in Schedule II to the Rajasthan Public Service Commission (Limitations of Functions) Regulations,

In such cases, while sending the requisition to the Public Service Commission the procedure laid down for gazetted posts should be followed.

(iii) In the case of certain posts, especially technical posts, the Commission may take time to effect regular recruitment and owing to emergent reasons, the Head of the Department or a lower authority, who has been vested with the power of appointment, may have to made temporary appointments. In such cases, as well as for the purpose of filling up subordinate posts which are not within the purview of the Rajasthan Public Service Commission, the following procedure shall be followed by all appointing authorities:—

(a) An advertisement in Hindi should be issued in one or two Hindi daily newspapers, having wide circulation in Rajasthan. The form given in Appendix B should be used.

(b) A copy of the advertisement should be sent to the Employment Exchanges at Jaipur, Ajmer, Kotah, Jodhpur, Bhilwara, Pali, Alwar, Bikaner, Sawai Madhupur, Ganganagar, Bharatpur and Udaipur, who should be asked to send the names of all Scheduled Castes/Tribes candidates who fulfil the requisite qualifications. A copy should also be sent to the Director of Social Welfare and to any known organisation of Scheduled Castes/Tribes persons located at the headquarters of the appointing authority.

(c) Selections should invariably be made by a Committee of 3 officers.

(d) Delay in following this procedure should not be made the excuse for making appointments without advertisements. If posts are expected to be sanctioned, advertisements should be issued in anticipation, making it clear that there is only a likelihood of the vacancies occuring, and that appointments cannot be assured.

C. Ministerial Posts:—

These posts are outside the purview of the Public Service Commission and the Head of office is appointing authority. According to the Rajasthan Secretariat Ministerial Staff Rules and the Rajasthan Subordinate Offices Ministetial Staff Rules, recruitment in future wiil be by competitive examination, Separate Rules are also being issued regarding staff under the control of the High Court. In such recruitments provision has already been made for reservation, but the extent of the reservation will be governed by the provision given above. Meanwhile, however, there will be manv occasions for temporary appointments. Before such temporary appointments are made the procedure laid down in respect of subordinate service at (a), (b) and (c)

above should invariably be followed, except that if recruitment is restricted to posts within a district, the advertisement may be inserted in a local daily Hindi newspaper instead of in a newspaper having circulation all over the State.

D. Class IV Posts:—

It has to be emphasised that for these posts, there is no dearth of candidates from Scheduled castes/tribes and that no excuse can be given for not filling up the full quota of reserved posts. Atleast one week prior to recruiting Class IV Servants, the appointing authority should publish a notice, in Hindi, at a prominent place in his office on the lines of Appendix B. He should also send a copy of the notice to the nearest Employment Exchange.

E. Special Provison for the period ending 31-3-1960:—

The order dated the 19th September, 1951 was in respect of reservation in the case of fresh recruitment. This order has not been properly implemented and so it is considered desireable to make a special effort to appoint to Government service during the period ending the March 31, 1960 as many Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates as possible, even if such appointments exceed 12½% of the actual recruitment to some categories of posts during the years 1958-59 and 1959-60. Till the 31st March 1960 all appointing authorities should make appointments of general canddates to the following categories of posts only when they receive a certificate from the nearest Employment Exchange that no suitable Scheduled Caste/Tribe candidate is available.

(a) Subordinate service for which no technical qualifications or experience is required and the minimum standard of education in matriculation or less.

(b) Temporary Lower Division Clerks and other Ministerial posts in equivelent or lower grade for which no special technical qualification or experience is required as pre-requisite for recruitment and the minimum standard of education is matriculation or less.

(c) Class IV posts for which no special training, qualification or experience is required as a pre-requisite for recruitment.

F. The Nature of appointments which should be treated as recruitment:—

The following types of appointments shall be treatad as recruitment for purposes of reservation:—

(a) Fresh appointment of a person, not previously in the service of the Government of Rajasthan, to any post under the Government of Rajasthan other than work-charged posts and part-time posts or honorary posts.

(b) Appointment of a person already in the service of the Rajasthan Government to a posts in which he cannot normally be appointed by promotion or transfer. For example, appointment of a Middle School Teacher as an Inspector in the Excise and Taxation Department ( in higher scale ) or appointment of a Trained Matriculate Teacher as a Lower Division Clerk ( in same scale ) are cases of recruitment. On the other hand the appointment of a Middle School Teacher as a High School Teacher is not necessarily fresh recruitment, unless the appointment is by advertisment.

II- Quarterly and annual returns:—

(1) In respect of all fresh appointments the following returns should be furnished to this department:—

(a) Quarterly --These returns will be for the periods ending the 30th June, 30th September and 31th December every year. No quarterly return is required for the quarter ending the 31st March.

(b) Annual—This return will be for the financial year i. e., from the 1st April to the 31st March of the succeeding year.

Form of Return.

(2) As per proforma S. C. R. I ( For gazetted ) S. C. R. II ( For subordinate ). S. C. R. III ( For Ministerial ) and S. C. R. IV (For Class IV) which are enclosed. The proforma will be the same for the quarterly and annual returns. In the quarterly return information regarding the respective quarter is to be furnished and the Annual Return should contain information for the financial year.

Who shall prepare and send the return:—

(3) The authorities specified in Col. 4 of Appendix A should send return direct to this department.

Date of submission of returns:—

(4) The quarterly returns referred to above should reach this department before the 20th July, 20th October and 20th January respectively.

The first quarterly return should reach this department by the 20th July, 1958. The Annual return should reach this department before the 30th April. For the year 1957-58, there will be a special annual return for the period 1-4-57 to 31-3-58 and this should reach the Appointments Department by 30-4-58 positively.

III. Annual report to Cabinet:—

(1) The Appointments Department will scruitinize and tabulate the returns and submit an Annual Report to the Cabinet by the 31st July. These reports will not be delayed on account of any delay in the receipt of returns. Mention will be made in the Annual Report of the defaulting Departments so that a decision can be taken as to what step are necessary against officers concerned.

(2) In view of the serious neglect that this matter has suffered in the past, Government would like to impress on all officers the seriousness of continued neglect of, or opposition to, these measures and their determination to deal with non-compliance with these orders promptly and firmly.

K. N. SUBRAMANIAN,
Chief Secretary to Governmet.

Copy forwarded to the:—

1. All Secretaries to Government,
2. Secretary to Governor,
3. Secretary to Chief Minister,
4. All Deputy Secretaries to Government.
5. All Private Secretaries to Ministers and Dy. Ministers,
6. All Heads of Departments and Offices and
7. All Sections of the Secretariat.

GANPAT SINGH,
Assistant Secretary to Government.

Copy also forwarded to the: -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur,
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur and
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

GANPAT SINGH
Assistant Secrtary to Government.

## REPORT FORM S. C. R. I.

Report regarding reservation of posts for Secheduled Castes/Tribes candidates for Gazetted Posts.

| Department or Service. | Appointing authority. | Period of report. |
|---|---|---|

1. No. of posts advertised as reserved.
2. No. of Secheduled Caste/Tribe candidates who applied.
3. Secheduled Caste/Tribe candidates appointed.

| S. No. Name | Post | Date of appointment. | Whether permanent or temporary. |
|---|---|---|---|

4. If all those who applied were not appointed, the reasons for non-appointment.

## REPORT FORM S. C. R. II.

Report regarding reservation of posts for Scheduled Castes/Tribes candidates for Subordinate services.

| Department or Service | Appointing Authority. | Period of report |
|---|---|---|

1. Total Recruitment from all classes. (a) through P. S. C. (b) Direct — Permanent Temporary
2. No. of posts advertised in newspapers.
3. No. of Scheduled Castes/Tribes candidates who applied.
   (a) to P. S. C.
   (b) Direct (excluding those who applied also through the Employment Exchange).
4. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates recommended by Employment Exchanges.

5. No, of Scheduled Caste/Tribe candidates appointed.

Permanent Temporary

(a) On recommendation of the P. S.C.

(b) Direct, on posts which are within the purview of P. S. C.

(c) On posts which are outside the purview of the P. S. C.

6. If figure against item 5 is less than the total of items 3 and 4 and also less than item (1) what are the reasons for non-appointment of the Scheduled Caste/Tribe candidates ?

7. How many among those mentioned at item 6 had the required qualifications ?

8. Was the certificate of non-availability obtained from Employment Exchange ?

## REPORT FORM S. C. R. III.

Report regarding reservation of posts for Scheduled Caste/Tribes candidates for Ministerial Posts.

| Department or Service. | Appointing Authority | Period of report. |
|---|---|---|

Permanent. Temporary.

1. Total recruitment from all classes.
2. No. of posts advertised in newspapers.
3. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates who applied direct.
4. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates who were recommen Employment Exchanges.

Permanent. Temporary.

5. No. of Scheduled Caste/Tribe cadidates acntually appointed.
6. If figure against item 5 is less than total of items 3 and 4 and also less than item (1) what are the reasons for non-appointment of Scheduled

Caste/Tribe candidates ?

7. How many among those mentioned in item 6, had the required qualifications ?

8. Was the certificate of non-availability obtained from Employment Exchange ?

REPORT FORM S. C. R. IV.

Report regarding reservation of posts for Scheduled Castes/Tribes candidates for Class IV Employees.

| Department or Service. | Appointing Authority. | Period of report. |
|---|---|---|

Permanent. Temporary.

1. Total Recruitment.
2. No. of posts notified as vacant.
3. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates who applied direct,
4. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates who were recommended by Employment Exchanges.

Permanent. Temporary.

5. No. of Scheduled Caste/Tribe candidates who were actually appointed.
6. If figure against item 5 is less than the total of items 3 and 4 and also less than item (1) what are the reasons for non-appointment ?
7. Was the certificate of non-availability obtained from Employment Exchange ?

APPENDIX 'A'

| S. No. | Department. | Posts. | Person who shall send Returns |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | **GAZETTED POSTS** | | |
| 1. | Agriculture. | Tractor Foreman; Supdt. Basic Agriculture School; Farm Manager; Research Assistants. | Director of Agriculture. |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Veterinary. | Veterinary Officer Class II; Supdt. Cattle Breeding Farms. | Director of Animal Husbandry. |
| 3. Education | Dy. Inspectors and Inspectresses of Schools; P. A. to Director; Dy. Inspector of Sanskrit Pathshalas; Head Masters and Head Mistresses of Government High Schools and similar institutions. | Director of Education. |
| 4. Prisons. | Dy. Superintendent Central Jail. | I C. Prisons. |
| 5. Revenue | Tehsildars. | Chairman, Board of Revenue. |
| 6. Other epartments. | All other posts. | Secretary to Government of Administrative Deptt. |

POSTS IN SUBORDINATE SERVICES.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Education. | Teacher for whom the appointing authority is the Inspector of Schools. | Inspector of Schools. |
| | Teachers for whom the appointing authority is the Deputy Director. | Deputy Director of Education. |
| 2. Police. | Sub-Inspector of Police; Head constables and constables. | D. I. G. (Range). |
| | All other posts. | The Heads of Deptts. |

MINISTERIAL AND CLASS IV POSTS

| | | |
|---|---|---|
| 3 ...... | In respect of all staff in the District level offices or equivalent to it offices and offices subordinate | The following district level officers:— Collectors, Supdt. of Police, Distt and Sessions Judge. District Veterinary Officer, Asstt. Commissioner, Excise & Taxation; Sales Tax Officer, Inspectors of Schools, Executive |

| | |
|---|---|
| | Engineers of all three branches; Settlement Officers; Forest Settlement Officers, Div. Forest Officers, District Industries Officers; P. M.- H. O; D.M.H.O; C. M.- O; Asstt. Director of Mines & Mining Engineer, Asstt. Registrars, Co-operative. |
| In respect of Divisional and Range Offices. | Div. Commissioners, Dy. Director of Agriculture, Dy. Director of Veterinary Director of Education, Supdtg Engineers, Asstt. Director of Social Welfare. |
| In respect of all Accouts Offices. | Accounts Officers. |
| In respect of all other offices. | Class I & Class II Heads of Deptts, |

## APPENDIX 'B'

## ADVERTISEMENT

Applications are invited for the purpose of filling up the following posts:-

1. Posts and No.
2. Pay Scale.
3. No. of posts reserved for Scheduled Caste/Tribe.
4. Minimum Qualification and Experience.
5. Age limit.
   ( Relaxable by 5 years in the case of Schebuled Caste/Tribe ),
6. Last date

NAME AND DESIGNATION.

## परिशिष्ट ६

( कृपया प्रश्न संख्या २१३ आर. एम. का उत्तर देखिये )

| न० | नाम काश्तकार मय पूर्ण पते के | तादाद जो जमीन दी गई | नियम जिसके अन्तर्गत दी गई : |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १. | श्री रमेशचन्द व्यास सा० भीलवाड़ा | २० बीघा | इनकी तसदारियां में २० बीघा भूमि थी इसके बिल एवज़ प्लान में ज़मीन दी जाने के लिये इनका प्रार्थना पत्र तहसील के मार्फत इस कार्यालय में पेश होने पर उक्त भूमि के बदले में उतनी ही भूमि मोजा प्लान में दी गई । |
| २. | श्री चुन्नीलाल, रमेशचन्द्र, रामेश्वर प्रसाद, छीतरमल व्यास भीलवाड़ा | ७। ४ बीघा | इस भूमि पर इन लोगों का कब्ज़ा हैं। इसके बारे में मालिक आज्ञा नहीं हुई है। कार्यवाही पृथक चल रही है। |

निम्नलिखित व्यक्तियों को सन् १६५८-५६ में शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या ६/५५७/राज/ख/५७२४ दिनांक २४ जून ५८ कलेक्टरी कार्यालय के आदेश संख्या. १८२५/५७/३१६८/ से ७४ दिनांक २६-६-५८ के अनुसार दी गई। प्रथम यह भूमि छः माह के लियेअलॉट की गई थी किन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार अब यह भूमि अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिये दी गई है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३. | श्री प्रकाश नारायण पिता चतुर्भुज ब्राह्मण भीलवाड़ा | ५ बीघा | उक्त आदेश के तहत दो साल के लिये अस्थाई तौर पर दी गई। |
| ४. | श्री लालू व भागीरथ दरोगा सा० मलबाव | ५ | ,, ,, |

# Page No.163



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ५. | श्री सोहनलाल नानूराम छीपा सा० सागानेर | ३॥। ३ | ,, | ,, |
| ६. | श्रीमती सीतादेवी पति श्री हुकमशंकर ब्राह्मण भीलवाड़ा | ५ | ,, | ,, |
| ७. | श्रीधर व मथुरालाल व्यास सा० भीलवाड़ा | ५ | उक्त आदेश के तहत दो साल के लिये अस्थाई तोर पर दी गई। | |
| ८. | श्री विशनदास पिता हासुदास सा० भीलवाड़ा | ५ | ,, | |
| ९. | श्री रामचन्द्र पिता नाथूराम ब्राह्मण सा० भीलवाड़ा | ४ | ,, ,, | |
| १०. | श्री पांचु पिता प्रभूलाल गूजर सा० भीलवाड़ा | ४ | ,, | |
| ११, | श्री लाल पिता बख्तावर टांक सा० भीलवाड़ा | ४ | ,, | |
| १२. | श्री लक्ष्मीलाल पिता मूलचन्द डागा सा० भीलवाड़ा | ४ | ,, | |
| १३. | श्री सांवलदास पिता केरूमल सिन्धी सा० भीलवाड़ा | ५ | ,, | |
| १४. | श्री उदयसिंह पिता मला रावत भीलवाड़ा | २ | ,, | |

# परिशिष्ट १०

( कृपया प्रश्न संख्या २१५ आर. एम का उत्तर देखिये )

**तारांकित प्रश्न संख्या. २१५ आर० एस० का स्टेटमेन्ट सन् ५७-५८ में निम्न व्यक्तियों को जमीन दी गई :**

| नं० | नाम काश्तकार मय पूर्ण पते के | तादाद जमीन | नियम जिसके अन्तर्गत जमीन दी गई |
|---|---|---|---|
| १. | २ | ३ | ४ |
| १. | श्री बन्सीलाल पिता कल्याणमल सा. सुरथला | १५ बीघा | यह अलॉटमेन्ट तहसील भीलवाड़ा द्वारा किया गया। |
| २. | मथुरालाल पिता गौरीलाल उपाध्यक्ष भीलवाड़ा | १५ बीघा | ,, |

निम्न व्यक्तियों को सन् १९५८-५९ में शासन सचिव राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या ६।५५७। राज। ख। ५७२४ दिनांक २४ जून ५८ कलेक्टरी कार्यालय आदेश संख्या. १८२५। ५७। ३१६८ से ७४ दिनांक २६-६-५८ के अनुसार दी गई। प्रथम यह भूमि ६ माह के लिये अलॉट की गई थी किन्तु राज्य सरकार के आदेशानुसार अब यह भूमि अस्थाई रूप से दो वर्ष के लिए दी गई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३. | श्री छीतर पिता गणेश कोली सा. भीलवाड़ा | ५ बीघा | उक्त आदेश के तहत दो वर्ष के लिये अस्थाई तौर पर दी गई। |
| ४. | श्री दीपचन्द पिता किसना कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| ५. | श्री रघुनाथ पिता देवा कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| ६. | श्री ननेश वल्द राज्या कोली सा. भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| ७. | श्री कल्याण वल्द अर्जुन कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| ८. | श्री काना वल्द हुक्मा कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| ६. श्री रामदयाल वल्द डालू कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| १०. श्री दुर्गा पिता उदा कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| ११. श्री किसनलाल वल्द डालू कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| १२. श्री ब्रोतलाल वल्द छोड़ालाल जैन भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| १३. श्री पारशमल वल्द छोडालाल भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| १४. श्री इब्राहीम वल्द हजारी शेख भीलवाड़ा | १० ,, | ,, |
| १५. श्री ममली बेवा नगजी कोली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| १६. श्री मांगीलाल पिता गोपी कोली भीलवाड़ा | ५ बीघा | ,, |
| १७. श्री प्यारा वल्द पोल्या कोली भीलवाड़ा | ३ ,, | ,, |
| १८. श्री मांगया वल्द लालू हलेड भीलवाड़ा | ३ ,, | ,, |
| १६. श्री कुशाल वल्द पन्ना माली भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| २०. श्री काशीराम वल्द नन्दा खटीक भीलवाड़ा | ५ ,, | ,, |
| २१. श्री मोड़ी जौजे कजोड़ बलाई भीलवाड़ा ' | ३ ,, | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| २२. श्री गोकल पिता रतना बलाई भीलवाड़ा | ५ " | " |
| २३. श्री मांगया वल्द बख्तावर बलाई हलेड | ५ " | " |
| २४. श्री हजारी वल्द बालू बलाई हलेड | ५ " | " |
| २५. श्री घीसा वल्द कजोड़ बलाई हलेड | ५ " | " |
| २६. श्री भवाना वल्द रामा बलाई हलेड | ५ " | " |
| २७. श्री चन्दा वल्द नन्दा दरोगा | ५ " | " |
| २८. श्री कालू वल्द गुलाब बलाई | ५ " | " |
| २९. श्री मोती वल्द बरदा बलाई | ५ " | " |
| ३०. श्री एकलिंग वल्द नाराण खटीक भीलवाड़ा | ५ " | " |
| ३१. श्री केला पिता प्रताप खटीक | ५ " | " |
| ३२. श्री नन्दा वल्द सवाईराम हलेड | ६ " | " |
| ३३. श्री चन्दा वल्द रामा बलाई | ४ " | " |
| ३४. श्री हीरा वल्द सुरजमल बलाई | ६ " | " |
| ३५. श्री प्यारा वल्द कालू खटीक | ५ " | " |
| ३६. श्री बद्रीदास वल्द सालगराम | ५ " | " |
| ३७. श्री गोकल वल्द केला नायक | ५ " | " |
| ३८. श्री मोड़ा वल्द गंगराम नायक | ५ " | " |
| ३९. श्री भूरा वल्द नोला खटीक भीलवाड़ा | ५ " | " |

| | | |
|---|---|---|
| ४०. श्रीमती रूप कुमारी बेवा श्री प्रतापसिंह मेहता सा० उदयपुर | ७४) | " जागीर रिज्म्पशन सन् १९५८ |
| ४१. श्री भगवतसिंह पिता लछमनसिंह मेहता सा० उदयपुर | १६२॥)४ | " |

## परिशिष्ट ११

( कृपया प्रश्न संख्या २७८ आर. एम. का उत्तर देखिये )

### नक्शा अलॉटमेन्ट भूमि का जो राजस्थान बनने के बाद वितरण की गई।

तहसील जयपुर

| क्रम संख्या | नाम ग्राम | नाम अलॉटीज़ | तादाद रकबा | सम्वत् | तादाद बकाया किस्म: माल | तादाद बकाया किस्म: तकावी | तादाद बकाया किस्म: कीमत कुआ | बिचौती जमीन | मीजान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| १. | सहजपुरा | श्री सत्येन्द्र नाथ | ५.२ | २००६ | — | ४६६६ | — | — | ४६६६.७५ |
| २. | रामपुरा रूपा | श्री शिवकुमार कौशिक | ६ | २००८ | — | ८१२.७५ | — | — | ८१२.०० |
| ३. | बीड खातीपुरा | श्री सेवा सदन कल्याण विद्यार्थी | १५० | २०१४ | ९३.७५ | — | — | — | ९३.७५ |
| ४. | ,, | श्री कुंवर बहादुरसिंह | १५ | २०१४ | ९.३७ | — | — | — | ९.३७ |
| ५. | ,, | श्रीमतीलीलावती देवी | १० | २०१४ | ३१.८९ | — | — | — | ३१.८९ |
| ६. | ,, | श्री कृष्णकुमार | २५ | २००८ | — | २६४.०० | — | — | २६४.०० |
| ७. | ,, | श्री बलभा | १५ | २०१४ | ७.५० | — | — | — | ७.५० |
| ८. | ,, | श्री रामदेव जयनारायण | १३ | २०१४ | २०.०० | — | — | — | २०.०० |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९. | ग्रीड़खातीपुरा | मेजर पर्वतसिंह | १५ | २०१२ | — | — | ४·०० | — | ४००·०० |
| १०. | ,, | कर्नल प्रेमसिंह | २५ | २०१४<br>२०११ | १५·६३ | — | — | २५० | २६५·६३ |
| ११. | ,, | श्री राधेश्याम कायस्थ | १५ | २०१३<br>२०१४ | १८·७४ | — | — | — | १८·७४ |
| १२. | ,, | श्री फूलकुंवर | १५ | २०१४ | ९·३७ | — | — | — | ९·३७ |
| १३. | ,, | श्री सानकुंवार | १५ | २०१४ | ९·३७ | — | — | — | ९·३७ |
| १४. | ,, | श्री भंवरसिंह | २५ | २०१४ | १५·६२ | — | — | — | १५·६२ |
| १५. | ,, | श्री हरीसिंह | २५ | २०१४ | १५·६२ | ७५·०० | — | — | ९०·६२ |
| १६. | ,, | श्री घोकलसिंह | २५ | २०१४ | १५·६२ | — | — | — | १५·६२ |
| १७. | ,, | श्री गिरधारीसिंह नारायनसिंह | २५२ | २०१३ | १५·६२ | — | — | — | १५·६२ |
| १८. | ,, | श्री चावन्डसिंह | २५ | २०१४ | १५·६२ | — | — | — | १५·६२ |
| १९. | ,, | श्री गिरधारीसिंह लालसिंह | २५ | २०१४ | १५·६२ | — | — | — | १५·६२ |
| २०. | बीडबैसला | श्री शिवदत्त माली | ८ | २००८ | ५·३७ | — | — | — | ५·३७ |
| २१. | ,, | श्री विजयन्द्र नारायण काग | १९६ | २०१३ | ४०·९१ | १०७२९·४४ | — | — | १०७७०·३५ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २२. | बीड़ बैसला | कोआॅपरेटिव सोसाइटी | ३४६ | २०१२ | — | ५८५७·०० | — | — | ५८५७·०९ |
| २३. | ,, | श्री नरेन्द्रसिंह | ५४·३ | २०१३ | — | ३६३·०० | — | — | ३६३·०९ |
| | | | १०८१५ | ३५५·६२ | | २२८२७·१६ | ४००·०० | २५० | २३८३२·८१ |

**तहसील सांगानेर**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | गात्यावास श्री मैरून सिंह | — | | ३५·४० सं० २०१० के | — | — | — | ३५·४० |

लकड़ी की कोई बकाया नहीं है।
वसूलात की कार्यवाही बराबर की जा रही हैं।
एवं अभी तक जारी हैं।

जिलाधीश, जयपुर

## शुद्धि-पत्र

( कार्य-विवरण दिनांक १६ दिसम्बर १९५८ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ६६१२ | १ | मम्त्री | मंत्री |
| ६६१३ | अन्तिम से ३ | गैर | वगैर |
| ६६१५ | ८ | श्री जनार्दनराय नगर | श्री जनार्दनराय नागर |
| ,, | १५ | सिफरिशे | सिफारिशें |
| ६६२० | १४ | श्री जनार्दराय नागर | श्री जनार्दनराय नागर |
| ६६२२ | ११ | श्री जनार्दनराय नगर | श्री जनार्दनराय नागर |
| ६६२५ | १५ | लूणकरसर | लूणकरणसर |
| ६६२९ | १६ | वीभाग | विभाग |
| ६६१३ | अन्तिम से १३ | श्री सम्भपतराम | श्री सम्पतराम |
| ६६३३ | ,, १ | प्ररि शिष्ट | परिशिष्ट |
| ,, | ,, १५ | मुख्ख्मंत्री | मुख्यमंत्री |
| ६६५१ | ,, ५ | भूमी | भूमि |
| ६६५६ | शीर्ष | १६ दिव | १६ दिसम्बर |
| ६६७६ | अन्तिम से ४ | म्युनिनिसिपल | म्युनिसिपल |
| ६६७८ | १ | श्री बद्र प्रसाद गुप्ता | श्री बद्री प्रसाद गुप्ता |
| ६६७९ | १६ | चामिए | चाहिए |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६६८० | अन्तिम से १० | Sqeaker | Speaker |
| ६६८४ | ६ | श्री उपाध्च्य | श्री उपाध्यत्त |
| ,, | अन्तिम से १४ | श्री भीनसैन | श्री भीमसेन |
| ६६८७ | १३ | हूई | हुई |
| ६६९१ | अन्तिम से ४ | वाहानों | वाहनों |
| ६६९३ | अन्तिम से २ | क्स्टेन्शन | एक्स्टेन्शन |
| ६६९४ | १२ | एन्क्यूग्रल | एक्युग्रल |
| ६६९५ | अन्तिम से १२ | दूसरी बत | दूसरी बात |
| ६६९६ | १० | हमा यह | हमारे यहां |
| ६७०० | ७ | जिके कारण | जिसके कारण |
| ६७११ | १५ | श्रावश्वकतां | श्रावश्यकता |
| ६७१८ | शीर्ष | १६ दिस्नबर | १६ दिसम्बर |
| ६७३८ | २ | बृद्धि | वृद्धि |
| ६७४४ | १६ | विश्वासनीय | विश्वसनीय |
| ६७५२ | अन्तिम से ६ | दुकानारे | दूकानदार |
| ६७६४ | २ | token | taken |
| ६७६८ | १२ | इन्ड स्ट्रियल | इन्डस्ट्रियल |
| ६७८७ | अन्तिम ११ | धारीवाल | धारीवाल |
| ६७८७ | स्कम्भ संख्या | ६८८ | ६७८८ |
| ,, | १६ | श्री विश्वम्भरानाथ | श्री विश्वम्भरनाथ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६७६२ | ६ | श्री रिखबचंद घसिवाल | श्री रिखबचन्द धारीवाल |
| ,, | अन्तिम से १५ | श्री रिखबचन्दधारी वाल | श्री रिखबचन्द धारीवाल |
| ६८०० | १६ | thorouguly | througdely |
| ६८०६ | २ | टैक्सटाइल | टैक्सटाइल |
| ६८०७ | ६ | distributele | distributed |
| ६८०६ | अन्तिम से ७ | श्री रिखबचन्द् घारिवाल | श्री रिखबचंद धारीवाल |
| ६८१२ | ,, २० | objeetion | objection |
| ६८१४ | ,, १५ | श्री विशम्भरनाथ जोशी | श्री विश्वम्भरनाथ जोशी |
| ६८१६ | ,, ५ | स्वास्यय | स्वास्थ्य |
| ६८४३ | ४ | स्वास्थ | स्वास्थ्य |
| ६८५८ | ३ | सूचि | सूची |
| ६८५८ | ५ | लोड़सर | लोढ़सर |
| ६८५६ | ८ | श्री अमरराम | श्री अमराराम |
| ६८६५ | अन्तिम से २ | १८–०१–५५ | १८–१०–५५ |
| ६८७४ | ४ | Kodayat | Kolayat |
| ६८७६ | १ | ars | are |
| ६८८७ | १२ | epartmenta | departments |
| ६८६१ | ४ | तोर | तौर |
| ६८६५ | ३ | रिजम्पशन सन् १६५८ | रिजम्पशन एक्ट सन् १६५८ |
| * ६६५० व ६६५१ | शीर्ष | राजस्थान गौशाला विधेयक, ५८ | तारांकित प्रश्नोत्तर |
| ६६५२व५३ | शीर्ष | अनुपूरक अनुदानों मांगे पर मतदान | तारांकित प्रश्नोत्तर |